19 दिसम्बर, 1994
अग्रहायण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

बारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

दिनांक 19 दिसम्बर, 1994 के लोक सभा वाद विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

पृष्ठ सं.	पंक्ति/पैरा	के स्थान पर	पढ़िए
7	5	कह चुक हूं	कह चुका हूं।
27	2	पारेशत के रूप में परिक्षा	प्रतिशत के रूप में परीक्षा
30	16	प्रसंविदाओं को अनुपालना	प्रसंविदाओं का अनुपालन
33	16	रमेश वेन्नितला	रमेश वेन्नित्तला
47	11	जायनल अबेदिन	जायनल अबेदिन
70	16	श्री पो॰मुदालागिरियप्पा	श्री सो.पो॰मुदला गिरियप्पा
76	19	वी. शंकरानन्द	बी॰ शंकरानन्द
99	नीचे से 10	सी॰सिल्वेरा	सी.सिलवेरा
100	10	- वही -	- वही -
122	18,21,24	कोचिन शिपयार्ड	कोचीन शिपयार्ड
133	1	तरुण गंगोई	तरुण गगोई
167	23	जगजीत सिंह बरार	जगमीत सिंह बरार
168	5	विक्रेय योग्य इस्पात	विक्रय योग्य इस्पात
218	5-6	तरुण गागोई	तरुण गगोई
220	14-15	- वही -	- वही -
271	5	निरनुमोदन संबंधी	निरनुमोदन के संबंध में
302	22	जसबंत सिंह	जसवन्त सिंह

विषय-सूची

दशम माला, खंड 36, बारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)
अंक 9, सोमवार, 19 दिसम्बर, 1994/28 अग्रहायण, 1916 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	161—163	1—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	164—180	24—40
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1671—1691, 1693—1714, 1716—1879, 1881—1904, 1904—क और 1904—ख	40—231
सभा पटल पर रखे गए पत्र		252—263
प्राक्कलन समिति		
सैंतालीसवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		264
लोक लेखा समिति		
की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण—**सभा पटल पर रखा गया**		264
विशेषाधिकार समिति		
चौथा प्रतिवेदन—**सभा पटल पर रखा गया**		264
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
(एक) पंचायत संचार सेवा योजना		
श्री सुख राम		265—266
(दो) ज्ञान प्रकाश समिति प्रतिवेदन		
श्री भुवनेश चतुर्वेदी		294
कार्य मंत्रणा समिति		
छियालीसवां प्रतिवेदन—**स्वीकृत**		267—270
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्य सरकारों के बीच हुए समझौतों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता		
श्री कृष्णादत्त सुल्तानपुरी		267—268
(दो) चेन्नाई एक्सप्रेस को तमिलनाडु में तिरूनेलवेली तक बढ़ाने की आवश्यकता		
श्री शरद दिघे		268
(तीन) जबलपुर, मध्यप्रदेश में स्थित आयुध कारखानों को पुनर्गठित करने और उन्हें फिर से चालू करने की आवश्यकता		
श्री श्रवण कुमार पटेल		268
(चार) मऊखास, मेरठ, उत्तर प्रदेश में चीनी मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता		
श्री अमर पाल सिंह		269

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(पांच) उत्तरप्रदेश के हरदोई जिले में शाहबाद नगर में रसोई गैस एजेंसी को पुनः चालू करने और वहां एक अन्य गैस एजेंसी खोलने की आवश्यकता	
श्री सुरेन्द्र पाल	269
(छह) लखनऊ से खाड़ी के देशों और थाईलैंड/काठमांडू (नेपाल) के लिए एक साप्ताहिक सीधी उड़ान आरम्भ करने की आवश्यकता	
श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर)	269—270
(सात) उड़ीसा में तालदंडा नहर को साफ करने के लिए एक कार्य–योजना बनाने और इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री गोपीनाथ गजपति	270
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक(संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के संबंध में सांविधिक संकल्प तथा	
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक विचार करने के लिए प्रस्ताव	271—294
श्री चित्त बसु	271—273
डा. एस.पी. यादव	273—274
श्री दाऊ दयाल जोशी	274—277
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	277—278
प्रो. रासा सिंह रावत	279—282
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के संबंध में संकल्प—**वापस लिया गया**	282
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
खण्ड 2 से 21 और 1	282
पारित करने हेतु प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	283
श्री गिरधारी लाल भार्गव	283
भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के संबंध में सांविधिक संकल्प तथा	
भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	284—286
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	286, 292—293
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	286—287
श्री राम नाईक	288
भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश के संबंध में सांविधिक संकल्प—**वापस लिया गया**	293
भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
खण्ड 2, 3 और 1	294
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	294

लोक सभा

सोमवार, 19 दिसम्बर, 1994/28, अग्रहायण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

गहरे समुद्र में मत्स्यन

+

***161. श्री मोहन सिंह** (देवरिया) :
श्री हरिभाई पटेल :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 23 और 24 नवम्बर, 1994 को परम्परागत मछुआरों द्वारा किये गये राष्ट्रव्यापी आन्दोलन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारतीय जल सीमा में गहरे समुद्र में विदेशी पोतों को मछली पकड़ने की अनुमति देने का क्या औचित्य है;

(घ) क्या सरकार को देश भर के विशेष रूप से गुजरात और केरल के परम्परागत मछुआरों से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले विदेशी पोतों को दिए गए लाइसेंसों को रद्द करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार परम्परागत मछुआरों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से गहरे समुद्र में मत्स्यन नीति पर पुनर्विचार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने पाया है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों के चलने से पारम्परिक मछुआरों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि मामले की पुनरीक्षा किए जाने तक सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए और आवेदनों पर कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है।

(ग) नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति का औचित्य प्रौद्योगिकी अन्तरण एवं कर्मीदल के प्रशिक्षण द्वारा गहरे समुद्र में अब तक दोहन न किए गये मात्स्यिकी संसाधनों का दोहन करना और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। इन लाइसेंसों को रद्द करने का अनुरोध करते हुए गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव आदि के पारम्परिक मछुआरा संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(च) और (छ) सरकार ने निर्णय लिया है कि मामले की पुनरीक्षा कर लिए जाने तक गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए और आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की जायेगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने 'ख' उत्तर में लिखा है कि "मछली पकड़ने वाले पोतों के चलने से पारम्परिक मछुआरों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।" लेकिन इसी सदन में पिछले हफ्ते माननीय मंत्रीजी द्वारा हमें सूचित किया गया था और उसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि मशीनीकृत ट्रालर्स की संख्या में बेरोकटोक वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा पकड़े जाने वाली मछलियों की मात्रा में वृद्धि से पारम्परिक मछुआरों द्वारा पकड़े जाने वाली मछलियों में कमी आई है। एक वक्तव्य में मंत्रीजी स्वीकार करते हैं कि कमी आई है, उनकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और आज कहते हैं कि कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। यह विपरीत उत्तर देने का आधार क्या है? आपने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी और कहा था कि उसकी रिपोर्ट सरकार को मिल गई है और उसकी सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है। उस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और किन बातों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, यह बताने का कष्ट करें?

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : दर असल, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने में अन्तर है। यह सच है कि यंत्रीकृत नौकाओं की संख्या में वृद्धि से परम्परागत मछुआरों की दशा पर कुप्रभाव पड़ा है; गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कारण नहीं। दो क्षेत्र हैं। एक को तटीय क्षेत्र कहते हैं और दूसरे को गहरा समुद्री क्षेत्र, जो 12 नाटीकल मील से आगे है। इसलिये, यह एक सच्चाई है कि यंत्रीकृत नौकाओं की संख्या में वृद्धि ने परम्परागत मछुआरों पर कुप्रभाव डाला है।

जहां तक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का सम्बंध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि उसमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ने, दोनों का ही उल्लेख है। सिफारिशों में गहरे समुद्री जहाजों में एक उपकरण लगाये जाने पर भी जोर दिया गया है। ताकि हम यह पता लगा सकें कि वह जहाज कहां पर है। यह भी आरोप है कि गहरे समुद्री जहाज भी तटीय क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ, समिति ने हमारे चालक दल को प्रशिक्षण और परम्परागत मछुआरों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की भी शिफारिश की है ताकि वे भी गहरे समुद्री क्षेत्रों में जा सकें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोआ, दमन एवं दीव के मछुआरों ने तथा उनके संगठनों ने विदेशी मशीनों से मछली मारने के लिये हमारे समुद्री इलाकों में भारत सरकार से लाइसैंस प्राप्त करके बहुराष्ट्रीय कम्पनियां या जिनको आप विदेशी कम्पनियां कह रहे हैं, सरकार कहती है कि हमने विदेशी कम्पनियों को अपने देसी उद्यमियों की मदद से मछली मारने का लाईसेंस देने का अधिकार दिया है और वे मारने का काम कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उसके विरोध में, जो हमारे परम्परागत मछुआरे हैं, जिनकी रोजी–रोटी खत्म हो रही है, उन्होंने लाईसेंस रद्द करने के बारे में सरकार को जो अभ्यावेदन दिया है, उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : मैं यांत्रिक नौकाओं संबंधी कार्य नहीं देखता हूं। यह कार्य राज्य सरकारों का है। दो प्रकार की नौकाएं होती हैं एक यांत्रिक नौका होती है। वे तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ते हैं।

मैं गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का भी कार्य देखता हूं। मैंने विदेशियों को कोई लाइसेंस नहीं दिया है। वास्तव में मैंने विदेशी पोतों को हटाने का निर्णग लिया है। विदेशी पोतों को 1978–1979 में अनुमति दी गई थी। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति के अनुसार हम पोत खरीदने के लिए भारतीय उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वास्तव में, मैं धीरे–धीरे विदेशी पोत हटा रहा हूं। मैंने उन्हें 1981 की नीति में ही इन्हें हटाने का निर्णय लिया था।

1989 की नीति के अनुसरण में विदेशी पोतों को अनुमति दी गई थी। मैंने उसे रद्द कर दिया। 1986 में निर्धारित नीति कुछ विधिक कठिनाइयों के कारण चलती रही। मैं उसे भी समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, एक्सपर्ट कमेटी की नियुक्ति के समय हम कोस्टल एरियाज़ के एम. पीज ने यह रिक्वेस्ट की थी कि हम भी उस कमेटी के सामने अपने विचार रखना चाहते हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि उस कमेटी ने यह काम नहीं किया। मैं मंत्री महोदय से ग्रह जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट को, जिसे आपने पूरा का पूरा स्वीकार किया है, वह सदन के सामने रखेंगे या नहीं या कोस्टेल एरियाज के एम.पीज को उसकी प्रति उपलब्ध करायेंगे ताकि सरकार उसकी रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार काम करती है या नहीं, इस पर अपना दखल दे सकें?

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : वास्तव में, मुझे यह जानकारी नहीं है कि विशेषज्ञ समिति ने संसद सदस्यों की समिति के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी थी। यदि यह बात मेरे ध्यान में लाई गई होती तो मैं विशेषज्ञ समिति से यह आग्रह करता कि संसद सदस्यों को समिति के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। मैं आपको सभी प्रतियाँ दे दूंगा।

श्री पी.सी. चाको : महोदय, दुर्भाग्यवश उत्तर थोड़ा भ्रामक है। मुख्य मुद्दा यह है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से परंपरागत मछुआरे प्रभावित हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ना और यांत्रिकी नौका से मछली पकड़ना दो अलग–अलग बातें हैं। यह सत्य नहीं है क्योंकि स्वदेशी नौका में बाहर का इंजन लगाने से यह समुद्र में केवल 15–20 किलोमीटर दूरी तक जा सकती है। यह बिल्कुल ठीक है कि इस क्षेत्र में नए यंत्रीकृत पोत भी अतिक्रमण कर रहे हैं।

इसलिए, दुर्भाग्यवश बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाइसेंस देने से परंपरागत मछुआरे प्रभावित हो रहे हैं। चाहे यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेश स्थित हों या भारत स्थित हों, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से हमारी मछली संपदा प्रभावित हो रही है। यह एक ऐसा आर्थिक क्षेत्र है जहां हमारे परंपरागत मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं।

क्या मंत्री महोदय इस सभा को स्पष्ट रूप से यह आश्वासन देंगे कि इस सभा के सभी सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए, कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और जो लाइसेंस पहले दिए जा चुके हैं उन पर पुनः विचार किया जाएगा।

श्री तरुण गगोई : ऐसा नहीं है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति से वे प्रभावित हुए हैं।

श्री पी.सी. चाको : नहीं, नहीं...**(व्यवधान)**

श्री तरुण गगोई : आप कृपया पहले मेरी बात सुनिए ...**(व्यवधान)** मैं आपको उत्तर देने के लिए तैयार हूं। मैं आपको सभी आंकड़े भी दूंगा। दो तरह की नौकाएं हैं। एक गहरे समुद्र के लिए परंपरागत नौका है जो 1.7 लाख से भी अधिक संख्या में हैं। लगभग 34848 नौकाएं यांत्रिक हैं। तटीय क्षेत्र का यही बेड़ा है। मेरे अपने क्षेत्र में भी 34 पोत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए हैं। इन पोतों से केवल 2% मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यांत्रिक नौकाओं से 65% मछलियां पकड़ी जाती है। और 33% मछलियां परंपरागत मछुआरे पकड़ते हैं। केवल 2% मछलियां ही गहरे समुद्र में पकड़ी जाती हैं।

श्री पी. सी. चाको : वह 13 कि.मी. व्यास वाले एक बड़े जाल का उपयोग करते हैं। वे इस आर्थिक क्षेत्र से सारी की सारी मछलियां पकड़ लेते हैं। यह अत्यंत खतरनाक बात है। मंत्री महोदय का उत्तर एकंदम भ्रामक है...**(व्यवधान)**

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हम चर्चा करना चाहते हैं। हम आंकड़े नहीं चाहते हैं। आंकड़े हमारे देश की जनता को संतुष्ट नहीं कर सकते। परंपरागत मछुआरों में काफी आक्रोश है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री चार्ल्स को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री पी. सी. चाको : दुर्भाग्यवश, पूरे तटीय क्षेत्र और मछुआरों में असंतोष व्याप्त है। मंत्री महोदय उस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो मछुआरों को प्रभावित कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : अब आपने अपनी बात कह ली है।

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, समस्याएं...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार अनुमति नहीं दे सकता हूं। यह प्रश्न काल है। आप नियम जानते हैं।

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

श्री तरुण गगोई : महोदय, मैं भी परंपरागत मछुआरों के बारे में उतना ही चिंतित हूं। वास्तव में हम इसे विनियमित करना चाहते हैं। लेकिन राज्य सरकारें ही इसे विनियमित कर सकती हैं। राज्य सरकार ने यांत्रिक नौका की अनुमति दी है।

[अनुवाद]

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम वास्तव में गहरे संकट में है और यह गहरा संकट इस नीति के कारण ही है।

अध्यक्ष महोदय : हमारे सामने एक बात स्पष्ट होनी चाहिये: क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर हमारा नियंत्रण है?

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, मुझे सीमाओं की जानकारी है। समस्या यह है कि सरकार उदारीकरण और खुलेपन की नीति का अनुपालन कर रही है जिसने इस प्रकार के अतिक्रमण को जन्म दिया है। मैं माननीय मंत्री को उनके इस वक्तव्य के लिए बधाई देता हूं कि वह सभी लाइसेंसों को रद्द करने का प्रयास कर रहे हैं और वह इस प्रकार के नये लाइसेंसों की अनुमति नहीं देंगे।

महोदय, अब मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि–वह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं–वह जिस नीति का पालन करना चाहते हैं, उस विषय का प्रमुख मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय, जो इस नीति का अनुपालन कर रहा है, क्या उस मंत्रालय की स्वीकृति मिल गई है तथा क्या वह जल–भूतल परिवहन मंत्री श्री टाइटलर, जो वास्तव में इस मामले में मदद कर सकते हैं, का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। यह मंत्रिमंडल के कार्यक्रम में तालमेल न होने का प्रश्न नहीं है।

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, समस्या यह है कि इस सरकार में एक मंत्री यह नहीं जानता कि दूसरे मंत्रालय में क्या हो रहा है। अतः, वास्तविक समस्या यह है। आप भी अक्सर रोजाना की इस सभा में इस समस्या का सामना करते हैं। समस्या यह है कि क्या उन लोगों का, परंपरागत मछुआरों का, जो छोटी नावें प्रयोग कर रहे हैं, यह सरकार, यह मंत्रालय पुनर्वास करेगा ताकि वे अपनी जीविका अर्जित कर सकें। वास्तविक समस्या यह है।

श्री तरुण गगोई : गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का नई उदारीकरण की नीति से कोई संबंध नहीं है। जिस नीति को मैं क्रियान्वित कर रहा हूं, उसे आपने शुरू किया था। उस समय पूर्व सरकार सत्ता में थी। इसकी घोषणा मार्च, 1991 में की गई थी।

श्री हरि किशोर सिंह : हम भी इसी की बात कर रहे हैं।

श्री तरुण गगोई : हमने कुछ गलत काम नहीं किया है। मैं उस नीति की सराहना करता हूं। वह नीति भारतीय उद्यमियों को जलयान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ये सभी भारतीय कंपनियां हैं। ये भारतीयों की कंपनियां हैं जो भारत में पंजीकृत की गई हैं और हम भारतीय उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं पहले ही विदेशी जलयानों को चरणबद्ध रूप से हटाने का निर्णय कर चुका हूं।

श्री ए. चार्ल्स : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि आंतरिक समुद्र तटीय क्षेत्र में परंपरागत मछुआरे बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री की समस्या समझ सकता हूं। उन्होंने स्वयं कहा है कि सरकार के पास कोई निगरानी तंत्र नहीं है। अतः, जहां तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर नियंत्रण करने का सम्बन्ध है, मैं इसकी सीमाओं से परिचित हूं। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या विशेषज्ञों द्वारा, विदेशी जलयानों द्वारा, विदेशी लाइसेंसों के अन्तर्गत पकड़ी जाने वाली मछलियों की मात्रा के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है? क्या उन पर नियंत्रण रखने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ताकि उन परंपरागत मछुआरों के हितों की सुरक्षा की जा सके, जो इसे प्रभावित हो रहे हैं? यदि अवैध रूप से मछली पकड़ने के काम को रोकना संभव नहीं हो तो क्या सरकार सभी लाइसेंसों पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठायेगी?

श्री तरुण गगोई : वास्तव में परंपरागत मछुआरों के हितों की सुरक्षा करने का एक ही तरीका है, और वह है मशीनीकृत नावों को विनियमित करना। मशीनीकृत नावों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति दीजिये। हम उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और हम उन्हें सभी प्रकार के प्रोत्साहन देना चाह रहे हैं। परंपरागत मछुआरों के हितों की सुरक्षा करने का केवल यही तरीका है। अगर आप गहरे समुद्र में मछली नहीं पकड़ेंगे तो और भी अधिक मात्रा में मछली चोरी से पकड़ी जाती रहेंगी। चोरी से मछली पकड़ने का काम पहले ही बड़े पैमाने पर चल रहा है। अगर हम सचमुच ही अवैध रूप से मछली पकड़ने पर रोक लगाना चाहते हैं तो हमारी भारतीय कंपनियों को भी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम में शामिल होना चाहिये। केवल गहरे समुद्र में ही नहीं बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि उन्हें समुद्र में अपनी सीमाओं से भी आगे बढ़कर मछली पकड़ने का काम शुरू करना चाहिये।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि विभिन्न वर्गों की ओर से ये शंकायें व्यक्त की जा रही हैं कि विदेशी जलयान, जिनके पास उपग्रह से चित्र उतारने और कम्प्यूटर प्रोद्योगिक की सुविधायें हैं, हमारे भारतीय जलयानों के मुकाबले अधिक मछलियाँ पकड़ने में समर्थ हैं, जिसके कारण हमारे देश को वास्तव में कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। यदि हाँ, तो क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार का एक राष्ट्रीय मत्स्यन नीति लाने का कोई प्रस्ताव है ताकि पूर्णतया हमारे आर्थिक क्षेत्र से मत्स्य संपदा को विदेशी जलयानों द्वारा ले जाने की गुंजाइश को सीमित किया जा सके और

परंपरागत मछुआरों, के जो मुख्य रूप से मछली पकड़ने पर ही निर्भर करते हैं, हितों की सुरक्षा की जा सके।

श्री तरुण गगोई : वास्तव में, मैंने उसी प्रश्न का जवाब दिया है। हम विदेशी जलयानों को चरणबद्ध रूप से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुक हूं, 1981 की नीति विदेशी जलयानों की अनुमति देती है। 1986 की नीति के संबंध में भी वही बात है....

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आपको प्रौद्योगिकी लेने में समर्थ होना चाहिये। क्या ऐसा नहीं है?

श्री तरुण गगोई : जी, हां। इसीलिए हम संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अद्यतन प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के उद्देश्य से हम अपने भारतीय उद्यमियों को विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारी भारतीय कंपनियां उनसे बराबर की भागीदारी कर सकती हैं।

श्री वी. धनंजय कुमार : जहाँ तक मैं समझता हूं, माननीय मंत्री गहरे समुद्र और तटवर्ती क्षेत्र में एक विभाजक रेखा खींचने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक प्राधिकारियों का सम्बन्ध है, वह बता रहे हैं कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए भारत सरकार स्वीकृति प्रदान करेगी जबकि तटवर्ती क्षेत्र में मछली पकड़ने को स्वीकृति संबंधित राज्य सरकारें प्रदान करेंगी। मैं माननीय मंत्री के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि मछलियां गहरे समुद्र में पैदा होती हैं और फिर तटवर्ती क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। चूंकि भारतीय सरकार ने बहुराष्ट्रिकों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति दे रखी है, अतः, परंपरागत मछुआरे जो तटवर्ती क्षेत्र में मछली पकड़ते हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं। अतः, इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वह उन राज्यों के सभी संबंधित मंत्रियों की एक बैठक बुलायेंगे, जहां समुद्रतटीय क्षेत्र है, उदाहरण के लिए कर्नाटक राज्य, जहां 325 किलोमीटर लंबा तटवर्ती क्षेत्र है, जहां दो लाख परिवारों का मुख्य जीविकोपार्जन केवल मछली पकड़ना ही है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कारण इन लोगों का जीविकोर्जन का साधन समाप्त हो रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार सभी संबंधित मंत्रियों की एक बैठक तत्काल बुलायेगी और भारतीय सरकार द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए दिए गए लाइसेंसों को रद्द करने के लिए तत्काल कदम उठायेगी?

श्री तरुण गगोई : मैं सभी संबंधित मंत्रियों की बैठक बुलाने के लिए तैयार हूं। मैं सभी संबंधित सांसदों से भी इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। साथ ही मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि गहरे समुद्र में पकड़ी जाने वाली सभी मछलियों का उपभोग देश में नहीं होता है।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न यह है कि सभी जीव-जन्तु प्रभावित हो रहे हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि विगत दो वर्षों के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले कितने जलयानों को लाइसेंस दिये गये हैं और उनमें से कितनों का स्वामित्व भारतीय कंपनियों के पास है और उनमें से कितने भारतीय कंपनियों ने किराये पर लिए हुए हैं?

मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि क्या गहरे समुद्र में काम कर रहे जलयानों द्वारा तटवर्ती क्षेत्र में अतिक्रमण रोकने के लिए सरकार के पास कोई तंत्र है? अगर कोई तंत्र है, तो हमें उसके बारे में जानकारी दी जाये?

महोदय, मेरे प्रश्न का भाग (ग) यह है कि सरकार ने कहा है कि उसे मछुआरों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि उनकी मुख्य आपत्तियां कौन-कौन सी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप भाग (ग) का नहीं बल्कि सिर्फ (क) और (ख) का उत्तर दीजिये।

श्री तरुण गगोई : महोदय, हमने किसी बहुराष्ट्रीय अथवा विदेशी कंपनी को कोई लाइसेंस नहीं दिया है। हम उस पर पहले ही रोक लगा चुके हैं। मैंने 148 जलयानों की अनुमति दी है। लेकिन आज 34 जलयान काम कर रहे हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि उनमें से कितने किराये पर लिए हुए हैं और कितने भारतीय हैं?

श्री तरुण गगोइ : महोदय, भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियां इन सबका संचालन करती हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं जानना चाहता हूं इनमें से कितनों को किराये पर लिया गया है और कितनों पर दोनों का स्वामित्व है।

श्री तरुण गगोई : भारतीय कम्पनियां इन सबका संचालन करती हैं।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष जी, डीप. सी. फिशिंग के लिए जिस तरह बोट्स को परवानगी दी गई है,

[अनुवाद]

वे पूरी तरह से सुसज्जित हैं और जैसे ही मछली उपलब्ध होती है, वे उसका प्रसंस्करण करते हैं और उसको पैक करके विदेशों को भेजते हैं। इससे भारतीय बाजार प्रभावित हुआ है। देश की 30 प्रतिशत जनता मछली का उपयोग करती है और अब उनको मछली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही है तथा मछली के दाम भी बहुत बढ़ गये हैं। अतः मेरा पहला प्रश्न है कि आप भारतीय उपभोक्ताओं के हितार्थ मछली उपलब्ध करने हेतु क्या करने वाले हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह उन लोगों से संबंधित प्रश्न है जो मछली नहीं खाते हैं। बल्कि मछली पकड़ते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मछली को बिना पकड़े आप मछली कैसे खा सकते हैं?

श्री अन्ना जोशी : महोदय, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि मंत्री जी ने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया था कि विशेषज्ञ समिति ने एक ओर तो कहा है कि इससे भारतीय मछुआरों पर कोई प्रभाव

नहीं पड़ेगा, यदि ऐसी बात है तो आपने लाइसेंस जारी करना क्यों बंद कर दिया है?

श्री तरुण गगोई : महोदय, स्वेदेशी बाजार में मछलियों की उपलब्धता बढ़ गई है। बर्ष 1981–82 के दौरान मछलियों की उपलब्धता 24,00,044 थी। अब 1993–94 में यह 46,00,091 है। मछली उत्पादन में 95 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसकी उपलब्धता बाजार में और अधिक है।

श्री अन्ना जोशी : क्या यह भारतीय जनता के लिए है?

श्री तरुण गगोई : मैं केवल भारतीय जनता की ही बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री शंकरसिंह वाघेला : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरा देश जिस मामले में एकमत है, पूरे देश के सभी छोटे मछुआरे एकमत हैं कि मछलियां पकड़ने के काम को आप परम्परागत मछुआरों के लिये सीमित रहने दें, उसे देखते हुए क्या प्वाइन्टिडली आज के बाद, आगे आप कोई परमिट नहीं देंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे..

अध्यक्ष महोदय : वह तो बता दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री ओस्कर फर्नान्डीज : महोदय, प्रश्न मछुआरों एवं छोटे स्तर के मछुआरों के बारे में है। अब इन पोतों को गहरे समुद्र में मछली पकडने की अनुमति देने के कारण, इसका लाभ किसी दूसरे वर्ग के लोगों को मिलेगा। हमको छोटे मछुआरों की चिन्ता है। सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में उनकी किस प्रकार से मदद करेगी? हम उनको किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएंगे? क्या हम छोटे मछुआरों के प्रशिक्षण देने के इच्छुक हैं और अन्ततः क्या हम उनको जलपोत/मत्स्य नौका की मदद से गहरे समुद्र में मत्स्यन का ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर पाएंगे? एक मिलियन टन मछलियों की कमी है। इसका उपयोग नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे मछुआरे किस प्रकार यह कार्य कर पाएंगे?

श्री तरुण गगोई : वास्तव में हम इन मछुआरों को कुछ प्रोत्साहन देने वाले हैं, यदि वे एक सहकारी संस्था बनाएं तो हम उनको प्रोत्साहन देंगे ताकि वे गहरे समुद्र में मत्स्यन कर सकें।

मलेरिया महामारी

\+

***162. डा. असीम बाला :**
श्री उद्धव बर्मन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में मलेरिया के पुनः व्यापक रूप से फैलने की जानकारी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा अप्रैल से सितम्बर, 1994 तक देश में राज्यवार मलेरिया के कुल कितने मामलों का पता चला तथा मलेरिया से कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कोई सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने मलेरिया की कुछ औषधियों के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में मलेरिया के पूर्ण उन्मूलन के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) चालू वर्ष के दौरान मलेरिया का स्थानीय प्रकोप राजस्थान, नागालैंड तथा मणिपुर से सूचित किया गया है, जिसे नियंत्रित किया जा चुका है।

(ख) अनुबंध–I संलग्न है।

(ग) और (घ). राज्यों को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कीटनाशक औषधें एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती हैं। राज्यों पर व्यय का ब्यौरा अनुबंध II में दिया गया है।

(ङ) और (च). मलेरिया–रोधी औषधों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा है। तथापि, केवल उन औषधों का ही आयात किया जा सकता है जो निरापदता एवं प्रभावकारिता के लिए चिकित्सीय परीक्षणों पर खरी उतरी हैं।

(छ) उठाए गए कदमों में शामिल हैं :–

- रोगी का शुरू में पता लगाना एवं उसका तत्परता से उपचार
- उपयुक्त कीटनाशकों सहित चयनात्मक छिड़काव
- स्वास्थ्य शिक्षा एवं सामुदायिक भागीदारी
- शहरी क्षेत्रों में जैव पर्यावरणिक तथा रासायनिक तरीकों द्वारा वेक्टर नियंत्रण
- ग्रामीण स्तर पर औषधि उपलब्ध कराना।

अनुबंध–I

वर्ष 1991, 1992, 1993 और 1994 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान मलेरिया के रोगियों और मौतों का राज्यवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1991		1992		1993		1994 (अप्रैल–सितम्बर)		1994 अक्तूबर तक	
	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
आंध्र प्रदेश	82292	2	80305	–	86253	7	38812	1	61268	5
अरूणाचल प्रदेश	18729	–	19113	–	29666	–	10820	–	8949	–
असम	107572	36	95168	20	115000	48	49885	45	66386	58
बिहार	60332	14	65362	21	75845	2	19685	–	18580	–
गोवा	2879	–	848	–	2227	–	2282	–	524	–
गुजरात	404735	37	348532	28	304109	25	120320	–	144426	2
हरियाणा	34011	–	16662	1	22032	–	20542	–	21205	–
हिमाचल प्रदेश	20115	–	7251	–	4062	–	2170	–	2228	–
जम्मू व कश्मीर	4656	–	1244	–	784	–	1705	–	1733	–
कर्नाटक	44565	8	81057	–	196466	–	64559	–	128527	–
केरल	6758	–	8255	2	9277	9	5881	–	4231	–
मध्य प्रदेश	282681	28	269930	39	283600	2	95478	7	94062	14
महाराष्ट्र	145310	15	203812	2	327137	9	144155	1	172431	–
मणिपुर	640	–	2219	9	1896	–	2062	2	572	45
मेघालय	11155	–	11283	–	10045	33	4893	4	2927	34
मिज़ोरम	12486	12	20592	36	13166	–	8550	33	9047	37
नागालैण्ड	2422	–	2218	–	1584	118	1508	–	1714	253
उड़ीसा	414550	233	362390	155	323576	–	135591	–	123019	64
पंजाब	36649	–	23225	–	15944	19	11849	–	12174	–
सिक्किम	46	–	208	1	68	–	19	–	23	–
राजस्थान	77573	10	121499	55	1107797	–	35824	–	56913	385
तमिलनाडु	144762	4	151633	2	148057	19	61040	–	35836	–
त्रिपुरा	6992	7	9350	6	9206	–	6062	11	8066	16
उत्तर प्रदेश	112118	–	135242	–	114017	–	79244	–	40916	–
पश्चिम बंगाल	40452	13	49130	43	46138	37	37066	24	29735	35
पांडिचेरी	563	–	2134	–	914	–	278	–	462	–
अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1765	2	1688	1	1598	1	703	–	1052	–
चंडीगढ़	26046	–	17559	–	9735	–	6017	–	6599	–
दादर व नगर हवेली	5101	–	6676	–	8121	–	2394	–	2930	–
दमन व दीव	1010	–	1199	–	1565	–	818	–	988	–
दिल्ली	8491	–	11241	1	4919	–	5901	–	6063	–
लक्षद्वीप	4	–	1	–	15	–	–	–	–	–

अनुबंध–II

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन 1993-94 के दौरान राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय सहायता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाख रुपये में
आन्ध्र प्रदेश	566.62
अरूणाचल प्रदेश	68.33
असम	435.78
बिहार	1099.45
गोवा	3.93
गुजरात	502.00
हरियाणा	188.55
हिमाचल प्रदेश	64.79
जम्मू व कश्मीर	108.95
कर्नाटक	241.05
केरल	17.73
मध्य प्रदेश	1422.29
महाराष्ट्र	810.94
मणिपुर	58.08
मेघालय	51.16
मिजोरम	67.08
नागालैंड	105.73
उड़ीसा	190.67
पंजाब	468.49
सिक्किम	6.01
राजस्थान	779.38
तमिलनाडु	95.90
त्रिपुरा	173.46
उत्तर प्रदेश	969.46
पश्चिम बंगाल	236.81
पांडिचेरी	8.99
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	64.90
चंडीगढ़	42.51
दादर व नगर हवेली	18.92
दमन व दीव	4.32
दिल्ली	29.80
लक्षद्वीप	2.90

डा. असीम बाला : ऐसे इलाके, जहां पर काफी मच्छर हैं और जहां पानी काफी मात्रा में खड़ा रहता है ऐसे क्षेत्र मलेरिया महामारी के फैलने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं। दिल्ली में भी, संसद सदस्यों के मकान के चारों ओर का क्षेत्र मच्छरों से भरा हुआ है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होने दिया जाता है। हमने इस सन्दर्भ में नई दिल्ली नगर पालिका से कई बार शिकायत की है लेकिन अब तक कोई निवारात्मक उपाय नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले समाचार पत्र में ये समाचार आया था कि राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर अप्रवाहमान है। सदस्यों ने ये राय व्यक्त की है कि इस नहर के अप्रवाहमान होने से नहर में जल रुका हुआ है और इसके परिणामतः राजस्थान में मलेरिया महामारी फैली है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इसकी पूर्व सूचना थी, यदि थी, तो इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया था। मैं यह जानना चाहूंगा कि भविष्य में इस महामारी को पुनः फैलने से रोकने के लिए सरकार अब कौन से निवारात्मक कदम उठा रही है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, यह सच है कि मच्छर स्थिर जल में पैदा होते/बढ़ते हैं। हमारे पास राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की बराबर की भागीदारी है। हमने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि डीडीटी और अन्य कीटनाशक का विशेषकर उत्पत्ति समय में छिड़काव करें ताकि मच्छरों को बढ़ने से रोका जा सके। सभी राज्य सरकारों के पास विशेष रूप से इसी उद्देश्य हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। यह सच है कि राजस्थान में हाल ही में पुनः फैले मलेरिया में इस नहर का काफी योगदान भी रहा है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में पिछली बार भारी वर्षा हुई थी, जिसके कारण कई स्थानों पर जल का रुका होना, देखा जा सकता था। अन्यथा, यह मलेरिया प्रवण क्षेत्र नहीं है। इस स्थिर जल के कारण मच्छरों की उत्पत्ति हुई है और जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में मलेरिया पुनः फैला है।

हमने सरकार की ओर से, राज्य सरकार को सचेत कर दिया है। हमने जयसलमेर और बारमेड़ जैसे प्रभावित क्षेत्रों में एक विशेषज्ञ दल को दौरा करने के लिए भेजा है। हमने उन क्षेत्रों में मलेरिया के पुनः फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त सहायता प्रदान की है। यह सच नहीं है कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने उनको डीडीटी और अन्य कीटनाशक औषधियां उपलब्ध कराने हेतु सभी संभव कदम उठाये हैं लेकिन विभिन्न राज्य सरकारें छिड़काव के समय का उचित रूप से पालन नहीं कर रही हैं। यह इस महामारी के फैलने का एक प्रमुख कारण है।

डा. असीम बाला : इस तथ्य के बावजूद कि केन्द्र सरकार ने राज्य को हर प्रकार की सहायता प्रदान की है, मलेरिया संबंधी मामलों में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इन मामलों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठाने जा रहा है? क्या मैं पश्चिम बंगाल के लिए इस सन्दर्भ में तैयार की गई केन्द्रीय–प्रायोजित योजना के बारे में जान सकता हूं?

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों बराबर मिलकर चला रहे हैं। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जिन कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। वे राज्य जो छिड़काव के समय का पालन नहीं कर रहे हैं, वे समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। हम इन राज्य सरकारों से लगातार संपर्क बनाये रखे हैं और हम उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वे छिड़काव के समय का कड़ाई से पालन करें। यदि हम मच्छरों को उनके उत्पत्ति–समय में बढ़ने से नहीं रोकते हैं तो यह हमारे लिए समस्या खड़ी कर देगी।

श्री उद्धव बर्मन : माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया वक्तव्य कुछ हद तक भ्रम फैलाने वाला है और परस्पर विरोधी है। वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया है कि राजस्थान, नागालैंड एवं मणिपुर में मलेरिया की घटनाएँ घटी हैं लेकिन उत्तर में उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उसमें बताया गया है कि असम में मलेरिया से मरने वालों की संख्या 58 है। असम में भी मलेरिया पुनः फैला है जिससे राज्य के विभिन्न भागों में कई लोग प्रभावित हुए हैं लेकिन वक्तव्य में इसका ज़िक्र नहीं किया गया। मंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट है कि पूर्वोत्तर राज्यों में मलेरिया की घटनाएं एवं उसके परिणामस्वरूप हुई मौतों की संख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या को देखते हुए बहुत अधिक है। उस रिपोर्ट के अनुसार, यह भी स्पष्ट होता है कि नागालैंड में अक्तूबर, 1994 तक मृतकों की संख्या 253 थी और इसके बाद असम में मृतकों की संख्या 58 थी। मंत्री जी के उत्तर से यह भी स्पष्ट होता है कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 6 पूर्वोत्तर राज्यों को 7.8616 करोड़ रुपये प्रदान किये गये थे।

डा. असीम बाला : उपरोक्त को देखते हुए, मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार उस क्षेत्र में मलेरिया उन्मूलन हेतु कोई ठोस उपाय करने की योजना बना रही है और दूसरे, जब उस क्षेत्र में कई अनुसंधान केन्द्रों के पास निधियों का अभाव है, क्या मंत्रालय उन राज्यों के धनराशि आबंटन में वृद्धि करेगा?

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, यह सच है कि पूर्वोत्तर राज्यों में मलेरिया की व्याधि फैली हुई है। यह मलेरिया से अत्यन्त प्रभावित क्षेत्र है। मैंने व्यक्तिगत रूप से असम सरकार के साथ एक बैठक का आयोजन किया था, और मैंने कुछ क्षेत्रों में मलेरिया के पुनः फैलने की खबर उनके ध्यान में लाई थी। सम्पूर्ण पूर्वोत्तर राज्य में निधियों की बहुत कमी है। यह एक पहाड़ी एवं वन क्षेत्र है और यहां का रास्ता बहुत दुर्गम है। अतः भारत सरकार ने हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर राज्य की समस्याओं के बारे में एक बैठक का आयोजन किया था। मंत्रालय में हम लोगों ने भी इस मामले पर पूरी तरह से विचार विमर्श किया और हमने इस सन्दर्भ में राज्य सरकार से भी बातचीत की। अब भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को और अधिक सहायता देने के बारे में सोच रही है ताकि वे राज्य में मलेरिया के पुनः फैलने का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, "ज्यों ज्यों दवा की, त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया"। सन् 1990 तक केन्द्र सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कि देश से मलेरिया का उन्मूलन कर दिया गया है। लेकिन क्या कारण है कि मलेरिया फिर से देश के अन्दर आ रहा है? मेरा प्रश्न यह है कि मर्ज क्या है और आप दवा क्या कर रहे हैं? हमारे यहां यह लिखा है :

"मिथ्याहार विहाराभ्यां दोषा हया मश्शयात्रया
वर्हिनिरस्थ कोष्ठानि ज्वरदास्युरसानुगा"

मलेरिया भी पांच प्रकार का बताया है :– संतत सतको न्मेघष्क तृतीयक चतुर्थको। मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में जो मलेरिया आया है, वह गुजरात की तरफ से आया है। राज्य सरकार गुजरात में मलेरिया को रोकने के लिए बार बार निवेदन करती रही लेकिन इस पर सरकार की तरफ से कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। अगर राज्य सरकार मलेरिया के उन्मूलन के लिए तकनीकी सहायता और कीटनाशक औषधियां देती हैं तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपने अब तक कितनी राज्य सरकारों को कीटनाशक औषधिया दी हैं और वह कौन सी दी हैं तथा वह कितने दिन तक पहुंचती हैं?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो कीटनाशक दवाइया मलेरिया में प्रयोग की जा रही हैं, उनका फौग मशीन के द्वारा निवारण किया जा रहा है लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा यह सत्य साबित हो चुका है कि फौग मशीन और जो डी.डी.टी. है, वह जमीन पर समाप्त हो गयी है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका सवाल कहीं पर नहीं पहुंच रहा है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र सरकार ने ऐसी कोई और कीटनाशक औषधियां निजात की हैं, जिसके आधार पर यह मलेरिया रुक सके? डी.डी.टी. और फौग मशीन से इसे रोका नहीं जा सकता? यह निष्प्रभावी और दूषित वस्तुएं हैं। कृपया आप इसे स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : महोदय, मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य एक विख्यात आयुर्वेद चिकित्सक हैं। उनकी आयुर्वेद औषधि चिकित्सा में बहुत दिलचस्पी है। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ है कि मलेरिया गुजरात से राजस्थान में फैला है। महोदय, मैं अब उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे इस सदन को यह सूचित करना है कि जब राजस्थान एवं अन्य राज्यों में मलेरिया फैला था, हमने राजस्थान में न केवल सहायक दलों को भेजा था बल्कि महानिदेशक (स्वास्थ्य सेवायें) और मेरे सहयोगी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजस्थान के प्रभावित क्षेत्रों में बहुत अन्दर तक चले गये थे। यहां तक कि प्रधान मंत्री जी ने स्वयं एक बैठक बुलाई थी और उसमें उन्होंने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को आमंत्रित किया था। उस बैठक में मैं भी उपस्थित था। हमने राज्यों में समस्या के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी। इस मामले में आपसी समझौता था और राज्य सरकार ने उसके बारे

में कोई शिकायत नहीं की जिसके बारे में अब माननीय सदस्य कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि वे राज्य सरकारों के वहां गए और उनसे विचार–विमर्श किया। सबसे पहले 1980 में, जब यह कार्यक्रम द्वितीय चरण में था, उस समय केन्द्र और राज्य सरकारों का नारा था—न मच्छर रहेंगे, न मलेरिया रहेगा।

पांच साल के बाद नारा बदल गया, अब यह है कि मच्छर रहेंगे किन्तु मलेरिया नहीं रहेगा। आज की स्थिति यह है कि आज मच्छर भी हैं और मलेरिया भी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, बिहार के पश्चिमी इलाकों विशेष तौर पर तराई के इलाकों में मलेरिया का इस समय इतना व्यापक प्रकोप है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मामूली सी डी.डी.टी. जो छिड़काव के लिए होती है, वह भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में दुर्लभ है। बार–बार कहने पर भी नहीं मिलती। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नारे खोखले क्यों हो गए और केवल नारे बनकर ही क्यों रह गए? इस समय मलेरिया की प्राथमिक छिड़काव की दवाई भी नहीं मिल रही है, उसे सुलभ करवाने के लिए केन्द्र सरकार क्या कर रही है?

हमने उत्तर को पढ़ा है। इसमें बिहार में 1099 लाख, मध्य प्रदेश में 1422 लाख, ऐसे ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 669 लाख 45 हजार रुपये दिए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह रुपया आप किस आधार पर देते हैं? क्या आबादी के आधार पर देते हैं या जहां मलेरिया या मलेरिया के रोगी ज्यादा हैं, उस आधार पर देते हैं?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने राज्य सरकार को सभी औषधियां और कीटनाशक देते हैं। राज्य सरकारें दवा का छिड़काव करने के लिए अपने कर्मचारियों को लगाती हैं। हमने हाल ही में जब पुनरीक्षा बैठक की तो हमने देखा कि राज्य सरकारों ने छिड़काव के लिए ठेके पर आदमी लगा रखे हैं। वे नियमित कर्मचारी नहीं थे। भूस्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा कर्मचारियों को भी ठीक से शिक्षित नहीं किया गया है। अतः हमने राज्यों में चल रही व्यवस्था के सुधार लाने और उन्हें अद्यतन बनाने के लिए सभी कदम उठाए हैं। यह सच है कि हम सभी राज्यों को सहायता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने पिछले वर्ष भी 9.69 करोड़ रुपए दिए थे।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि धन किस मानदण्ड के आधार पर दिया जा रहा है।

श्री बी. शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने राज्यों को सहायता पद्धति के बारे में पूछा है। मुझे आशा है कि वह यही जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : धन किस आधार पर दिया जाता है।

श्री बी. शंकरानन्द : यह कार्यक्रम 50:50 लागत के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्र सरकार राज्यों को वस्तुओं तथा अपने हिस्से की धनराशि के रूप में सहायता देती है और केन्द्र सरकार राज्यों को निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति भी करती है

(1) सभी आयातित कीटनाशक/मलेरियारोधी उपकरण;

(2) डी.डी.टी./बी.एच.सी./मैलाथियन;

(3) डायजीनॉन।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर किया है?

[अनुवाद]

श्री बी. शंकरानन्द : राज्य सरकारें 50:50 प्रतिशत के आधार पर अपने अंश में से निम्नलिखित मदों पर खर्च करती हैं :–

(1) पंचायत सदस्यों के खर्च और प्रशिक्षण सहित अनुमोदित योजनाओं की पूर्ण प्रचालन लागत।

(2) एच.आई.एल., बी.एच.सी. स्प्रे, स्प्रयेर वाहन और मिट्टी का तेल के अलावा स्वदेशी स्रोतों से मैलाथियन।

यदि केन्द्र सरकार द्वारा वस्तुओं के रूप में उपलब्ध करवाई गई सहायता राज्य सरकारों की किए गए आबंटन से कम है तो केन्द्र सरकार द्वारा शेष राशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। महोदय हम यह प्रक्रिया अपना रहे हैं। दूसरा मानदण्ड राज्यों की आवश्यकता है जहां जनसंख्या निर्धारक कारक नहीं हैं बल्कि वह क्षेत्र है जो महामारी से प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल इन तीन राज्यों से ही नहीं, बल्कि सभी राज्यों से सहायता पद्धति के आधार और प्रभावित क्षेत्र के बारे में अनुरोध पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, मैं 15 दिन के बाद संसद में आज पहली बार आया हूं और इसका कारण मलेरिया है। मैं उसकी मूल बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि गुजरात में 1 लाख 44 हजार मलेरिया के मरीज रजिस्टर्ड हुए और दो डैथ्स हुईं। केवल अहमदाबाद और मणिपुर के छोटे से एरिया में जहां आप भी पधार चुके हैं, दो डैथ्स हुई हैं। मलेरिया दो प्रकार का होता है– एक सैरिब्रियल और दूसरा फालसीपरम। यह मलेरिया भी मच्छरों की वजह से होता है। सादा मलेरिया तो 2–3 दिन में कवर होकर ठीक हो जाता है, लेकिन फालसीपरम में आदमी 24 घंटे में ही मर जाता है और सैरिब्रियल में आदमी कई दिनों तक बेहोश पड़ा रहता है। क्या आप गुजरात में विशेष टीम भेजकर मलेरिया के मरीजों के बारे में सही आंकड़े निकालना चाहेंगे? अहमदाबाद में 100 आदमी पिछले 6 महीने में इस मलेरिया के कारण ग्रसित हुए। जब मैं 15 दिन तक बीमार रहा तो मैंने इस बीमारी के बारे में स्टडी भी किया। डी.डी.टी., स्प्रे और फौग मशीनें न जाने कैसी हैं कि इनसे मच्छर मरते ही नहीं हैं। यह सब प्रूव हो चुका है कि इनका मच्छरों पर असर ही नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय : मशीनें भी पूव हो गई हैं।

श्री हरिन पाठक : फौम मशीनों से जब धुंआ उठता है तो उससे भी एक भी मच्छर नहीं मरता है। अतः इस चीज को आप गम्भीरतापूर्वक लें और रिसर्च सैंटर्स के जरिये मच्छरों की उत्पत्ति का कारण ढूंढिये जिससे कि उनका नाश हो जाये। मच्छरों के कारण मलेरिया फैलने के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अतः मरीजों के लिये विशेष दवाइयां और मच्छरों को मारने के लिये भी विशेष दवाइयां ढूंढी जायें। क्या आप इन पर रिसर्च करके कुछ करना चाहेंगे।

[अनुवाद]

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि डी.डी.टी. का मच्छरों पर असर नहीं होता है और डी.डी.टी. के इस्तेमाल से और कोई उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती है। वैज्ञानिकों का भी यही मत है। हम इसका कोई अन्य विकल्प ढूंढ रहे हैं। लेकिन यह पाया गया है कि दूसरे विकल्प बहुत मंहगे हैं। कभी–कभी तो इनकी लागत डी.डी.टी. की लागत से 12 गुणा अधिक होती है। **...(व्यवधान)** तथापि, हम अन्य विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और डी.डी.टी. का उपयोग बंद कर दिया जाएगा।

माननीय सदस्य ने केवल दो लोगों की मौत का उल्लेख किया। ये आंकड़े अक्तूबर, 1994 तक के हैं। ये आंकडे केन्द्र सरकार ने पेश नहीं किये हैं। सभा में इनका उल्लेख राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है। हम निश्चित रूप से राज्य सरकार के साथ बातचीत करेंगे और पूरी स्थिति की समीक्षा करेंगे। यदि यह स्थिति है तो हम माननीय सदस्य का सुझाव स्वीकार करते हैं।

श्री के. प्रधानी : माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो आंकड़े दिए हैं उनके अनुसार उड़ीसा में वर्ष 1991 में मलेरिया के लगभग 4,14,000 1992 में 3,62,000 तथा 1993 में 3,23,000 मामले प्रकाश में आए अप्रैल में इनकी संख्या अभी तक 1,35,000 के आसपास है। ऐसा लगता है कि, यद्यपि यह एक छोटा सा राज्य है फिर भी इस राज्य में मृत्यु पर तुलनात्मक रूप से देश में सबसे अधिक है। राज्य को केवल 190 लाख रुपए दिए गए हैं। जिस राज्य में मलेरिया के कारण सबसे अधिक लोगों की मौतें हुई हैं, उस राज्य को किस मानदंड के आधार पर इतनी कम राशि दी गई है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : यह बात सच है कि उड़ीसा में मलेरिया के बहुत अधिक मामले हुए हैं। हमने अपने देश में हुए मलेरिया के मामलों की समीक्षा की है। हमने पाया कि मलेरिया फालसीफेरम मामले अधिकांश रूप से जनजातीय क्षेत्रों में हुए हैं। यद्यपि, देश में इनकी जनसंख्या सात प्रतिशत है, फालसीफेरम मलेरिया के 30 प्रतिशत मामले हमारे देश के जनजातीय लोगों में पाए गए हैं।

भारत सरकार ने हाल ही में पूरी स्थिति की समीक्षा की है। हम जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया पर नियंत्रण करने के लिए एक नई नीति बनाने जा रहे हैं। गुजरात और उड़ीसा को उस नई नीति में शामिल किया गया है। भारत सरकार इस संबंध में बहुत गम्भीर है और जनजातीय क्षेत्रों में इस बीमारी पर काबू पाने का हर संभव प्रयास कर रही है।

[हिन्दी]

बाल मृत्यु दर

\+
***163. श्री जगमीत सिंह बरार :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बाल मृत्यु दर कितनी है;

(ख) क्या गत कुछ दशकों के दौरान इस दर में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में बाल मृत्यु दर विश्व की बाल मृत्यु दर की तुलना में अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी वस्तुस्थिति क्या है; और

(च) देश में बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार 1992 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार बच्चों पर 26.5 होने का अनुमान था।

(ख) जी, हां।

(ग) नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार पिछले कुछ दशकों में शिशु मृत्यु दर इस प्रकार थी :–

वर्ष	शिशु मृत्यु दर
1972	57.3
1982	39.1
1992	26.5

(घ) और (ङ). यूनिसेफ रिपोर्ट "स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 1994" के अनुसार 41 देशों की शिशु मृत्यु दर भारत की शिशु मृत्यु दर से अधिक है जबकि 103 देशों की शिशु मृत्यु दरें कम हैं।

(च) शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए रोग प्रतिरक्षण, ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी, गंभीर श्वसनी संक्रमणों का नियंत्रण, विटामिन "ए" की कमी से बचाव, अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या, स्तन्यपान को बढ़ावा देना, मातृ परिचर्या का सुदृढ़ीकरण तथा परिवार नियोजन संबंधी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

श्री जगमीत सिंह बरार : मैं महसूस करता हूं कि सरकार द्वारा किए जा रहे भरसक प्रयत्नों के बावजूद अभी भी देश में बाल मृत्यु दर बहुत अधिक है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों के साथ–साथ बाल प्रतिरक्षण कार्यक्रम को भी काफी प्रभावशाली तरीके से चलाया गया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पोलियों के टीके की तरह ट्रिपल एंटीजन देने और पर्याप्त रोग प्रतिरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसा समझा जाता है कि यदि मां का स्वास्थ्य ठीक है और यदि गर्भवती महिला को पर्याप्त पौष्टिक भोजन मिले केवल तभी बाल मृत्यु दर कम हो पाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रिपल एन्टीजन और पोलियो का टीका अभी भी उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, अपने लिखित उत्तर में मैंने कहा था कि 1972 में बाल मृत्यु दर 57.3 प्रतिशत थी और अब यह दर 26.5 प्रतिशत है। मृत्यु दर में काफी कमी आई है। हमारे देश में प्रतिरक्षण कार्यक्रम एक सफल कदम है। यूनीसेफ ने भी इस बात की प्रशंसा की है कि हमने देश में लगभग 98 प्रतिशत प्रतिरक्षण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

कुछ राज्यों में जहां हमारा कार्य ठीक तरह से नहीं चल रहा है उन राज्यों से हम निरन्तर संपर्क बनाए हुए हैं और हम उनके प्रतिरक्षण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने बच्चों को असामयिक मृत्यु से बचा सकें।

श्री जगमीत सिंह बरार : महोदय, मेरा विशेष अनुपूरक प्रश्न यह था कि मंत्री जी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाना चाहते हैं और क्या सरकार ने उनको पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने संबंधी कोई कार्यक्रम बनाया है?

श्री पवन सिंह घाटोवार : हमने एक कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसका नाम है 'शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व' इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएं हैं जिनका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा।

हमारा पहला कदम है– रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम और ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी को जारी रखना और उसे और व्यापक बनाना; प्रसूति के मामलों को निपटाने के लिए पारम्परिक दाइयों को प्रशिक्षण देकर सामुदायिक स्तर पर जच्चा की अच्छी देखभाल; गंभीर श्वसन संबंधी संक्रमण के नियंत्रण कार्यक्रम का चरणबद्ध रूप से विस्तार करना; उपजिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना और अन्त में राज्यों में आकस्मिक प्रसूति देखभाल में सुधार लाने के लिए रैकरल यूनिट की व्यवस्था करना।

उस कार्यक्रम में हमने प्रतिरक्षण मां में रक्ताल्पता के बचाव तथा इलाज; प्रसव–पूर्व देखभाल, मातृत्व; प्रक्रिया की जटिलताओं का पहले पता लगाना, प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा प्रसूति प्रसव संबंधी उपयुक्त नियमों को बढ़ावा देना, आपातकालीन मामलों से निपटने का प्रबंध तथा स्वास्थ्य मानदंड के रूप में जन्म में अन्तर रखना इत्यादि कार्यक्रमों को भी शामिल किया है। इन योजनाओं को हमने माताओं के लिए आरम्भ किया है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसड़ा) : अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य का मामला केन्द्र और राज्य सरकार दोनों का है। मेरा इसमें यह कहना है कि उसके लिए बाद में क्या उपचार करेंगे यह बात तो अलग है लेकिन गांव में तो पता ही नहीं चल पाता है कि बच्चे को क्या बीमारी है, जब बीमारी डेवलप हो जाती है तब जा करके पता चलता है उसका इलाज असंभव हो गया है। इसलिए मैं सरकार से एक छोटा–सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सरकार राज्य सरकार के मुख्य मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री की बैठक बुला करके यह तय करेगी कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके पास हैल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, जिससे बच्चों के माता–पिता को यह पता चल जाए कि उनको कोई बीमारी है या नहीं ताकि वे शुरू के स्टेज में ही इलाज करवा सकें। क्या हैल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रत्येक बच्चे के लिए करने का विचार राज्य सरकार के सहयोग से सरकार रखती है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : हमने केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की बैठक आयोजित की थी जिसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया था और उस बैठक में इन सभी मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया था। माननीय सदस्य शिशु के लिए स्वास्थ्य कार्ड देने का जो सुझाव अब दे रहे हैं वह निश्चय ही नया सुझाव है और उस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के भाग (क) में कुछ आंकड़े दिए हैं और उन्होंने नमूने के तौर पर कुछ पंजीकरण प्रणालियां उद्घृत की हैं। लेकिन मूल समस्या परिभाषा की है। महोदय, संयुक्त राष्ट्र मानक परिभाषा है शिशु मृत्यु दर अथवा पांच वर्ष से नीचे के बच्चों में मृत्यु दर। मेरे पास यहां संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1994 की मानव विकास रिपोर्ट उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के आंकड़ों में शिशु मृत्यु दर 89 और पांच वर्ष से नीचे के बच्चों की मृत्यु दर 130 दी गई है। मैं जानना चाहूंगा कि नमूना पंजीकृत प्रणाली में वे कहां के आकड़े दे रहे हैं जिनमें मृत्यु दर केवल 26 दिखाई जा रही है। 26 और 130 के बीच बहुत बड़ा अन्तर है। मैं जानना चाहूंगा जो कि वे बाल मृत्यु दर की क्या परिभाषा दे रहे हैं। क्या आप प्रति हजार शिशु मृत्यु दर की बात कर रहे हैं अथवा प्रति हजार पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर की बात कर रहे हैं। इन दोनों आंकड़ों के बीच अन्तर क्यों है?

श्री पवन सिंह घाटोवार : बाल मृत्यु दर में जन्म से लेकर चार वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं और शिशु मृत्यु दर में एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं।...**(व्यवधान)**

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : आंकड़े क्या हैं? क्या यह 26 है? ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या यह बच्चे हैं अथवा शिशु?

श्री पवन सिंह घाटोवार : मेरा विचार है, यह बच्चे हैं। **(व्यवधान)**

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : 26 और 130 के बीच बहुत अन्तर है। उन्हें यह बात स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री बी. शंकरानन्द : शिशु मृत्यु दर का अर्थ है जन्म से एक वर्ष तक के बच्चे और बाल मृत्यु दर का अर्थ है जन्म से पांच वर्ष तक के बच्चे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, कि जो आंकड़े दिए गए हैं वह बच्चों से संबंधित है अथवा शिशुओं से संबंधित है।

श्री बी. शंकरानन्द : यह आंकड़े शिशु मृत्यु दर से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 26.5 प्रतिशत बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए क्या चलित अस्पताल चलाने की शासन की योजना है? अध्यक्ष महोदय, अधिकतर बाल मृत्यु ग्रामीण क्षेत्रों में होती है और हर ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल बनाना संभव नहीं है। इस दृष्टि से क्या सरकार चलित अस्पताल योजना बनाना चाहती है, ताकि बाल मृत्यु दर को कम किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों की है।

श्री बी. शंकरानन्द : सन् 1977 में चल अस्पताल खोलने का प्रयास किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें सफलता नहीं मिली। राज्य सरकारों को अपने पिछले अनुभव के आधार पर अपने बजट पर उनकी जिम्मेवारी तथा बोझ को भी ध्यान में रखना था क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि राज्यों को दी जाने वाली सहायता के तरीके के बारे में उन्हें बताया है और राज्य सरकारों को उस पर विचार-विमर्श करना होगा।

श्री राम कापसे : जहां तक कि बाल मृत्यु दर का संबंध है, महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर अमरावती और थाणे जिलों में पिछले वर्ष बच्चों की मृत्यु अधिक हुई। एक जिले में यह संख्या 100 से भी अधिक थी। जहां तक कि महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में मृत्यु का संबंध है, मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं। वास्तविक समस्या पौष्टिकता की है। कुपोषण वास्तवकि समस्या है। इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैंने सी एस एस एम कार्यक्रम के बारे में बताया है और उस कार्यक्रम के अन्तर्गत नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल, प्रतिरक्षण, पेचिश के लिए इन्तजाम, ए.आर.आई. का प्रबंध और विटामिन एफ प्रोफीलैक्सीस आदि दिए गए हैं।

जहां तक कि जनजातीय क्षेत्रों का संबंध है, यदि वहां पर भारत में अन्य स्थानों की तुलना में कम जनसंख्या है फिर भी वहां पर ऐसे उप-केन्द्र और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले जा सकते हैं।... **(व्यवधान)**

श्री राम कापसे : मैंने महाराष्ट्र के कुछ जिलों के बारे में विशेष रूप से पूछा है।....**(व्यवधान)**

श्री पवन सिंह घाटोवार : मुझे उन जिलों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो आंकडे दिए हैं, वे पंजीकृत बच्चों के आधार पर दिए हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में तो जन्म के एक महीने बाद तक बच्चे का पंजीयन ही नहीं हो पाता और बिना पंजीकृत बच्चों की मृत्यु दर अत्यधिक है।

मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार प्रत्येक एक हजार की आबादी पर ग्रामीण इलाकों में अस्पताल खोलने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : इसमें राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है।

श्री सूर्य नारायण यादव : भारत सरकार इसको खोलने जा रही है या नही?

श्री पवन सिंह घाटोवार : ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे देश में प्राब्लम है।

[अनुवाद]

60 प्रतिशत प्रसूति अप्रशिक्षित दाइओं द्वारा की जाती है। भारत सरकार ने ग्राम स्तर पर दाइओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है ताकि प्रशिक्षित दाइयां प्रसूति के समय सहायता कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति संबंधी शिक्षा

***164. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के संकायों वाले सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने के लिए विनियम विहित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये विनियम सम्बद्ध विश्वविद्यालयों और आयुर्वेदिक महाविद्यालयों/संस्थानों में लागू किए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, किन-किन विश्वविद्यालयों और आयुर्वेदिक महाविद्यालयों/संस्थानों ने इन विनियमों को लागू नहीं किया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) इन विनियमों में प्रवेश के मानक, पाठ्यचर्या एवं मानदंड तथा परीक्षाओं का ब्यौरा निर्धारित होता है।

(ग) और (घ). जी, हां। (i) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, (ii) लखनऊ विश्वविद्यालय, (iii) केरल विश्वविद्यालय तथा (iv) पंजाब विश्वविद्यालय, जो कुछ संशोधन करके विनियमों को कार्यान्वित कर रहे हैं, को छोड़कर।

(ङ) भारतीय चिकित्सा केन्दीय परिषद् ने सिफारिश की है कि 1994 के बाद दी गई स्नातकोत्तर डिग्रियों की मान्यता समाप्त की जाए तथा इस मामले की केन्द्र सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

विद्युत पारेषण और वितरण में हानि

***165. श्री राम टहल चौधरी :**
श्री खेलन राम जांगडे :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत पारेषण और वितरण में बिजली की होने वाली हानि का अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय औसत अलग-अलग क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत पारेषण और वितरण में बिजली की हुई हानि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में राज्याध्यक्ष समिति द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विद्युत का इस हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं?

विद्युम मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) देश में पारेषण और वितरण सम्बन्धी हानियों की औसत मात्रा लगभग 22 प्रतिशत है, जबकि विश्व के अन्य विकसित एवं विकासशील देशों में यह मात्रा क्रमशः 6-11 प्रतिशत और 6-22 प्रतिशत के बीच है।

(ख) 1990-91 से 1992-93 तक के पिछले 3 वर्षों के दौरान पारेषण एवं वितरण के कारण हुई विद्युत की हानि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्याध्यक्ष समिति ने यह सिफारिश की है कि विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण और ग्राम विद्युतीकरण पर व्यय का अनुपात 4:2:1:1 अर्थात् एक और विद्युत उत्पादन और दूसरी ओर पारेषण, वितरण एवं ग्राम विद्युतीकरण के बीच समतुल्य होना चाहिये। इसके अतिरिक्त, समिति ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि पारेषण और वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को कम करने से सम्बन्धित परम्परागत अभिज्ञात तकनीक, यथा बड़े आकार के कण्डक्टर्स और वितरण ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर अधिष्ठापित करना, उपकेन्द्रों और इसकी उप-प्रणालियों में उन्नत इंस्ट्रूमेंटेशन और अन्य सुविधाएं एवं कड़े सतर्कता सम्बन्धी उपायों द्वारा बिजली की चोरी समेत, पारेषण और वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को काफी कम किया जा सकता है।

(घ) पारेषण और वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को कम करने के लिए विद्युत युटिलिटीज को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं, ताकि विद्युत युटिलिटीज नियोजित पद्धति से उपचारात्मक उपाय कर सकें। इनमें अन्य बातों के अलावा ये शामिल हैं; अत्यधिक हानियों के लिए उत्तरदायी प्रणालीगत घटकों का पता लगाने हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य करना, वोल्टेज परिदृश्य में सुधार करने के लिए कैपेसिटर अधिष्ठापित करना, अपनी पारेषण और वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाने और सुधारने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना, ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए टैम्परप्रूफ मीटर बाक्स लगाना। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा-39 के प्रावधानों के अधीन अगस्त, 1986 से ऊर्जा की चोरी को एक संसेय अपराध घोषित किया गया है। पारेषण और वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को कम करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों और इनके कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 1987 से भारत सरकार द्वारा नकद पुरस्कार शील्ड के रूप में प्रोत्साहन स्कीमें लागू की गई हैं; तदुपरान्त 1993 में इनमें संशोधन किया गया है। जनवरी, 8/9, 1993 को आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया गया कि पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत कम की जाए और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 प्रतिशत तक थी, कमी किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए।

(ङ) पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को कम करने पर अधिकाधिक जोर दिए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 1992-93 के दौरान विद्युत युटिलिटीज द्वारा प्रणाली सुधार और किए गए अन्य प्रशासनिक उपायों के कारण समग्र देश में अनुमानतः लगभग 2903 मिलियन यूनिट की बचत की जा सकी। 1992-93 के दौरान देश में पारेषण और वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा 21.80 प्रतिशत थी, जबकि 1991-92 में यह मात्रा 22.83 प्रतिशत थी, परिणामस्वरूप पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा में 1.03 प्रतिशत की कमी आई।

विवरण

राज्यों/संघ राज्यों में पारेशत के रूप में परिषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा
(विद्युत की चोरी आदि जैसे वाणिज्यिक हानियों समेत)

क्षेत्र		राज्य/संघ राज्य	1990–91		1991–92		1992–93	
			मात्रा (मि.यू.)	%	मात्रा (मि.यू.)	%	मात्रा (मि.यू.)	%
1		2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र	1.	हरियाणा	2326.00	27.49	2656.54	26.79	2965.99	26.78
	2.	हिमाचल प्रदेश	471.35	20.96	405.86	19.81	421.56	19.98
	3.	जम्मू एवं कश्मीर	1112.34	42.96	1486.73	50.08	1399.02	48.13
	4.	पंजाब	3018.13	19.26	3594.59	21.75	3506.73	19.61
	5.	राजस्थान	2880.21	25.76	2938.82	23.07	3242.78	22.71
	6.	उत्तर प्रदेश	7363.93	27.13	7504.94	26.13	7329.90	24.68
	7.	चण्डीगढ़	137.60	23.72	187.61	29.64	165.12	26.21
	8.	दिल्ली	2103.61	24.93	2314.88	24.66	2454.61	24.02
	9.	बी.बी.एम.बी.	561.57	4.43	528.28	4.33	427.94	3.52
पश्चिमी क्षेत्र	1.	गुजरात	5414.23	23.44	5888.08	23.56	5802.13	22.20
	2.	मध्य प्रदेश	4683.41	17.98	5297.19	25.82	4805.37	22.52
	3.	महाराष्ट्र	7137.91	18.26	7910.64	18.61	7891.94	18.51
	4.	दादर एवं नगर हवेली	27.23	17.69	35.95	19.66	36.05	17.98
	5.	गोवा	157.86	24.97	165.20	23.78	178.75	21.85
	6.	दमन एवं दीव	13.30	16.85	14.86	15.90	18.85	15.67
दक्षिणी क्षेत्र	1.	आन्ध्र प्रदेश	4612.61	22.93	4569.85	20.25	5046.16	20.65
	2.	कर्नाटक	3076.44	20.17	3127.22	19.93	3161.21	19.62
	3.	केरल	1525.03	22.36	1609.72	22.47	1685.01	22.77
	4.	तमिलनाडु	3721.27	17.98	4030.98	18.44	4139.39	17.30
	5.	लक्षद्वीप समूह	1.76	18.62	1.82	17.43	2.11	18.72
	6.	पाण्डिचेरी	131.01	19.20	134.29	18.00	125.86	15.31
पूर्वी क्षेत्र	1.	बिहार	1447.58	16.47	1717.10	18.31	1656.89	17.15
	2.	उड़ीसा	1704.53	25.77	1946.08	25.30	1867.93	25.87
	3.	सिक्किम	15.53	24.53	17.18	25.89	14.26	22.91
	4.	प. बंगाल	1982.67	17.69	2462.89	19.72	2375.62	17.53
	5.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	7.84	19.83	10.90	21.66	14.27	23.62
	6.	डी. बी. सी.	160.27	2.61	148.34	2.30	125.54	1.99
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	1.	असम	490.78	24.10	472.81	22.66	431.95	21.41
	2.	मणिपुर	68.37	28.02	64.06	24.43	57.10	22.33
	3.	मेघालय	45.55	11.56	55.80	11.65	56.95	11.62
	4.	नागालैण्ड	31.77	26.08	27.93	23.14	33.77	27.26
	5.	त्रिपुरा	55.35	29.59	65.78	31.96	73.96	30.64
	6.	अरूणाचल प्रदेश	14.47	19.99	19.56	28.20	23.27	32.32
	7.	मिजोरम	19.67	29.63	26.11	34.95	26.77	29.04
अखिल भारत (युटिलिटीज़)			56521.18	22.89	61438.59	22.83	61564.76	21.80

टिप्पणी: मेघालय के बारे में परिषण एवं वितरण हानियों की मात्रा कम होने का कारण पड़ोसी राज्यों को बड़ी मात्रा में ऊर्जा की बिक्री किया जाना है।

[अनुवाद]

जन्मजात नेत्रहीनता

*166. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में सबसे अधिक नेत्रहीन लोग भारत में हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश मामले जन्मजात नेत्रहीन होने के हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके विभिन्न कारण क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने जन्मजात नेत्रहीनता की रोकथाम के लिए कोई विशेष उपाए किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जन्म दर

*167. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी दो–तीन वर्षों में प्रति एक हजार जनसंख्या के लिए जन्म दर को कम करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में संशोधन करने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 1997 तक (योजना अवधि का अंतिम वर्ष) जन्म दर 26 (प्रति एक हजार आबादी) प्राप्त करने का है।

(ग) और (घ). भारत सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारें विभिन्न स्तरों पर पाठ्य पुस्तकों में जनसंख्या शिक्षा अनुदेशात्मक सामग्री तथा संदेश का समन्वय और उपयोग कर रही हैं।

[अनुवाद]

विश्व बैंक ऋण

*168. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** :
श्री छेदी पासवान :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राज्य विद्युत बोर्डों सहित विद्युत क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले ऋणों को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) और (ख). वित्तीय वर्ष 1993–94 के दौरान परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ विश्व बैंक द्वारा निर्धारित ऋण प्रसंविदाओं की अनुपालना न किए जाने के कारण, विश्व बैंक ने कर्नाटक बिजली बोर्ड और कर्नाटक विद्युत निगम की कनार्टक–1 और कर्नाटक–2 (केपीपी–1 तथा केपीपी–2) विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋणों को रद्द कर दिया है।

(ग) इससे अन्य विद्युत परियोजनाओं को दी जाने वाली विश्व बैंक की सहायता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) से (च). कर्नाटक सरकार द्वारा इन ऋणों के रद्द किए जाने के मामले पर पुनर्विचार हेतु विश्व बैंक के साथ मामला उठाया गया था, परन्तु उसके द्वारा ऋणों को वापिस किए जाने पर सहमति प्रदान नहीं की गई।

प्लेग महामारी

169. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि भारत में हाल में फैली "प्लेग" की महामारी वास्तव में प्लेग थी ही नहीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीमारी की सही पहंचान कर ली गई है; और

(ग) इस आरोप पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि जीवाणु युक्त हथियारों की कारगरता की जांच करने के लिए मानव कारकों द्वारा यह बीमारी फैली?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां। यह प्लेग रोग था।

(ग) इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

भारत-सऊदी अरब संयुक्त आयोग

***170. श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रियाद में भारत–सऊदी अरब संयुक्त आयोग की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन–किन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया और उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) भारत में सऊदी अरब द्वारा निवेश किये जाने के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या भारतीय शिष्ट मंडल के नेता ने सऊदी अरब के उच्च अधिकारियों के साथ पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के विषय में किए जा रहे प्रचार के बारे में कोई बातचीत की; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) जी हां। भारत–सऊदी अरब संयुक्त आयोग की चौथी बैठक 3–4 दिसम्बर, 1994 रियाद में हुई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की तथा अपने आर्थिक संबंधों को और विकसित करने के लिए कदम उठाए।

(ग) निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया गया जिनमें दोहरे कराधान से परिहार पर करार तथा निवेश संरक्षण से संबद्ध करार शामिल है। दोनों पक्ष अपने–अपने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के बीच संभावित सहयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी सहमत हुए।

(घ) और (ङ) जी हां। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता ने सऊदी नेताओं के साथ बातचीत की तथा कश्मीर के मसले पर भारत की चिन्ता से उन्हें उपर्युक्त रूप से अवगत कराया।

प्रतिबन्धित औषध

***171. श्री मोहन रावले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रतिबन्धित और हानिकारक औषधों का अभी भी उत्पादन और विपणन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या इन हानिकारक औषधों के बारे में उपभोक्ताओं को समुचित जानकारी देने तथा उन्हें इस बारे में शिक्षित करने के लिए कोई उपाए किए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सरकार ने सभी राज्यों के औषध नियंत्रकों को सतर्कता बरतने तथा यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए हैं कि किसी भी प्रतिबंधित औषधियों का निर्माण तथा गुप्त रूप से बिक्री करने वाले अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। उन्हें यह भी अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कैमिस्टों और औषध विक्रेताओं को प्रतिबंधित औषधियों की सूची भेजें। सरकार ने उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए ब्रांड नामों के बारे में भी सूचना मांगी है जिसके अन्तर्गत प्रतिबंधित औषधियों का विपणन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

''एड्स'' के कारण होने वाली मौतें

***172. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ''एड्स'' से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार इस रोग के कारण मरने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या ''एड्स'' से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ग) देश में एड्स परीक्षण सुविधा–सम्पन्न अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस बीमारी के फैलने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का और इसके लिए विदेशी सहायता से एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) 30 सितम्बर, 1994 तक 905 एड्स रोगियों की सूचना मिली है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एड्स के कारण हुई मौतों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) एड्स परीक्षण की सुविधाएं देश के मेडिकल कालेजों और अन्य संस्थानों में स्थित सभी 150 आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्रों तथा 62 निगरानी केन्द्रों मे उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ): इस समय देश भर में एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक गहन कार्यक्रम केन्द्रीय आयोजित स्कीम के रूप में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम की कार्यनीति में एच.आई.वी./एड्स के बारे में उच्च जोखिम आचरण वाले लोगों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करना, यौन संचारित रोगों के नियंत्रण, रक्त निरापदता और रक्त का युक्तिसंगत उपयोग, बेहतर निगरानी तथा

एच. आई. बी./एड्स रोगियों का निदान और चिकित्सीय उपचार करना शामिल है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1992	वर्ष 1993	वर्ष 1994 (नवंबर 94 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	–	1	–
2.	असम	–	1	–
3.	दिल्ली	10	23	12
4.	गुजरात	2	3	–
5.	हरियाण	4	3	–
6.	जम्मू और कश्मीर	–	1	–
7.	केरल	–	40	–
8.	कर्नाटक	2	9	2
9.	मध्य प्रदेश	–	14	–
10.	महाराष्ट्र	18	37	35
11.	मणिपुर	4	6	13
12.	हिमाचल प्रदेश	2	–	1
13.	गोवा	–	8	1
14.	पाण्डीचेरी	5	6	–
15.	पंजाब	5	30	–
16.	तमिलनाडु	17	10	23
17.	उत्तर प्रदेश	–	6	–
18.	पश्चिम बंगाल	–	12	2
19.	उड़ीसा	–	–	1
	योग	69	210	90

[अनुवाद]

बिजली का वितरण

***173. श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने केन्द्रीय विद्युत एककों से बिजली वितरण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) से (ङ). केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से राज्यों/क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन एक फार्मूला, जिसके अन्तर्गत 85 प्रतिशत विद्युत आबंटित की जाती है, के अनुसार किया जाता है है। शेष 15 प्रतिशत अनाबंटित बिद्युत केन्द्र के पास रहती है, जिसमें से राज्यों को समय–समय पर विद्युत प्रदान की जाती है।

अनाबंटित हिस्से से विद्युत का आबंटन करने हेतु राज्यों से समय–समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। ऐसे अनुरोधों का विवरण तथा चालू वर्ष में की गई कार्रवाई निम्नवत् है :

1. राजस्थान के अनुरोध पर। अप्रैल, 1994 से अधिकतम 250 मे.वा. की शर्त पर उत्तरी क्षेत्र में एन टी पी सी के केन्द्रों के अनाबंटित उत्पादन का 33 प्रतिशत विद्युत का आबंटन किया गया था। तदुपरान्त उनके अनुरोध पर इस अतिरिक्त आबंटन को 1.9.94 से अधिकतम 450 मे. वा. सीमित करके 60 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। अब इसे दिनांक 1.11.94 से संशोधित करके 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
2. केन्द्रीय क्षेत्र का अनाबंटित विद्युत में से तमिलनाडु हेतु आबंटन को 1 अगस्त, 1994 से 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।
3. पंजाब तथा हरियाणा को विद्युत का आबंटन उनकी मौसमी कृषि भार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनके द्वारा समय–समय पर किए गए अनुरोध के आधार पर केन्द्रीय अनाबंटित विद्युत में से किया गया है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश को उनकी शीतकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अतिरिक्त विद्युत प्रदान की गई है।

पन विद्युत उत्पादन

***174. श्री तारा सिंह :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पन विद्युत उत्पादन के लिए एक अलग टैरिफ नीति तैयार करने का है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या पन और तापीय विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है,

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कुल कितनी पन और ताप विद्युत का उत्पादन हुआ है; और

(ङ) पन और ताप विद्युत उत्पादन के बीच टैरिफ अन्तर से विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) पन विद्युत टैरिफ अधिसूचना में संशोधन करने से जल आधारित विद्युत उत्पादन में निवेश अधिक आकर्षक हो जाएगा तथा इससे जल विद्युत में विशिष्टताएं उत्पन्न होंगी।

(ग) जी, हां। जल विद्युत और ताप विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

(घ) वर्ष 1992–93 और 1993–94 हेतु अखिल भारतीय जल तथा ताप विद्युत का उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :

श्रेणी	वास्तविक विद्युत उत्पादन 1992–93 (मि. यू.)	1993–94 (मि. यू.)
जल विद्युत	69833	70375
ताप विद्युत	224485	247757

(ङ) जल विद्युत और ताप विद्युत उत्पादन के मध्य टैरिफ का अन्तर, प्रत्यक्ष रूप से बिद्युत के उत्पादनों में हुई वृद्धि से संबंधित नहीं है।

लोहे और इस्पात का आयात

*175. **श्री जगतबीर सिंह द्रोण :**
श्री अमल दत्त :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के लोहे और इस्पात का आयात किया गया,

(ख) यह आयात किन–किन देशों से किया गया,

(ग) देश में आयात किए जा रहे इस्पात का विशिष्ट विवरण क्या है,

(घ) क्या देश में ऐसे विशिष्ट विवरण वाले इस्पात का उत्पादन करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान आयातित कच्चे और विक्रेय इस्पात की कुल मात्रा तथा मूल्य नीचे दिया गया है :

(मात्रा : लाख टन/मूल्य : करोड़ रु.)

	1991–92		1992–93		1993–94	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
विक्रय इस्पात	10.44	1383	11.16	1640	11.53	1603
कच्चा लोहा	1.52	58	0.73	36	0.21	10

(ख) आयात जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका, बेल्जियम आदि जैसे विभिन्न देशों से किया जाता है।

(ग) इस समय इस्पात के आयात में मुख्य रूप से तप्त बेल्लित क्वायलें/चादरें और शीत बेल्लित क्वायलें/चादरें (डीप ड्राइंग तथा एक्सट्रा डीप ड्राइंग ग्रेड सहित) सेमीज, प्लेट, इलेक्ट्रिकल चादरें, टिन मिल ब्लैक प्लेट और टिन प्लेट शामिल हैं।

(घ) और (ङ). इस्पात का आयात मात्रा तथा गुणता की दृष्टि से स्वेदशी उपलब्धता को पूरा करने के लिए आयातकर्त्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। देश में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं तथा इस्पात के उत्पादक बाजार की मांग को पूरा करने के लिए लगातार अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य आरंभ किये गये हैं। निजी क्षेत्र में भी इस्पात उत्पादन की अतिरिक्त क्षमताएं सृजित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से हटाना।

(2) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट देना।

(3) विदेशी निवेश के उद्देश्य से लोहे और इस्पात को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करना।

(4) लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त करना।

(5) पूंजीगत माल के आयात पर से शुल्क कम करना, और

(6) आयात और निर्यात नीति का उदारीकरण।

इस्पात की विशेष श्रेणियों और ग्रेडों का उत्पादन विभिन्न घटकों जैसे इस तरह की श्रेणियों/ग्रेडों के लिए मांग, उत्पादन लागत, घरेलू मूल्य और आयात की उतराई तक लागत आदि पर निर्भर करेगा।

सड़क नेटवर्क में सुधार

*176. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए विश्व बैंक से ऋण हेतु कोई समझौता किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा दिये जाने वाला ऋण किसी दीर्घावधिक सड़क विकास योजना से संबंधित है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). सांविधानिक रूप से केन्द्र सरकार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है और अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें अनिवार्यतः जिम्मेदार हैं। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास का संबंध है। विश्व बैंक के साथ सितम्बर, 1985 और जून, 1992 में क्रमशः 200 मिलियन अमेरिकी डालर और 306 मिलियन अमेरिकी डालर के लिए दो ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पहले ऋण समझौते में लगभग 496 कि. मी. राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास शामिल है। यह ऋण दिनांक 31.12.1993 को समाप्त हो गया है।

दूसरे ऋण समझौते में लगभग 290 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और उड़ीसा में राष्ट्रीय सड़कों पर छह पुलों का पुनर्निर्माण शामिल हैं। ऋण समाप्ति की तारीख 30.6.2001 है।

(ग) और (घ). विश्व बैंक की सहायता से वित्त पोषित सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं संबंधित पंचवर्षीय योजना में शामिल हैं।

सड़क विकास योजना

*177. **श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री के. प्रधानी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई 20 वर्षीय सड़क विकास योजना बनाई गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है तथा इस संबंध में कितनी विदेशी सहायता की मांग की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसायटी राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस द्वारा तैयार की गई 20 वर्षीय सड़क विकास योजना (1981–2001) का उल्लेख कर रहे हैं। इस योजना दस्तावेज में वर्णित सिफारिशें/लक्ष्य मूलतः सिफारिशी स्वरूप के हैं और पंचवर्षीय योजनाएं आदि तैयार करने के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करने के लिए तैयार की गई है।

(ग) सांविधानिक रूप से भारत सरकार मुख्यतः केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के लिए जिम्मेदार है और राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख–रखाव एक सतत कार्य है। तथापि, विकास कार्य प्रति वर्ष उपलब्ध समग्र निधियों समेत विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। इसमें विदेशी ऋण सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं का वित्त पोषण भी शामिल है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा राज्य विद्युत बोर्डों के साथ हुआ समझौता

*178. **डा. बसंत पवार** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा पश्चिम ग्रिड के अन्तर्गत आने वाले राज्य विद्युत बोर्डों के बीच कोई समझौता हुआ है :

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं तथा प्रत्येक राज्य को कुल–कितनी बिजली उपलब्ध होगी; और

(ग) राज्यों को विद्युत आबंटन के लिए अपनाये गये फार्मूले का ब्यौरा क्या है;

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, गुजरात राज्य बिजली बोर्ड और गोवा, दमन द्वीप तथा दादर नागर हवेली के बिजली विभागों ने एन.टी.पी.सी. के वर्तमान केन्द्रों, जिसमें कोरवा सुपर ताप विद्युत परियोजना (एस.टी.पी.सी)(2100 मे.वा.), विन्ध्याचल एस.टी.पी.सी. चरण–I (1260 मे.वा.), कपास संयुक्त साइकिल गैस आधारित विद्युत परियोजना (सी.सी.जी.वी.पी.पी.) (645.3 मे.वा.) तथा गांधार सीसीजीबीपीपी (648 मे.वा.) शामिल हैं, से विद्युत की आपूर्ति हेतु एनटीपीसी के साथ जनवरी, 1994 में एक वृहत विद्युत आपूर्तिकरार (बीपीएसए) पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित विन्ध्याचल एसटीपीपी चरण–II (1000 मे.वा.) से विद्युत आपूर्ति करने के लिए एनटीपीसी ने उपरोक्त लाभभोगियों के साथ एक वृहत विद्युत आपूर्ति करार (वीपीएसए) पर हस्ताक्षर किये हैं। पश्चिमी क्षेत्र में एन टीपीसी से विद्युत का आबंटन निम्नवत है :

आबंटन मि.वा. में

लाभ भोगी	विद्यमान केन्द्रों से	प्रस्तावित विन्ध्याचल एसटीपीपी चरण–II (1000 मे.वा.) से	कुल
(क) एमपीईबी	1248	306	1554
(ख) एम.एस.ई.बी.	1406	325	1731
(ग) जी.ई.बी.	1008	183	1191
(घ) गोवा	279	28	307
(ङ) दमन और द्वीव	9	4	13
(च) दादर और नागर हवेली	9	4	13
(छ) अनावंटित	694.36	150	844.36
कुल	4653.36	1000	5653.36

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र के क्षेत्रीय ताप विद्युत केन्द्रों के लिए लागू विद्युत आबंटन फार्मूला निम्नवत है :

(i) 15 प्रतिशत विद्युत केन्द्र के नियन्त्रण में अनावटित रखी जाती है।

(ii) 10 प्रतिशत विद्युत उन राज्यों को आबंटित की जाती है, जहां विद्युत केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

(iii) शेष 75 प्रतिशत विद्युत का आबंटन, क्षेत्र के राज्यों (गृह राज्य संयंत्र) को समुपयोजित ऊर्जा तथा यूनिट/विद्युत केन्द्र को चालू करने के वर्ष के तुरन्त बाद वाले पांच वर्षों के दौरान प्रदान की गई केन्द्रीय योजना सहायता के आधार पर किया जाता है।

[हिन्दी]

फल प्रसंस्करण

*179. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्री अंकुशराव टोपे :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) सरकार ने प्रसंस्कृत फलों क उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार गांव स्तर पर फल प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह; और

(घ) इससे रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने और निर्यात संवर्धन हेतु कितनी सहायता मिलेगी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) प्रसंस्कृत फल और सब्जियों के बढ़ते हुए उत्पादन के लिए और अधिक क्षमता के सृजन को मद्देनजर रखकर सरकार ने फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग समेत अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग घोषित किया है और 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन की अनुमति दी है ताकि उसके साथ-साथ प्रौद्योगिकी, बाजार में पहुंच जैसे लाभ भी देश में आए। इसके अलावा, सरकार ने सभी प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों पर से उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया है और इस उद्योग में इस्तेमाल होने वाले पूंजीगत माल पर बहुत सी वित्तीय राहतें दी हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) और (ग). सरकार उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और ठेका फार्मिंग द्वारा बैकवर्ड लिंकेज की स्थापना की धारणा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, सरकार खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए भी सहायता दे रही है ताकि उद्यमियों की ग्रामीण क्षेत्रों में लघु खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु प्रशिक्षित किया जा सके।

(घ) उदारीकरण से लेकर अब तक 147 औद्योगिक उद्यमी-ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें प्रसंस्कृत फल और सब्जी क्षेत्र में 17,296 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसी तरह संयुक्त उद्यम, निर्यातोन्मुखी यूनिटों आदि के लिए लगभग 163 प्रस्तावों को मंजूर किया गया है जिसमें 24,200 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा ये यूनिटें निर्यात के लिए अतिरिक्त उत्पाद का उत्पादन भी करेंगी।

[अनुवाद]

कैंसर का पता लगाना

*180. **श्री एन. डेनिस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने और इस पर नियंत्रण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को शामिल करने और इस रोग का निदान करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु कोई योजना तैयार की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित कर दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग). राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का प्रतिपादन कैंसर प्रारंभ में रोकथाम (विशेष रूप से तम्बाकू संबंधी कैंसर), उसका शीघ्र निदान तथा उपचार और क्षेत्रीय केन्द्रों, चिकित्सा कालेजों, स्वैच्छिक संगठनों तथा जिला केन्द्रों के माध्यम से सेवाओं तथा सुविधाओं की व्यवस्था के उद्देश्य से किया गया है।

(घ) और (ङ). यह योजना जिला स्तर पर सेवाएं प्रदान करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा सहायक नर्स-सह-दाईयों की भागीदारी की व्यवस्था करती है।

दिल्ली परिवहन निगम का प्रबंधन

1671. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम को दायित्वों के साथ या इनके बिना दिल्ली सरकार को सौंपने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). दिल्ली परिवहन निगम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भेजा गया था। राज्य सरकार ने अपने दिनांक 8 दिसम्बर, 94 के पत्र के तहत दिल्ली परिवहन निगम के हस्तांतरण को स्वीकार करने के लिए अनेक शर्तें लगाई हैं इनकी जांच की जा रही है।

विद्युत परियोजनाएं

1672. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विद्युत परियोजनाएं लगाने के संबंध में ब्रिटेन के विद्युत मंत्री के नेतृत्व में उद्योगपतियों के एक विशेषज्ञ दल ने भारत में विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) क्या किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ग) क्या दल ने विद्युत संयंत्र लगाने के लिए उड़ीसा को सबसे उपयुक्त समझा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). ब्रिटेन के व्यापार मंत्री श्री रिचर्ड नीक्स के नेतृत्व में एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल के एक दल, जिसमें विद्युत उद्योग से प्रतिनिधिगण शामिल थे, ने हाल ही में भारत का दौरा किया था। करारों और घोषणाओं में शामिल एक करार भारत में विद्युत केन्द्रों का पुनः नवीकरण करने से संबंधित है जिस पर एक भारतीय कंपनी और एक ब्रिटिश सहयोगी कंपनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) और (घ). जी, नहीं। इस संबंध में विद्युत मंत्रालय के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

इस्पात उत्पादन

1673. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक दीर्घावधि कार्यक्रम बनाया है,

(ख) यदि हां, तो इस शताब्दी के अंत तक इस्पात का अनुमानतः कितना उत्पादन हो जाएगा,

(ग) इसके लिए मद–वार और संयंत्र–वार क्या कार्यक्रम बनाया गया है, और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) "सेल निगमित योजना 2005" में 2001–02 तक जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का अंन्तिम वर्ष है, निम्नलिखित वार्षिक इस्पात उत्पादन की परिकल्पना की गई है :

अपरिष्कृत इस्पात	157.62 लाख टन
विक्रेय इस्पात	146.81 लाख टन

(ग) और (घ). मद–वार तथा संयंत्र–वार बनाया गया कार्यक्रम नीचे दिया गया है :

(हजार टन)

	भिलाई इस्पात संयंत्र	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	राउरकेला इस्पात संयंत्र	बोकारो इस्पात संयंत्र	इस्को	कुल
तप्त धातु	5341	2536	2000	5100	2200	17177
अपरिष्कृत इस्पात	4965	2281	1900	4489	2127	15762
विक्रेय इस्पात	4182	2076	1672	4231	2520	14681
कच्चा लोहा	326	181	66	600	108	1281

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शन

1674. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में जिलावार कितने लोगों का नाम दर्ज है;

(ख) क्या प्रतीक्षा सूची में दर्ज नाम वाले सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) प्रतीक्षासूची के जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). 31.10.94 तक की अधिकांश प्रतीक्षा–सूची 31 मार्च, 1996 तक उत्तरोत्तर रूप से निपटाए जाने की आशा है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में 31.10.94 तक टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिलावार संख्या नीचे दी गई है :

क्र.सं.	जिला	31.10.1994 तक कुल प्रतीक्षा–सूची
1.	24 परगना (उत्तर)	14599
2.	24 परगना (दक्षिण)	4899
3.	बांकुरा	391
4.	बर्दवान	5315
5.	वीरभूम	1140
6.	कूचबिहार	783
7.	दक्षिण दिनाजपुर	242
8.	दार्जलिंग	4751
9.	हुगली	7947
10.	हावड़ा	8768
11.	जलपाईगुड़ी	1289
12.	मालदा	1089
13.	मिदनापुर	3245
14.	मुर्शीदाबाद	1147
15.	नदिया	2194
16.	पुरूलिया	418
17.	उत्तर दिनाजपुर	654
18.	कलकत्ता	25148

प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली

1675. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों जच्चा–बच्चा मृत्यु दर को कम करने में असफल रहने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली की गहन जांच–पड़ताल करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) से (ग). शिशु मृत्यु दरों में रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के कारण काफी कमी हुई है। विस्तृत शिशु जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम तैयार करने एवं उसे कार्यान्वित करने में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का पूरा किया जाना

1676. डा. जयन्त रंगपी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37,38 और 39 के करबी अंगलोंग अंशों पर कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के इन अंशों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार कितने धन का आबंटन और उपयोग हुआ है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37 और 38 करबी–अंलोंग जिले में से होकर नहीं गुजरते हैं। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 36 और 39 के खंड इस जिले से गुजरते हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख–रखाव एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36 और 39 सहित राष्ट्रीय राजमार्गों की उपलब्ध निधियों द्वारा यातायात चलने योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियों का आबंटन कार्यवार नहीं बल्कि राज्यवार किया जाता है।

[हिन्दी]

बस्तर में इस्पात संयंत्र

1677. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में इस्पात संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त लगाने संबंधी योजना

1678. श्री मणिकराव होडल्या गावीत :
श्री बापू हरि चौरे :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त लगाने संबंधी योजना इस समय किस चरण में है;

(ख) क्या योजना आयोग इस योजना के लिए धनराशि आबंटित कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ वर्ष–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इस पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इस योजना को पूर्ण रूप से कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त लगाने संबंधी योजना की शुरुआत वर्ष 1983–84 में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में एक वर्ष के लिए की गई थी जिसमें प्रयोगिक आधार पर चुनिंदा राजमार्गों के साथ–साथ यातायात सहायता चौकियां स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। 1993–94 में इस योजना में संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत, निधियों की उपलब्धता के अनुरूप, चुनिंदा राज्य सरकारों को, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को तुरन्त सहायता प्रदान करने तथा क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए क्रेनें और एम्बूलेंस प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1993–94 के दौरान छः राज्यों अर्थात् राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित निधियां और किया गया खर्च निम्न प्रकार हैं :

(लाख रु.)

वर्ष	आबंटित निधियां	वास्तविक खर्च
1991–92	कोई आबंटन नहीं किया गया	लागू नहीं होता
1992–93	100.00	शून्य
1993–94	200.00	174.13

(घ) भाग (क). के उत्तर में बताए अनुसार यथा संशोधित योजना प्रचालित की गई है।

[हिन्दी]

बिहार के आयुर्वेदीय कालेज एवं अस्पताल

1679. श्री मोहम्मद अली अशरफ फ़ातमी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कार्यरत आयुर्वेदीय कालेजों और अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कालेजों और अस्पतालों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या बिहार सरकार ने बिहार में और आयुर्वेदीय कालेज तथा अस्पताल खोलने का और साथ ही वर्तमान आयुर्वेदीय कालेजों और अस्पतालों के विस्तारण का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार बिहार में 9 आयुर्वेदीक कालेज तथा संबद्ध अस्पताल चल रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कालेजों और अस्पतालों को दी गई सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	संस्था का नाम	अनुदान की राशि
1992-93	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, पटना	4.521 लाख रुपये

(ग) से (ङ). केन्द्र सरकार इस समय नए आयुर्वेदिक कालेज तथा अस्पताल खोलने पर विचार नहीं कर रही है।

गुजरात में नए पासपोर्ट कार्यालय

1680. श्री एन.जे. राठवा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में कोई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी भी नए पासपोर्ट कार्यालय का खोला जाना अनेक बातों पर निर्भर करता है जिसमें कार्यभार तथा संसाधनों की उपलब्धता भी शामिल है। जब तक आवश्यक आधारभूत संरचना एवं कार्मिक उपलब्ध नहीं होते। केवल नए पासपोर्ट कार्यालयों के खोल देने से ही सेवा में सुधार नहीं होता अतः सरकार बकाया आवेदन पत्रों का निपटान करने, पासपोर्ट जारी करने में होने वाले विलम्ब को कम करने तथा प्रक्रियाओं को दुरूस्त एवं सरल करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

गुजरात में परिवार कल्याण कार्यक्रम

1681. श्री महेश कनोडिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कितने जिलों में जन्मदर राष्ट्रीय औसत जन्म दर के तुलना में अधिक है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को इन जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए 1993-94 के दौरान कोई विशेष सहायता दी है;

(ग) यदि हां, तो राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा दी गई पूरी सहायता राशि का उपयोग कर लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) भारत के महापंजीयक के अनुसार 1984-90 की अवधि के अनुमान के अनुसार 6 जिले।

(ख) से (घ). गुजरात को प्रति हजार जनसंख्या 1981 जनगणना आंकड़ों पर 39 से अधिक जन्म दर वाले 2 जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य आधारभूत ढ़ांचे को सुदृढ़ करने के लिए 1993-94 के दौरान 1.00 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। स्कीम चल रही है

विश्व बैंक सहायता प्राप्त एक भारत जनसंख्या परियोजना 11 जिसमें पूर्ण राज्य शामिल है नवम्बर, 1990 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 43.90 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जा रही है। राज्य सरकार ने परियोजना के अंतर्गत 1993-94 के दौरान दिए गए 14.97 करोड़ रुपये के मुकाबले 8.52 करोड़ रुपये का व्यय सूचित किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आगरा और मथुरा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना

1682. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा और आगरा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इस पर कार्य कब शुरू हो जाएगा; और

(घ) इसकी क्या कार्यावधि निर्धारित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (जापान) की ऋण सहायता से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के मथुरा–आगरा खंड में 4 लेन बनाने के कार्य के लिए 103.21 करोड़ रु. की अनुमानित लागत की संस्वीकृति दी गई है।

(ग) और (घ). अभी से कार्य शुरू होने और पूरा करने का समय बता पाना संभव नहीं है क्योंकि यह कार्य अभी निविंदा–स्तर पर है।

[अनुवाद]

फरक्का स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

1683. श्री जायनल अबेदिन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का स्थित एन.टी.पी.सी. के यूनिट तार पर तथा पांच को चालू किए जाने तथा इसके द्वारा किए जाने वाले व्यावसायिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) व्यावसायिक उत्पादन की शुरूआत में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या यूनिट तार में कोल फायरिंग की शुरूआत दिसम्बर, 1994 में शुरू होगी;

(घ) क्या यूनिट पांच का परीक्षण संचालन भी दिसम्बर, 1994 में पुनः शुरू किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.बी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना की यूनिट 4 और 5 को आरंभ किए जाने की तिथि क्रमशः सितम्बर, 1992 और मार्च, 94 थी। जहां यूनिट–4 में वाणिज्यिक उत्पादन दिसम्बर, 1995 में आरंभ होने की संभावना है; वहीं यूनिट–5 की मार्च, 1995 में आरंभ होने की आशा है। इन यूनिटो में वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ होने में विलम्ब के कारण निम्नवत हैं :

(1) यूनिट–4 के इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) के मार्ग (पास) "ड़ी" का बन्द हो जाना।

(2) सिविल ठेकेदारों द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति और आपूर्तियों में विलम्ब के साथ–साथ औद्योगिक संबंधों की समस्याएं।

(3) उपस्करों में सामने आ रही तकनीकी समस्याएं, जैसे कि यूनिट–4 के टरबाइन जैनरेटर में कम्पन तथा बायलर के सुपर हीटर में ताप का संचरण।

(ग) यूनिट–4 में कोल फायरिंग के जनवरी, 1995 में आरंभ होने की संभावना है।

(घ) जी, हां।

(ङ) लागू नहीं होता।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

1684. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है; और

(ख) वर्ष 1993–94 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव के लिए आंध्र प्रदेश को कितनी केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई और वर्ष 1994–95 के दौरान कितनी दी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 2888 कि.मी.।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और उनकी मरम्मत के लिए वर्ष 1993–94 में आंध्र प्रदेश राज्य को 1716.42 लाख रु. उपलब्ध करवाए गए थे। 1994–95 में अभी तक 1597.22 लाख रु. जारी किए गए हैं। वर्ष के दौरान राज्य की अपेक्षाओं और निधियों की उपलब्धता के आधार पर निधियां जारी की जाएंगी।

एन.एम.ई.पी. के लिए आंध्र प्रदेश को सहायता

1685. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी., सिल्वेरा) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश सहित सात राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों को तेज करने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/मुम्बई में बी.एम.आर.डी.ए. को शामिल किया जाना

1686. श्री राम नाईक : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बी.एम.आर.डी.ए. क्षेत्रों को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुम्बई के क्षेत्राधिकार में शामिल करने की कोई मांग लंबित है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग कब से लंबित है, और

(ग) उपरोक्त मांग पर विचार करने तथा अध्ययन करने एवं इसे यथाशीघ्र लागू करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्ताव की जांच की गई और यह पाया गया कि प्रश्न गत क्षेत्र को म.ने.नि.लि., बंबई के अधिकार क्षेत्र में शामिल करना व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

कन्हार सेतू

1687. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्हार सेतू (जिला–सोनभद्र) के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से कितनी धनराशि मांगी गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). संवैधानिक रूप से भारत सरकार, राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास और रख–रखाव के लिए ही जिम्मेदार है। कन्हार नदी पर प्रस्तावित पुल एक राज्य–सड़क पर पड़ता है। इसलिए इसके निमार्ण की जिम्मेदारी अनिवार्यतः राज्य सरकार की है। यह पुल केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

मुम्बई-पुणे राजमार्ग

1688. श्री राम कापसे : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई–पूणे राजमार्ग को चौड़ा करके 4–लेनों वाला बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य में डामर वाले राममार्ग बनाने हेतु धनराशि देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा है क्या ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी हां।

(ख) वार्षिक योजना 1994–95 और 1994–95 की अनुदान मांगों में पूणे तथा बंबई के बीच 62 कि. मी. खंड में बंबई पुणे सड़क को चौड़ा करके 4 लेन बनाने के लिए प्रावधान है।

(ग) और (घ). जी नहीं। राज्यीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव के लिए मुख्यतः राज्य सरकार जिम्मेदार है।

[हिन्दी]

भूतपूर्व संसद सदस्यों/भूतपूर्व मंत्रियों पर टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

1689. श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : क्या **संचार मंत्री** 25 जुलाई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 98 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व मंत्रियों/भूतपूर्व संसद सदस्यों पर टेलीफोन बिलों की बकाया राशि के संबंध में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) अभी कुछ यूनिटों से सूचना आनी है जिसे भेजने के लिए लगातार कहा जा रहा है।

[अनुवाद]

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य

1690. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1995–96 के दौरान केरल राज्य में महे से मंजेश्वर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और कार्य को चालू करने के लिए भूमि अधिगृहीत कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्य के लिए कुल कितना आवंटन किया गया?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). वर्ष 1995–96 की वार्षिक योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ). माहे से मंजेश्वर खंड के संरेखण को स्वीकृति दी जा चुकी है। भूमि अधिगृहीत की जा रही है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियां राज्य–वार आबंटित की जाती हैं न कि कार्य–वार।

टेलीफोन प्रणाली में सुधार

1691. श्री द्वारका नाथ दास : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिणी असम में, विशेषतः करीमगंज क्षेत्र में, टेलीफोन प्रणाली की शोचनीय स्थिति में होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). दक्षिणी असम में करीमगंज सहित दूरसंचार प्रणाली संतोषजनक रूप से काम कर रही है। करीमगंज में तेरह टेलीफोन एक्सचेंज हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक किस्म के हैं।

(ग) उत्तरोत्तर वार्षिक योजनाओं के जरिए उन स्थानों तक दूरसंचार सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जहां पर ये सुविधाएं नहीं है और जहां पर ये सुविधाएं मौजूद हैं वहां नयी–2 प्रौद्योगिकियों द्वारा उनके उन्नयन के प्रयास जारी हैं, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

वर्ष 1994–95 के दौरान इस क्षेत्र में निम्नलिखित विकास कार्यों की योजना है :

(i) महिसासन में नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलना,

(ii) राम कृष्ण नगर और करीमगंज के बीच 10 चैनल पराउच्च आवृत्ति (यू एच एफ) प्रणाली के विश्वसनीय परिषण माध्यम की व्यवस्था करना,

(iii) करीमगंज, भंगा बाजार, दुल्लवहर्रा, नीलम बाजार तथा बदपुर में 4/30 एम.ए.आर.आर. प्रणाली की व्यवस्था करना।

भारतीय मूल के बर्मी छात्रों के लिए आरक्षण

1693. श्री मंजय लाल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा प्रत्यावर्तित भारतीयों और भारतीय मूल के बर्मा में बसे लोगों के लिए कुछ मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में कुछ स्थान आरक्षित रखने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके लिए कोई छात्रवृति या वजीफा देने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (घ). प्रत्येक वर्ष सरकारी मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में स्व–वित्त–पोषित विदेशी छात्र योजना तथा अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत विदेशी छात्रों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए जाते हैं। म्यांमार सहित विकाराशील देशों को ये स्थान उपलब्ध कराए जाते हैं। 1994–95 सत्र के दौरान स्वदित पोषित विदेशी छात्र योजना के अन्तर्गत म्यांमार से एक–एक छात्र मेडिकल तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिल किए गए।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु चार्टर्ड पोत

1694. श्री काशीराम राणा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 12 समुद्री मील सीमा से आगे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों को विनियंत्रित करने के लिए कठोर कानून बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मुरारी समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा मंजूर की गई कैप्टेन गुडीसेली की मुख्य सिफारिशें क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय समुद्र में चार्टर्ड पोतों द्वारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने हेतु लाइसेन्स जारी करना बन्द करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) भारतीय समुद्री आर्थिक क्षेत्र में कितने चार्टर्ड पोत मछलियां पकड़ने के कार्य में लगे हुए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). भारत का समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मात्स्यिकी का विनियमन) अधिनियम 1981 द्वारा भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने पर विनियंत्रण रखा जाता है। भारतीय स्वामित्व वाले जलयानों को अनुमति देते समय सरकार मछली पकड़ने के क्षेत्र, मछली पकड़ने के स्वरूप, जलयानों की संख्या, लक्ष्य संसाधन आदि के बारे में पांबदियां लगाती है।

(ग) श्री पी. मुरारी, भा. प्र. से. (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में गठित भारत में गहन समुद्री मात्स्यिकी उद्योग संबंधी तकनीकी समिति की सिफारिशें नीति उपायों, वित्तीय पहलुओं, बुनियादी सुविधाओं के विकास, विपणन समर्थन, कानूनी ढांचे, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान और विकास से संबंधित है। समिति ने रुग्ण यूनिटों के लिए वित्तीय पुनर्गठन और राहतों की सिफारिश की है।

(घ) खाद्य और कृषि संगठन के परामर्शदाता के निष्कर्षो की प्रमुख विशेषताए संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) और (च). भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में चार्टर्ड विदेशी मत्स्यन जलयानों के प्रचालन को धीरे–धीरे समाप्त करने के लिए सरकार 1989 की चार्टर नीति को समाप्त कर चुकी है। इसके अलावा, 1981 की चार्टर नीति को समापत कर दिया गया है तथा इस नीति के तहत चार्टर परमिट की समय–अवधि बढ़ाने के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाता। फिलहाल केवल 1986 की नीति ही लागू है।

(छ) 14.12.94 की स्थिति के अनुसार भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कुल 15 चार्टर्ड विदेशी मत्स्यन जलयान चल रहे हैं।

विवरण

खाद्य तथा कृषि संगठन के परामर्शदाता द्वारा भारत में गहन समुद्री मत्स्यन विकास पर किए गए अध्ययन संबंधी रिपोर्ट के निष्कर्षों की प्रमुख विशेषताएं।

(1) भारतीय गहन समुद्री मत्स्यन बेड़े में अपने मत्स्यन कार्यों को जारी रखने तथा उनके विविधिकरण के लिए तकनीकी तथा प्रबंधकीय क्षमता है।

(2) गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों द्वारा प्रतिवर्ष 1,64,000 टन उपलब्ध मात्स्यिकी संसाधनो, जिनका निर्यात मूल्य लगभग 280 मिलियन अमरीकी डालर है, का दोहन किया जा सकता है।

(3) कारगर मात्स्यिकी प्रबंध के लिए मछली पकड़ने के आंकड़ो को इकट्ठा करना तथा चरणबद्ध ढंग से गहन समुद्री मत्स्यन बेड़े का पुनः विस्तार करना जरूरी है।

(4) विविधीकृत मत्स्यन प्रचालन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के लिए तीन प्रकार का प्रदर्शन वाणिज्यिक मत्स्यन अर्थात ओसेनिक प्लेजिक लांग लाइनिंग, डीप वाटर ट्रालिंग, डिमर्सल लाइनिंग और ट्रेपिंग की जानी चाहिए।

(5) विविधीकृत मत्स्यन प्रचालन के लिए गहन समुद्री मत्स्यन उद्योग को प्रोत्साहन तथा ऋण सुविधाएं दी जानी चाहिए।

केरल में पुल का निर्माण

1695. श्री थाइल जॉन अंजलोज् : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल स्थित अल्लेपी में अरूर अर्न कीट्टी पुल का निर्माण कार्य किस स्थिति में है;

(ख) क्या इस पुल का निर्माण कार्य बहुत धीमा है;

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा इस परियोजना पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) नींव और आधार संरचना का कार्य चल रहा है। 3/94 तक 10 प्रतिशत कार्य होने की सूचना दी गई है।

(ख) और (ग). कार्य की प्रगति धीमी रही है। अरुर अरुकुट्टी पुल केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत अनुमोदित एक राज्यीय सड़क परियोजना है जिसके लिए मुख्य रूप से केरल सरकार उत्तरदायी है। राज्य सरकार ने कथित रूप से इस परियोजना के लिए 70 लाख रु. की अतिरिक्त राशि दी है और कार्य की प्रगति तेज हो गई है।

(घ) यह पुल अप्रैल, 1996 तक पूरा होने की संभावना है और इसके पूरा होने की संभावित लागत लगभग 970 लाख रु. है।

नये राष्ट्रीय राजमार्ग

1696. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या **जल-भूतल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान, राज्य–वार, कितने नये राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य शुरू किया गया तथा कितने वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार का कार्य शुरू किया गया;

(ख) उपरोक्त प्रयोजनार्थ कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया; और

(ग) भूमि के अधिग्रहण तथा राजमार्गों के विकास कार्यों पर कितनी लागत आयी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) आठवीं योजना में केन्द्रीय सैक्टर की सड़कों के कार्यक्रम के तहत निधियों के बहुत कम आबंटन के कारण पिछले एक वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कोई और वृद्धि नहीं की गई।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में डाकघर भवन

1697. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने डाकघर भवनों का किन–किन स्थानों पर निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). उड़ीसा में निर्माणाधीन डाकघर भवनों और इन परियोजनाओं के पूरा होने की संभावित तारीखों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

ये परियोजनाएं निर्धारित लक्ष्य की तारीख तक पूरी कर ली जाएंगी, बशर्ते कि धनराशि और अन्य संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण

अनुबंध

क्र.सं.	उड़ीसा सर्किल में निर्माणाधीन डाकघर भवनों के नाम	पूरा होने की संभावित तिथि
1.	अतागढ़ प्रधान डाकघर	31.03.95
2.	टिगिरिया उप डाकघर	31.03.95
3.	जाजपुर प्रधान डाकघर	31.12.94
4.	जाजपुर रोड उप डाकघर	31.03.95
5.	एरसमा उप डाकघर	31.03.95
6.	मधुबन उप डाकघर (पारादीप)	30.06.95
7.	बीरीबती उप डाकघर	31.03.95
8.	हिंडोल उप डाकघर	31.01.95
9.	पल्लाहरा उप डाकघर	31.03.95
10.	नयागढ़ प्रधान डाकघर	31.03.95
11.	पुरी प्रधान डाकघर	31.05.95
12.	काकतपुर उप डाकघर	31.05.95
13.	फूलबनी प्रधान डाकघर	31.08.95
14.	सोनपुरराज उप डाकघर	31.07.95
15.	बांटा उप डाकघर	31.03.95
16.	बोनईगढ़ उप डाकघर	31.03.95
17.	बीरमित्रपुर उप डाकघर	30.09.95
18.	लाठीकटा उप डाकघर	31.03.95
19.	बालासौर प्रधान डाकघर	31.03.95
20.	जालेश्वर प्रधान डाकघर	31.03.95
21.	राजनीलगिरी उप डाकघर	31.08.95
22.	रायरंगपुर विस्तार	31.03.95
23.	बारीपाड़ा बाजार उप डाकघर	31.03.95

पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पोषण का कार्यक्रम

1698. प्रो. प्रेम धूमल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और पोषण स्तर ऊंचा करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों सहित जनसंख्या के कमजोर वर्गों के पोषण स्तरों में सुधार लाने पर लक्ष्यित निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं :

1. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत अनुपूरक पोषक कार्यक्रम।
2. विशिष्ट सूक्ष्म पोषक कमियों को दूर करने संबंधी कार्यक्रम जैसे :
   (क) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम
   (ख) विटामिन "ए" की कमी से हाने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम करने संबंधी बचाव कार्यक्रम।
   (ग) आयरन की कमी के कारण पोषणिक रक्ताल्पता की रोकथाम करने के लिए बचाब कार्यक्रम।

कर्नाटक में डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

1699. श्री चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितने डाकघरों का अब तक कम्प्यूटरीकरण किया गया है; और

(ग) वर्ष 1994–95 के दौरान कितने डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) चालू वर्ष के दौरान डाक सेवा के आधुनिकीकरण का डाक विभाग का कार्यक्रम डाकघरों में काउंटर सेवाओं तथा फ्रंट आफिस गतिविधियों को बेहतर बनाने पर बल देता है। इसे कम्प्यूटर पर आधारित काउंटर मशीनों के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। ये मशीनें एक ही खिड़की से सभी डाक सेवाएं, जिसमें बचत बैंक कार्य भी शामिल है, प्रदान करती हैं। इस कार्यक्रम के तहत कर्नाटक में 35 डाकघरों में कम्प्यूटर पर आधारित 83 काउंटर मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं।

(ख) इन डाकघरों के नामों की सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) वर्ष 1994–95 के दौरान 12 और डाकघरों को पीसी पर आधारित काउंटर मशीनों की आपूर्ति की जाएगी।

विवरण

वे डाकघर जिनमें पीसी पर आधारित काउंटर मशीनें लगाई जा चुकी हैं

1. बेंगलूर जी.पी.ओ.
2. बेंगलूर सिटी हैड आफिस
3. वासवानगुडी प्रधान डाकघर
4. चिकपेट डाकघर
5. फ्रेजर टाउन डाकघर
6. बिग्रेड रोड डाकघर
7. इंदिरा नगर डाकघर
8. भारतीय प्रबंध संस्थान, बानेरघट्टा डाकघर
9. जय नगर डाकघर
10. जे.सी. रोड डाकघर
11. के.सी. रोड डाकघर
12. म्यूजियम रोड डाकघर
13. राजाजी नगर डाकघर
14. आर.टी.नगर डाकघर
15. रेजीडेंसी रोड डाकघर
16. विज्ञान संस्थान डाकघर राजाजी नगर
17. वसंत नगर डाकघर
18. बेलगांव प्रधान डाकघर
19. चिकमंगलूर डाकघर
20. चित्रदुर्ग
21. दावनगीर प्रधान डाकघर
22. धारवाड़ प्रधान डाकघर
23. गडग प्रधान डाकघर
24. हसन प्रधान डाकघर
25. कोलार प्रधान डाकघर
26. कुमटा प्रधान डाकघर
27. मांडया प्रधान डाकघर
28. मंगलोर प्रधान डाकघर
29. हम्पनकटिय
30. बाली माता डाकघर
31. पुरट्टुट प्रधान डाकघर
32. राणेवेनुर प्रधान डाकघर
33. सिमोगा प्रधान डाकघर
34. श्री रंगपट्टन डाकघर
35. उडीपी प्रधान डाकघर

आंध्र प्रदेश में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. केन्द्र

1700. श्री धर्ममिक्षम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. केन्द्रों के आबंटन हेतु जिला–वार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा–सूची में है, और

(ख) इन व्यक्तियों को पी.सी.ओ. केन्द्रों का आबंटन कब तक कर दिया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अनुबंध

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	एसटीडी/आई एस युक्त सार्वजनिक फोन आबंटन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	प्रतीक्षा–सूची समाप्त किए जाने का संभावित समय
1.	श्री काकुलम	393	31.03.95
2.	विजयनगरम	4	31.03.95
3.	विशाखापत्तनम	शून्य	–
4.	राजामुन्डी	124	31.03.95
5.	एलुरू	शून्य	–
6.	विजयवाड़ा	शून्य	–
7.	गुन्टूर	453	31.03.95
8.	ओन्गोल	शून्य	–
9.	नीलोर	शून्य	–
10.	तिरूपति	शून्य	–
11	कुडप्पा	455	31.03.95
12.	अनन्तपुर	342	31.03.95
13.	कुरनूल	1022	31.03.95
14.	महबूब नगर	100	31.03.95
15	सांगरेड्डी	406	31.03.95
16.	निजामाबाद	80	31.03.95
17.	अदिलाबाद	शून्य	–
18	करोमनगर	शून्य	–
19.	बारंगल	530	31.03.95
20.	खम्माम	297	31.03.95
21.	नलगोण्डा	65	31.03.95
22.	हैदराबाद	शून्य	–

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में खनिज

1701. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में रामपुर जिले के देवभोग क्षेत्र में हीरे, सोने तथा एलेक्जैन्ड्राइट के लिए खोज करायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह खोज कार्य किस एजेंसी ने किया;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य सरकारों को खनन पट्टों की मंजूरी देने के लिए निर्धारित दिशा–निर्देशों की पुनरीक्षा करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

होम्योपैथी के अस्पताल की स्थापना

1702. श्री कालका दास : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक अस्पताल की भांति राजधानी में एक होम्योपैथी अस्पताल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार का इस समय राजधानी में कोई होमियोपैथी अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज भवन

1703. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्चेंज के लिए नए भवनों का निर्माण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) कब तक इसे पूरा कर लिया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अनुबंध

क्र.सं.	भवन का नाम तथा स्थान	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3
1.	एम ए एक्स I सोलापुर (उदग्र विस्तार)	31.12.1994
2.	एमएमएक्स I बारामती	31.12.1994
3.	आरएलयू जवाहर	01.05.1995
4.	एमएएक्स I सांगली	15.04.1995
5.	एमएएक्स I मिराज	28.02.1995
6.	एमएएक्स I बारशी	31.03.1995
7.	एमएएक्स I गाधींगलज	30.04.1995
8.	आईएलटी काजल	01.06.1995
9.	आईएलटी कुदाल	31.12.1994
10.	आईएलटी नातेपुटे	28.02.1995
11.	आईएलटी वैराज	28.02.1995
12.	आईएलटी अक्कालकोट	31.01.1995
13.	आई एल टी सास्वद	14.02.1995
14.	आईएलटी गेंजोरी	31.01.1995
15.	आई एल टी मंचार	06.02.1995
16.	आरएलयू औंध (उदग्र स्तिार)	01.04.1995
17.	एमएएक्स I मापुका गोवा	29.03.1996
18.	एम ए एक्स I करााद	31.12.1996
19.	गोदावरी माइक्रोवेब भवन	30.06.1995
20.	वनगांव में माइक्रोवेव भवन	30.06.1995
21.	सफाले में माइक्रोवेव भवन	30.06.1995
22.	अजिनक्यातारा में माइक्रोवेव भवन	30.06.1995
23.	आर एल यू सुकरावर पेथ, पुणे	31.03.1995
24.	आर एल यू सतारा	31.12.1995
25.	एम ए एक्स I यवतमाल (एवतमाल)	30.04.1995
26.	एम ए एक्स I (वार्धा) (वार्धा)	31.08.1995
27.	10 के सी–डांट बादरा (बांदर)	31.05.1995
28.	एम ए एक्स II वारूद (अमरावती)	31.03.1995
29.	आईएलटी वानी (यतमाल)	31.03.1995
30.	आईएलटी दरवाहा (यवतमाल)	31.03.1995
31.	आईएलटी दिगरास (यवतमाल)	30.04.1995
32.	आईएलटी पधाराकवाडा (यवतमाल)	31.12.1995
33.	आई एल टी उमरखड (यवतमाल)	31.12.1995
34.	आईएलटी कुही (नागपुर)	31.03.1995
35.	आई एल टी भिवापुर (नागपुर)	31.08.1995
36.	आई एल टी परसेवानी (नागपुर)	31.03.1995
37.	आईएल टी नंदनवन (नागपुर)	30.04.1995
38.	आई एल टी सकीली (बांदरा)	30.04.1995
39.	आई एल टी अमांगांव (बांदरा)	31.12.1995
40.	आई एल टी मोहदी (बांदरा)	31.12.1995
41.	आई एल टी देवरी (बांदरा)	31.12.1995
42.	आई एल टी मूल (चंद्र पुर)	31.12.1995
43.	एम ए एक्स I परभानी (परभानी)	31.03.1996
44.	एम ए एक्स I श्री रामपुर (अहमदनगर)	31.03.1995
45.	एम ए एक्स I सिलौद (औरंगाबाद)	31.07.1995
46.	एम ए एक्स II अंबाद (जालना)	31.05.1995
47.	एम ए एक्स II बीड (बीड)	31.01.1995
48.	एम ए एक्स II कोपर गांव (अहमदनगर)	30.04.1995
49.	एमएएक्स II तुल्जापुर (उस्मानाबाद)	30.04.19995
50.	एमएएक्स II अहमदपुर (वी/ऐक्टेंशन) लातुर)	31.03.1995
51.	आई एल टी शेवगांव (अहमदनगर)	30.04.1995
52.	एम ए एक्स I (वी/एक्सटेंशन) धूले	23.07.1995
53.	एम ए एक्स II मुर्तजापुर (अकोला)	31.12.1994
54.	एम ए एक्स II (वी/एक्सटेंशन) चालीस गांव (भुसावल)	31.12.1994
55.	आईएलटी मालेगांव (अकोला)	31.08.1995
56.	आई एल टी नन्दौरा (बुल्धाना)	31.01.1995
57.	आई एल टी मोशी (अमरावती)	31.12.1995
58.	आईएलटी तिवासा (अमरावती)	30.09.1995
59.	आरएलयू पंचवाटी (नासिक)	30.06.1995
60.	आरएलयू एमआईडीसी जलगांव (जलगांव)	31.01.1995
61.	ओ एफ सी बेलवाड़ (धूले)	28.02.1995
62.	ओ एफ सी शरूद (धूले)	30.06.1995
63.	ओ एफ सी अर्वी (धूले)	28.02.1995
64.	कफ पैरेड टी ई तथा अनिवार्य क्वार्टरस (साऊथ कोलाबा बंबई)	दिसंबर, 95
65.	बांदरा टी ई उदग्र विस्तार (बांदरा बंबई)	जून, 96
66.	तुम्भे टी ई उदग्र विस्तार (तुम्भे बंबई)	मार्च, 95
67.	माजागांव टी ई उदग्र विस्तार (मांजागांव बंबई)	मई, 95
68.	वर्सोवा टी ई मुख्य विल्डिंग (वर्सोवा बंबई)	जून, 96
69.	पंचपकड़ी आर एल यू और क्वार्टस (थाणे प. बंबई)	जून, 96
70.	भयांदर, आर एल यू तथा अनिवार्य क्वार्टर्स (भयांदर, बंबई)	मार्च, 95

राष्ट्रीय खनन विकास निगम

1704 श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनन विकास निगम ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट एक नई खनन परियोजना शुरू करने तथा उसका कार्यान्वयन करने हेतु संयुक्त उद्यम लगाने के लिए इंडियन रेयर अर्थ तथा आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम के साथ किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कार्यान्वित की जाने वाली परियोजना का ब्यौरा क्या है, इसके लिए कितना पूंजी परिव्यय निर्धारित है, इसमें भाग लेने वाली कंपनियों की इक्विटी भागीदारी कितनी-कितनी है, कौन से निर्माण कार्य शुरू किए जायेंगे, यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी;

(ग) क्या कुछ निजी कम्पनियों (स्वदेशी और विदेशी) की नई खनन परियोजना से सम्बद्ध होने की भी संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में समझौता कब तक कर लिया जायेगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) विजाग के समीप भीमूनिपटनम में समुद्र-तटीय बालू निक्षेप (बीच सैंड डिपोजिट) का गवेषण कार्य करने तथा एक डाउनस्ट्रीम उद्योग की स्थापना करने की सुविधा के लिए दो संयुक्त उद्यम बनाने का निर्णय लिया गया है। एक उद्यम समुद्र-तटीय बालू निक्षेप का खनन कार्य करने तथा खनिजों के संघटकों के पृथकीकरण से संबंधित है तथा दूसरा उद्यम उससे प्राप्त इल्मेनाइट पर आधारित कच्चा लोहा और टिटेनियम स्लैग संयंत्र स्थापित करने से संबंधित है।

संयुक्त उद्यम कंपनी अथवा कंपनियों के गठन और वित्तीय भागीदारी का ब्यौरा पारस्परिक बातचीत द्वारा तय किया जाएगा।

(ग) और (घ). समझौता-ज्ञापन के अनुसार यदि प्रौद्योगिकी अथवा अन्य कारणों से आवश्यक हुआ तो पारस्परिक सहमति से कुछ भारतीय अथवा विदेशी कंपनियों की अतिरिक्त भागीदारी भी ली जा सकती है।

(ङ) अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होना बातचीत के संतोषजनक निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।

खाड़ी देशों में भारतीयों की मृत्यु :

1705. श्री एस. शिवरामन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान खाड़ी देशों में कितने भारतीयों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या मृतकों के निकट संबंधियों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (घ). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1 जनवरी-14 दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान खाड़ी देशों में मरने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या

देश	मरने वालों की संख्या	दी गई मुआवजा राशि (रुपयों में)
बहरीन	111	बहरीन में आप्रवासी श्रमिकों के मुआवजा संबंधी दावे स्थानीय सरकार द्वारा सीधे श्रमिकों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ निपटाये जाते हैं।
इराक	शून्य	शून्य
कुवैत	131	17,35,997.00
ओमान	236	2,37,00,000.00
कतर	68	8,60,000.00
सऊदी अरब	1035	2,95,00,000.00
संयुक्त अरब अमीरात	611	संयुक्त अरब अमीरात के न्यायालयों में मामले लंबित
यमन	2	शून्य
कुल	2194	5,57,95,997.00

* सऊदी अरब के संबंध में दी गई सूचना दिसम्बर 1993-नवम्बर, 1994 तक की अवधि से संबंधित है।

यमुना के ऊपर पुल का निर्माण

1706. श्री बी. देवराजन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली और नोएडा को जोड़ने और निजामुद्दीन-यमुना पुल पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए आश्रम के पास यमुना पर प्रस्तावित पुल के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) पुल के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) नोएडा और वसुन्धरा एन्क्लेव तक आसानी से पहुंचने के लिए पुल के निर्माण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). सांविधानिक रूप से भारत सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के रुप में घोषित सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न अन्य

सभी सड़कों के लिए मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार जिम्मेदार है। यमुना नदी पर आश्रम के निकट प्रस्तावित पुल एक राज्य सड़क पर है। निर्माण, प्रचालन और हस्तान्तरण स्कीम के तहत इस पुल का निर्माण कार्य इनफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनैंसियल सर्विसेज को सौंप दिया गया है। संरेखण को अंतिम रूप दिया जा चुका है। और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मार्च, 1995 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अभी से पूरा किए जाने की लक्षित तारीख के बारे में बता पाना संभव नहीं है।

इलेक्ट्रानिक मेल सेवा

1707. श्री पी.सी. चाको : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के किसी संगठन द्वारा देश को संपूर्ण विश्व के साथ इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था से जुड़े देशों के नामों के साथ तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सुविधा टेलेक्स और फैक्स जैसे वर्तमान मेल माध्यमों की तुलना में सस्ती पड़ेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और देश के किन-किन स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ङ) क्या जनता को अधिक प्रतियोगात्मक और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान कराने के लिए सरकार का विचार निजी क्षेत्र के अन्य संगठनों से भी ऐसा ही नेटवर्क बनाने को कहने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (च). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में आई बी ताप विद्युत परियोजना

1708. श्री शिवाजी पटनायक : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में आई बी ताप विद्युत परियोजना की चार इकाईयों को दो विदेशी विद्युत कंपनियों को बेचने हेतु मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कंपनियां कौन-कौन सी हैं और इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) समझौता-ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आई बी ताप विद्युत परियोजना पर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा अन्य भारतीय विद्युत कंपनियां कार्य करने को तैयार थीं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार (जी ओ ओ) ने निजी क्षेत्र में इस घाटी की यूनिट 3 और 4 के निष्पादन का कार्य मैं इव वैली पावर प्राईवेट लिमिटेड (मैं. ए ई एस ट्रांसपावर, अमरीका द्वारा प्रायोजित) को सौंपा है। यह परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कुछ शर्तों के तहत, तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण से स्वीकृत कर दी गई हैं।

उड़ीसा सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने इस घाटी टी पी ए की यूनिट 1 और 2, जो लगभग पूरी होने वाली है, का अधिग्रहण, स्वामित्व एवं प्रचालन किए जाने के मैं. कम्यूनिटी एनर्जी आल्टरनेटिवस के प्रस्ताव पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

(घ) उड़ीसा सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि न तो भेल द्वारा और न ही विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य भारतीय विनिर्माता कंपनी द्वारा किसी भी समय इस घाटी परियोजना में निवेश किए जाने हेतु रूचि प्रकट की गई है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

संयुक्त राष्ट्र में कुप्रबंध

1709. श्री श्याम बिहारी मिश्र : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था से ह्रास, धोखाधड़ी और कुप्रबंध के विरूद्ध आवाज उठाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत संयुक्त राष्ट्र तंत्र में अपव्यय, धोखाधड़ी और कुप्रबंध के खिलाफ संगत मंचों पर बराबर अपने विचार व्यक्त करता रहा है जैसे-संयुक्त राष्ट्र महासभा; संयुक्त राष्ट्र का लेखा परीक्षक बोर्ड; संयुक्त राष्ट्र तंत्र में धोखाधड़ी की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित तदर्थ अन्तर्सरकारी विशेषज्ञ दल और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और संस्कृतिक संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम और विशिष्ट अभिकरण।

(ग) संयुक्त राष्ट्र ने हमारी चिंताओं पर गौर किया है और धोखाधड़ी को दूर करने के लिए कदम उठा रहा है। इस समय संयुक्त राष्ट्र अपने वित्तीय नियमों और विनियमों की समीक्षा और अधिग्रहण नीतियों और कार्यविधियों की जांच कर रहा है ताकि व्यवस्था को अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके और संगठन की बजटीय कार्य-कुशलता, उत्तर दायित्व और प्रबंधकीय जिम्मेदारी को बढ़ाया जा सके।

एल्यूमिनियम उत्पादन और निर्यात

1710. श्री सूरज मंडल : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितने एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितना निर्यात किया गया?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). वर्ष 1991–92 से 1993–94 की अवधि के दौरान देश में एल्यूमिनियम धातु का कुल उत्पादन और धातु और उसके गौण उत्पादों का निर्यात नीचे दर्शाया गया है :

(इकाई टन में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
1991–92	5,13,961	72,871
1992–93	4,84,913	1,13,093
1993–94	4,64,718	81,831

पाकिस्तान द्वारा चीन से प्रक्षेपास्त्रों की खरीद

1711. श्री जॉर्ज फर्नान्डीज :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा चीन से एम–11 सहित अन्य प्रक्षेपास्त्रों की खरीद संबंधी स्वीकारोक्ति के बारे में प्रकाशित समाचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में चीन और अमरीका से बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). सरकार को पाकिस्तान और चीन के बीच व्यापक रक्षा सहयोग के बारे में जानकारी है, जिसमें अत्याधुनिक मिसाइलों तथा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी शामिल है।

(ग) और (घ). सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के साथ अपनी बातचीत में इस बात पर बल दिया है कि पाकिस्तान को उसकी जायज रक्षा जरूरतों से अधिक अत्याधुनिक हथियारों एवं मिसाइलों की आपूर्ति से भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तथा यह इस क्षेत्र में शान्ति एवं स्वामित्व कायम करने में सहायक नहीं होगी। चीनी प्राधिकारियों ने हमारी चिन्ताओं पर गौर किया है।

सरकार ने अमरीका की सरकार से भी यह कहा है कि पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा दिए गए वक्तव्य, स्थिति की वास्तविकता के अनुरूप नहीं हैं जैसा कि अमरीका की सरकार स्वयं देख चुकी है। अमरीका के प्राधिकारियों ने कहा है कि वे स्थिति की निरन्तर जांच कर रहे हैं।

[हिन्दी]

चाय की खेती के क्षेत्र में भारत-वियतनाम सहयोग

1712. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री रामपाल सिंह :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम ने चाय की खेती तथा इसके प्रसंस्करण में भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रधान मंत्री की 5–7 सितंबर 1994 तक की वियतनाम की यात्रा के दौरान, वियतनाम ने चाय के उत्पादन में भारत की तकनीकी सहायता के लिए अनुरोध किया।

(ग) भारत सरकार चाय के बागानों के संबंध में प्रशिक्षण एवं प्रबंधन के माध्यम से तथा 'टी–प्रोसेसिंग' के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी की आपूर्ति करके वियतनाम की सहायता करने को तैयार है।

महामारी का रोकथाम

1713. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री मंजय लाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे उन कार्यक्रमों का क्या ब्यौरा है जिनसे मलेरिया कालाजार इत्यादि, जैसे महामारियों की रोकथाम के लिए स्वयंसेवी संगठनों और निजी क्षेत्र की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और इस संबंध में लोगों में जागरुकता पैदा की जा सके?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : स्वास्थ्य शिक्षा सभी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग है जिसका प्रचार उपयुक्त प्रचार माध्यम का उपयोग करके किया जाता है। स्वैच्छिक एजेंसियां अपने एक कार्यकलाप के रूप में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने में लगी है। मलेरिया तथा काला–आजार जैसी बीमारियों के नियंत्रण के लिए पंचायत सदस्य, स्कूल अध्यापक तथा ग्रामीण नेता औषध वितरण, ज्वर के मामलों को सूचित करने तथा रोग निवारण पर सूचना देने के कार्य में लगे हैं।

बोकारो में चोरी

1714. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बोकारो इस्पात संयंत्र के कम्प्यूटर की चोरी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वार इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र से अब तक लगभग 7.9 लाख रुपये मूल्य के 8 कम्प्यूटरों की चोरी होने के बारे में सूचना मिली है।

(ग) चोरी के सभी मामले पुलिस में दर्ज करा दिए गए थे।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को चौड़ा करना

1716. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली और अम्बाला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाले राजमार्ग के रूप में बदलने के लिए धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना में निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली (0 कि. मी.) और मुरथल (50 कि. मी.) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 पर पहले से ही चार लेन है। 4900 लाख रु. की अनुमानित लागत पर मुरथल (50 कि.मी.) से करनाल (130 कि.मी.) तक चार लेन बनाने का कार्य चल रहा है। पश्चिमी यमुना नहर पुल के साथ–साथ 130 कि.मी. (करनाल) और 132.675 कि. मी. के बीच के खंड को चार लेन का बना दिया गया है। 140 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 132.675 कि.मी. (करनाल के समीप) से 212.161 कि.मी. (अम्बाला) तक चार लेन बनाने के कार्य के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(ग) और (घ). शेष कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :–

	खंड	लक्ष्य
1.	मुरथल से करनाल (50 से 130 कि.मी)	12/95
2.	करनाल से अम्बाला (132.675 से 212.161 कि.मी.)	6/98

हेलीकॉप्टर सेवा

1717. श्री चन्दूभाई देशमुख : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री**, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के दहाज–ढोढा के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा को बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सेवा को पुनः कब शुरू किया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी अंतः क्षेत्रों का आदान-प्रदान

1718. श्री अमर रायप्रधान : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेशी अंतः क्षेत्रों को बंगलादेश तथा बंगलादेश के विदेशी अंतः क्षेत्रों को भारत में आदान–प्रदान किए जाने को संसद द्वारा आवश्यक संपुष्टि प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में सम्पूर्ण प्रस्तावों को कब तक पेश करेगी; और

(ग) समझौते की संपुष्टि में विलम्ब के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) बंगला–देश में भारतीय बस्तियों तथा भारत में बंगलादेशी बस्तियों का आदान–प्रदान करने से पूर्व भारत–बंगलादेश भू–सीमा करार, 1974 का, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अनुसमर्थन अनिवार्य है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय तथा संबद्ध राज्य सरकारों की संबंधित एजेन्सियों इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक औपचारिकाताओं से अवगत है : तथापि इस समय कोई समय सीमा बता पाना संभव नहीं है क्योंकि कुछ विधिक, सांविधिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की जानी है।

गुजरात में प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्र

1719. श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अक्तूबर, 1994 तक उत्तरी गुजरात में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा परिवार नियोजन केन्द्र थे; और

(ख) 1992–93 के दौरान तथा 1993–94 के दौरान अब तक केन्द्र सरकार द्वारा इन केंन्द्रो को कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) उत्तरी गुजरात में 197 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इसके अलावा

गुजरात में ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 251 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र चल रहे हैं।

(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का राज्य सेक्टर द्वारा वित्त पोषण किया जाता है।

ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों को दिए गए धन का ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्ष	लाख रुपयों में
1992–93	541.20
1993–94	725.00
1994–95	455.59
(आज तक)	–

जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1720. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कितनी राजसहायता दी गयी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गुजरात और राजस्थान को प्रदान की गयी सहायता का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजना स्कीमें चलाई जा रही हैं जिनमें जनजातीय क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल हैं। कुछ स्कीमों के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों में दी जाने वाली सहायता अन्य क्षेत्रों से 25 प्रतिशत अधिक होती है। मंत्रालय की योजना स्कीमों के अन्तर्गत दी गई सहायता, जिसके लाभ मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों को प्राप्त होंगे, के गत तीन वर्षों के ब्यौरे नीचे दिए हैं :–

	(लाख रुपये में)
91–92	416.91
92–93	238.72
93–94	302.028

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात और राजस्थान राज्यों को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत दी गई सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(रुपये लाख में)

	91–92	92–93	93–94
गुजरात	8.75	112.00	8.55
राजस्थान	1.00	–	5.70

कृत्रिम गर्भाधान

1721. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 सितम्बर, 1994 के "जनसत्ता" में कृत्रिम गर्भाधान पर नियम न होने से फर्जी डाक्टरों की मौज शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सहायता प्राप्त प्रजननता प्रोद्योगिकियों के लिए नैतिक मुद्दों पर दिशा–निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

नेत्र बैंक

1722. श्री सी.पी. मुदाला गिरियप्पा :
श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने नेत्र बैंक है; और

(ख) इन नेत्र बैंको से गत तीन वर्षों के दौरान अनुमानत: कितने रोगी लाभान्वित हुए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). देश में लगभग 150 नेत्र बैंक चल रहे हैं तथा इन बैंको से 11,000 लोगों को लाभान्वित किए जाने का अनुमान है।

[हिन्दी]

मलेरिया, फाइलेरिया तथा काला-आजार

1722. श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री बलराज पासी :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे वैज्ञानिकों ने तीन बड़ी बीमारियों मलेरिया, फाइलेरिया तथा काला–आजार का शीघ्र निदान करने की नयी तकनीक का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तकनीक द्वारा कितने लोगों को लाभ मिलेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (ग). मलेरिया, फाइलेरिया एवं काला–आजार का

निदान करने तथा उनका शीघ्र पता लगाने हेतु नए परीक्षणों को विकसित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं में अनुसंधान एवं विकासात्मक कार्यकलाप किए जा रहे है। प्रयोगशाला में विकसित तकनीकों का अभी परीक्षण एवं छानबीन की जा रही है।

[अनुवाद]

डी.टी.सी. बसों की संख्या

1724. **श्री बी.एल. शर्मा प्रेम :**
श्री राम बदन :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी.टी.सी. के पास इस समय कुल कितनी बसें हैं तथा कितनी बसें विभिन्न डिपुओं में बेकार पड़ी हैं;

(ख) प्रतिदिन सड़को पर चलने वाली डी.टी.सी. बसों की औसत संख्या कितनी है;

(ग) क्या डी.टी.सी. की बसों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान डी. टी. सी. का वित्तीय कार्य–निष्पादन कितना था;

(च) बेकार पड़ी बसों के कारण डी.टी.सी. को कितना घाटा हुआ, और

(छ) डी.टी.सी. के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 8.12.94 की स्थिति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 3500 बसें थी। तथापि, इसमें से 2156 बसें प्रचालन में थी और शेष बसें सामान्य और निवारक अनुरक्षण में होने तथा कुछ बसें टायरों और अन्य पूर्जों की कमी के कारण कार्यशालाओं में रूकी पड़ी थीं।

(ख) नवम्बर, 94 में रोजाना औसतन 2212 बसें चली।

(ग) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

(करोड़ रु.)

वर्ष	कार्यशील हानि (ब्याज तथा मूल्य ह्रास को छोड़कर)	नकद हानि (ब्याज तथा मूल्य ह्रास सहित)
1991–92	83.96	203.82
1992–93	53.93	245.28
1993–94	71.48	281.84

(च) परिवर्तन शील हानि की क्षतिपूर्ति के बाद प्रतिवर्ष लगभग 25 करोड़ रु. की निवल हानि होने का अनुमान है।

(छ) दि. प. नि. दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ सरकार इसके पुनर्गठन के लिए एक अन्तर–सम्बद्ध पैकेज को अंतिम रूप दे रही है। इसके लिए निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिए गए हैं :–

1. जनशक्ति अनुपात में कमी करना,
2. दि. प. नि. के बेड़े को युक्तिसंगत बनाकर इसमें 3500 बसें रखना,
3. अलाभकर रुटों से दि.प.नि. की बसें हटाना,
4. 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार सभी बकाया ऋणों और उन पर संचित ब्याज को इक्विटी में बदलना, और
5. दि. प. नि. द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रकार के रियायती पासों के कारण होने वाली हानि की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति करना।

दूरसंचार कर्मचारी

1725. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**
श्री शिवाजी पटनायक :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए विधियां तैयार करने हेतु कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी और इसका कब तक कार्यान्वयन होगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) समिति का गठन करने संबंधी आदेश की एक प्रति संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। यह निर्णय लिया गया है कि समिति, औपचारिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना, लिए गए निर्णयों को उत्तरोत्तर रूप से लागू करे समिति द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं। निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी किए जा रहे हैं।

विवरण–I

दूरसंचार विभाग के 18.8.94 के का. ज्ञा. सं. 37–2/94–एस आर टी की प्रतिलिपि।

कार्यालय ज्ञापन

16 अगस्त, 1994 को दूरसंचार विभाग के तीन परिसंघों (फेडरेशनों) नामतः एफ एन टी ओ, एन. एफ टी ई और बी टी ई एफ के साथ हुए करार के अनुसरण में, एतदद्वारा एक समिति का

गठन किया जाता है। समिति, दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के समस्त हितों की सुरक्षा एवं एक प्रभावशाली कार्यनीति तैयार करने संबंधी पहलुओं पर विचार करेगी ताकि दूरसंचार विभाग निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धाओं की चुनौती का सामना कर सके और उनके साथ समानता के स्तर पर कार्य कर सके।

2. समिति का गठन :

कर्मचारी प्रतिनिधि :

(i) चौधरी रघुबीर सिंह, नेता (कर्मचारी पक्ष), दूरसंचार विभाग परिषद (जे सी एम)

(ii) श्री ओ. पी. गुप्ता, महासचिव, एन एफ टी ई

(iii) श्री आर. वेंकटरमन, एफ एन टी ओ.

(iv) श्री एस. डब्ल्यू. लाटे, महासचिव, बी टी ई एफ

दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि :

(i) अध्यक्ष दूरसंचार आयोग

(ii) सदस्य (वित्त)

(iii) सदस्य (सेवाएं)

अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग समिति के अध्यक्ष होंगे।

उप महानिदेशक (एस आर) समिति के सचिव होंगे।

3. समिति, जोशी समिति की रिपोर्ट, आई सी आई सी आई रिपोर्ट और ऐसी अन्य अपेक्षित सूचना का अध्ययन करेगी।

4. समिति सितंबर, 1994 के प्रथम सप्ताह तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

ह.

(ए. के. भटनागर)

सेवा में उप महानिदेशक (एस आर)

समिति के सभी सदस्य

विवरण-II

(i) दूरसंचार विभाग द्वारा सूचना संबंधी विवरणिका वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाएगी। इससे नए टेलीफोन कनेक्शनों, टेलीफोनों को शिफ्ट करने के आवेदन पत्रों, अतिरिक्त सहायक उपकरणों, प्रतीक्षा–सूची भविष्य की योजनाओं तथा वाणिज्य संबंधी जानकारी प्राप्त होगी।

(ii) नए टेलीफोन के लिए भारत में किसी भी स्थान से पंजीकरण कराना संभव हो जाएगा। सभी ग्राहक सेवा केन्द्रों में मानक प्रपत्र अपलब्ध कराए जाएंगे।

(iii) टेलीफोन को किसी तीसरे पक्ष को कानूनी रूप से ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को इतना सरल बनाया जाएगा कि सभी औपचारिकताएं 4 सप्ताह के भीतर पूरी हो जाएंगी। टेलीफोन स्थानांतरित करने वाले व्यक्ति के बिलों का भी इसी अवधि के भीतर निपटान कर दिया जाएगा।

(iv) मकान–मालिक के टेलीफोन को किराएदार द्वारा प्रयोग किए जाने की मौजूदा पद्धति का सरलीकरण किया जाएगा। इसके लिए मकान–मालिक तथा किराएदार को आपस में तय की गई एक निश्चित अवधि के लिए 100 रु. शुल्क सहित एक संयुक्त घोषणापत्र प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।

(v) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से जुड़े टेलीफोन को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का कार्य हाथ में लिया जाएगा, जो 6 माह अथवा इससे अधिक की अवधि के लिए हो सकती है।

(vi) मौजूदा प्रबंधों के अतिरिक्त राजसव एकत्र करने के लिए बैंकों का उपयोग किया जाएगा।

(vii) सेवा संपर्क तथा ग्राहक सेवा कार्यों का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण करके और अधिक ग्राहक सेवा केन्द्र खोले जाएंगे। ग्राहकों की अपेक्षाओं तथा पूछताछ का शीघ्र उत्तर देने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से बड़े केन्द्रों में कम्प्यूटरों के प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28

1726. श्री रामपाल सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 पर निर्माण कार्य करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह निर्माण–कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). रा. रा. 28 के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में कुल 13 प्रस्ताव हैं। इनमें से 7 पर कार्य चल रहा है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में शेष 6 प्रस्तावों के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग से अभी विस्तृत प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुए हैं।

राज्य	क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु.)	पूरा करने की लक्षित तारीख
उत्तर प्रदेश	1.	फैजाबाद बाई पास चरण–II	1819.00	3/97
	2.	178/2 कि.मी. में छोटे पुल का पुनर्निर्माण	19.43	3/96
	3.	66/2 कि.मी. पर पुल	24.93	3/95
बिहार	1.	455–471 कि.मी. तक सुदृढ़ करना	252.09	12/95
	2.	592–600 कि.मी. तक सुदृढ़ करना।	157.52	12/94
	3.	360.67–373 कि.मी. तक सुदृढ़ करना।	159.00	6/95
	4.	614,616,617, और 619 कि. मी. में सड़क गुणवत्ता को सुधारना	20.95	12/94

अनपारा "ए" और "बी" ताप विद्युत परियोजनाएं

1727. श्री राम निहोर राय: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनपारा "ए" और "बी" ताप विद्युत परियोजनाओं से गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार कुल कितना विद्युत उत्पादन हुआ; और

(ख) इसी अवधि के दौरान इन विद्युत परियाजनाओं से उत्तर प्रदेश को कितनी विद्युत की आपूर्ति की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). वर्ष 1991–92, 1992–93, 1993–94 और अप्रैल, 94–नवंबर 94 के दौरान उत्तर प्रदेश में अनपारा "ए" और "बी" ताप विद्युत केन्द्र से उत्पादित कुल ऊर्जा का ब्यौरा निम्नलिखित है।

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

क्षमता (मि. वा.)		1991–92	1992–93	1993–94	1994–95 (नवंबर 94 तक)
अनपाड़ा "ए"	3×210 = 630	3979	4109	4134	2289
अनपाड़ा "बी"	2×500 = 1000	–	–	611	2749
कुल	1630	3979	4109	4745	5038

अनपाडा "ए" और "बी" केन्द्र उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जो इन केन्द्रो से उत्पादित संपूर्ण विद्युत का समुपयोजन करता है।

[हिन्दी]

मनोरोगियों की संख्या में वृद्धि

1728. श्री जनार्दन मिश्र :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मनोरोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रोग पर काबू पाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलूर के अनुसार मनश्चिकित्सक इस विकृति के बारे में जागरूकता में हुई वृद्धि के कारण।

मनोविकृत निदान प्रदान कर रहे हैं लेकिन रोगियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

[अनुवाद]

नीम हकीम

1729. श्री आनंदरत्न मौर्य :
श्री जगतबीर सिंह द्रोण :
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री पंकज चौधरी :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में नीम हकीमों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और ये लोग झूठे प्रमाणपत्रों के आधार पर अपने क्लिनिक चला रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में इन नीम हकीमों के चिकित्सा व्यवसाय पर रोक लगाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ). भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम 1973 में इस आशय के दण्ड प्रावधान पहले ही मौजूद हैं कि राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर में दर्ज चिकित्सा व्यवसायी को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में चिकित्सा व्यवसाय नहीं करेगा और इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कारावास की सजा जिसे बढ़ाकर एक वर्ष तक किया जा सकता है अथवा जुर्माना जिसे बढ़ाकर 1,000 रुपये तक किया जा सकता है अथवा दोनों किए जा सकते हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे गैर–अर्हता प्राप्त व्यवसायियों द्वारा की जा रही है प्रैक्टिस पर नजर रखने के लिए दण्ड प्रावधानों को लागू करें।

नए डाकघर

1730. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री काशीराम राणा :
श्री छेदी पासवान :
श्री प्रेमचन्द राम :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और बिहार में 1993–94 के अन्त तक और अब तक जिला–वार और श्रेणी–वार पृथक–पृथक कितने गांवों में डाकघर और तार घर की सुविधाएं उपलब्ध थीं और कितने गांवों में ये सुविधाएं नहीं हैं; और

(ख) 1994–95 के दौरान राज्य में जिला–वार और श्रेणी–वार कितने डाकघर और तार घर खोलने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) बिहार तथा गुजरात में जिन गांवों में डाकघर तथा तारघर की सुविधाएं हैं और नहीं है, उनकी जिलावार और श्रेणीवार संख्या संलग्न विवरण I से VI में दी गई है।

(ख) गुजरात तथा बिहार में 1994–95 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों तथा तारघरों की जिलावार व श्रेणीवार संख्या संलग्न विवरण VII से X में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1993-94 के अंत तक की स्थिति के अनुसार गुजरात के उन गांवों की संख्या का जिलावार तथा श्रेणीवार ब्यौरा, जहां डाकघर सुविधा है और जहां डाकघर सुविधा नहीं है

क्र.सं.	जिले का नाम	उन गांवों की संख्या जहां डाकघर नहीं हैं	उन गावों कीं श्रेणीवार संख्या जहां डाकघर हैं डाकघरों की श्रेणियां			उन गांवों की संख्या जहां डाकघर हैं कुल
			उ.डा.	अ.वि. उ.डा.	अ.वि. शा.डा.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अहमदाबाद	244	19	3	399	421
2.	अमरेली	309	19	3	283	305
3.	बनासकांठा	941	23	1	410	434
4.	भड़ौच	654	45	4	428	477
5.	डांग	255	5	–	51	56
6.	गांधीनगर	16	11	1	49	61
7.	जामनगर	365	18	–	324	342
8.	जूनागढ़	573	29	1	442	472
9.	खेड़ा	392	82	8	478	568
10.	के" भुज	415	34	2	435	471
11.	महेसाणा	855	36	9	499	544
12.	पंचमहल	1389	21	4	485	510
13.	राजकोट	463	30	1	415	446
14.	साबरकांठा	603	38	1	509	548
15.	सूरत	738	34	1	517	552
16.	सुरेंद्रनगर	339	16	–	293	309
17.	वडोदरा	1069	36	7	566	609
18.	वलसाड	295	56	1	473	530
19.	दीव दमन	16	2	–	11	13
20.	दादर और नगर हवेली	38	1	–	32	33
21.	भावनगर	468	22	–	403	425
	कुल	10437	577	47	7502	8126

विवरण-II

आज की स्थिति के अनुसार गुजरात के उन गांवों की संख्या का जिलावार और श्रेणीवार ब्यौरा जहां डाकघर है और जहां डाकघर नहीं है

जिला	गुजरात में उन गांवों की संख्या जहां डाकघर नहीं हैं	उन गांवों की श्रेणीवार संख्या जहां डाकघर हैं			
		डाकघरों की श्रेणियां			उन गांवों की संख्या जहां डाकघर हैं कुल
		उ.डा.	अ.वि.उ.डा.	शा.डा.	
1	2	3	4	5	6
अहमदाबाद	244	19	3	399	421
अमरेली	309	19	3	283	305
बनासकांठा	941	23	1	410	434
भड़ौच	654	45	4	428	477
भावनगर	468	22	–	403	425
डांग	255	05	–	51	56
गांधीनगर	16	11	1	49	61
जामनगर	365	18	–	324	342
जूनागढ़	573	29	1	442	472
खेडा	392	82	8	478	568
कच्छ भुज	415	34	2	435	471
मेहसाणा	855	36	9	499	544
पंचमहल	1390	21	4	485	510
राजकोट	463	30	1	415	446
साबरकांठा	603	38	1	509	548
सूरत	737	35	1	517	553
सुरेंदनगर	339	16	–	293	309
वडोदरा	1069	36	7	566	609
वलसाड	295	56	1	473	530
दीव दमन	16	02	–	11	13
दादार और नगर हवेली	38	01	–	32	33
कुल	10436	578	47	7502	8127

विवरण-III

गुजरात में उन गांवों की संख्या जहां तारघरों की सुविधा है और जहां तारघरों की सुविधा नहीं है–जिलावार और श्रेणीवार ब्यौरा (दिनांक 2.12.1994 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	जिले का नाम	उन गांवों की संख्या जहां तारघर सुविधा नहीं है	उन गांवों की संख्या जहां तारघर सुविधा मौजूद है (संयुक्त तारघर)
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	697	9
2.	अमरेली	569	34
3.	बनासकांठा	1382	8
4.	भड़ौच	1118	35
5.	भावनगर	886	11
6.	गांधीनगर	69	6
7.	जामनगर	682	36
8.	जूनागढ़	1038	39
9.	खेड़ा	916	89
10.	कच्छ	878	30
11.	मेहसाणा	1143	12
12.	पंचमहल	1868	67
13.	राजकोट	847	36
14.	साबरकांठा	1369	8
15.	सूरत	1183	44
16.	सुरेंद्रनगर	648	9
17.	वडोदरा	1665	30
18.	वलसाड	804	51
19.	डांग	314	5
20.	संघ शासित क्षेत्र (दमन और दीव)	95	5
	कुल	18171	564

विवरण-IV

दिनांक 31.3.94 तथा आज तक की स्थिति के अनुसार बिहार में उन गावों से संबंधित जिलावार जानकारी, जहां डाकघर हैं और जहां डाकघर नहीं हैं

क्र.सं.	जिले का नाम	उन गावों की संख्या जहां डाकघर हैं	उन गावों की संख्या जहां डाकघर नहीं हैं
1	2	3	4
1.	सारन	365	1,448
2.	वैशाली	240	1,398
3.	भोजपुर	281	968
4.	बक्सर	172	960
5.	गया	365	2,900
6.	नवादा	197	981
7.	जहानाबाद	166	749
8.	नालन्दा	311	732
9.	भागलपुर	239	1,736
10.	बांका	185	1,019
11.	पटना	313	1,735
12.	बेगूसराय	214	867
13.	खगड़िया	130	459
14.	दरभंगा	323	735
15.	पूर्व चम्पारन	405	1,170
16.	पश्चिम चम्पारन	271	1,092
17.	मधुबनी	416	641
18.	मुंगेर	171	1,448
19.	जमुई	141	1,247
20.	लक्खीसराय	81	431
21.	मुजफ्फरपुर	382	1,460
22.	अररिया	154	842
23.	कटिहार	172	1,277
24.	किशनगंज	85	768
25.	पूर्णिया	170	935
26.	सहरसा	160	397
27.	मधेपुरा	199	354
28.	सुपोल	170	468
29.	सीवान	311	1,252
30.	गोपालगंज	192	1,194

1	2	3	4
31.	सीतामढ़ी	317	745
32.	समस्तीपुर	379	889
33.	दुमका	263	3,846
34.	देवघर	145	2,551
35.	गोड्डा	142	2,281
36.	साहिबगंज	87	1,728
37.	पकुर	65	1,160
38.	औरंगाबाद	259	1,589
39.	पलामू	251	986
40.	गरवा	83	655
41.	हजारीबाग	187	1,656
42.	छपरा	81	936
43.	कोडेरमा	52	1,016
44.	गिरिडीह	180	2,183
45.	पूर्व सिंहभूम	160	1,645
46.	पश्चिम सिंहभूम	184	2,731
47.	रांची	316	1,643
48.	गुमला	215	963
49.	लोहारदागा	83	452
50.	धनबाद	124	1,224
51.	बोकारो	109	689
52.	रोहतास	277	1,811
53.	भाभुआ	102	1,613
	कुल	11,042	66,655

विवरण-V

बिहार के गांवों में डाकघरों की जिलावार और श्रेणीवार संख्या

क्र. सं.	जिलों का नाम	प्रधान डाकघर	वि.उप डाकघर	अ.वि.उ. डाकघर	अ.वि.शा. डाकघर	कुल
1.	सारन	1	42	3	319	365
2.	वैशाली	–	24	4	212	240
3.	भोजपुर	–	26	2	253	281
4.	बक्सर	–	22	–	150	172
5.	गया	–	28	–	337	365
6.	नवादा	–	18	4	175	197
7.	जहानाबाद	–	17	3	146	166
8.	नालन्दा	–	16	4	291	311
9.	भागलपुर	–	12	11	216	239
10.	बांका	–	11	12	162	185
11.	पटना	–	18	7	288	313
12.	बेगूसराय	–	16	4	154	214
13.	खगड़िया	–	8	1	121	130
14.	दरभंगा	–	25	–	298	323
15.	पूर्व चम्पारन	–	33	1	371	405
16.	पश्चिम चम्पारन	–	16	1	254	271
17.	मधुबनी	–	29	1	386	416
18.	मुंगेर	–	12	2	157	171

1	2	3	4	5	6	7
19.	जमुई	–	9	–	132	141
20.	लक्खीसराय	–	1	1	79	081
21.	मुजफ्फरपुर	–	33	13	336	382
22.	अररिया	–	8	–	146	154
23.	कटिहार	–	12	–	160	172
24.	किशनगंज	–	4	–	81	85
25.	पुर्णिया	–	9	–	161	170
26.	सहरसा	–	11	–	149	160
27.	माधेपुरा	–	9	–	190	199
28.	सुपौल	–	15	–	155	170
29.	सिवान	–	28	–	283	311
30.	गोपालगंज	–	14	–	178	192
31.	समस्तीपुर	–	32	5	342	379
32	दुमका	–	16	1	246	263
33.	देवघर	–	8	1	136	145
34.	गोड्डा	–	4	–	138	142
35.	साहिबगंज	–	7	–	80	87
36.	पाकुर	–	4	–	61	65
37.	औरंगाबाद	–	15	3	241	259
38.	पलामू	–	17	1	233	251
39.	गरवा	–	5	–	78	83
40.	हजारीबाग	–	24	5	158	187
41.	छतरा	–	4	2	75	81
42.	कोडरमा	–	5	2	45	52
43.	गिरिडीह	–	14	–	166	180
44.	पूर्व सिंहभूम	–	6	1	153	160
45.	पश्चिम सिंहभूम	–	15	–	168	184
46.	रांची	–	17	5	294	316
47.	गुमला	–	11	–	204	215
48.	लोहारदागा	–	2	3	78	83
49.	धनबाद	–	–	5	119	124
50.	बोकारो	–	4	–	105	109
51.	रोहतास	–	28	–	249	277
52.	झाबुआ	–	6	–	96	102
53.	सीतामढ़ी	–	18	1	298	317
	कुल :	1	788	110	10143	11042

विवरण-VI

बिहार के उन गांवों की संख्या का जिलावार और श्रेणीवार ब्यौरा जहां तारघर की सुविधा मौजूद है (दिनांक 2.12.94 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	जिले का नाम	उन गांवों की संख्या जहां तारघर की सुविधा नहीं है	उन गांवों की संख्या जहां तारघर मौजूद है (संयुक्त तारघर)
1	2	3	4
1.	कटिहार	1481	67
2.	किशनगंज	757	45
3.	अररिया	687	64
4.	सुपौल	482	72
5.	सहरसा	420	52
6.	मधेपुर	368	79
7.	पूर्णिया	1248	48
8.	खगड़िया	232	74
9.	बेगूसराय	1104	125
10.	भागलपुर	1438	98
11.	पाकुर	567	32
12.	मुंगेर	485	124
13.	बांका	1758	30
14.	जमुई	1964	35
15.	लक्खीसराय	635	25
16.	साहिबगंज	3082	28
17.	दुमका	3940	49
18.	गोड्डा	2284	27
19.	बी. देवघर	2815	25
20.	पटना	1422	98
21.	भोजपुर	1188	56
22.	बक्सर	1097	40
23.	रोहतास	1959	69
24.	झाबुआ	1678	37
25.	नालन्दा	1023	65
26.	धनबाद	745	45
27	बोकारो एस.सी.	699	33
28.	गिरिडीह	2693	70
29	कोडरमा	535	23
30.	औरंगाबाद	1820	64
31.	नवादा	1054	45
32.	जहानाबाद	922	25
33.	गया	2842	84
34.	रांची	2046	98
35.	लोहारदगा	527	25
36.	गुमला	1163	56
37.	हजारीबाग	2350	65
38.	पलामू	2623	73
39.	गरवा	883	32
40.	छतरा	1446	23
41.	पूर्व सिंहभूम	1869	26
42.	पश्चिम सिंहभूम	2799	28
43.	पूर्व चम्पारन	1404	101
44.	पश्चिम चम्पारन	1273	72
45.	मुजफ्फरपुर	1767	62
46.	समस्तीपुर	937	116
47.	वैशाली	1490	148
48.	मधुबनी	1052	64
49.	दरभंगा	1205	117
50.	छपरा	1742	71
51.	सिवान	1445	108
52.	गोपालगंज	1471	95
53.	सीतामढ़ी	898	155
	कुल	75814	3394

विवरण-VII

गुजरात में 1994-95 के दौरान खोले जाने वाले संभावित डाकघरों की जिलावार और श्रेणीवार संख्या**

जिला	*अ.वि.शा.डा.	**उप डाकघर
बनासकांठा	1	–
महेसाणा	–	1
गांधीनगर	–	1
राजकोट	1	1
भावनगर	–	1
वडोदरा	1	2
पंचमहल	1	1
सूरत	–	2
खेड़ा	–	1
कुल	4	10

* अतिरिक्त विभागीय डाकघर

** उप डाकघर

*** संसाधनों तथा लक्ष्यों की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन

विवरण-VIII

वर्ष 1994-95 के दौरान बिहार राज्य में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या* का जिलेवार श्रेणीवार ब्यौरा

क्र.स.	जिले का नाम	विभागीय उपडाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1	2	3	4
1.	पटना	1	1
2.	भागलपुर	1	–
3.	बक्सर	1	–
4	मुजफ्फरपुर	1	1
5.	बेगूसराय	1	–
6.	रांची	1	1
7.	गुमला	1	–
8.	लोहारदगा	1	–
9.	हजारीबाग	1	–
10.	गया	–	1
11.	पूर्व सिंहभूम	–	1
12.	पश्चिम सिंहभूम	–	1
13.	भाबुआ	–	1
14.	सहरसा	–	1
15.	मुंगेर	–	1
16.	साहिबगंज	–	1
	कुल	9	10

* संसाधनों तथा लक्ष्यों की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन

विवरण-IX

गुजरात में 1994-95 के दौरान खोले जाने वाले संभावित तारघरों की संख्या का जिलावार और श्रेणीवार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	तारघर	टेलीकॉम केंद्र
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	–	1. साबरमती टी. सी. 2. ड्राइव–इन रोड टी.सी.
2.	भड़ौच	अंकलेश्वर	–
3.	राजकोट	–	कालावाड रोड

विवरण-X

बिहार में 1994-95 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित तारघरों की संख्या का जिलावार व श्रेणीवार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	तारघर	टेलीकॉम केंद्र
1	2	3	4
1.	बक्सर	–	1
2.	आरा	–	3
3.	पटना	–	2
4.	बिहार शरीफ	–	1
5.	मुंगेर	–	2
6.	बेगूसराय	–	1
7.	मधेपुरा	–	1
8.	सुपौल	–	1
9.	खगड़िया	–	1
10.	नौगाछिया	–	1
11.	पश्चिम सिंहभूम	–	1
12.	पूर्व सिंहभूम	–	1
13.	हजारीबाग	1	1
14.	गुमला	–	1
15.	गिरिडीह	–	1
16.	धनबाद	1	2
17.	गरवा	1	2
	कुल	3	23

टाइफाइड रोग का फैलना

1731. श्री के.जी. शिवप्पा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन माह के दौरान देश में कई भागों में टाइफाइड रोग फैला है;

(ख) क्या सरकार ने इस रोग की राष्ट्रीय स्तर पर रोकथाम के लिए उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) टाइफाइड देश में स्थानिक बीमारी है जिसका कभी–कभी विकार स्थानिक प्रकोप होता है।

(ख) और (ग). सरकार ने जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने, स्वच्छता में सुधार लाने, पेयजल की सप्लाई तथा स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था करने पर जोर दिया है। राज्यों को रोग निगरानी में सुधार लाने तथा रोग नियंत्रण हेतु पूर्व–चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए सुझाव दिया गया है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान में विमान अपहरणकर्त्ता

1732. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अगस्त, 1994 के "नवभारत टाइम्स" में पाकिस्तान द्वारा विमान अपहरणकर्त्ताओं को न सौंपे जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह मामला पाकिस्तान के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). सरकार ने इस आशय की खबरें देखी है कि इण्डियन एयरलाईन्स विमानों के अपहरणकर्त्ताओं को जो इस समय पाकिस्तान में हिरासत में है, पाकिस्तान सरकार को नहीं सौंपेगा।

(ग) और (घ). सरकार ने यह मामला पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया है। पाकिस्तान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।

[अनुवाद]

सड़क क्षेत्र में निजी पूंजी निवेशकर्त्ता

1733. **श्री शरद दिघे :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी अनुमानित लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाना अभी बाकी है;

(ख) इसके निर्माण के लिए अनुमानतः कितना पूंजी निवेश आवश्यक है;

(ग) क्या इन राजमार्गों के निर्माण के लिए सड़क क्षेत्र को निजी पूंजी निवेशकर्ताओं को सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य का आशय मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की समग्र कमियों से है। इन कमियों को दूर करने की लागत मोटेतौर पर 52000 करोड़ रु. आंकी गई है।

(ग) और (घ). सरकार, बी ओ टी (निर्माण–प्रचालन–हस्तान्तरण) आधार पर राजमार्ग क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता पर विचार करती रही है जिसकी विस्तृत रूपेरखा को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इसलिए, इस समय ब्यौरे दे पाना संभव नहीं है।

भारतीय तार अधिनियम, 1885

1734. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री अंकुशराव टोपे :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय तार अधिनियम, 1885 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह संशोधन कब तक कर दिया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). लोक सभा में 10.8.1993 को "भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1993" पेश किया गया, जो उक्त सदन में विचाराधीन है। इस विधेयक का उद्देश्य टेलीफोन लाइनों के "अनधिकृत" विप्रथन को परिभाषित करना और अनधिकृत विप्रथन हेतु दण्ड व्यवस्था करना भी है। संचार विषयक स्थायी समिति ने इस विधेयक पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दे दी है। संसद के आगामी सत्र में इस विधेयक को चर्चा हेतु पेश करने का प्रस्ताव है। तथापि, अधिनियम में संशोधन की कोई संभावित समय सीमा बताना कठिन है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में स्वतंत्रता सेनानियों को टेलीफोन कनेक्शन

1735. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिलावार कितने स्वतंत्रता सेनानी टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) क्या उन्हें शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

भारत-अमरीकी समझौता

1736. **श्री केशरी लाल :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अमरीका के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या लाभ होंगे?

इस्पात मंत्राल के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम कम्पनी बनाने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने अमरीका की यू.

एस.एक्स. कारपोरेशन की सहायक कंपनी यू.एस.एक्स. इंजीनियर्स एण्ड कनसेल्टेंट्स इंक (यू.ई.सी.) के साथ एक समझौता किया है।

(ख) सेल और यू ई सी के बीच 10 नवम्बर, 1994 को प्रवर्तक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी में यू.ई.सी. और सेल की साम्या भागीदारी 60:40 के अनुपात में होगी। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी की प्रारंभिक प्राधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपए (1,00,00,000 रु.) होगी और संयुक्त उद्यम कंपनी की प्रारंभिक जारी साम्या पूंजी 45 लाख रुपये (45,00,000 रु.) होगी। आशा है कि प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी फरवरी, 1995 में अपना प्रचालन शुरू कर देगी।

लोहा और इस्पात, खनन और धातुकर्मीय क्षेत्रों में कम्प्यूटर अनुप्रयोगों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और पद्धति एकीकरण के संबंध में भारत और विदेश में कारोबार का विकास, उन्नति और निष्पादन करना प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी के प्रचालन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

(ग) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी से सेल को निम्नलिखित लाभ होंगे :

(1) लाभ के अपने हिस्से से राजस्व अर्जन।

(2) भारत और विदेश में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सेल से श्रमशक्ति उपलब्ध कराकर सीधे राजस्व अर्जित करना।

(3) सेल द्वारा विकसित प्रणालियों जैसे कम्प्यूटरीकृत माल प्रबंधन प्रणाली और कम्प्यूटरीकृत अनुरक्षण प्रबंधन प्रणाली जोकि प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा सेल से बाहर खरीदी जाएगी, के लिए तकनीकी जानकारी/लाइसेंस शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करना।

(4) सेल के इस्पात संयंत्रों में प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों जैसे कम्प्यूटरीकृत उत्पादन योजना तथा नियंत्रण प्रणाली के कार्यान्वयन की लागत में कमी करना।

बिहार को परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु आवंटन

1737. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री खेलन राम जांगड़े :
श्री एस. शिवरामन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि दी है और राज्य सरकारों ने इसमें कितनी धनराशि का योगदान दिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : केन्द्रीय सरकार निर्देशन और प्रशासन, प्रशिक्षण, आधारभूत ढांचे, शिशु जीवनरक्षा और सुरक्षित मातृत्व, गर्भनिरोधन तथा सूचना, शिक्षा व संचार सहित परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। विगत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता संलग्न विवरण में दी गयी है। राज्य सरकारें परिवार कल्याण कार्यक्रमों सहित स्वास्थ्य कार्यकलापों के लिए परिव्यय प्रदान करती हैं।

विवरण

राज्यों को दिए गए सहायता अनुदानों (नकद और सामग्रीगत) को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये)

		1991-92			1992-93			1993-94		
		नकद	सामग्रीगत	कुल	नकद	सामग्रीगत	कुल	नकद	सामग्रीगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	5129.96	752.44	5882.40	6443.05	924.28	7367.33	9002.44	1683.62	10686.06
2.	असम	1666.54	316.30	1982.84	2009.74	346.53	2356.27	2031.69	454.05	2485.74
3.	बिहार	4643.20	755.44	5398.64	5529.36	674.63	6203.99	8393.38	1405.70	9799.08
4	गुजरात	2930.78	718.52	3649.30	5337.51	849.25	6186.76	8362.13	1490.93	9853.06
5.	हरियाणा	1400.00	326.60	1726.60	1762.96	431.91	2194.87	2995.18	656.50	3651.68
6.	हिमाचल प्रदेश	1965.70	83.32	2049.02	1032.63	139.49	1172.12	2026.48	204.28	2230.76
7	जम्मू व कश्मीर	1262.34	84.19	1346.53	959.13	56.61	1015.74	2085.36	188.74	2274.10
8.	कर्नाटक	2860.75	464.73	3325.48	3083.39	561.72	3645.11	4681.93	1086.49	5768.42
9	केरल	1562.73	350.33	1913.06	3629.10	403.02	4032.12	4524.32	544.10	5068.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	मध्य प्रदेश	4871.07	963.58	5834.65	5844.07	1580.97	7425.04	7360.31	2419.58	9779.89
11.	महाराष्ट्र	5990.81	1105.45	7096.26	8261.10	1131.13	9392.23	9680.31	1985.21	11665.52
12.	मणिपुर	272.12	14.31	286.43	441.22	28.17	469.39	562.86	59.59	622.45
13.	मेघालय	186.89	13.13	200.02	242.57	22.43	265.00	266.39	29.15	295.54
14.	नागालैण्ड	133.77	9.82	143.59	263.34	13.36	276.70	448.88	14.87	463.75
15.	उड़ीसा	4253.34	395.08	4648.42	3226.72	485.02	3711.74	3637.17	856.00	4493.17
16.	पंजाब	1715.45	332.58	2048.03	1885.94	526.52	2412.46	2826.97	781.50	3608.47
17.	राजस्थान	3701.94	549.12	4251.06	5014.50	905.00	5919.50	6365.72	1331.57	7697.29
18.	सिक्किम	111.41	6.74	118.15	127.77	7.84	135.61	241.43	9.86	251.29
19.	तमिलनाडु	4778.65	454.90	5233.55	5090.47	697.60	5788.07	6636.79	1254.91	7891.70
20.	त्रिपुरा	222.91	21.17	244.08	274.51	21.69	296.20	770.66	55.32	825.98
21.	उत्तर प्रदेश	10413.14	1919.19	12332.33	16289.41	2578.51	18867.92	20515.53	3808.84	24324.37
22.	पश्चिम बंगाल	6934.33	593.54	7527.87	4455.11	819.84	5274.95	5755.80	1048.01	6803.81
23.	अरुणाचल प्रदेश	104.73	10.33	115.06	26.63	28.02	54.65	46.18	18.38	64.56
24.	गोवा	103.13	19.84	122.97	118.36	9.26	127.62	122.84	13.77	136.61
25.	मिजोरम	120.35	7.09	127.44	143.03	14.83	157.86	168.20	14.72	182.92
	कुल	67336.04	10267.74	77603.78	81491.62	13257.63	94749.25	109508.95	21415.69	130924.64

[अनुवाद]

प्लेग का आयुर्वेदिक उपचार

1738. श्री धर्मण्णा मौंडय्या सादुल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि आयुर्वेद को हाल ही के महीनों में गुजरात में फैले प्लेग और राजस्थान में फैले मलेरिया के उपचार में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो देश में आयुर्वेदिक उपचार को लोकप्रिय बनाने और इसको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से समन्वय करके क्या कदम उठाए जायेंगे?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) आयुर्वेद औषधी गुजरात में प्लेग एवं राजस्थान में मलेरिया के उपचार में प्रभावी पायी गयी हैं।

(ख) केंद्रीय सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों के अपने नेटवर्ग के जरिये आयुर्वेद दवाइयों, जहां कहीं वे उपयुक्त पाई जाती हैं, का इस्तेमाल करने की राज्य सरकारों से सिफारिश की है।

कंटैक्ट लैंसों के कारण अन्धता

1739. श्री अन्ना जोशी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में नेत्र विशेषज्ञों की राय के अनुसार, प्रयोगकर्ताओं द्वारा पर्याप्त ध्यान न देने के कारण कंटैक्ट लैंसों से अन्धता हो सकती है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रयोग करने वालों को शिक्षित करने के अलावा विभिन्न जन प्रचार तरीकों के जरिए आम जनता को कंटैक्ट लैंसों का इस्तेमाल करने तथा उनसे होने वाले संभावित खतरों के बारे में अवगत कराया जाता है।

कांडला क्षेत्र राज्य सरकार को सौंपना

1740. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला क्षेत्र का अविकसित क्षेत्र राज्य सरकार को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक सौंप दिया जाएगा, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) कांडला पत्तन न्यास की किसी भी भूमि को, इसकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पासपोर्टों का जारी किया जाना

1741. डा. साक्षीजी :
श्री के. प्रधानी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले औसत समय का कार्यालय–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्राथियों को शीघ्र पासपोर्ट जारी किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा एक नए पासपोर्ट को जारी करने में लगने वाले समय के संबंध में विवरण संलग्न हैं।

(ख) सरकार ने पासपोर्ट तत्परता से जारी करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें स्टाफ क्षमता में वृद्धि, कार्यालयी सुविधाओं के स्तर में वृद्धि जिसमें अनेक पासपोर्ट कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण; विलम्ब को रोकने के लिए प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा; पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित निरीक्षण तथा अनुवर्ती कार्यवाही भी शामिल है।

विवरण

विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट जारी करने में लगने वाला समय

क्र.स.	कार्यालय	2.12.94 तक लिया गया समय
1	2	3
1.	अहमदाबाद	58 दिन
2.	बंगलौर	132 दिन
3.	बरेली	52 दिन
4.	भोपाल	30 दिन
5.	भुवनेश्वर	30 दिन
6.	बम्बई	35 दिन
7.	कलकत्ता	30 दिन
8.	चण्डीगढ़	215 दिन
9.	कोचीन	42 दिन
10.	दिल्ली	18 दिन
11.	गोवा	34 दिन
12.	गुवाहाटी	34 दिन
13.	हैदराबाद	48 दिन
14.	जयपुर	49 दिन
15.	जालन्धर	117 दिन
16.	कोजीकोड	74 दिन
17.	लखनऊ	128 दिन
18.	मद्रास	39 दिन
19.	नागपुर	30 दिन
20.	पटना	53 दिन
21.	त्रिची	47 दिन
22.	त्रिवेन्द्रम	36 दिन
23.	जम्मू	120 दिन

[अनुवाद]

वी. डी. आर. एल. एंटीजन

1742. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित सेरालोजिस्ट एंड कैमीकल एग्जामिनर विभाग वी. डी. आर. एल. एंटीजन का उत्पादन कर रहा है;

(ख) क्या उनके उत्पादन को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है;

(ग) क्या निजी कंपनियों को भी वी. डी. आर. एल. एंटीजन का विपणन करने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां तो इनमें से कतिपय एंटीजन को अपस्तारीय पाया गया है;

(ङ) क्या सेरोलोजिस्ट एंड कैमीकल एग्जामिनर विभाग को देश में पर्याप्त वी. डी. आर. एल. एंटीजन का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) जी, हां। कुछेक प्राइवेट कंपनियों वी. डी. आर. एल. एंटीजन का विपणन कर रही है। कुछेक राज्य औषध नियंत्रक वी. डी. आर. एल. एंटीजन के विनिर्माण के लिए लाइसेंस दे रहे हैं।

(घ) सरकार को वी. डी. आर. एल. एंटीजन की घटिया गुणवत्ता की ऐसी कोई सूचना अथवा शिकायत नहीं मिली है।

(ङ) और (च). सीरम विज्ञानी एवं रसायन परीक्षक का कार्यालय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अधीन एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में भाग ले रहा है। वी. डी. आर. एल. एंटीजन यौन संचारित रोग की समस्या से संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण नैदानिक अभिकर्मक है। इस विभाग द्वारा विनिर्मित वी. डी. आर. एल. एंटीजन की सप्लाई पूरे देश में 70 संस्थाओं को प्राप्त होती है।

[हिन्दी]

होम्योपैथी की दवाईयां

1743. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री राम पाल सिंह :
श्री गिरिधारी लाल भार्गव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है कि 12 प्रतिशत से अधिक एथाइल अल्कोहल की मात्रा वाली होम्योपैथी की दवाइयों को 30 मि. ली. से अधिक की पैकिंग में नहीं बेचा जा सकता;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे कीमत तथा उपलब्धता पर प्रतिकूल असर पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 108 (अ) दिनाक 22 फरवरी, 1994 के जरिए 12 प्रतिशत से अधिक इथाइल अल्कोहल से युक्त होम्योपैथिक औषधों पर 30 मि. ली. से अधिक मात्रा वाली बोतलों में पैक करने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उन्हें अस्पतालों और औषधालयों को 100 मि. ली. तक की पैकिंग में बेचने की अनुमति दी है।

(ख) होम्योपैथिक व्यवसाय से प्राप्त हुए कुछ अभ्यावेदनों में कीमतों मे सभावित वृद्धि और बाद में होम्योपैथिक औषधों की कमी हो जाने के बारे में बताया गया।

(ग) और (घ). यह मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

सिगरेट के पैकटों पर चेतावनी

1744. **श्री बलराज पासी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिगरेट के पैकटों पर लिखी वैधानिक चेतावनी में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये परिवर्तन कब से प्रभावी होंगे?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ). एक व्यापक विधान लाने का निर्णय किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न तम्बाकू उत्पादों के पैकेजों पर सांविधिक चेतावनियों संबंधी विशिष्ट प्रावधान शामिल होंगे।

प्लेग-रोधी टीका

1745. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लेग के फैलने के समय स्वास्थ्य केन्द्रों में प्लेग-रोधी टीके उपलब्ध नहीं थे;

(ख) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने महामारी से लड़ने के लिए प्लेग प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी कार्यवाही नहीं की थी;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने रूस और अमेरिका की सरकारों से तुरन्त प्लेग-रोधी टीके पहुंचाने का अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) प्लेग रोधी वेकसीन केवल स्वास्थ्य कर्मिकों को दी जाती है जिसके लिए देश में पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध थी। इसकी महामारिक परिस्थितियों में आम जनता के लिए सिफारिश नहीं की जाती है।

(ख) संस्थान ने प्लेग के प्रकोप से निपटने के लिए शीघ्र एवं प्रभावशाली कार्रवाई की। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के अनेक विशेषज्ञ दलों ने प्रभावित क्षेत्रों का परमर्शी एवं सर्वेक्षण दौरे किए एवं देश के विभिन्न भागों से प्राप्त हजारों नमूनों का विश्लेषण किया तथा दैनिक आधार पर प्लेग की स्थिति का अनुवीक्षण किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रयोगशालाओं में किए गए कार्य एवं राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के कर्मचारियों की समर्पण भावना की प्रशंसा की।

(ग) जी, हां।

(घ) सजीव तनुकृत वैक्सीन के 10 एम्प्यूल्स का रूस से आयात किया गया था परन्तु इसे केवल प्रायोगिक अनुसंधान के लिए रखा गया है। यू.एस.ए. से कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी।

शिपयार्ड का विविधीकरण

1746. डा. वसंत पवार : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आमदनी तथा संसाधनों को बढ़ाने के लिए देश में कतिपय शिपयार्ड के विविधीकरण की योजना है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शिपयार्ड-वार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उन शिपयार्डों के शिपयार्ड-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जिनके विविधीकरण की योजना है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के वे शिपयार्ड, जिनका विविधीकरण किया जा रहा है।

1. कोचीन शिपयार्ड लि., कोचीन

कोचीन शिपयार्ड लि. ने अपने कार्यों को विविधीकृत करके छोटे जलयानों का निर्माण, विशिष्ट जलयानों का निर्माण और भारी परिष्कृत स्ट्रक्चरों के फैब्रीकेशन संबंधी कार्य करना शुरु कर दिया है। उदाहरणार्थ, टैंक बिछाकर पुल बनाए जाने संबंधी परिष्कृत स्ट्रक्चर, फील्ड शैल्टर्ज और ट्रांसफार्मर बैंकों जैसे कार्य भी जहाज मरम्मत संबंधी बढ़े हुए कार्य के अतिरिक्त शुरु किए गए है। होवर-क्राफ्टों और बेड़ा भराई टैंकरों के निर्माण के लिए डिजाइन प्रलेखन और सामग्री पैकेजों की आपूर्ति के लिए विदेशी फर्मों के साथ समझौता ज्ञापनों(एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

2. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम

1. सामान्य कार्गो–जलयानो, बल्क कैरियरों, और तेल क्षेत्र तथा रक्षा क्षेत्रों के लिए अत्यधिक परिष्कृत जलयानों, ओ एन जी सी के लिए भारत में प्रथम बार अत्यधिक जटिल ड्रिल जहाज और अनेक प्लेटफार्मों जैसे विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण के अतिरिक्त हि.शि.लि. ने निम्नलिखित संरचनात्मक फैब्रीकेशन कार्य भी किए हैं :–

(1) भा.नौ.नि. के लिए ड्रैज पाइप

(2) ते.प्रा.गै.आ. के लिए बक हौज

(3) भा. वा. से. के लिए वायुयानों के लिए डिजाइनकृत बाडे।

(4) भारतीय नौसैनिक शिपयार्ड के लिए डॉक गेट।

(5) प्रक्रम संयंत्रों के लिए संपूर्ण दायित्व आधार पर फैब्रीकेशन संबंधी कार्य।

2. शिपयार्ड ने अपनी मरम्मत गोदी तथा नव निर्माण गोदी में भी एक विशिष्ट जहाज मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है।

3. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की अनुमानित मांगों को पूरा करने के लिए 1985 से आफशोर प्लेटफार्म के निर्माण के लिए एक विशिष्ट सुविधा शुरू कर दी है।

4. संपूर्ण दायित्व व आधार पर भारतीय रेल, इस्पात प्रक्रम–संयंत्रों और पैट्रोरसायन परियोजनाओं के लिए आनशोर संरचनात्मक फैब्रीकेशन/औद्योगिक संरचनात्मक कार्य शुरू किए हैं।

6. हैच कवरों, ग्रैब और क्रेन के पुर्जों का फैब्रीकेशन।

3. मझगांव डॉक लि., बम्बई

कम्पनी के जहाज निर्माण और ऑफशोर, दोनों प्रभागों में कमजोर आर्डर बुक स्थिति के कारण हुई अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से विविधीकरण हेतु निम्नलिखित उत्पादन लाइनों का पता लगाया है :

(क) हीट एक्सचेन्जर

(ख) प्रैसर जलयान

(ग) कालम एण्ड टावर

(घ) सीमेंट संयंत्र मशीनें

(ङ) अलॉय स्टील पाइपिंग

(च) टाइटेनियम फैब्रीकेशन

4. गार्डन रीच शिपबिल्डर्ज एण्ड इंजीनियर्स लि., कलकत्ता

(1) जी आर एस ई के पास ऐसे तीन प्रभाग हैं जो उत्पाद मिश्र के काम में लगे हैं :–

(क) **जहाज प्रभाग :** जहाज मरम्मत

(ख) **इंजीनियरी प्रभाग :** बेहतर डिजाइन के पुल, हैलिकाप्टर ट्रावसिंग प्रणाली, सोडियम हाइपो क्लोराइट के उत्पाद के लिए उपकरण इत्यादि।

(ग) **इंजन प्रभाग :** ऊर्जा पैदा करने के लिए गैस से कार्य करने वाले इंजन।

5. गोवा शिपयार्ड लि., गोवा

गोवा शिपयार्ड लि. ने जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और सामान्य इंजीनियरी कार्यों के अतिरिक्त विविधीकरण संबंधी निम्नलिखित योजनाएं बनाई है :–

(क) स्टर्न गियर का निर्माण

(ख) फिन स्टैबलाइजर का निर्माण

(ग) उच्च तकनीकी मान क्षेत्र–

उदाहरणार्थ, पैट्रो रसायन और तेल शोधक परियोजनाओं के लिए भारी फैब्रीकेशन संबंधी कार्य।

[हिन्दी]

वी.आई.पी. कोटा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना(सी.जी.एच.एस.) के माध्यम से दवाइयां

1747. श्री भीम सिंह पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वी.आई.पी. कोटा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से दवाईयों के लिए प्रतिवर्ष कितना बजटीय प्रावधान किया जाता है;

(ख) क्या वी.आई.पी. कोटा के अंतर्गत दवाईयों हेतु राज्य सरकारों को भी कोई विशेष सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वी.आई.पी. कोटा के अंतर्गत जिला–स्तर पर दवाइयां उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग). विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अलग से कोई बजट प्रावधान नहीं किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में खनन

1748. श्री साइमन मरान्डी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में गए कितने खनिज आधारित उद्योग स्थापित किए हैं; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने खनिज आधारित उद्योग स्थापित किए जाने का विचार है और ये कहां–कहां स्थापित किए जाएंगे?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ब्रेन ट्यूमर हेतु शल्य-चिकित्सा

1749. श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ब्रेन ट्यूमर के लिए विकिरण शल्य–चिकित्सा उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब से उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) प्रत्येक रोगी के उपचार पर अनुमानित कितना खर्च आएगा?

स्वाथ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना के लिए गामा नाइफ खरीदने के लिए अपेक्षित धन आबंटित करने हेतु प्रयास चल रहे हैं।

(ग) प्रति रोगी अनुमानित लागत 2 लाख रुपये होगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सीधी तार सेवा

1750. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन–किन स्थानों में सीधी तार सेवा उपलब्ध है;

(ख) निकट भविष्य में किन–किन स्थानों पर यह सेवा उपलब्ध करायी जायेगी; और

(ग) उत्तर प्रदेश में तार सेवा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) उत्तर प्रदेश में 119 स्टेशन हैं जहां लघु/दीर्घ कम्प्यूटर पर आधारित पद्धतियों के माध्यम से सीधे टेलीग्राफ की सुविधा उपलब्ध है। स्टेशनों के नाम संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) निकट भविष्य में 32 स्टेशनों पर उक्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। स्टेशनों के नाम संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश में टेलीग्राफ की सुविधा को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(1) लखनऊ में एक एस एफ एम एस–128 लाइन सिस्टम और देहरादून, आगरा और इलाहाबाद में तीन एस एफ एम एस–32 लाइनें सिस्टम चालू किए गए हैं।

(2) कानपुर में एक एस एफ एम एस–32 लाइन सिस्टम की स्थापना की जा रही है।

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, वाराणसी में एक एस एफ एम एस–32 लाइन सिस्टम की स्थापना की जाएगी। धीमी गति मोर्स उपस्करों की प्रतिस्थापना करने के लिए, 57 ईकेबीसीएस और 550 ईकेबी स्थापित करने की योजना है, जिनमें से 20 ईकेबीसीएस और 229 ईकेबी प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें निकट भविष्य में स्थापित किए जाने की संभावना है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम, जहां एसएफएमएस नेटवर्क पर सीधी टेलीग्राफ सुविधाएं उपलब्ध हैं।

क्र.सं.	नाम
1	2
1.	आगरा
2.	आगरा बेलनगंज
3.	आगरा जोहरीबाजार
4.	आगरा फाउंडरी नगर
5.	आगरा संजय प्लेस
6.	अलीगढ़ शहर
7.	अलीगढ़ एम.यू.
8.	अलीगढ़
9.	इलाहाबाद(2)
10.	इलाहाबाद चौक
11.	इलाहाबाद कूचरी
12.	इलाहाबाद नैनी
13.	अल्मोड़ा
14.	अनपरा
15.	अयोध्या
16.	आज़मगढ़
17.	बहराइच
18.	बलिया
19.	बमरौली
20.	बांदा
21.	बाराबंकी
22.	बरेली
23.	बरेली शहर
24.	बस्ती
25.	बीजपुर
26.	भेल रानीपुर एचबी
27.	बिजनौर
28.	बदायूं
29.	बुलन्दशहर
30.	भदोनी
31.	देवरिया
32.	देहरादून(3)
33.	देहरादून गेहरी
34.	देहरादून रामपुर
35.	डी एन निरंजनपुर
36.	डी एन प्रेमनगर
37.	डी एन विकासनगर
38.	इटा
39.	इटावा
40.	फेजाबाद
41.	फतहपुर
42.	फिरोजाबाद
43.	फर्रूखाबाद
44.	गाजियाबाद
45.	गाजीपुर
46.	गौंडा
47.	गोपेश्वर
48.	गोरखपुर (2)
49.	हल्दवानी
50.	हमीरपुर
51.	हांडिया
52.	हापुड़ मंडी
53.	हरिद्वार
54.	हाथरस
55.	जौनपुर
56.	झांसी
57.	कानपुर(5)
58.	कानपुर अनवरगंज
59.	कानपुर कैंट
60.	कानपुर ईएमपी एक्सजीएल
61.	कानपुर नयागंज
62.	कासगंज
63.	लखीमपुर खिरी
64.	ललितपुर
65.	लखनऊ
66.	लखनऊ आलमबाग
67.	लखनऊ चौक
68.	लखनऊ दिलकुशा
69.	लखनऊ कपूरथल
70.	लखनऊ महानगर
71.	लखनऊ मोहनलाल गंज
72.	एल डब्ल्यू इस्माइजगंज
73.	एल डब्ल्यू राजाजी अमाम
74.	महाराजगंज
75.	मैनपुरी
76.	मथुरा
77.	माऊ
78.	मेरठ
79.	मेरठ शहर
80.	मिर्जापुर

1	2
81.	मोदीनगर
82.	मुरादाबाद
83.	मुजफ्फरनगर
84.	मथुरा रिफाइनरी
85.	नैनीताल
86.	न्यू टेहरी
87.	नोएडा
88.	ओबरां
89.	ओरई
90.	पदरौना
91.	पौडी गढ़वाल
92.	पिथौरागढ़
93.	प्रतापगढ़
94.	रायबरेली
95.	पीलीभीत
96	रामपुर
97.	रेनूकूट
98.	ऋषिकेश
99.	रोबर्टगंज
100.	रूड़की
101.	सहारनपुर
102.	शाहजहांपुर
103.	शक्ति नगर
104.	सिद्धार्थनगर
105.	सीतापुर
106.	श्रीनगर जीडब्ल्यूएल
107	सुल्तानपुर
108.	साहिबाबाद
109.	शिकोहाबाद
110.	टूण्डला
111.	उन्नाव
112.	उत्तरकाशी
113.	वाराणसी बीएचक्यू
114.	वाराणसी सिटी
115.	वाराणसी कन्छा
116	वाराणसी (2)
117	कानपुर किदवईनगर
118.	लखनऊ अमीनाबाद
119	हरदोई

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम, जहां निकट भविष्य में सीधी टेलीग्राफ सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

क्र.सं	नाम
1	2
1.	आगरा–ताजमहल
2.	आगरा कैंट
3.	आगरा छवीतोला
4.	अकबरपुर
5.	अमेठी
6.	अमरोहा
7.	बड़ौत
8.	चन्दौसी
9.	देवबंध
10.	फतेहगढ़
11.	फतेहपुर सीकरी
12.	गौसाईगंज
13.	ज्ञानपुर
14.	आई आई टी कानपुर
15.	काशीपुर
16.	खुर्जा
17.	कोटद्वार
18.	कुमारगंज
19.	लालगंज
20.	महोबा
21.	मेरठ परतापुर
22.	मुगल सराय
23.	मोहननगर
24	मंसूरी
25.	नजीबाबाद
26.	पुरानी टिहरी
27.	ओ एन जी सी
28.	पहाड़िया मंडी
29	रूद्रपुर
30	शामली
31.	विंध्याचल
32.	कानपुर अरमापुर

[अनुवाद]

पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम

1751. श्री सुधीर सावंत : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी कांग्रेस के एक प्रभावी सदस्य ने क्लिंटन प्रशासन को हाल ही में सचेत किया था कि परमाणु शस्त्र सज्जित पाकिस्तान न केवल भारत के लिए बल्कि अमरीका के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां। अमरीकी कांग्रेस के सदस्य बिल मैक कालम ने 12 सितम्बर, 1994 के कांग्रेसनल रिकार्ड में प्रकाशित अपने वक्तव्य में 24 अगस्त, 1994 को हाउस रिपब्लिकन रिसर्च कमेटी का ध्यान, आतंकवाद एवं अपरम्परागत युद्ध सम्बन्धी कार्य दल की "पाकिस्तान न्यूक्लीयर ब्रिंक मैकशिप" (पाकिस्तान नाभिकीय दहलीज पर) नामक रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया था। जिसमें यह कहा गया है कि "इस बात से पूर्णतः सजग होते हुए भी कि कोई एक देश अकेले अपने बूते पर अमरीका का सामना नहीं कर सकता, इस्लामाबाद ने इस बात पर बल दिया कि अन्य अतिवादी राज्यों के साथ बढ़ता हुआ नाभिकीय और सैन्य सहयोग महत्वपूर्ण है।" रिपोर्ट इस टिप्पणी के साथ समाप्त होती है कि "भू–राजनीतिक तथा घरेलू कारणों से बेनज़ीर भुट्टो व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान को अमेरिका का मुकाबला करने के लिए एक प्रमुख सार्वभौमिक धुरी का एक प्रमुख और सक्रिय घटक बनने की ओर अग्रसर कर रही हैं तथा उन्होंने अमेरिका तथा भारत के साथ मुकाबला करने के उसके रूख को तीव्र किया है।"

(ख) सरकार का बराबर यह मानना रहा है कि पाकिस्तान लम्बे अरसे से शस्त्रोन्मुखी नाभिकीय कार्यक्रम पर चल रहा है। इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि पाकिस्तान का नाभिकीय कार्यक्रम शुरू से ही चोरी–छिपे आगे बढ़ता गया है। सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से यह अनुरोध करती रही है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्यवाही करे कि पाकिस्तान एक अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य की तरह व्यवहार करे और पाकिस्तान को इस बात के लिए विवश किया जाए कि वह अपना नाभिकीय कार्यक्रम तत्काल छोड़ दे।

नई औषधि नीति

1752. श्री एन. डेनिस :
डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य सिद्ध और आयुर्वेद दवा पद्धति में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर अधिक बल देने के लिए एक नया भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग खोलने का प्रस्ताव है।

खाद्य प्रयोगशालाओं हेतु उपकरणों की खरीद

1753. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उनकी खाद्य प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करने के लिए धनराशि प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन राज्यों में यह योजना कार्यान्वित की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनकी खाद्य प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए उपस्करों की खरीद करने हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए धन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नामों तथा प्रत्येक को वर्ष 1991-92 तथा 1993-94 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत दिया गया धन

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	दिया गया धन (लाख रुपये में)
1	2
1991-92	
असम	8.3
बिहार	8.4
हरियाणा	8.3
1992-93	
आंध्र प्रदेश	9.0
दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	9.0
गुजरात	9.0
हिमाचल प्रदेश	9.0
केरल	9.0
मध्य प्रदेश	9.0

1	2
नागालैंड	9.0
पंजाब	9.0
तमिलनाडु	9.0
उत्तर प्रदेश	9.0
पश्चिम बंगाल	9.0
1993-94	
गोवा	8.3
जम्मू और कश्मीर	8.3
महाराष्ट्र	8.3
राजस्थान	8.3
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8.4
पांडिचेरी	8.4

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश तथा गुजरात में स्वास्थ्य केन्द्र

1754. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और मध्य प्रदेश में सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने लक्ष्यों को प्राप्त करने और इन केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए हैं;

(ग) क्या इन केन्द्रों का कार्यकरण और राज्यों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति सन्तोषजनक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सेक्टर द्वारा सहायता दी जाती है।

(ख) से (घ). लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त कर लिए गए हैं जैसा कि नीचे दिया गया है :-

राज्य	स्वास्थ्य केन्द्र	31.3.95 तक लक्ष्य	30.9.94 तक उपलब्धियां
मध्य प्रदेश	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1848	1182
	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	228	191
गुजरात	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	956	945
	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	180	178

केन्द्र सरकार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण प्रावधान का उपयोग करने के लिए राज्यों को नियमित सलाह देती है। राज्य सरकारों को औषधों की समय पर सप्लाई एवं चिकित्सीय तथा पराचिकित्सीय कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग

1755. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री अंकुशराव टोपे :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के पिछले सात महीनों के दौरान प्रमुख पत्तनों पर कुल कितना माल हैंडल किया गया;

(ख) गत वर्ष इसी अवधि के दौरान कितना माल हैंडल किया गया;

(ग) 1992-93 और 1993-94 के दौरान इसमें कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ;

(घ) क्या माल यातायात को सुचारू तथा प्रभावी ढंग से चलाने हेतु सरकार के विचाराधीन कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). चालू वित्त वर्ष के अन्तिम सात महीनों के दौरान अर्थात् मई से नवम्बर, 1994 तक सभी महापत्तनों ने कुल 106.85 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 99.20 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया गया था। इस प्रकार 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान सभी महापत्तनों की प्रचालन, वित्तीय एवं विविध आय इस प्रकार है :-

	1992-93	1993-94
	(करोड़ रु.)	
प्रचालन आय	1485.21	1738.68 (अनंतिम)
वित्तीय एवं विविध आय	301.20	325.91 (अनंतिम)

(घ) और (ङ). महापत्तनों की क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न स्कीमें शुरू करने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2984 करोड़ रु. का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। सभी महापत्तन न्यासों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अधिकाधिक यातायात के लिए कुशल सेवाएं प्रदान करें तथा विपणन नीतियां तैयार करें।

[हिन्दी]

बिहार और गुजरात में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

1756. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का विचार गुजरात और बिहार के किन–किन स्थानों में अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लाभ के लिए सरकारी अस्पतालों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शुरू करने का है;

(ख) यह योजना किन–किन शहरों में शुरू कर दी गई है और इस योजना के अंतर्गत कितने सरकारी कर्मचारी और पेंशनर पंजीकृत हैं; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान बिहार और गुजरात को इस योजना के तहत जारी की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है और यह राशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पटना (बिहार) और अहमदाबाद (गुजरात) में शुरू कर दी गई है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा महालेखाकार के कार्यालय के कर्मचारियों के लिए रांची (बिहार) में भी उपलब्ध कर दी गई है।

पटना और अहमदाबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या क्रमशः 20,220 और 7,144 है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन राज्य सरकारों को किसी अनुदान का भुगतान नहीं किया जाता है।

पटना और अहमदाबाद दोनों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों द्वारा रेफर किए गए केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के उपचार के लिए राज्य सरकारी अस्पतालों और कुछ प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता प्रदान की गई है।

नेत्रहीनता निवारण कार्यक्रम

1757. **श्री के.टी. वान्डायार :**
श्री सुकदेव पासवान :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक ने नेत्रहीनता निवारण हेतु सरकार को कुल कितनी धनराशि दी है तथा इस संबंध में विश्व बैंक ने क्या शर्तें रखी हैं;

(ख) क्या सरकार को देश में नेत्रहीन लोगों की सही संख्या की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नेत्रहीनता निवारण हेतु अब तक राज्य–वार कितनी राशि खर्च की गई तथा आने वाले दो वर्षों के लिए क्या योजना बनाई गई है;

(घ) क्या शुरू में यह कार्यक्रम केवल आठ राज्यों में ही लागू होगा; और

(ङ) यदि हां, तो वे राज्य कौन–कौन से हैं तथा इस कार्यक्रम को पूरे देश में समान रूप से लागू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) विश्व बैंक 1994–2001 की परियोजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान को मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना के लिए 117.8 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है।

(ख) और (ग). एक अनुमान के अनुसार देश में 12 मिलियन से अधिक दृष्टिहीन व्यक्ति हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन खर्च की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ). विश्व बैंक सहायता ऊपर भाग(क) में बताए गए उन सात राज्यों को प्रदान की गई है जिनमें मोतियाबिन्द से होने वाली दृष्टिहीनता की व्याप्तता सामान्यतया अधिक है। केन्द्रीय बजट से एक इसी तरह की परियोजन जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए अनुमोदित की गई है। अन्य राज्यों के लिए ऐसी ही सहायता का पैट्रन शुरू करने के प्रस्ताव पर अग्रिम अवस्था में विचार चल रहा है।

विवरण

1991-92 से 1993-94 के दौरान राज्यों द्वारा सूचित व्यय

क्र.सं.	राज्य	1991–92 राज्य द्वारा सूचित व्यय	1992–93 राज्य द्वारा सूचित व्यय	1993–94 राज्य द्वारा सूचित व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	58.01	73.54	67.15
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.15	5.01	5.90
3.	असम	27.14	2.33	12.01
4.	बिहार	22.84	60.31	49.76
5.	गोवा	1.73	10.59	4.60
6.	गुजरात	248.95	133.66	27.24
7.	हरियाणा	10.08	19.91	28.04
8.	हिमाचल प्रदेश	6.32	0.45	12.91
9.	जम्मू और कश्मीर	17.78	37.28	7.35
10.	कर्नाटक	36.10	38.68	43.81

1	2	3	4	5
11.	केरल	21.73	20.42	46.67
12.	मध्य प्रदेश	198.95	242.06	350.70
13.	महाराष्ट्र	70.98	118.79	128.51
14.	मणिपुर	7.78	8.86	7.47
15.	मेघालय	4.85	4.85	0.64
16.	मिजोरम	3.26	3.62	5.00
17.	नागालैंड	9.39	8.20	12.57
18.	उड़ीसा	42.46	33.66	28.17
19.	पंजाब	31.98	11.26	12.82
20.	राजस्थान	40.56	66.83	107.11
21.	सिक्किम	17.38	1.15	2.55
22.	तमिलनाडु	23.82	16.01	24.41
23.	त्रिपुरा	34.20	25.13	38.77
24.	उत्तर प्रदेश	63.22	92.55	151.04
25.	पश्चिम बंगाल	25.00	12.20	36.20
26.	अंडमान व निकोबार	2.08	2.10	2.38
27.	चंडीगढ़	0.77	1.15	1.52
28.	दादर व नगर हवेली	0.09	0.02	0.31
29.	दमन व दीव	0.10	4.33	4.90
30.	दिल्ली	0.00	2.25	2.04
31.	लक्षद्वीप	2.51	1.81	0.09
32.	पांडिचेरी	1.27	0.90	0.52
	भारत	1039.08	1059.91	1223.16

[अनुवाद]

नोएडा में सी जी एच एस डिस्पेंसरी

1758. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नोएडा में सी जी एच एस की एक डिस्पेंसरी खोली है;

(ख) यदि हां, तो यह कब खोली गई है;

(ग) क्या उक्त डिस्पेंसरी सीजीएचएस के अपने भवन में ही और केंद्रीय स्थल पर खोली गई है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या डिस्पेंसरी को लाभभोगियों की सुविधा हेतु सीजीएचएस के अपने ही भवन में केंद्रीय और सुविधाजनक स्थल पर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) क्या डिस्पेंसरी में विभिन्न विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो ऐसी सेवाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, हां।

(ख) 2.9.1993

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय केन्द्रीय स्थान में स्थित एक किराये के भवन में चल रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). विशेषज्ञ परामर्श के लिए नोएडा के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को नोएडा स्थित राज्य सरकार के अस्पतालों और दिल्ली स्थित अन्य सरकारी अस्पतालों को रेफर किया जाता है जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

स्तर कैंसर

1759. श्री बापू हरि चौरे :
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं की प्रतिशतता का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर महिलाएं स्तन कैंसर से पीड़ित हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). बम्बई, बेंगलूर, मद्रास, दिल्ली, भोपाल तथा बारशी स्थित राष्ट्रीय कैंसर रजिस्टरियों में एकत्रित सूचना के आधार पर महिलाओं में सभी प्रकार के कैंसरों में स्तन कैंसर 12.4 प्रतिशत से 22.2 प्रतिशत तक है।

घटना दर दिल्ली तथा बम्बई में अधिक है।

(ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, निवारण, रोग का शुरू में पता लगाना तथा उपचार सुविधाओं की वृद्धि करने पर जोर दिया जाता है।

इन्नोर बन्दरगाह

1760. श्री डी. पांडियन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के निकट इन्नोर बन्दरगाह परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) क्या किसी विदेशी कंपनी अथवा फर्म ने योजना के वित्त पोषण अथवा योजना के क्रियान्वयन में भागीदारी की इच्छा व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). मद्रास के निकट इन्नोर में एक उपग्रह पत्तन के निर्माण संबंधी परियोजना को 23 अप्रैल, 1993 को स्वीकृति दी गई थी। इसकी अनुमानित लागत 593.90 करोड़ रु. (पांच सौ तिरानबे करोड़ और नब्बे लाख रु.) होगी। इस परियोजना को 23 अप्रैल, 1993 से 5 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने का अनुमान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिणी दिल्ली में केबिलों का बिछाया जाना

1761. प्रो. अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी दिल्ली में शान्ति-निकेतन और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में टेलीफोनों के भूमिगत केबिलों को बिछाने का कार्य पूरा होने के बाद सड़कों और पटरियों को ठीक करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ने दिल्ली लोक निर्माण विभाग को कुल कितनी धनराशि दी;

(ख) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में यह जांच करने के लिए कोई तंत्र अथवा एजेंसी है कि यह कार्य इस संबंध में निर्धारित विशिष्टता तथा मानकों के अनुरूप किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या लोक निर्माण विभाग ने शान्ति-निकेतन में कुछ मकानों के सामने पगडंडियों को अच्छी तरह से ठीक नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दक्षिणी दिल्ली के शांति–निकेतन तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में सड़कें और पटरियां ठीक करने हेतु पी.डब्ल्यू.डी. को 2,47,649/–रु. का भुगतान किया गया है।

(ख) से (च). एम टी एन एल सड़कों/पटरियों आदि की क्षति के एवज में स्थानीय निकायों को उनकी बहाली के लिए प्रभारों का भुगतान करता है। तथापि, क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली का विशेषांधिकार, स्थानीय निकायों का है। ये निकाय, यह कार्य अपने विनिर्देशनों तथा मानकों के अनुसार ही करवाते हैं। एम टी एन एल इस कार्य की कोई मानीटरिंग नहीं करता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को विद्युत की आपूर्ति

1762. श्रीमती शीला गौतम :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री विजय एन. पोटील :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने भुगतान न करने वाले राज्य विद्युत बोर्डों को विद्युत की आपूर्ति रोक देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम भुगतान न करने वाले राज्य बिजली बोर्डों को, जब कभी भी व्यावहारिक और तकनीकी दृष्टि से सम्भव होता है, उनके द्वारा किए गए भुगतान के अनुरूप विद्युत सप्लाई कर सकता है।

(ग) और (घ). नवम्बर, 94 के अन्त में स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों और लाभग्रहियों की ओर 3068.08 करोड़ रुपये (1419.96 करोड़ रुपये अधिभार की राशि समेत 1648.12 करोड़ रुपये) की राशि बकाया थी।

प्लेग रोधी टीका

1763. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान समय में देश में प्लेग के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस वैक्सीन के विकास के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं तथा कब तक यह उपलब्ध हो पाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). हाफकिन संस्थान, बम्बई ने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन किया है जिसकी तकनीकी स्वीकृति मिलनी बाकी है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर के संबंध में प्रस्ताव

1764. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री बलराज पासी :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन देशों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियों में कश्मीर के संबंध में संकल्प प्रस्तुत करने के लिए अपना समर्थन दिया था अथवा दूसरे देशों के समर्थन का प्रचार किया था;

(ख) सरकार ने इस प्रयास को विफल करने के लिए क्या कदम उठाए और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर इन देशों के साथ बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के समक्ष कश्मीर मुद्दे को उचित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) पाकिस्तान के अनुरोध पर कश्मीर के सम्बन्ध में इस्लामी देशों के संगठन के सम्पर्क दल के सदस्यों के रूप में सऊदी अरब, नाइजर तथा टर्की एक मसौदे के सह–प्रायोजक थे जिसे उन्होंने चालू संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस मसौदे के लिए समर्थन जुटाने में पाकिस्तान सबसे सक्रिय रहा।

(ख) सरकार ने इस मसौदे के प्रति अपने विरोध से सभी सरकारों को पुनः अवगत कराने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जिसके परिणामस्वरूप सह–प्रायोजक उपर्युक्त समर्थन न जुटा सके और यह संकल्प प्रस्तुत नहीं कर सके।

(ग) से (ङ). सरकार द्वारा इस मसौदे के सह–प्रायोजकों सहित सभी सरकारों के समक्ष काश्मीर के मुद्दे पर भारत के विचार प्रस्तुत करना जारी है।

सड़कों के लिए विश्व बैंक की सहायता

1765. श्री चित्त बसु : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य को महत्वपूर्ण सड़कों के जीर्णोद्धार तथा मरम्मत संबंधी परियोजना प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). 912 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर राज्य–सड़कों के लगभग 13.80 कि.मी. खंडों को दो लेन का बनाने तथा उन्हें सुदृढ़ करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय के माध्यम से विश्व बैंक ऋण सहायता के लिए संभावित प्रायोजना हेतु इनकी जांच की जा रही है।

वाडीनार पत्तन

1766. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने वाडीनार पत्तन के तेल टर्मिनल को छोड़कर, इसे कांडला पत्तन सीमा से अलग करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गुजरात सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो यह कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार ने वाडीनार पत्तन के तेल टर्मिनल को छोड़कर, इसे कांडला पत्तन से अलग करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) तेल यातायात में वृद्धि के रुख के कारण वाडीनार तेल टर्मिनल का विस्तार करने का प्रस्ताव है। कांडला पत्तन न्यास को विस्तार के फलस्वरूप बढ़े हुए यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गोदाम, तेल भंडार टावर आदि सहायक सुविधाओं के निर्माण के लिए अप्रयुक्त जमीन की आवश्यकता है। इसलिए वाडीनार को कांडला पत्तन से अलग करना संभव नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

1767. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई;

(ख) क्या राज्य के अनेक क्षेत्रों विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है;

(ग) यदि हां, तो जनजातीय क्षेत्रों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस दिशा में राज्य सरकार को क्या निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) उड़ीसा में 8वीं योजनावधि में अब तक 58 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत खोले जाते हैं और इसके लिए निधियों की कमी है।

(घ) राज्य सरकारों को आदिवासी क्षेत्रों में अपने वार्षिक लक्ष्यों का कम से कम 7.5 प्रतिशत आबंटित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। मौजूदा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा केन्द्रों से 5 कि.मी. दूर स्थित आदिवासी बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना में अतिरिक्त छूट देने के लिए राज्य सरकारों को सुझाव भी दिया गया है।

आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित रूप से विशिष्ट जनसंख्या मानक निर्धारित किए गए हैं :–

	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्र
एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000

(ङ) राज्य सरकारें दिए गए निदेशों का अनुपालन कर रही हैं।

भारतीय चिकित्सा पद्धति हेतु बजट

1768. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनानी, होम्योपैथी तथा आयुर्वेदिक सहित देशी दवाओं के निर्माण हेतु स्वास्थ्य बजट में सिर्फ 5 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अन्य दवाओं के लिए बजट प्रावधान क्या है; और

(ग) इस समय देश में पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सकों की कुल संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). 1994–95 के लिए 1255 करोड़ रुपये के कुल स्वास्थ्य बजट में से यूनानी, होम्योपैथी और आयुर्वेद सहित देशी चिकित्सा पद्धतियों के लिए 3.38 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

(ग) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के रिकार्ड के अनुसार पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवसायियों की कुल संख्या 4 लाख से अधिक है।

एड्स के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गनिर्देश

1769. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकार को एड्स का पता लगाने के लिए निगरानी केन्द्र शुरू करने के मार्गनिर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). विश्व स्वास्थ्य संगठन कोई निर्देश जारी नहीं करता है। केन्द्रीय सरकार ने एक व्यापक निगरानी तंत्र गठित किया है।

कोचिन् शिपयार्ड

1770. प्रो. के.वी. थामस : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार कोचिन शिपयार्ड में जहाजों और अन्य पोतों की क्रयादेश संबंधी स्थिति क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कोचिन शिपयार्ड का कार्य निष्पादन क्या रहा?

जल-भूतल परिहवन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 1 नवम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार कोचीन शिपयार्ड की आर्डर बुक स्थिति इस प्रकार है :–

(1) भारतीय नौवहन निगम के लिए 86,000 डी डब्ल्यू टी का एक कच्चे तेल का टैंकर (जहाज 009)

(2) 32 टन के 3 बोलार्ड पुल टग–एक टूटीकोरीन पत्तन न्यास के लिए तथा दो नव मंगलूर पत्तन न्यास के लिए।

(3) केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए 5 गश्ती–नौकाएं।

(ख) संबंधित सूचना इस प्रकार है :–

(करोड़ रु.)

वर्ष	टर्न ओवर	निवल हानि	नकद लाभ
1991–92	48.90	14.92	7.09
1992–93	122.63	7.95	19.06
1993–94	67.54	1.98	25.89

[हिन्दी]

प्रदूषण से प्रभावित रोगी

1771. श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में अत्यधिक प्रदूषण के कारण प्रदूषण से प्रभावित रोगियों की संख्या में अचानक हुई वृद्धि के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि उन्हें विशिष्ट क्षेत्रों में प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तरों से सम्बद्ध बढ़ती हुई रोग-दर को दर्शाने वाले किसी वैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में मालूम नहीं है। इस परिषद ने कुछ शहरों में वायु प्रदूषण और इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किए हैं।

(ग) उठाए गए कुछ कदमों में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निस्सारी और उत्सर्जन मानकों का निर्धारण, मोटर वाहन नियम, 1989 के अन्तर्गत अधिसूचित किए जा रहे उत्सर्जन मानक और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अन्तर्गत 1995 तक पुंजोत्सर्जन मानकों की अधिसूचना शामिल है। जन जागरूकता को बढ़ावा देने की फिल्में भी पर्यावरणिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा दिखाने के लिए तैयार कर ली गई हैं।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोग उन्मूलन

1772. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने कुष्ठ रोग उन्मूलन केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन केन्द्रों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता दी गई; और

(ग) इस अवधि के दौरान कितने कुष्ठ रोगियों का पता चला, कितने रोगियों का उपचार किया गया?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) अक्तूबर, 1994 के अंत तक देश में 8097 कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान संघ सरकार द्वारा इन केन्द्रों को प्रदान की गई सहायता इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	नकद	सामग्री रूप में	योग
1991–92	1863.00	345.14	2208.14
1992–93	2574.00	764.02	3338.02
1993–94	4652.37	441.69	5094.06

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए और उपचार किए गए रोगियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	पता लगाए गए रोगी	उपचार किए गए रोगी
1991–92	517300	513579
1992–93	547686	541078
1993–94	494177	486741

[हिन्दी]

स्थानीय कॉलों के लिए मीटर प्रणाली

1773. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में स्थानीय कॉलों के लिए मीटर प्रणाली शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सारे देश में यह प्रणाली शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। केवल 30,000 लाइनों से अधिक की क्षमता वाले इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में ही स्थानीय कालों के लिए 5 मिनट की अवधि की एक काल के हिसाब से मीटर प्रणाली शुरू की गई है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (क) में यथानिर्दिष्ट नीतिगत निदेशों के अनुसार सम्पूर्ण देश में यह स्कीम पहले ही से लागू है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

स्थानीय कालों को 5 मिनट की अवधि के हिसाब से मीटर करने की प्रणाली

क्र.सं.	स्थान का नाम
1.	हैदराबाद
2.	विजयवाड़ा
3.	पटना
4.	अहमदाबाद
5.	बड़ौदा
6.	सूरत
7.	राजकोट
8.	फरीदाबाद
9.	बंगलौर
10.	त्रिवेन्द्रम
11.	एर्नाकुलम
12.	इंदौर
13.	भोपाल
14.	जबलपुर
15.	पुणे
16.	अमृतसर
17.	चंडीगढ़
18.	लुधियाना
19.	जालन्धर
20.	जयपुर
21.	कोयम्बटूर
22.	कानपुर
23.	गाजियाबाद
24.	नोएडा
25.	लखनऊ
26.	आगरा
27.	वाराणसी
28.	मेरठ
29.	बम्बई
30.	न्यु बम्बई
31.	कलकत्ता
32.	दिल्ली
33.	मद्रास
34.	नागपुर

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

1774. श्री हाराधन राय : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए चालू वर्ष में 2581 लाख रु. लागत की सड़कों और पुलों के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 55.33 लाख रु. के सड़क कार्यों की पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है और शेष प्रस्तावों पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई चल रही है।

अहमदाबाद पासपोर्ट कार्यालय

1775. श्री हरिन पाठक : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट हेतु कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ख) ये आवेदन कब से लंबित पड़े हैं;

(ग) प्रति माह औसतन कितने पासपोर्ट निपटा दिए जाते हैं; और

(घ) इस कार्य में होने वाले विलंब को कम से कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). वर्ष 1994 (जनवरी–नवम्बर) के दौरान अहमदाबाद पासपोर्ट कार्यालय को 90060 पासपोर्ट आवेदनपत्र प्राप्त हुए। उसके द्वारा 101,000 पासपोर्ट जारी किए गए। 9 दिसम्बर, 1994 को 12747 पासपोर्ट आवेदनपत्र लम्बित थे। इनमें से, 5177 आवेदनपत्र एक माह से अधिक समय से लम्बित थे। 5177 आवेदनपत्रों में से 50 आवेदनपत्र 1992 से, 950 आवेदनपत्र 1993 से, और 4177 आवेदनपत्र 1994 के दौरान लम्बित हैं।

(ग) प्रत्येक माह जारी पासपोर्टों की औसतन संख्या 9090 है।

(घ) पासपोर्ट कार्यालय की कार्य पद्धति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है। अभी हाल ही में 13–14 नवम्बर, 1994 को कार्यालय का निरीक्षण किया गया था। इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि बिना देरी के सभी लम्बित मामलों का पुनरीक्षण किया जाए।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों की भारी संख्या

1776. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आने वाले रोगियों की भारी संख्या के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो रोगियों की भारी संख्या का हल निकालने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) रोगियों की भीड़–भाड़ कम करने के लिए स्क्रीनिंग ओ.पी.डी. खोलने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

खाड़ी के देशों में भारतीय नागरिक

1777. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के विभिन्न देशों में कुछ भारतीय दयनीय स्थिति में रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी देश–वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग). विभिन्न खाड़ी देशों में भारतीय राष्ट्रिकों की जीवन परिस्थितियां सामान्यतः संतोषजनक हैं। अपवादात्मक मामलों में, जब कभी हमारे मिशनों को जीवन परिस्थितियों के बारे में शिकायतें मिलती हैं तो उस मामले को सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उपयुक्त स्तर पर उठाया जाता है।

औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं

1778. श्री विलासराव नागनाथराव गून्डेवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं और ये कहां–कहां स्थित हैं;

(ख) क्या ऐसी और अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो ये प्रयोगशालाएं कहां–कहां स्थापित की जाएगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) केन्द्र सरकार ने कलकत्ता, गाजियाबाद, मद्रास और बम्बई में चार औषध परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने चण्डीगढ़, हैदराबाद और गुवाहाटी में तीन क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। ये प्रस्ताव भूमि अधिग्रहण और डिजाइनों को तैयार करने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण

1779. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992–93 के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए गए पुलों की क्या संख्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों की मरम्मत हुई; और

(ग) इनके ऊपर कितनी धनराशि खर्च हुई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) वर्ष 1992–93 के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 4 पुल पूरे कर लिए गए हैं।

(ख) 9 पुल।

(ग) उनके लिए 212 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

चीन के उपप्रधान मंत्री की भारत यात्रा

1780. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री के. प्रधानी :

क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के उपप्रधान मंत्री तथा विदेशी मंत्री हाल ही में भारत की यात्रा पर आये थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान कोई समझौता किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शान्ति और सद्भाव बनाए रखने संबंधी समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में कोई चर्चा की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(छ) क्या सरकार ने पाकिस्तान को चीनी प्रक्षेपास्त्रों की सप्लाई के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्ति की; और

(ज) यदि हां, तो इस पर चीनी विदेशी मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ज). जुलाई 17–19, 1994 के दौरान, चीन के उपप्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री क्वीयान क्वीचेन भारत की यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार तथा दृढ़ीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति तथा बहुपक्षीय एवं अन्य मंचों पर भारत चीन के सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान, दोनों पक्षों ने सीमा पर शान्ति बनाए रखने तथा शान्ति समझौते के महत्व पर बल दिया और भारत–चीन सीमा क्षेत्रों को मैत्री क्षेत्रों में बदलने हेतु कार्य करने तथा दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार हेतु और अधिक रास्ते ढूंढ निकालने पर वे सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार एवं प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और महसूस किया कि चूंकि मतभेदों को धीरे–धीरे दूर किया जाएगा, तथापि, इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए।

इस यात्रा के दौरान दोहरे कराधान के निवारण संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते से भारत और चीन के बीच निवेश और प्रौद्योगिकी के आदान–प्रदान की आशा है। चीन के साथ आर्थिक एवं व्यापार संबंधों के बढ़ने से द्विपक्षीय संबंधों में सार्थक सुधार होगा।

बातचीत के दौरान, पाकिस्तान को चीनी शस्त्रों के बेचे जाने के प्रति सरकार की चिन्ता को दोहराया गया। चीन के विदेश मंत्री का यह विचार था कि चीन के शस्त्रों के विक्रय के कारण विश्व के किसी भी क्षेत्र की शान्ति और स्थिरता को खतरा नहीं होगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन

1781. डा. मुमताज अंसारी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संशोधन की मुख्य–मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). सरकार, राजमार्ग क्षेत्र में बी. ओ. टी. (निर्माण–प्रचालन–हस्तांतरण) के आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी और ऐसी भागीदारी करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

मिल्क पाउडर

1782. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में मिल्क पाउडर बनाने वाले कुल कितने संयंत्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य में कितने मिल्क पाउडर का उत्पादन हुआ तथा इसकी खपत और मांग क्या है; और

(ग) गुजरात से मिल्क पाउडर की कुल कितनी मात्रा अन्य राज्यों को भेजी गयी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग). गुजरात में मिल्क पाउडर बनाने के आठों संयंत्र सहकारी क्षेत्र में हैं और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान गुजरात राज्य में शिशु मिल्क फूड, बेबी फूड आदि समेत मिल्क पाउडर का क्रमशः लगभग 64,668 मी. टन, 74,720 मी. टन और 65,509 मी. टन अनुमानित उत्पादन हुआ। किसी राज्य विशेष में मिल्क पाउडर की मांग या खपत अथवा मिल्क पाउडर को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने के ब्यौरे इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते लेकिन मिल्क पाउडर की कमी के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

एन.आई.सी.डी.

1783. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एन. आई.सी.डी.) में चिकित्सा उपकरणों की बड़े पैमाने पर हुई चोरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कर्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग). राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की प्रयोगशाला में जुलाई, 1994 में कुछ मल्टी–चैनल पिपेट चोरी हो गए थे। दो अधिकारियों को गिरफ्तार करके निलंबित कर दिया गया है। मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली

1784. डा. परशुराम गंगवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में लोगों की घटती आस्था के क्या कारण हैं;

(ख) इस समय देश में कितनी सी. जी. एच. एस. डिस्पेंसरियां चल रही हैं;

(ग) क्या सभी डिस्पेंसरियों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां वितरित की जा रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) आयुर्वेदिक प्रणाली में लोगों का विश्वास कम नहीं हुआ है।

(ख) देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत 31 आयुर्वेदिक औषधालय/यूनिटें और एक आयुर्वेदिक अस्पताल कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् का विस्तार

1785. श्री हरि किशोर सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के विस्तार हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में वार्ता चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर 1993 में महासभा द्वारा स्थापित "सुरक्षा परिषद में न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि", से सम्बद्ध कार्यदल द्वारा इस विषय पर चर्चा की जा रही है। महासभा के चालू सत्र में इस कार्यदल को अपना कार्य जारी रखने का आदेश दिया गया है जो, आशा की जाती है, जनवरी 1995 में पुनः आरम्भ किया जाएगा।

हल्दिया पत्तन को कलकत्ता पत्तन न्यास से अलग करना

1786. श्री श्रीकांत जेना : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हल्दिया पत्तन को कलकत्ता पत्तन न्यास से अलग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणाम स्वरूप क्या कठिनाईयां पैदा होंगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). सरकार ने प्रचालनात्मक तथा तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता और हल्दिया गोदी प्रणाली को एक साथ एकीकृत रूप में तथा अलग-अलग दो पत्तनों के रूप में प्रचालित करने से पड़ने वाले संभावित प्रभावों और निहितार्थों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट तथा सभी संगत पहलुओं की दृष्टि से इसकी जांच करने पर जो निष्कर्ष निकलेगा उसी पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी।

रेटिंग ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट

1787. श्री के मुरलीधरन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कक्कोडी, कोझीकोड जिला, केरल में प्रस्तावित रेटिंग ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट के वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ख) इसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) सरकार ने केरल में एक "रेटिंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है तथा केरल सरकार के साथ परामर्श करके कक्कोडी, कोशीकोड जिले में इसके लिए एक स्थान का चयन किया गया है।

(ख) चूंकि इस कार्य में काफी समय लगता है और इसका निश्चित रूप से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता इसलिए अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि यह एस्टैब्लिशमेंट कब तक स्थापित कर लिया जाएगा।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

1788. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में परिष्कृत माल एकक की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में परिसज्जित माल इकाई की स्थापना करने के लिए इस समय कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

1789. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मत्स्यन क्षेत्र को अर्थक्षम बनाने हेतु भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी लिमिटेड से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एस. सी. आई. सी. आई. की इन प्रस्तावों के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने हेतु किसी वैकल्पिक तरीके को अपनाया जाना विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) से (ग). पूर्ववर्ती नौवहन विकास निधि समिति द्वारा गहन समुद्री मत्स्यन क्षेत्र को दिए गए ऋणों के बारे में शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इंडिया को सरकार की निर्दिष्ट एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

(घ) से (ङ). विभिन्न कारणों की वजह से नौवहन विकास निधि समिति द्वारा सहायित गहन समुद्री मत्स्यन यूनिट रुग्ण हुये थे। सरकार ने इस उद्योग के लिए 1991 में पुनर्वास पैकेज की घोषणा की जिसे 1992 में और उदार बना दिया गया। चूंकि इसके प्रति अनुक्रिया संतोषजनक नहीं थी इसलिए सरकार ने इस क्षेत्र के लिए उपचारात्मक उपायों का प्रस्ताव करने के वास्ते एक तकनीकी समिति गठित की। शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी ऑफ इंडिया को भी इस समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों पर अन्तर मंत्रालय स्तर पर कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है।

हिन्डाल्को

1790. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी (हिन्डाल्को) द्वारा मद-वार कुल कितने एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया;

(ख) हिन्डाल्को को मद-वार कितनी मात्रा में एल्यूमिनियम के उत्पादन का लाइसेंस जारी किया गया है; और

(ग) हिन्डाल्को द्वारा कितना कच्चा माल आयात किया जाता है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). कंपनी द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1993-94 के दौरान हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी (हिन्डाल्को) द्वारा अपनी अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में उत्पादित एल्यूमिनियम और उसके डाउन स्ट्रीम उत्पादों की मात्रा सामने नीचे दर्शाई गई है :-

(इकाई टन में)

मद	अधिष्ठापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन
एल्यूमिनियम धातु	1,50,000	1,55,761
रोल्ड उत्पाद	45,000	30,740
एक्स्ट्रूडेड उत्पाद	10,400	9,807
कन्डक्टर रिड्रों रोड्सें	40,000	40,225

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान हिन्डाल्को द्वारा आयात की गई कच्ची सामग्री कैथोड ब्लाक, रो पेट्रोलियम कोक आन्थासाइट कोल, क्रायोलाइट, टिटेनियम बोरन रोड, सिलिकोन, मैगनिसियम और हाईपिच है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

1791. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 2000 ईसवी तक "सबके लिए स्वास्थ्य" योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए क्या प्रयास किए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ). सन् 2000 ईस्वी तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में तालुका/उप संभागीय जिला और विशिष्ट अस्पतालों के माध्यम से व्यापक स्वास्थ्य वर्धक, रोग निवारक और उपचारात्मक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख संचारी और असंचारी रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए राज्य में निम्नलिखित प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें चलाई जा रही हैं :-

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
2. राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
3. राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम
4. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम
5. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
6. परिवार कल्याण कार्यक्रम

[अनुवाद]

जयपुर में डाक व्यवस्था

1792. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 नवम्बर 1994 के "हिन्दू" में प्रकाशित "पोस्टल सिस्टम आउट ऑफ गियर इन जयपुर" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विगत दीपावली त्योहार के दौरान अत्यधिक मात्रा में डाक प्राप्त होने के कारण शहर में डाक व्यवस्था भारी दबाव में आ गई थी। दीपावली के त्योहार की अत्यधिक डाक के निपटान के लिए स्थानीय डाक प्राधिकारियों द्वारा पर्याप्त उपाय किए गए थे। डाक विभाग का निरंतर यह प्रयास रहता है कि उपलब्ध संसाधनों से सामंजस्य बना रखते हुए सेवा की बेहतर कार्यकुशलता को कायम रखा जाए।

[हिन्दी]

मेहरौली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत डिस्पेंसरी खोलना

1793. श्री राजवीर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मेहरौली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की एलोपैथी, होम्योपैथी तथा आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक खोला जाएगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना

1794. श्री के.एम. पाला मैथ्यू : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना के लिए आधार–ऊर्जा के रूप में कोयला, तेल (डीजल) अथवा गैस के प्रयोग संबंधी कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक ले लिया जायेगा;

(घ) क्या इस विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी गई है; और

(ङ) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इस परियोजना को कब तक पूरा और चालू कर दिया जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ). जी, हां। कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना को नाथपा पर आधारित लगभग 400 मे. वा. क्षमता वाले एक कम्बाइण्ड साइकिल संयंत्र के रूप में केरल में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। निवेश अनुमोदन हेतु परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) भारत सरकार द्वारा पहले, तत्कालीन रूस (यू.एस.एस. आर.) की सहायता से एनटीपीसी के द्वारा, केन्द्रीय क्षेत्र में केरल में कायमकुलम में एक कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, यू.एस.एस.आर. के विघटन के कारण सोवियत सहायता उपलब्ध नहीं थी। एक कोयला आधारित परियोजना की उच्च पूंजीगत लागत और ऊर्जा की लागत को मद्देनज़र रखते हुए, उत्पादन के वैकल्पिक स्वरूपों हेतु एनटीपीसी और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा एक विस्तृत तकनीकी–आर्थिक समीक्षा की गई। इस अध्ययन के अनुसार, तकनीकों, पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं पर विचार करते हुए लगभग 400 मे. वा. क्षमता वाले एक संयुक्त साइकिल संयंत्र को सर्वोत्तम विकल्प पाया गया है। 1310.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजना हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट को दिनांक 14.11.94 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी–आर्थिक दृष्टिकोण से स्वीकृत कर दिया गया है।

परियोजना की पूरी क्षमता की परियोजना को सरकारी अनुमोदन प्राप्त होने के बाद 42 महीनों के भीतर चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

चीन के रक्षा मंत्री का भारत दौरा

1795. श्री आनन्द अहिरवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के रक्षा मंत्री हाल ही में भारत दौरे पर आये थे;

(ख) यदि हां, तो यहां उन्होंने किन–किन नेताओं से भेंट की तथा भारत दौरे के दौरान किन–किन मुद्दों पर विचार–विमर्श हुआ है; और

(ग) उनके भारत दौरे का क्या परिणाम रहा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) चीन के रक्षा मंत्री जनरल ची हाओशीयन ने 7 से 12 सितम्बर, 1994 तक भारत की यात्रा की थी।

(ख) और (ग). अपनी इस यात्रा के दौरान चीनी रक्षा मंत्री, उप–राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिले तथा वाणिज्य मंत्री, जो उनके मेजबान तथा भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता थे, से बातचीत की। बम्बई में चीनी रक्षा मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के विषय में तथा दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधी आदान–प्रदान के बारे में विचार–विमर्श किया। दोनों पक्षों ने सितम्बर, 1993 में प्रधान मंत्री की चीन यात्रा के दौरान भारत–चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शान्ति और अमन बनाए रखने के लिए सम्पन्न करार के लिए काम करने की मंशा जाहिर की। दोनों पक्षों ने इस बात को भी स्वीकार किया कि रक्षा संबंधी आदान–प्रदान को बढ़ाने की प्रक्रिया से परस्पर भरोसा और विश्वास विकसित करने में योगदान मिला है।

[हिन्दी]

गुजरात में खनिज-अन्वेषण

1796. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में खनिजों के संदोहन हेतु किसी विदेशी एजेंसी का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आक्सीजन की आपूर्ति में रुकावट

1797. **श्री गुरूदास कामत :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री बारे लाल जाटव :
कुमारी फ्रिडा तोपनो :
श्री आनन्द अहिरवार :
श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अस्पताल प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण आक्सीजन की आपूर्ति में रुकावट पैदा हो जाने के कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इस्पात हेतु मांग

1798. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में इस्पात की कितनी मांग होने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार ने इन मांग को पूरा करने हेतु कोई विशेष योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक परिसज्जित कार्बन इस्पात की अनुमानित मांग (निर्यात के लिए मांग सहित) 241.4 लाख टन है।

(ख) से (घ). अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए देश में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य आरम्भ किये गये हैं। निजी क्षेत्र में भी इस्पात उत्पादन की अतिरिक्त क्षमताएं सृजित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(1) लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से हटाना।

(2) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट देना।

(3) विदेशी निवेश के उद्देश्य से लोहे और इस्पात को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करना।

(4) लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त करना।

(5) पूंजीगत माल के आयात पर से शुल्क कम करना, और

(6) आयात और निर्यात नीति का उदारीकरण।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में दुर्घटना

1799. **श्री ब्रह्मानंद मंडल :**
श्री श्रीकान्त जेना :
श्री राम विलास पासवान :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के राजपुरा दरीबा खान में कुछ खान श्रमिक मारे गए/घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). दिनांक 28 अमस्त, 1994 को खनन प्रचालनों के परिणामस्वरूप खाली जगह में भराव सामग्री (वर्गीकृत) को रोकने के लिये जब एक सीमेंट भरा हुआ प्लग और रोक टूट गया तो पानी के साथ भराव सामग्री के राजपुरा दरीबा खान में 212 मीटर गहरी सतह में बहाव के परिणामस्वरूप 13 कामगार मर गये और 9 व्यक्ति घायल हो गये थे।

(ग) महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा संविधिक जांच की गई थी।

(घ) जांच के अनुसार, दुर्घटना प्लग की अपर्याप्त तराई करने और बाहर आ रहे पानी की मात्रा और भरी गई सामग्री की मात्रा में असंतुलन के कारण हुई है।

(ङ) रिपोर्ट विचाराधीन है।

विद्युत संयंत्रों द्वारा पर्यावरण को खतरा

1800. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोयला आधारित तापीय संयंत्रों के माध्यम से विद्युत क्षमता का 65 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है जिससे हमारे पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अन्य संसाधनों पर आधारित संयंत्रों के द्वारा विद्युत उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) सरकार ने इस दिशा में अब तक कितनी सफलता प्राप्त की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, जो कुल उत्पादन का लगभग 65% उत्पादन करते हैं और यदि पर्याप्त प्रशमनकारी उपाय नहीं अपनाए जाते हैं तो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्रों के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए, सरकार विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपाय तथा पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय प्रदान कर रही है जो कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण, विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के एक प्रमुख ईंधन के रूप में बने रहने की सम्भावना है। तथापि, आने वाले वर्षों के दौरान जल–विद्युत के अनुपात में वृद्धि किए जाने पर सरकार द्वारा जोर डाला जा रहा है, ताकि 31 मार्च, 1994 के अनुसार 26.55% की तुलना में इसे बढ़ाकर 40% तक किया जा सके। विद्युत उत्पादन हेतु प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की मात्रा के अनुसार गैर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की भी स्थापना की गई है। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

मलेरिया की रोकथाम के लिए विश्व बैंक की सहायता

1801. श्री शरत पटनायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मलेरिया पर काबू करने और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों को तेज करने के लिए विश्व बैंक सहायता लेने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

विश्व बैंक ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण कार्यक्रम और जिला स्वास्थ्य प्रणालियों का दर्जा बढ़ाने के लिए व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए भावी विश्व बैंक ऋण के औचित्य का अध्ययन करने के लिए एक अन्वेषणात्मक मिशन भेजा है।

परमाणु परीक्षण प्रतिबंध सन्धि

1802. श्री विजय एन. पाटील : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध सन्धि के संबंध में जेनेवा में कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बैठक में भाग लिया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने क्या भूमिका अदा की और उसे क्या उपलब्धियां मिलीं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). 1993 में भारत द्वारा सह प्रायोजित तथा आम राय से पारित संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प के उपरान्त जनवरी, 1994 में जेनेवा में निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध सम्मेलन में एक व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर विचार–विमर्श आरम्भ हुआ।

(ग) और (घ). इन विचार–विमर्शों में भारत एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यह एक सार्वभौमिक, भेदभाव रहित तथा सत्यापनीय व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि के प्रति भारत की चिरस्थायी वचनबद्धता के अनुरूप है।

[हिन्दी]

ऊर्जा संबंधी समस्याओं के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार

1803. श्री सुकदेव पासवान : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा हाल ही में ऊर्जा संबंधी समस्याओं के बारे में एक सेमिनार आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सेमिनार में क्या सुझाव दिए गए;

(ग) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन में कमी को दूर करने के लिए कोई प्रभावी उपाय कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). जी, हां। अक्तूबर, 1995 में टोक्यो में विश्व ऊर्जा परिषद की 16वीं कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए कार्रवाई योजना तैयार करने की दृष्टि से इस सम्मेलन में विकासशील देशों के बारे में अनेक मुद्दे और आशंकाएं अभिज्ञात की गई थीं।

(ग) से (ङ). मांग और उपलब्धता के बीच के अन्तर को समाप्त करने के लिए देश में विद्युत की उपलब्धता की स्थिति में सुधार करने के लिए किए जा रहे उपायों में ये शामिल हैं, नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्पावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों

को कम करना, बेहतर मांग प्रबन्ध और ऊर्जा संबर्धन सम्बन्धी उपायों को क्रियान्वित करना, अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा अंतरण की व्यवस्था करना और विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 20,000 मे. वा. क्षमता जोड़े जाने का अनुमान है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक अस्पताल

1804. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरन प्रतिमाह सी.जी.एच.एस. आयुर्वेदिक अस्पताल, अलीगंज नई दिल्ली के बहिरंग रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) में कुल कितने रोगी आए;

(ख) क्या आने वाले रोगियों की संख्या में काफी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आयुर्वेदिक अस्पताल में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक अन्य इलाके में रहने वाले सी.जी.एच.एस. लाभ भोगियों का इलाज करने से मना कर देते हैं;

(ङ) यदि हां, तो सी.जी.एच.एस. लाभ भोगियों को आयुर्वेदिक अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग में चिकित्सा हेतु आने के लिए नियम एवं मानदण्ड क्या हैं;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार के ऐलोपैथी अस्पतालों में भी चिकित्सा हेतु आने के लिए समान ही नियम एवं मानदण्ड हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) से (ग). पिछले तीन माह के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग में आए रोगियों की संख्या :

सितम्बर, 1994	3924
अक्तूबर, 1994	3225
नवम्बर, 1994	2978

तीन माह की अवधि में अस्पताल में आने वाले रोगियों की संख्या में तबदीलियों को वैज्ञानिक महत्व का नहीं समझा जाता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) सभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी आयुर्वेदिक अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग में आ सकते हैं।

(च) जी, हां।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक औषधालयों की औषधियों की सप्लाई

1805. श्री जी. देवराय नायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशिष्ट व्यक्तियों हेतु औषधालयों तथा अलीगंज, नई दिल्ली के आयुर्वेदिक अस्पताल को छोड़कर अधिकांश आयुर्वेदिक औषधालयों की स्टोर से औषधियां नहीं मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी औषधालयों को औषाधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी आयुर्वेदिक औषधालय/एकक भंडार से नियमिति रूप से औषधें प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

डी.डी.टी. का आयात

1806. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने डी.डी.टी. का आयात करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस संबंध में हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लिमिटेड को कोई आदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). मलेरिया और कालाजार के नियंत्रण के लिए डी. डी.टी. की खरीद हेतु हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स को आदेश दिए गए हैं।

क्षयरोग अस्पतालों का निर्माण

1807. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत में क्षयरोग के अस्पतालों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की हैं;

(ख) क्या क्षयरोग के अस्पतालों के निर्माण के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री(श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में दवाइयों के दावों की अदायगी

1808. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों सरकारी कर्मचारियों/स्वतंत्रता सेनानियों/सांसदों से संबंधित डिसपेंसरियों द्वारा उनके दवाइयों के बिलों के दावों की अदायगी न किए जाने के बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे लम्बित दावों के शीघ्र निपटान के लिए सभी मंत्रालयों/ विभागों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये दिशा–निर्देश कब तक जारी कर दिए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). स्वतंत्रता सेनानियों और सरकारी कर्मचारियों से, जो ऐसे प्राइवेट अस्पतालों/नर्सिंग होम से उपचार प्राप्त करते हैं जो सी.जी. एच.एस. से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सेवारत केन्द्रीय सरकारी लाभार्थियों के बारे में चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति का कार्य 18 मार्च, 1992 से संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सौंपा गया है। पैंशनरों और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे तथा गैर–मान्यता प्राप्त अस्पतालों और नर्सिंग होम में किए गए इलाज के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के दावों को उनके संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय को भेजा जाता है और उनपर मेरिट के अनुसार विचार किया जाता है और निर्णय लिया जाता है।

(ग) और (घ). आवश्यक दिशानिर्देश 5 सितम्बर, 1994 को जारी किए गए हैं।

लोहा तथा इस्पात के संबंध में अमरीकी रिपोर्ट

1809. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रशासन ने हाल ही में "भारत से लिए लोहा और इस्पात" पर एक रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग). "भारत के लिए लोहा और इस्पात" के संबंध में अमरीकन प्रशासन द्वारा तैयार की गई किसी रिपोर्ट के बारे में इस्पात मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

चकमा शरणार्थी

1810. डा. जयंत रंगपी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय वार्ता के दौरान अरुणाचल प्रदेश में चकमा शरणार्थियों के मसले को बंगलादेश सरकार के साथ उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) वर्ष 1964–66 के दौरान भारत में आये चकमा शरणार्थियों और उनमें से अरुणाचल प्रदेश में बसे कुछ चकमा शरणार्थियों के बारे में बंगलादेश सरकार के साथ कोई चर्चा नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 8 फरवरी, 1972 को भारत और बंगला देश के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई चर्चा पर संयुक्त वक्तव्य में बंगलादेश के प्रधान मंत्री ने विशेष शब्दों में 25 मार्च, 1971 के बाद भारत आए शरणार्थियों को स्वीकार करने के अपने दृढ़ निश्चय को पुनः पुष्ट किया।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश/बिहार में टेलिफोन एक्सचेंज

1811. श्री राम टहल चौधरी :
श्री खेलन राम जांगडे :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र में और बिहार के पटना और रांची क्षेत्रों में कितने टेलिफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं और यह कहां कहां हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक टेलीफ़ोन एक्सचेंज की क्षमता का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र में 103 टेलीफोन एक्सचेंज तथा बिहार के पटना क्षेत्र में 56 और रांची क्षेत्र में 32 एक्सचेंज हैं।

इन एक्सचेंजों के स्थान पर क्षमता क्रमशः संलग्न विवरण में I II और III में दिए गए हैं।

विवरण-I

30-9-1994 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में कार्यरत एक्सचेंजों के स्थान और क्षमता

क्र.सं.	एक्सचेंज का स्थान	क्षमता
1	2	3
1.	अधभर	88
2.	अकालतारा	472
3.	बैतालपुर	176
4.	बालगी	56
5.	बालोदा	176
6.	बमनिदिन	88
7.	बांगो	88
8.	बनकरीमगोरा	176
9.	बड़ाद्वार	176
10.	बेलधाना	88
11.	बेलतारा	88
12.	भादी	88
13.	भैसमा	88
14.	विलाईबाजार	56
15.	बिलासपुर	10400
16.	बिलहा	384
17.	बिरकोना	56
18.	चैथा	88
19.	चकृभाटा	264
20.	चम्पा	808
21.	चन्द्रपुर	88
22.	छुरी	88
23.	दुभड़ा	88
24.	दुगोरी	88
25.	दामापुर	56
26.	देवरी	88
27.	दरीघाट	56
28.	धुरकोट	56
29.	फस्तरपुर	88
30.	घाटकु	88
31.	गानियारी	56
32.	गेवराप्रोजेक्ट	176
33.	गोधी	88
34.	गोण्डादिन	176
35.	हिर्रा–निनेस	88
36.	जयजयपुर	88
37.	जयरामनगंर	88
38.	जारोन्धा	88
39.	जयरहागांव	88
40.	जंरवे	88
41.	कापन	56
42.	करगी रोड	176
43.	कटघोरा	320
44.	केरा	88
45.	खनारिया	88
46.	खाकी	88
47.	खोदरी	88
48.	कोदवाबनी	88
49.	कोहरीनाका	88
50.	कोनी	176
51.	कोरवा	1584
52.	कोरबा–दारी	504
53.	कोथांकोनी	88
54.	कोडिकेला	88
55.	कोढ़ीसोनार	88
56.	कुंडा	88
57.	कुसमुण्डा	360
58.	लोहारसीसोन	88
59.	लोखण्डी	88
60.	लोरमी	176
61.	मल्हार	88
62.	मल्खारोदा	88
63.	मार्वानी	88
64.	मस्तूरी	88
65.	मुलमुला	88
66.	मुंगेली	472
67.	नाईला	472
68.	नरिमाचा	56
69.	नवागढ़	88
70.	पहान्दा	88
71.	पाली	136
72.	पाल्हगढ़	88
73.	पन्डरिया	176
74.	पंडाताराई	88
75.	परसादा	88
7.6	पासन	88

1	2	3
77.	पटियाटा	88
78.	पथरिया	88
79.	पेन्डरा	264
80.	पेन्डरा रोड	384
81.	पोण्डिलियरोढा	88
82.	रहोट	88
83.	राजगामर	88
84.	रत्नपुर	176
85.	साकर्रा	88
86.	सकारी	176
87.	सकती	384
88.	सरागांव	88
89.	सरगांव	88
90.	सेमरताल	88
91.	सिवनी	88
92.	सियोरिनारायण	232
93.	सिलदहा	88
94.	सिलपहाडी	88
95.	सोन्दरी	56
96.	तख्तपुर	264
97.	टगंनमुडा	88
98.	तारोढ	56
99.	ठठरी	88
100.	तिलाई	88
101.	लकड़ाकोट	88
102.	टिवराता	88
103.	उरगा	56

विवरण-II

पटना (बिहार) क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची, स्थान और क्षमता सहित

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्षमता
1	2	3
1.	पटना मुख्य	20000
2.	बख्तियार पुर	176
3.	बाढ़	264
4.	बिहटा	176
5.	विक्रम	88
6.	फतवा	424
7.	हथिदाह	88
8.	मासौरही	264
9.	मुकमा	264
10.	पुनपुन	88
11.	सिमरा	88
12.	दन्यावांन	56
13.	दीवनगर	56
14.	माहेर	176
15.	पटनासिटी	5000
16.	दानापुर	2000
17.	राजेन्द्रनगर	13000
18.	कंकरबाग	7000
19.	पाटलीपुत्र	7000
20.	अठमलगोला	56
21.	खुसरूपुर	88
22.	नगरनौसर	88
23.	पालीगंज	176
24.	नौबतपुर	88
25.	तेलहारा	88
26.	पटेलनगर	5000
27.	दलेलचक	88
28.	दुल्हिन बाजार	88
29.	पण्डरखा	88
30.	आस्थावन	88
31.	बेन	56
32.	बिहारसरीफ	2000
33.	चांदी	88
34.	दरकलपुर	88
35.	डुमरा	56
36.	एकांगरसराय	88
37.	गंजपुर	56
38.	जेरियाक	56
39.	जोनामाह	88
40.	गोसाशेखपुर	88
41.	हरनौट	88
42.	हिल्सा	176
43.	इस्लामपुर	88
44.	कराईपारसुरा	56
45.	कटरीसराय	88
46.	पावापुरी	88

1	2	3
47.	पाईमल	88
48.	रहुई	88
49.	राजगिर	384
50.	शीलमपुर	88
51.	सुरमेरा	56
52.	सिलो	88
53.	योगीपुर	56
54.	वल्मी	256
55.	नालन्दा	56
56.	नूरसराय	88

विवरण-II

रांची (बिहार) क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची, स्थान और क्षमता सहित

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्षमता
1	2	3
1.	रांची ई–10बी	13000
2.	रांची सीमन	10000
3.	धुरवा	2000
4.	बान्दरा	2000
5.	बुन्दु	168
6.	गुमला	280
7.	घाघरा	88
8.	कॉके	248
9.	कोलोबिरा	88
10.	खुण्टी	160
11.	कुर्डु	88
12.	लोहारडगा	280
13.	मियरा	384
14.	मुरगी	88
15.	उरामॉझी	88
16.	सिमदेगा	176
17.	सिसाई	88
18.	ईटकी	88
19.	ततसिलवाई	160
20.	नगरी	88
21.	मालुस्कीगंज	88
22.	खेलाड़ी	88
23.	चानो	88
24.	हिनू	3000
25.	मन्दार	88
26.	भान्दरा	88
27.	तोरबा	88
28.	बोरवा	248
29.	मुदू	88
30.	पिपरवार	88
31.	नेतारभात	88
32.	नामकुम	500

गुजरात के डाकघरों के पार्सलों की चोरी

1812. श्री एन.जे. राठवा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मुख्य डाकघरों से पार्सलों की चोरी के कई मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितने पार्सल विदेशों से आए हुए थे;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी हां।

वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :

1991-92 सूरत आर एस डाकघर से 3 बीमाकृत पार्सलों और 5 पंजीकृत पार्सलों की बुकिंग के बाद परन्तु प्रेषण पूर्व चोरी हो जाने की सूचना मिली है।

1992-93 किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

1993-94 बडोदरा प्रधान डाकघर से बुक किए गए एक पंजीकृत पार्सल के प्रेषण से पूर्व चोरी हो जाने की सूचना मिली है। बहरामपुरा डाकघर, अहमदाबाद के पोस्टमैन को सौंपे गए एक पंजीकृत पार्सल के प्रेषिती को वितरण से पूर्व चोरी हो जाने की सूचना मिली है।

(ग) विदेशों से प्राप्त किसी भी पार्सल की चोरी होने की सूचना नहीं मिली है।

(घ) और (ङ) चोरी के मामलों की जांच के लिए कार्रवाई की गई है। 3 बीमाकृत पार्सलों के मूल्य 1700/–रुपए की राशि और सूरत आर एस डाकघर के 2 पंजीकृत पार्सलों के संबंध में मंजूर की गई अनुग्रह प्रतिपूर्ति राशि दोषी कर्मचारियों से वसूल कर ली गई

है तथा इसके अतिरिक्त उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की गई है। अन्य 3 पंजीकृत पार्सलों के प्रेषकों ने कोई दावा नहीं किया। बहरामपुर डाकघर के पोस्टमैन से 100/–रु. की मंजूर की गई अनुग्रह राशि वसूल की गई है। वडोदरा प्रधान डाकघर से पार्सल खोने के लिए जिम्मेवार कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

कंडोम की गुणवत्ता

1813. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कंडोम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानदंड से निम्न स्तर के हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स कंट्रोल रूल्स, 1994 की अनुसूची "आर" में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसमें कब तक संशोधन कर दिया जायेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (घ). विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यौन संचरण के माध्यम से एच आई वी से सुरक्षा के लिए कंडोम हेतु विशिष्ट मानक तैयार किए हैं। सरकार ने उच्चतर गुणवत्ता के कंडोम प्रदान करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची "आर" में संशोधन के लिए कार्रवाई आरंभ की है।

(ङ) अधिसूचना को प्रकाशित करने से पहले अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक की सहायता

1814. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उक्त अवधि के दौरान प्राप्त हुई सहायता का पूर्ण उपयोग कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ध). आन्ध्र प्रदेश में विश्व बैंक सहायता प्राप्त दो भारत जनसंख्या परियोजनाएं चल रही हैं। हैदराबाद की शहरी मलिन बस्तियों में 6 अगस्त, 1993 से 26.03 करोड़ रुपए की लागत से भारत जनसंख्या परियोजना–VIII चल रही है। परियोजना का कार्यान्वयन आरम्भिक स्थिति में है। राज्य ने इस परियोजना में 0.09 करोड़ रुपए का व्यय सूचित किया है। विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत जनसंख्या परियोजना–VI भी आन्ध्र प्रदेश के जिलों में 6 अप्रैल, 1990 से 49.55 करोड़ रुपए की लागत से चलाई जा रही है जो सम्पूर्ण राज्य के लिए है। परियोजना का कार्यान्वयन अवसंरचना तैयार करने, प्रशिक्षण, सामुदायिक सहयोग और मांग पैदा करने के अपने सभी पहलुओं पर पूरी तरह चल रहा है। सहायता का उपयोग परियोजना अवधि के अन्त तक कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र

1815. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कोई जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में ऐसा एक और केन्द्र खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह केन्द्र कब तक खुल जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे में 1963 से एक जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहा है।

(ग) से (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों के कार्मिकों का आदान-प्रदान

1816. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की जेलों में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के कितने कार्मिक बंदी हैं;

(ख) क्या पाकिस्तान ने भारतीय जेलों से अपने कार्मिकों के मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने ऐसे कार्मिकों की क्या संख्या दर्शाई है;

(घ) क्या पाकिस्तान ने भारतीय जेलों में बंदी अपने कार्मिकों की रिहाई के बदले पाकिस्तानी जेलों में भारतीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों को मुक्त करने की पेशकश की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पेशकश पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) पाकिस्तानी जेलों से अपने रक्षा बलों के कार्मिकों को मुक्त कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) भारत की जेलों में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का कोई कार्मिक बंद नहीं है।

(ख) और (ग). पाकिस्तान सरकार ने विगत में संकेत दिया कि वर्ष 1971 से 395 पाकिस्तानी रक्षा कार्मिक लापता हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पाकिस्तान में नजरबन्द सभी भारतीय बन्दियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी के सवाल को पाकिस्तान सरकार के साथ बार-बार उठाया गया है। ये प्रयास जारी हैं। तथापि, पाकिस्तान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान की अभिरक्षा में कोई भारतीय रक्षा कार्मिक नहीं है।

एम.एन.जे. इन्स्टीट्यूट को क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र का दर्जा देना

1817. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से एम.एन. जे. इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी को क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र का दर्जा देने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एसोसियेशन ऑफ रेडिएशन ऑकोलोजिस्ट ऑफ इंडिया अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इण्डिया और इण्डो-अमेरिकन कैंसर कांग्रेस ने अगस्त, 1994 में आन्ध्र प्रदेश में इण्डो-यू. एस. कैंसर अपडेट, 1994 का संयुक्त रूप से आयोजन किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कैंसर के क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ). आन्ध्र प्रदेश सरकार से 1987 में एम.एन.जे. कैंसर अस्पताल एवं विकिरण संस्थान का दर्जा बढ़ाकर क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि 7वीं योजना में कोई नया क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र खोलने अथवा मान्यता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और मौजूदा क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सुदृढ़ करने तथा सुविधाओं में सुधार लाने पर बल दिया जाएगा। इस समय और संस्थाओं को क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकार को इंडो-अमेरिकन कैंसर अपडेट 1994 के बारे में सरकारी तौर पर कोई सूचना नहीं मिली है।

मुम्बई में टेलीफोन कनेक्शन

1818. श्री राम नाईक : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1994 तक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुम्बई में कितने आवेदक टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में थे;

(ख) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में अभी तक कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31 अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बंबई की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की कुल संख्या 10177 है।

(ख) 30.11.94 तक निम्नांकित अवधि के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बंबई में लगाए गये टेलीफोन कनेक्शनों का विवरण इस प्रकार है :-

(1)	1993-94	137154
(2)	1994-95	69236

(ग) 1995-96 के दौरान, ओ वाई टी तथा विशेष श्रेणी की प्रतीक्षा सूची के निपटान और गैर-ओवाईटी सामान्य श्रेणी की प्रतीक्षा सूची को काफी कम करने की योजना तैयार की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

1819. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन ए सी ओ) द्वारा एड्स के संभावित लक्षणों की पहचान करने और इसके विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के परिणामों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस सर्वेक्षण के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) से (घ). एक राष्ट्र व्यापी एड्स निगरानी तथा रिपोर्टिंग प्रणाली है जिसके अंतर्गत सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र एड्स रोगों की घटनाओं पर, जो मानक रोगी परिभाषा तथा रिपोर्टिंग प्रपत्र पर आधारित होते हैं, सरकार को सूचित करते हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सड़क कोष

1820. श्री राम कापसे : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के 1988 के संकल्प के अंतर्गत बनाया गया केन्द्रीय सड़क कोष चालू हालत में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कोष को कब तक चालू कर दिया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) बजटगत कठिनाइयों के कारण 1988 के संशोधित संकल्प को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

(ग) बजटगत स्थिति में सुधार होते ही संशोधित संकल्प को लागू किया जाएगा।

साईबर स्पेस में पाकिस्तान का प्रचार

1821. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान का कश्मीर के संबंध में भारत विरोधी प्रचार अब साईबर स्पेस तक फैल गया है और साथ ही इसका दुष्प्रचार अंतर्राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक डाक सूचना प्रणाली के माध्यम से भी होने लगा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अमरीका में अपने दूतावास से क्या तथ्य प्राप्त हुए हैं; और

(ग) पाकिस्तान के इस तरह के प्रचार का प्रतिकार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी, हां। पाकिस्तान समर्थक तथ्यों द्वारा कश्मीर के संबंध में भारत विरोधी प्रचार को इंटरनेट सूचना प्रणाली पर देखा गया है।

(ग) अमरीका में बसे भारतीय मूल के संबंधित लोग भी भारत विरोधी दुष्प्रचार को गलत साबित करने और कश्मीर सहित विभिन्न मुद्दों पर वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के लिए इन्टरनेट का उपयोग कर रहे हैं।

केरल में राष्टीय राजमार्गों का रख-रखाव

1822. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994–95 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत/रखरखाव के लिए केरल राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ व्यय की धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) अब तक 668.02 लाख रु. जारी किए गए हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.10.1994 तक 559.60 लाख रु. की राशि खर्च की गई है।

[हिन्दी]

एड्स का इलाज

1823. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं, प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली अथवा योग द्वारा संभव है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाए हैं; और

(ग) 1992 से 1994 तक इन चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कितनी राशि की खर्च गई है तथा 1995 तथा 1996 के दौरान कितनी राशि खर्च की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि एड्स का उपचार आयुर्वेदिक दवाइयों, प्राकृतिक चिकित्सा अथवा योग से किया जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति पर 1992–93 और 1993–94 के दौरान 48.70 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 1994–95 के लिए 36.61 करोड़ रुपये का बजट आबंटन है तथा 1995–96 के लिए आबंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

इस्पात का मूल्य

1824. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के फुटकर मूल्य पर केन्द्र अथवा राज्य का कोई नियंत्रण है;

(ख) क्या स्वदेशी इस्पात का बाजार मूल्य उसी ग्रेड और विशिष्टता वाले आयातित इस्पात के सी.आई.एफ. मूल्य के बराबर है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में उत्पादित इस्पात का कितना भाग निर्यात किया गया और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मात्रा और मूल्य की दृष्टि से इस्पात के निर्यात और आयात का सन्तुलन कितना रहा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति पर निर्भर करते हुए समय–समय पर घटते–बढ़ते रहते हैं। घरेलू मूल्य भी उत्पादक दर–उत्पादक तथा

स्थान दर–स्थान भिन्न–भिन्न रहते हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू बिक्री और आयात पर कर तथा लेवी अलग–अलग हैं। अतः भारतीय इस्पात के घरेलू मूल्यों की तुलना अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से करना उपयुक्त नहीं होगा।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विक्रेय इस्पात के घरेलू उत्पादन की तुलना में किया गया औसत प्रतिशत निर्यात निम्नलिखित है :–

1991–92	2.6 प्रतिशत
1992–93	5.7 प्रतिशत
1993–94	10.1 प्रतिशत

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान विक्रेय इस्पात के आयात और निर्यात की मात्रा और मूल्य नीचे दिये गये हैं :–

(मात्रा : लाख टन/मूल्य करोड़ रुपए)

	आयात		निर्यात		
	मात्रा	मूल्य (सीआईएफ)	मात्रा	मूल्य	(पोत पर्यन्त निःशुल्क)
1991–92	10.44	1383	3.87		283
1992–93	11.16	1640	8.94		702
1993–94	11.53	1603	16.00		1417

एंटीनायुक्त टेलीफोन

1825. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कितनी ग्राम पंचायतों को एंटीनायुक्त टेलीफोन उपलब्ध किये गये हैं; और

(ख) इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए प्रत्येक पर राज्यवार कुल कितना व्यय किया गया?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 30.11.94 की स्थिति के अनुसार देश में 47160 ग्राम पंचायतों को एंटीना जुड़नार युक्त टेलीफोन मुहैया कराए गए हैं।

(ख) यह सुविधा प्रदान करने में, 30.11.94 तक हुआ कुल खर्च लगभग 554.81 करोड़ रुपये है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

30.11.94 की स्थिति के अनुसार, ग्राम पंचायतों को एंटीना जुड़नार लगे टेलीफोन प्रदान करने में हुए व्यय का ब्यौरा

सर्किल/राज्य	एंटीना जुड़कर–युक्त टेलीफोनों की संख्या	व्यय करोड़ रुपये में
1	2	3
आंध्र प्रदेश	3790	47.38
असम	749	9.36
बिहार	2320	29.00
गुजरात (दमन एवं सहित)	4671	58.38
हरियाणा	1885	23.56
हिमाचल प्रदेश	494	16.00
जम्मू एवं कश्मीर	293	2.00
कर्नाटक	1612	20.13
केरल (लक्षद्वीप सहित)	17	0.21
मध्य प्रदेश	7189	89.90
महाराष्ट्र (गोवा सहित)	4720	59.00
पूर्वोत्तर (अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	1073	10.72
उड़ीसा	1792	22.50
पंजाब (चण्डीगढ़ सहित)	3557	17.40
राजस्थान	3905	48.80
तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	2395	30.00
उत्तर प्रदेश	5677	60.00
पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	1017	10.40
अंडमान और निकोबार	4	0.05
दिल्ली	0	0
जोड़	47160	554.81

बालासोर, उड़ीसा में एम ए आर आर प्रणाली

1826. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बालासोर में टी.डी.ई. के अंतर्गत बालासोर और भद्रक क्षेत्रों में स्थापित लगभग सभी पी.सी.ओ. केन्द्रों की प्रणाली दोषपूर्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). जी, नहीं। बालासोर और भद्रक जिलों में 9 "मल्टीपल एक्सेस रूरल रेडियो (एम ए आर आर)" प्रणालियों पर कुल 146 सार्वजनिक टेलीफोन कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 2 एम ए आर आर प्रणालियों पर 32 सार्वजनिक टेलीफोन दोषपूर्ण हैं।

एक एम ए आर प्रणाली खराब है, दूसरी को शिफ्ट किया जा रहा है।

दोषयुक्त एम ए आर आर को विनिर्माता द्वारा अपग्रेड किया जा रहा है और दूसरी एम ए आर आर प्रणाली का स्थानांतरण कार्य जल्दी ही पूरा हो जाएगा।

बेतार तार घर

1827. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सिटी कारपोरेशन ने बेतार तार घर स्थापित करने के लिए संचार मंत्रालय से लाइसेंस की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कारपोरेशन द्वारा कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) मैसूर नगर निगम के आयुक्त ने, प्रशासन के सुचारू कार्य–चालन के प्रयोजनार्थ तथा जन–सेवा के हित में मैसूर नगर में 8 स्थिर, 12 वाहन मंडित सचल तथा 26 मानव चालित बेतार केन्द्रों के नेटवर्क प्रचालन हेतु फरवरी, 94 में बेतार टेलीग्राफ लाइसेंस की मंजूरी हेतु अनुरोध किया था। निगम को जून, 94 में इन बेतार केन्द्रों की लाइसेंस–स्वीकृति के निर्णय से अवगत करा दिया गया था।

(ग) निगम ने, लाइसेंस जारी करने से पूर्व ही, शुल्क हेतु 62,400/-रुपए की दर्शनी हुंडी (डिमांड ड्राफ्ट) भेज दी थी। किन्तु, उक्त हुंडी ठीक न होने के कारण निगम को लौटा दी गई।

(घ) कर्नाटक सरकार के आवास एवं शहरी–विकास विभाग ने सितम्बर, 94 में यह सूचित किया कि राज्य सरकार ने "मैसूर नगर निगम" का प्रस्ताव रद्द कर दिया है, लिहाजा प्रस्तावित बेतार नेटवर्क हेतु उक्त लाइसेंस न दिया जाए। निगम से आये स्पष्टीकरण न मिलने तक, लाइसेंस आस्थगित रखा गया है।

आंध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों में सुविधाएं

1828. श्री धर्म भिक्षम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में जिला–वार उन टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है; जिसमें इलैक्ट्रोनिक एस.टी.डी. और सीधे डायलिंग की सुविधाएं नहीं हैं; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य में इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) उपस्कर, निधियां और संसाधन उपलब्ध होने पर, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए सभी एक्सचेंजों में अपेक्षित उपस्कर लगाने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	इलैक्ट्रोनिक (डायनैमिक कंट्रोल) एसटीडी सुविधा रहित एक्सचेंजों की संख्या	एसटीडी सुविधा रहित एक्सचेंजों की संख्या
1.	संगारेड्डी	13	75
2.	महबूबनगर	19	79
3.	कुर्नूल	20	89
4.	अनंतपुर	16	110
5.	कुड्डप्पा	4	73
6.	तिरूपति	11	115
7.	नैनौर	9	79
8.	गुण्टूर	21	80
9.	ओंगले	12	64
10.	विजयवाड़ा	17	100
11.	राजमुंदरी	32	70
12.	वारंगल	10	56
13.	करीमनगर	9	85
14.	नालगोंडा	11	56
15.	खम्माम	14	58
16.	अदिलाबाद	7	34
17.	निजामाबाद	6	68
18.	एलुरू	21	111
19.	विशाखापट्टनम	2	51
20.	श्रीकाकुलम	14	30
21.	विजयनगर	6	35
22.	एच टी डी	8	–
23.	आर आर डी	12	51
	जोड़	294	1569

केरल में आई एस डी/एस टी डी/पी सी ओ

1829. श्री एस. शिवरामन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में नवम्बर, 1994 तक जिला–वार कुल कितने एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ आबंटित किए गए?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : 30.11.94 की स्थिति के अनुसार, केरल दूरसंचार सर्किल में आबंटित और चालू

कुल एस टी डी/आई एस डी बूथों के जिले–वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्रों के नाम	एसटीडी/आईएसडी पीटी की संख्या
1.	त्रिवेन्द्रम	336
2.	एर्नाकुलम	993
3.	कालीकट	984
4.	कोल्लम	275
5.	अलाप्पुजा	208
6.	तिरूवल्ला	286
7.	पालाक्काड	314
8.	कोट्टायम	402
9.	त्रिचूर	527
10.	कन्नूर	467
	जोड़	4792

केरल के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी

1830. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल दूरसंचार सर्किल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए टेलीफोन डायरेक्ट्रीज का प्रकाशन किस चरण में है;

(ख) इन डायरेक्ट्रीज के प्रकाशन की तिथियों का ब्यौरा क्या है; और ऐसी प्रत्येक डायरेक्टरी में दी गई सूचनाएं किस तिथि तक अद्यतन हैं;

(ग) उन वर्तमान नियमों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत नई डायरेक्टरी प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है; और

(घ) ऐसी डायरेक्ट्रीज की संख्या कितनी है जिनमें इन नियमों का पालन नहीं किया गया है और ऐसे प्रत्येक मामले का क्या औचित्य है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). केरल दूरसंचार सर्किल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन की तारीखें और किस तारीख तक डायरेक्टरियों को अद्यतन बनाया गया है, से संबंधित स्थिति संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(घ) टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन में नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। कुछ मामलों में नई टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन की एक वर्ष की आवधिकता का पालन करना ठेके की असफलताओं के कारण कठिन हो गया था।

विवरण–I

गौण स्विचन क्षेत्र (एस एस ए) का नाम	टेलीफोन डायरेक्टरी के प्रकाशन की तारीख		अद्यतन बनाए जाने की तारीख	
	मुख्य	पूरक	मुख्य	पूरक
1. त्रिवेंद्रम	31.1.94	नवंबर, 94	30.4.93	31.12.93
2. कालीकट	11.4.94	अक्तूबर, 94	30.10.93	31.3.94
3. कन्नानूर	31.10.95	–	30.3.93	–
4. क्यूलोन	10.12.93	–	30.4.93	–
5. अलेप्पी	20.12.93	–	30.6.93	–
6. कोट्यम	31.3.94	–	30.8.93	–
7. पालघाट	31.12.93	–	30.6.93	–
8. अर्नाकुलम	27.11.93	अक्तूबर, 94	30.4.93	31.10.93
9. पश्नमचिट्टा	24.9.93	–	31.3.93	–
10. त्रिच्चूर	31.12.93	जुलाई, 94	31.5.93	31.12.93

विवरण–II

"टेलीफोन डायरेक्टरियों का प्रकाशन-टेलीफोन जिलों के संबंध में नीति की पुनरीक्षा" विषय पर दूरसंचार विभाग द्वारा सभी महाप्रबंधक टेलीफोन और सभी जिला प्रबंधक टेलीफोन को प्रेषित 12 जून, 1986 के पत्र संख्या 1-14/86-पीएचबी की प्रतिलिपि

... .

1. प्रत्येक टेलीफोन जिले और प्रत्येक टेलीफोन/तार प्रभाग के लिए वार्षिक आधार पर टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन की मूलभूत नीति 1969 में बनाई गई थी और इसमें समय–समय पर कुछ संशोधन किए गए हैं। अब, महाप्रबंधकों को प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र के लिए समेकित टेलीफोन डायरेक्टरियां प्रकाशित करने का प्राधिकार दिया गया है।

2. आमतौर पर टेलीफोन डायरेक्टरियों को निर्धारित समय में प्रकाशित करना संभव नहीं होता है। उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा के अलावा यह कार्य समाचार पत्रों और संसद दोनों में, कड़ी आलोचना का विषय रहा है। इससे डायरेक्टरी पूछताछ सेवा–"197" पर भी भारी बोझ रहा।

3. डायरेक्टरियों को विलम्ब से प्रकाशित करने के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण रहे हैं :

– पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा कागज की आपूर्ति संबंधी दर संविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब,
– विज्ञापन आदि को अन्तिम रूप देने में विलंब,
– विनिर्माताओं द्वारा कागज की आपूर्ति में विलम्ब,
– घटिया कागज की आपूर्ति, और
– कम्प्यूटरीकृत कम्पोजिंग, प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव जैसे अपर्याप्त संसाधनों के कारण मुद्राणालयों में मुद्रण संबंधी विलम्ब,

4. हाल ही में, टेलीफोन डायरेक्टरियों की छपाई का संपूर्ण कार्य करने और कागज की आपूर्ति और विज्ञापन एकत्र करने के संबंध में निजी पार्टियों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ पार्टियों से बातचीत भी की गई और ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में विज्ञापन से प्राप्त राजस्व से न केवल डायरेक्टरियों की छपाई की कुल लागत की पूर्ति होगी बल्कि बचत भी होगी जिसे विभाग को उपलब्ध कराया जा सकता है।

5. दूरसंचार बोर्ड ने पहले पेश आई परेशानियों और अब प्राप्त प्रस्तावों के प्रकाश में, इस मामले पर विचार किया। अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी टेलीफोन जिलों के लिए एक नयी नीति अपनायी जाए। जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होंगी :

(i) टेलीफोन डायरेक्टरी वर्ष में एक बार छपाई जाएगी,

(ii) मुद्रण, जिल्दसाजी, कागज की आपूर्ति, विज्ञापन और डायरेक्टरियों का पर्याप्त संख्या में वितरण करने संबंध में व्यापक ठेकों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएं। निविदा सूचनाओं में ठेके की सामान्य शर्तों और विनिर्देशनों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए और साथ ही अनुबंध में दी गई शर्तों के अनुसार विलम्ब और घटिया निष्पादन के लिए दण्ड संबंधी धाराएं भी रखी जाएं,

(iii) महानगरों और प्रमुख जिलों के लिए पांच संस्करणों की और छोटे जिलों के लिए तीन संस्करणों की निविदाएं आमंत्रित की जाएं,

(iv) टेलीफोन डायरेक्टरी में छपने वाले विज्ञापन शालीनता एवं सुरूचि परक मानदण्डों के अनुरूप होने चाहिए और किसी भी रूप में अभद्र और अप्रिय नहीं होने चाहिए।

6. हिन्दी तथा प्रांतीय भाषा में डायरेक्टरी छापने के लिए अपनायी जा रही परंपरा जारी रहनी चाहिए।

7. जहां डायरेक्टरी के लिए संविदा संबंधी प्रक्रिया चालू हों उन मामलों में बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए, ऊपर वर्णित प्रक्रिया अपनाने का समय महाप्रबंधक द्वारा तय किया जाएगा।

हस्ताक्षर/–
(प्रदीप कुमार)
निदेशक फोन्स (ई)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. प्रबंधक निदेशक, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड।
2. सभी महाप्रबंधक दूरसंचार,

प्रति :

1. संचार राज्य मंत्री के निजी सचिव।
2. सचिव (दूरसंचार)।
3. अतिरिक्त सचिव (दूरसंचार)।
4. दूरसंचार बोर्ड के सभी सदस्य।
5. दूरसंचार निदेशालय के सभी उप महानिदेशक।
6. सचिव दूरसंचार बोर्ड।
7. महानिदेशक ए. एल. टी. टी. सी., गाजियाबाद, महानिदेशक टी टी सी जबलपुर।
8. सभी आंतरिक वित्तीय सलाहकार दूरसंचार सर्किल, टेलीफोन–निदेशक और प्रशासनिक अधिकारी।
9. निदेशक (एफ. ए. II) और एफ. ए. III (दूर संचार विभाग)।
10. दूर संचार विभाग के एफ. ए., II, III, और वित्त समन्वय अनुभाग।

निजी पार्टियों द्वारा मुद्रण, कागज की आपूर्ति, जिल्दसाजी टेलीफोन डायरेक्टरियों का प्रकाशन :

संविदा की सामान्य शर्तें

1. डायरेक्टरी प्रति वर्ष प्रकाशित की जाएगी।

2. विभाग ठेकेदार को मैगनेटिक कम्प्यूटर टेप/हार्ड डिस्क अथवा टाइप/छपी हुई सामग्री के रूप में डायरेक्टरी की पाण्डुलिपि प्रदान करेगा।

3. ठेकेदार एक पूर्ण कार्य के तौर पर डाइरेक्टरी के प्रकाशन का प्रबंध करेगा जिसमें अनुमोदित क्वालिटी के कागज की प्रति, छपाई, जिल्दसाजी और विभाग को निर्धारित संख्या में प्रतियों की निशुल्क आपूर्ति शामिल है।

4. संकलन, छपाई, जिल्दा साजी और तैयार डायरेक्टरियों की आपूर्ति का संपूर्ण कार्य अनुबंधित समय सारिणी के भीतर पूरा किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए :

(i) विभाग प्रति वर्ष एक अनुबंधित तारीख तक एक पूर्ण पाण्डुलिपि उपलब्ध करायेगा।

(ii) विभाग, प्रकाशन की तारीख से दो महीने पहले डायरेक्टरी में प्रविष्टियों को शामिल करने और उनमें परिवर्तन करने से संबंधित एक अद्यतन अनुपूरक सूची उपलब्ध कराएगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इन्हें डायरेक्टरी में विधिवत शामिल किया गया है।

(iii) ठेकेदार, संकलन, छपाई, जिल्दसाजी और डायरेक्टरी की आपूर्ति संबंधी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत चार्ट प्रदान करेगा ताकि कार्य की प्रगति पर उचित नजर रखी जा सके।

5. छपाई का काम विभाग द्वारा निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार किया जाएगा। इसमें, सूचना परक पृष्ठ, स्लोगन्स, वर्गीकृत सूची मोटे अक्षरों की प्रवृष्टियां आदि जैसे विवरणों की व्यवस्था के अलावा कागज की किस्म और गुणवत्ता, ले–आउट, टाइप की आकार आदि शामिल होंगे।

6. छपाई के लिए सफेद और रंगीन कागज 48 जी एस एम का होगा। कागज का आकार समय–समय पर यथा संशोधित आई

एस : 1848–1981 के ए 4 आकार का होगा और डायरेक्टरी का आकार नीचे लिखे अनुसार होगा।

बिना छटाई (अनट्रिम्ड) का आकार	210 मिमी. × 297 मिमी.
छटा हुआ (ट्रिम्ड) आकार	200 मिमी. × 287 मिमी.
मुद्रित सामग्री का आकार	180 मिमी. × 267 मिमी.

वर्गीकृत गाइड के लिए छपाई का पीला कागज हल्के रंग का होगा। आवरण का कागज पतले कार्टन बोर्ड अथवा 130 जीएसएम का बॉक्स बोर्ड का होगा जो एक तरफ से चमकीला होगा।

डायरेक्टरी के खण्डों की संख्या महाप्रबंधक के परामर्श से निर्धारित की जाएगी।

अतिरिक्त पृष्ठों (फ्लाई–लीव्स) के लिए 90 जीएसएम का कार्टिज कागज का प्रयोग किया जाएगा। ठेकेदार संबंधित महाप्रबंधक के अनुमोदन से किसी अन्य किस्म के कागज का प्रयोग कर सकता है लेकिन वह ऊपर विनिर्दिष्ट कागज से घटिया किस्म का नहीं होना चाहिए।

7. डायरेक्टरियों की वर्णक्रमानुसार प्रविष्टियों की सूची 6 पॉइण्ट टाइप में छापी जाएगी।

8. सूचनापरक पृष्ठों, वर्णक्रमानुसार सूची, स्लोगन्स, वर्गीकृत सूचियां और मोटे अक्षरों वाली प्रविष्टियों आदि संबंधी विवरण इस कार्यालय के 14.10.76 के पत्र संख्या 1–15/72 पीएचबी (I) के अनुबंध "ख" में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार होंगे।

9. ठेकेदार को, निजी तथा अन्य पार्टियों से विज्ञापन प्राप्त करने की अनुमति होगी। इन्हें या तो पीले पृष्ठों में अथवा डायरेक्टरी के वर्णानुक्रम भाग में छापा जा सकता है। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि डायरेक्टरी में छपे विज्ञापन शालीनता एवं सुरूचिपरक मानदण्डों के अनुसार हैं और किसी भी तरह से अभद्र और अप्रिय नहीं हों।

10. ठेकेदार सभी विज्ञापन दाताओं को यह स्पष्ट तौर पर बताएगा कि विभाग, विज्ञापनदाता और ठेकेदार के बीच किसी भी करार में पक्षकार नहीं है।

11. ठेकेदार उसे दी गई पाण्डुलिपि के अनुसार छपाई की शुद्धता के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। विभाग जैसे भी जरूरी समझे, कार्य की प्रगति के दौरान अपने विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी जांच-पड़ताल करने के लिए स्वतंत्र होगा, ठेकेदार ऐसे कर्मचारियों को सब प्रकार की सहायता और सूचना उपलब्ध कराएगा।

12. ठेकेदार कतिपय विनिर्दिष्ट स्थानों (टेलीफोन एक्सचेंज) में विभाग को डायरेक्टरियों की निर्धारित प्रतियां निशुल्क सौंपेगा जाने (निशुल्क प्रतियों की संख्या, चालू टेलीफोनों केन्द्रों) की संख्या, दो अंकों में प्रकाशन के बीच की अवधि के दौरान, प्रत्याशित विस्तार और विभाग के प्रयोग के लिए कुछ मानार्थ प्रतियां के आधार पर विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

13. उपभोक्ताओं को डाइरेक्टरियों के वितरण की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाएगी।

14. उपभोक्ताओं, से, उन्हें नई प्रति देते हुए पुरानी डायरेक्टरी की प्रतियां विभाग वापिस ले लेगा। इस प्रकार, वापिस ली गई पुरानी प्रतियां ठेकेदार को सौंप दी जाएंगी।

15. टेलीफोन डाइरेक्टरी की प्रतियों की निर्धारित संख्या की निशुल्क आपूर्ति के अलावा ठेकेदार विभाग को, विज्ञापनों से उसके द्वारा अर्जित राजस्व का एक अनुबंधित प्रतिशत का भुगतान करेगा जिसकी एक अनुबंधित न्यूनतम राशि होगी। राजस्व के प्रतिशत और प्रमाणीकरण की पद्धति निविदा बोलियों के आधार पर परस्पर तय की जाएगी।

16. यदि, ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर डाइरेक्टरियों की अपेक्षित संख्या में आपूर्ति नहीं कर पाता है तो उसे विभाग को प्रति सप्ताह के विलम्ब के लिए, उसके द्वारा विज्ञापनों से अर्जित राजस्व का एक प्रतिशत दण्ड स्वरूप देना होगा।

पोस्ट ऑफिसों का कम्प्यूटरीकरण

1831. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के महानगरों में मुख्य डाक कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत तथा आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एक प्रधान डाकघर के कम्प्यूटरीकरण में व्यय होने वाली अनुमानित धनराशि कितनी है;

(घ) क्या इस तरह का कोई प्रधान डाकघर पिछले महीनों में दिल्ली में पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(च) क्या डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण के परिणामस्वरूप कुछ डाक कर्मचारी फालतू हो जायेंगे;

(छ) यदि हां, तो उन्हें फिरसे अन्यत्र काम पर लगाने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या हैदराबाद में कोई डाक कार्याक्रम कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क), (ख), (ग), (च) और (छ). 8वीं योजना अवधि के दौरान सरकार महानगरों के प्रधान डाकघरों सहित देश के डाकघरों में 5000 पीसी पर आधारित बहुद्देशीय काउंटर मशीनों की आपूर्ति का विचार रखती है। देश के 407 डाकघरों में 1062 मशीनें पहले ही लगाई जा चुकी हैं। इन बहुद्देशीय काउंटर मशीनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कर्मचारियों के कार्य करने के वातावरण और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से डाकघरों में काउंटर और अग्र कार्य प्रचालनों के आधुनिकीकरण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अधीन, काउंटर और बचत खाता योजना की सभी डाक कार्रवाइयां कम्प्यूटरीकृत हैं। चालू वर्ष के दौरान 53 डाकघरों को शामिल किये जाने का लक्ष्य है जिनमें से 15 डाकघर

महानगरों में स्थित हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रधान डाकघरों सहित बड़े डाकघरों के आधुनिकीकरण में औसत लागत लगभग 5 लाख रुपये और छोटे डाकघरों के आधुनिकीकरण में औसत लागत 3 लाख रुपए आंकी गयी है। आधुनिकीकरण के इस कार्यक्रम से डाक कर्मचारियों में से कोई भी सरप्लस होने की संभावना नहीं है। स्वचालीकरण का एकमात्र उद्देश्य, डाकघरों के वर्तमान प्रचालन कार्य को कारगर बनाना है ताकि बढ़ते हुए परियात को अधिक प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और इसके साथ–साथ प्रचालन खर्च कम किया जा सके।

(घ) और (ङ). दिल्ली में अभी तक किसी भी प्रधान डाकघर का पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया है। तथापि, संसद मार्ग डाकघर के प्रचालन कार्यों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करने की एक परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है।

(ज) और (झ). अब तक हैदराबार के 17 डाकघरों में 33 पीसी आधारित बहुद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गई हैं। डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए चालू वर्ष के कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश सर्किल के 5 डाकघरों को शामिल किये जाने का लक्ष्य है जिनमें से 2 डाकघर हैदराबाद में स्थित हैं। इन डाकघरों में से हैदराबाद के परिश्रम भवन स्थित डाकघर में यह पूरा कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है, जबकि दूसरे डाकघरों में यह कार्य चल रहा है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस

1832. श्री जगजीत सिंह बरार : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश में विशेषरूप से सोने की खोज के लिए खोज लाइसेंस देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के देशवार नाम क्या हैं;

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खोजे जाने वाले खनिजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कुल कितना पूंजी निवेश किया जायेगा;

(ङ) क्या भारतीय तथा विदेशी कंपनियों को खोज लाइसेंस देने की अनुमति देने संबंधी शर्तें समान हैं,

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (छ). खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। अतः इस संबंध में आवेदन केन्द्र सरकार को नहीं भेजे जाते हैं। तथापि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की अनुसूची-I के सूचीवद्ध खनिजों और उसमें दर्शाये गये कुछ अन्य मामलों में ऐसे लाइसेंसों/पट्टों की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कंपनियों के मामले में, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे केवल उसी कंपनी को दिया जा सकता है जिसकी परिभाषा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा–I में की गई है।

विक्रेय योग्य इस्पात

1833. श्री पी. सी. चाको : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक इस्पात संयंत्र से वर्ष–वार कितना विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विक्रय योग्य इस्पात के उत्पादन और वृद्धि सुनिश्चित करने के कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान विक्रेय कार्बन इस्पात का संयंत्र–वार उत्पादन नीचे दिया गया है :

(हजार टन)

	1991–92	1992 93	1993 94
बोकारो इस्पात संयंत्र	2730	2999	3205
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	681	641	641
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1125	1179	1130
भिलाई इस्पात संयंत्र	3104	3118	3335
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं.लि.	387	398	333
विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र	517	879	1184
टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी	2038	2124	2154
गौण उत्पादक	3400	3377	2700
कुल	13982	14715	14682

(ख) से (घ). देश में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य आरंभ किये गये हैं। सरकार ने निजी क्षेत्र में भी इस्पात उत्पादन की अतिरिक्त क्षमताएं सृजित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से हटाना।

(2) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट देना।

(3) विदेशी निवेश के उद्देश्य से लोहे और इस्पात को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करना।

(4) लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त करना।

(5) पूंजीगत माल के आयात पर से शुल्क कम करना, और

(6) आयात और निर्यात नीति का उदारीकरण।

[हिन्दी]

पटना स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

1834. मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक पासपोर्ट जारी करने में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना को कितना समय लगता है;

(ख) क्या इस कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी करने में कोई विलंब होता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या इस कार्यालय में पुलिस सत्यापन रिपोर्टों की प्राप्ति के बाद इनमें गड़बड़ के कोई मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान सरकार को इस कार्यालय के विरुद्ध कोई और शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार क्या सुधारात्मक उपाय का रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) 13.12.1994 तक पटना पासपोर्ट कार्यालय 35 दिनों में नया पासपोर्ट जारी कर रहा था।

(ख) और (ग). कुछ मामलों में, पासपोर्ट जारी करने में देर होने के विभिन्न कारण हैं, जैसे अधूरे आवेदन पत्र और आवेदकों द्वारा आवश्यक कार्रवाई न किया जाना। जैसे ही अधूरा आवेदन पत्र जानकारी में आता है वैसे ही आवेदकों को औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सूचित कर दिया जाता है।

(घ) इस तरह को कोई भी मामला मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है।

(ङ) जी, हां, इस प्रकार की शिकायतें सरकार को समय-समय पर मिलती रहती हैं।

(च) सरकार ने पासपोर्ट जारी करने में देरी होने के मामलों को निपटाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की शिकायतों को दूर करने और उन्हें सुलझाने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना भी शामिल है। सी पी वी प्रभाग सभी पासपोर्ट कार्यालयों की कार्य-प्रणाली का साप्ताहिक आधार पर निरीक्षण करता है। वह उनकी कार्य-प्रणाली में सुधार लाने तथा आम जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने के निर्देश देता रहता है।

[अनुवाद]

संयुक्त अरब अमीरात द्वारा वीसा दिए जाने पर प्रतिबंध

1835. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों द्वारा वहां कार्य कर रहे निर्वासित भारतीयों के परिवारों को हाल ही में घोषित नए वीसा कानून के अंतर्गत वीसा देने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह ज्ञात है कि नए से कानून संयुक्त अरब अमीरात में कार्य कर रहे भारतीयों को और अधिक परेशानियां होंगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले के बारे में संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों से बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में अपने मिशन के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने सूचित किया है कि नए वीसा के नियम के लाभ केवल नए आप्रवासियों पर ही लागू होंगे तथा नए वीसा नियम के लागू होने से पहले संयुक्त अरब अमीरात में बसे हुए प्रवासियों पर ये नहीं लागू होंगे।

अमरीकी कांग्रेस दल की कश्मीर यात्रा

1836. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी कांग्रेस के एक दल ने नवम्बर, 1994 में जम्मू और कश्मीर की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस यात्रा के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां,। अमरीकी कांग्रेसमैन गैरी एल. एकरमैन और कांग्रेसवुमन बारबरा रोज-कॉलिन्स ने 13-19 नवम्बर, 1994 के अपने भारत के दौरे के दौरान 16-17 नवम्बर, 1994 को श्रीनगर और जम्मू की यात्रा की थी।

(ख) नागरिक प्रशासन, अर्द्ध-सैनिक बल और सेना ने अमरीकी कांग्रेस के दल को श्रीनगर में विस्तृत जानकारी दी थी। उस दल ने श्रीनगर और जम्मू में विभिन्न राजनीतिक और अन्य संगठनों के सदस्यों तथा व्यक्तियों के साथ भी भेंट तथा बातचीत की थी। जम्मू में, उन्होंने एक प्रवासी शिविर का भी दौरा किया और जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया था।

उनके जम्मू और कश्मीर के दौरे के पश्चात् उस दल को भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण उत्पन्न स्थिति और जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने तथा वहां राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में सही जानकारी मिली है।

कृष्णा पटनम ताप विद्युत परियोजना

1837. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को संसद सदस्यों और अन्य संगठनों से कृष्णापट्टनम ताप विद्युत परियोजना के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इस ज्ञापन की जांच की है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। सितम्बर, 1992 में भारतीय झींगा मछली पालन किसान संघ ने कृष्णापट्टनम ताप विद्युत परियोजना द्वारा वृहत मात्रा में झींगा मछली उत्पादन क्षमता के संबंध में होने वाले भय के बारे में तत्कालीन माननीय विद्युत राज्य मंत्री को ज्ञापन दिया था।

(ख) जी, हां।

(ग) अक्तूबर, 1992 में पर्यायवरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करते समय आंध्र प्रदेश सरकार को यह सलाह दी गई थी कि वे यह सुनिश्चित करें कि परियोजना निर्माण के समय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

1838. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान संसद सदस्यों द्वारा उनके निर्धारित कोटे के अतिरिक्त की गई सिफारिशों के आधार पर कितने टेलीफोन कनेक्शन सरकार द्वारा दिए गए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा उनके कोटे में से की गई सिफारिशों के आधार पर कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) चालू वर्ष सहित, पिछले 3 वर्षों के दौरान, संसद-सदस्यों के आबंटित कोटे के अलावा उनकी सिफारियों पर कुल 15,091 टेलीफोन कनैक्शन मंजूर किए गए हैं।

(ख) चालू वर्ष सहित, पिछले 3 वर्षों के दौरान, संसद-सदस्यों की सिफारिशों पर, उनके कोटे से 42,923 टेलीफोन कनैक्शन मंजूर किए गए हैं।

[अनुवाद]

मंत्रियों के दौरे

1839. डा. असीम बाला : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्तीय वर्ष में मंत्री महोदय के देश में तथा देश से बाहर किए गए दौरों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक दौरे पर कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या यह व्यय केन्द्रीय सरकार के बजट से वहन किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह धनराशि किस स्रोत से व्यय की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) विद्युत मंत्री इस वित्तीय वर्ष के दौरान 31.10.1994 तक देश के भीतर 44 दिन और विदेश में 11 दिन दौरे पर रहे। विद्युत राज्य मंत्री इस वित्तीय वर्ष के दौरान 31.10.1994 तक देश के भीतर 91 दिन और विदेश में 16 दिन दौरे पर रहे।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(घ) और (ङ). मंत्रियों के दौरों का व्यय, राज्य सरकारों के विमान/सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विमान द्वारा की गई यात्राओं के मामलों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार के बजट से वहन किया जाता है।

विवरण-I

विद्युत मंत्री चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (31.10.1994 तक) देश के भीतर किए गए दौरों का ब्यौरा

क्र.सं.	तारीखें	वे स्थान जिनकी यात्रा की गई	किया गया व्यय (रुपये)
1	2	3	4
1.	7.4.94 से 10.4.94	बंबई	7708
2.	22.4.94 से 24.4.94	नागपुर, अमरावती, चन्द्रपुर	4176
3.	29.4.94 से 30.4.94	बंबई	7708
4.	12.5.94	अहमदाबाद	4349

1	2	3	4
5.	25.5.94 से 30.5.94	बंबई	7708
6.	4.6.94 से 5.6.94	बंबई	7708
7.	17.6.94 से 18.6.94	(1) दिल्ली से जबलपुर	शून्य
		(2) नागपुर, बंबई, दिल्ली	(मध्य प्रदेश सरकार के यान द्वारा) 6034
8.	15.7.94 से 8.7.94	बंबई, कोचीन, बंबई	17598
9.	10.7.94 से 11.7.94	बंबई	7708
10.	14.7.94 से 17.7.94	बंबई	7708
11.	22.7.94 से 23.7.94	देहरादून	–शून्य–(सड़क मार्ग)
12.	9.8.94 से 11.8.94	बंबई	8466
13	27.8.94 से 31.8.94	(1) दिल्ली से मद्रास	6369
		(2) मद्रास से विशाखापट्टनम	–शून्य (विशेष विमान द्वारा)
		(3) हैदराबाद, बंबई, दिल्ली	6195 (1) एवं (3) का किराया
14.	28.9.94 से 3.10.94	(1) नागपुर से बंबई	9635
		(2) पिपरी, भद्रावती, महागांव	–शून्य–(प्रधान मंत्री के साथ हेलीकाप्टर द्वारा)
15.	12.10.94 से 16.10.94	(1) नागपुर, बंबई	6304
		(2) अमरावती	–शून्य–(सड़क मार्ग से)
		(3) बाडनेरा से दादर	–शून्य–(रेलगाड़ी से)
16.	21.10.94 से 23.10.94	बंबई	7708
17.	26.10.94 से 27.10.94	बंबई	7708

विद्युत मंत्री द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (31.10.1994 तक) देश के बाहर किए गए दौरों को ब्यौरा

क्र.सं.	तारीखें	वे स्थान जिनकी मात्रा की गई	किया गया व्यय (रुपये में)
1.	14.4.94 से 17.4.94	बैंगकोक, हनोई, सिंगापुर	एयर इण्डिया लि. से बिल प्राप्त नहीं हुए हैं।
2.	22.6.94 से 29.6.94	लन्दन, लियोन्स, पेरिस	108235

विवरण-II

विद्युत राज्य मंत्री द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (31.10.94 तक) देश के भीतर किए गए दौरों का ब्यौरा

क्र.सं.	तारीखें	वे स्थान जिनकी यात्रा की गई	किया गया व्यय (रुपये)
1	2	3	4
1.	02.04.94 से 13.04.94	हैदराबाद, विजाग, श्रीकाकुलम, जारगांगी, पालासी, हैदराबाद, बंबई, शिरबी, नासिक, बंबई, दिल्ली	7795
2.	19.04.94 से 21.04.94	हैदराबाद, पैड्डापाल्ली, भद्रांचलम, हैदराबाद, दिल्ली	7408
3.	29.04.94 से 01.05.94	हैदराबाद, खम्माम, कोथागुड्डम, खम्माम, हैदराबाद, दिल्ली	7408
4.	15.05.94 से 16.05.94	नागपुर, कोराडी, नागपुर, हैदराबाद, दिल्ली, हैदराबाद	4176
5.	19.05.94 से 22.05.94	हैदराबाद, खम्माम, कोथागुडम, माल्वोंचा, काल्लूर, हैदराबाद, दिल्ली	7408

1	2	3	4
6.	25.05.94 से 30.05.94	मद्रास, तिरूपति, बंगलौर, मैसूर, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली	7590
7.	03.06.94 से 07.06.94	हैदराबाद, काकीनाडा, सामालकोट, हैदराबाद, दिल्ली	7408
8.	17.06.94 से22..06.94	हैदराबाद, खम्माम, हैदराबाद	3704
9.	24.07.94 से 24.07.94	हैदराबाद–दिल्ली	7408
10.	05.08.94 से 07.08.94	हैदराबाद, खम्माम, हैदराबाद, दिल्ली	9582
11.	13.08.94 से 14.08.94	दिल्ली–जयपुर–दिल्ली	2026
12.	18.0894 से 21.08.94	हैदराबाद, खम्माम, हैदराबाद, दिल्ली	9582
13.	27.08.94 से 12.09.94	हैदराबाद, विजाग; विजयवाड़ा–हैदराबाद एनटीपीसी के हैलीकोप्टर से खम्माम, काकोनाडा, सिकन्दराबाद–दिल्ली	9582
14.	17.09.94 से 26.09.94	हैदराबाद, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम कायामकुलम, चांगनूर अरान्मुला, चांगनूर त्रिवेन्द्रम, कोवालम, त्रिवेन्द्रम, मद्रास, हैदराबाद खम्माम, जुलुरपाडु, खम्माम, मंचकोण्डा, वेलान्डू, खम्माम, राजाहमुन्दरी, यानाम, काकोनाडा, हैदराबाद, दिल्ली	13328 (एनटीपीसी हैलीकोप्टर द्वारा आंशिक यात्रा)
15.	29.09.94 से 4.10.94	हैदराबाद, खम्माम, हैदराबाद, दिल्ली	9582
16.	09.10.94 से 12.1.94	हैदराबाद–दिल्ली	9582
17.	13.10.94 से 19.10.94	हैदराबा, काकोनाडा, अस्वारावपेट, मण्डालापाल्ली, खम्माम, वारंगल, हैदराबाद, दिल्ली	9582

विद्युत राज्य मंत्री द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (31.10.94 तक) देश के बाहर किए गए दौरों का ब्यौरा

क्र.सं.	तारीखें	वे स्थान जिनकी यात्रा की गई	किया गया व्यय (रुपये में)
1.	25.06.94 से 10.07.94	लन्दन, न्यूयार्क, सान फ्रांसिको, ओंटारियो, लॉस एंजलिस, सिंगापुर	134615

फल और सब्जियों का प्रसंस्करण

1840. श्री नीतीश कुमार : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष फलों और सब्जियों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) आठवीं योजना के अन्त तक फलों और सब्जियों के उत्पादन तथा प्रसंस्करण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रसंस्करण की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण वर्ष–वार कितने फल और सब्जियां खराब हुईं;

(घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण एककों की अधिष्ठापित क्षमता राज्य–वार कितनी–कितनी है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार कितने प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता का वास्तव में उपयोग किया गया; और

(च) उक्त अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग). फल और सब्जियों के अपव्यय का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है पर जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के बारे में एक ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि उपयुक्त फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं की कमी और जल्दी खराब होने वाले उत्पाद होने के कारण 40 प्रतिशत कतिपय फल और सब्जियों की गुणवत्ता और मूल्य कम हो जाता है। पिछले तीन सालों के दौरान फल और सब्जियों का अनुमानित उत्पादन निम्नलिखित है :

उत्पादन (लाख टन)

वर्ष	फल	सब्जी
1990–91	283.8	540.0
1991–92	320.6	665.8
1992–93	328.9	715.7

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक फल और सब्जियों (आलू समेत) का क्रमशः 380 लाख टन और 960 लाख टन उत्पादन करने का लक्ष्य है।

(घ) से (च). खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के तहत खाद्यान्न प्रसंस्करण फल और सब्जी प्रसंस्करण, मांस और पाल्ट्री प्रसंस्करण, उपभोक्ता उद्योग, मात्स्यिकी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र आते हैं। ये यूनिटें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं तथा देश में स्थित ऐसे सभी यूनिटों के बारे में राज्यवार सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

थलसीमिया रोग

1841. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शिशुओं पर बढ़ते हुए थलसीमिया रोग पर ध्यान दिया है;

(ख) 31 मार्च, 1994 तक थलसीमिया रोग के ग्रस्त शिशुओं की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय थलसीमिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पीड़ित व्यक्तियों की लागत-प्रभावी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(च) क्या थलसीमिया रोग के महंगे उपचार और प्रबंधन को सस्ता बनाने के लिए कोई विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). थलसीमिया से पीड़ित बच्चों की संख्या के बारे में सरकार के पास कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि भारत में थलसीमिया से पीड़ित प्रतिवर्ष औसतन 6000 से 8000 बच्चे पैदा होते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ). थलसीमिया रोग के उपचार में काम आने वाली औषधि "साइक्लोकाप्रोन" की सीमा शुल्क से छूट प्रदान करने का मामला वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के साथ उठाया गया है।

[हिन्दी]

संयुक्त अरब अमीरात के साथ प्रत्यर्पण संधि

1842. श्री बृज भूषण शरण सिंह :
श्री रामपाल सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने को सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह संधि कब तक हो जाएगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) भारत और संयुक्त अरब अमीरात एक प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न करने पर सहमत हुए हैं जिस पर इस समय बातचीत चल रही है।

(ख) सरकारी स्तर की बातचीतों के दो दौर हो चुके हैं। इनमें काफी प्रगति हुई है और यह उम्मीद की जाती है कि यह संधि शीघ्र ही सम्पन्न की जाएगी।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

1843. श्री हरि भाई पटेल :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं द्वारा 1993-94 के दौरान कुल कितनी मात्रा में मछलियां पकड़ी गयी; और

(ख) मात्रा और मूल्य की दृष्टि से इसमें सरकार का हिस्सा कितना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) भारत में समुद्री स्त्रोतों से मछली का 2.7 मि. टन उत्पादन होता है। गहरे समुद्र से मछली उत्पादन संबंधी पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं है पर अनुमान है कि समुद्री मछली के कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत उत्पादन गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों द्वारा किया जाता है।

(ख) निजी स्वामित्व वाले गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों का वाणिज्यिक परिचालन निजी उद्यमियों द्वारा किया जा रहा है और सरकार को उनके द्वारा पकड़ी जाने वाली मछलियों का कोई हिस्सा नहीं मिलता है। बहरलाल लीजिंग और चार्टरिंग के तहत चल रहे गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के मामले में उद्यमियों द्वारा सरकार की स्कीमों में निर्धारित अनुसार लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाता है।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

1844. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली की इन सड़क दुर्घटनाओं में 1993-94 और 1994-95 के दौरान 1 दिसम्बर 94 तक मारे गए लोगों की क्या संख्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के कारण दिल्ली में मृत व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है

वर्ष	मृत व्यक्ति
1993-94	1798
1994-95 (अप्रैल अक्तूबर)	1102

पश्चिम बंगाल में दूरसंचार प्रणाली

1885. श्री अजय मुखोपाध्याय :
डा. राम चन्द्र डोम :
श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों विशेषरूप से बीरभूम, उत्तर दीनाजपुर, दक्षिण दीनाजपुर, मालदा और जलपाईगुड़ी में दूरसंचार प्रणाली ठीक से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में दूरसंचार प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) बीरभूम जिले में आटोमेटिक प्रणाली वाले टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी, नहीं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा तथा जलपाइगुड़ी समेत अन्य विभिन्न जिलों में दूरसंचार प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है। रख-रखाव तथा उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है तथा दूरसंचार प्रणाली को निरंतर रूप से उन्नत बनाया जा रहा है।

(ग) 1994-95 के लिए विकास कार्यक्रम :

(i) 26760 की वर्तमान सज्जित क्षमता में वृद्धि करना।

(ii) 18000 नये टेलीफोन कनेक्शन जोड़ना।

(iii) सुरी में 600 लाइनों वाले स्ट्रोजर एक्सचेंज की 1000 लाइनों वाले इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज द्वारा बदला जाना।

(iv) बीरभूम जिला में सभी स्ट्रोजर एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजो द्वारा बदला जाना।

(v) आप्टिकल फाइबर केबल पर विश्वसनिय माध्यम प्रणालियों में वृद्धि।

उपरोक्त में से 6472 टेलीफोन कनेक्शन तथा आप्टिकल फाइबर केबल पर 20 विश्वसनीय माध्यम प्रणाली पहले ही जोड़ दिये गये हैं।

(घ) बीरभूम जिला में 26 स्वचालित एक्सचेंज हैं। इनमें से 21 एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के हैं। इन एक्सचेंजों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्वचालित प्रणाली वाले टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	क्षमता	काम कर रहे कनेक्शन
1	2	3	4
	इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज		
1.	अहमदपुर	88	78
2.	विष्णुपुर	56	17
3.	बोलपुर	1400	979
4.	बीटीपीपी (गाथेबेर)	56	44
5.	चतरा	56	20
6.	इलुमबेजार	88	55
7.	डूबराजपुर	197	147
8.	किरणहार	88	74
9.	लाबपुर	88	55
10.	मोहम्मद बाजा	88	61
11.	लोहापुर	88	25
12.	मयुरेश्वर	88	90
13	मोल्लारपुर	88	85
14.	मुराराई	88	85
15.	नलहाली	197	174
16.	नारायणपुर	56	19
17	रूचमी	56	22
18.	परवरपुर	56	21
19.	रामपुर हाट	400	366
20	सी-थोया	1000	475
21.	सारापोट	88	32

1	2	3	4
		स्ट्रोजर प्रकार के एक्सचेंज	
1.	बासापार	25	9
2.	खैरासोल	25	10
3.	राजनगर	25	19
4.	सूरी	600	507
5.	तांतीपारा	25	16

स्वास्थ्य सेवाएं

1846. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर इस समय किए जा रहे व्यय का प्रति व्यक्ति अनुपात कितना है; और

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर किए जा रहे व्यय के अंतर को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर प्रति व्यक्ति व्यय का अनुपात अलग-अलग उपलब्ध नहीं है क्योंकि ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करते हैं।

(ख) स्वास्थ्य मूलतः राज्य का विषय है। फिर भी केन्द्र रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से महत्वपूर्ण अन्तरों को दूर करने के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि कर रहा है। प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम; राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम हैं। देश में 30.9.1994 तक 2,326 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 21,172 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 1,31,471 उप केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता है।

[हिन्दी]

हैती में संयुक्त राष्ट्र संघ का मिशन

1847. श्री रामपाल सिंह :
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैती में संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन के दूसरे चरण में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग करने को राजी हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) भारत ने 100 डाक्टरों, मिलिट्री इंजीनियरों एंव मिलिट्री प्रशिक्षकों तथा अर्धसैनिक कार्मिकों की एक कम्पनी की सेवाओं की पेशकश की है। भारत की यह पेशकश संयुक्त राष्ट्र के शांति कायम करने के क्रियाकलापों के प्रति उसकी पारम्परिक वचनबद्धताओं तथा समर्थन के अनुरूप है।

[अनुवाद]

ऊंट दौड़ों में भारतीय बच्चों का प्रयोग

1848. श्री मोहन रावले :
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 नवंबर, 1994 को इंडियन एक्सप्रेस में "इंडियन किड्स बींग सोल्ड फार केमल रेसेज : यू.एन. रिपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं/उठाने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार का ध्यान मानव अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा नियुक्त विशेष संवक्ता/रिपोर्टर द्वारा बच्चों की खरीद फरोख्त, नाबालिग बच्चों से व्यभिचार तथा बच्चों के साथ अश्लीलता के संबंध में प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा बाल श्रम, बच्चों का शोषण और उनके साथ दुर्व्यवहार, अपहरण, ऊंट दौड़ों में बच्चों का प्रयोग, भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों की नाबालिग लड़कियों का सऊदी अरब में बूढ़ों के साथ विवाह की प्रथा से संबंधित विभिन्न मुद्दों का जिक्र है। यह रिपोर्ट विशेषकर भारत से संबंधित नहीं है बल्कि इसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में ऐसे मुद्दों एवं समस्याओं को लिया गया है और इसमें भारत के अलावा अन्य देशों में विद्यमान स्थिति का जिक्र है।

(ग) और (घ). सरकार ने पहले से ही पुलिस विभाग के अफसरों को ऐसी घटनाओं के बारे में, जब भी ये उनकी जानकारी में आए, तुरन्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए उन्हें सुग्राहित बनाने

हेतु कदम उठाए हैं। इस प्रथा पर रोक लगाने हेतु उत्प्रवास अधिकारियों को उत्प्रवास चेक प्वाइंटों पर ऐसे नाबालिग बच्चों और/अथवा नाबालिग लड़कियों के साथ यात्रा कर रहे व्यक्तियों के (भारतीयों सहित) यात्रा प्रमाण पत्रों की छानबीन/संवीक्षा के दौरान और अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों को काटना

1849. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन काटने संबंधी कुल कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) कितनी शिकायतों को अब तक दूर किया गया है; और

(ग) शेष शिकायतें कब तक दूर कर दी जाएंगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) टेलीफोनों को काटने के संबंध में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। सामान्यतया, बकाया टेलीफोन बिलों का भुगतान न करने के कारण टेलीफोन काट्रे जाते हैं और नियमानुसार भुगतान करने के पश्चात् इन्हें फिर से लगा दिया जाता है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

परिवार कल्याण कार्यक्रम में लगे स्वयंसेवी संगठन

1850. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992–93, 1993–94 के दौरान और आज तक महाराष्ट्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों को कोई सहायता/अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने योजना के अंतर्गत सभी अनुदानों का उपयोग कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) परिवार कल्याण की अनुमोदित योजनाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य में स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की गई सहायता इस प्रकार है :–

वर्ष	रुपये
1992–93	1,19,47,825
1993–94	68,86,765
1994–95 (31 जुलाई, 1994 तक)	7,95,785

(ग) और (घ). स्वैच्छिक संगठनों और राज्य सरकार ने 1994–95 के दौरान हाल ही में विमुक्त किए गए धन को छोड़कर सभी अनुदानों का उपयोग कर लिया है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

1851. श्री जर्नादन मिश्र :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :
डा. एस.पी. यादव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में ओ. बी. सी. नम्बर जारी करनें के बाद भी टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार और संघ राज्य क्षेत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). नौ सर्किलों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। शेष सर्किलों और संघ राज्य क्षेत्रों की जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सदन–पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

टेलीफोन देने हेतु लंबित ओ.बी.सी.

सर्किल और संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विचाराधीन ओबीसी की सं.	विलंब के कारण	मुहैया करने की लक्ष्य तारीख
1	2	3	4
1. बिहार	739	तकनीकी, अव्यवहार्यता और स्टोर्स की कमी।	मार्च, 1995 तक
2. गुजरात	9375	केबल पेयर उपलब्ध न होना।	मार्च, 1995 तक
2.1 दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	7	वही	वही
2.2 दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	9	वही	वही

1		2	3	4
3.	हरियाणा	2068	क्षेत्रों का तकनीकी दृष्टि से अव्यवहार्य होना और लंबी दूरी के कनेक्शन, जिनमें विपुल लाइन व तार स्टोर्स की आवश्यकता पड़े।	भूमिगत केबल, लाइन और तार स्टोर्स प्राप्त होने पर मार्च, 1995 तक
4.	पंजाब	4885	क्षेत्रों का तकनीकी दृष्टि से अव्यवहार्य होना और लंबी दूरी के कनैक्शन।	मार्च, 1995 तक
4.1	चंडीगढ़ संघ–राज्य क्षेत्र	272	एक्सचेंज क्षमता के अभाव में लंबित।	31.1.95 तक
5.	तमिलनाडु	1257	एक्सचेंजों की अतिरिक्त क्षमता और केबल पेयर इत्यादि की कमी जैसे तकनीकी प्रतिबंधों।	मामले जब और जैसे ही तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हों।
5.1	पांडिचेरी	113	वही	वही
6.	पश्चिम बंगाल	916	विभिन्न स्थानों में केबल पेयरों का अभाव और लंबी दूरी के कनेक्शन होना।	मार्च, 1995 तक (बाह्य संयंत्रों के उन्नयन और भूमिगत केबल बिछाए जाने पर)
6.1	सिक्किम	62	विभिन्न स्थानों में केबल पेयरों का अभाव और लंबी दूरी के कनेक्शन होना।	मार्च, 1995 तक (बाह्य संयंत्रों के उन्नयन और भूमिगत केबल बिछाए जाने पर)
7.	उड़ीसा	755	केबल–पेयरों के अभाव में लंबित	मार्च, 1995 तक
8.	असम	116	ये सभी मामले तकनीकी दृष्टि से अव्यवहार्य है।	मार्च, 1995 तक
9.	कलकत्ता टेलीफोन्स	14113	केबल–पेयरों की अनुपलब्धता और अन्य तकनीकी कारणों से लंबित।	मार्च, 1995 तक

टेलीफोन उपकरण लगाना

1852. श्री आनंद रत्न मौर्य :
श्री पंकज चौधरी :
श्री राम सिंह कस्वां
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन उपभोक्ताओं को टेलीफोन उपकरण और "इन्टरनल केबल" देने के प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम होंगे; और

(ग) इस योजना को कब तक शुरू किया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सम्पूर्ण मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइरोलोजी द्वारा किए गए प्लेग के परीक्षण

1853. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे स्थित नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ वाइरोलोजी ने गुजरात और अन्य राज्यों में 1 सितम्बर, 1994 के आरंभ में महामारी के फैलने के कारणों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निष्कर्ष निकले और इस महामारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार बेक्टीरिया/वाइरस का नाम क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशी चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों की सेवाएं प्राप्त की है;

(घ) यदि हां, तो ये संस्थान कौन से हैं और इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले; और

(ङ) सरकार ने भारतीय औ विदेशी अनुसधान संस्थानों के निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे को अन्य संस्थानों के साथ प्लेग की घटना से संबंधित जांच करने में लगाया गया है और उन्होंने सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी सलाहकार समिति, जिसे प्लेग के प्रकोप के कारण का निर्धारण करना है, को अपने विचार भेज दिए हैं।

(ग) और (घ). विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के अन्तर्राष्ट्रीय दल की राय थी कि वह प्रकोप प्लेग के कारण था। दल के सदस्यों में रोग नियंत्रण केन्द्र अटलांटा, यू.एस.ए. तथा केन्द्रीय जानपदिक रोग विज्ञान अनुसंधान संस्थान मास्को के वैज्ञानिक शामिल थे।

(ङ) दल की राय थी कि प्रकोप प्लेग के कारण था और दल ने अन्य बातों के साथ–साथ और अधिक जानपदिक रोग संबंधी अध्ययन करने की आवश्यकता के अतिरिक्त प्रयोगशालाओं तथा नैदानिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उपायों का सुझाव दिया, जिनका अनुपालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विभागेतर एजेंटों के लिए वेतन समिति

1854. प्रो. प्रेम धूमल :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री एन. डेनिस :
श्री के. मुरलीधरन :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभागेतर एजेंटों के वेतनमान तथा उन्हें अन्य लाभ दिए जाने के संबंध में अध्ययन करने तथा सिफारिश करने हेतु अलग से विभागेतर समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक गठित किया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग). नीति के अनुसार, जब भी सरकार द्वारा उसके नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है, तब अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों आदि की पुनरीक्षा करने के लिए भी एक समिति गठित की जाती है। चूंकि, पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने कार्य करना आंरभ कर दिया है, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए एक समिति के गठन के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

एन.एम.डी.सी. द्वारा खरीद

1855. श्री तारा सिंह : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) ने बैलाडिला खानों के लिए हाईड्रालिक उत्खनक ऊंची दरों पर खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) क्या उपकरण के स्थापित नहीं किए जाने और इसके ठीक समय पर कार्य नहीं करने के बावजूद भी अतिरिक्त पुर्जों के आर्डर दिए गए थे और अतिरिक्त पुर्जे खरीदे भी गए थे;

(घ) क्या इस उपकरण की कार्य निष्पादन रिपोर्ट उस संबंध में दिए गए आश्वासन रिपोर्ट इस संबंध में दिए गए आश्वासन निष्पादन से मेल नहीं खाती है;

(ङ) क्या सरकार की इसके विरूद्ध बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) एन.एम.डी.सी. ने उपस्करों के चयन करने के लिए संस्थापित क्रय प्रक्रिया का पालन किया है।

(ग) आरम्भिक अतिरिक्त कल–पुर्जों जो संविदा की शर्तों के अनुसार खरीदे गए थे, के अलावा किसी अतिरिक्त कल–पुर्जों के लिए आर्डर नहीं दिये गये थे।

(घ) बैलाडिला खनन परिसर में हाइड्रालिक एक्सकॅवेटर मई, 1994 में चालू कर दिया गया था और इसकी दो साल की वारंटी है। इस चरण पर इसके कार्य के निष्पादन का आंकन जल्दबाजी होगी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सी-डॉट में लगे वैज्ञानिक

1856. श्री उद्धव बर्मन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी–डॉट में कुल कितने वैज्ञानिक कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने वैज्ञानिकों ने सी–डॉट को छोड़ दिया; और

(ग) उनके सी–डॉट छोड़ने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सी-डॉट में कुल 642 वैज्ञानिक (इंजीनियर) हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन वैज्ञानिकों (इंजीनियरों) ने सी–डॉट छोड़ा है, उनकी संख्या नीचे दी गई है :–

1992	100
1993	96
1994	106

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार, इन इंजीनियरों ने उच्च शिक्षा, अन्य संगठन में भर्ती, भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए सी–डॉट छोड़ा है।

दमन जोड़ी संयंत्र का विस्तार

1857. श्री के. प्रधानी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के दमन जोड़ी स्थित नेशनल अल्युमीनियम कंपनी संयंत्र के विस्तार में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या विस्तार योजना के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से पहले ही स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है; और

(ग) इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). पी.आई.बी. ने पर्यावरण संबंधी मंजूरी सहित कुछ शर्तों के साथ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड(नाल्को) की बॉक्साइट खानों की क्षमता का 2.4 मिलियन टन प्रति वर्ष से 4.8 मिलियन टन प्रति वर्ष और एल्यूमिनियम शोधनशाला की क्षमता का 0.8 मिलियन टन प्रति वर्ष से 1.35 मिलियन टन प्रति वर्ष तक विस्तार करने के प्रथम चरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सड़क परियोजनाओं में निजी निवेशक

1858. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए आवेदन करने वाली निजी पार्टियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख). निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए 17 परियोजनाओं, जिनमें 8 बाईपास और 9 पुल परियोजनाएं शामिल हैं, के विज्ञापन के संदर्भ में 27 पार्टियों ने अपनी रुचि दर्शाई है। चूंकि, नीति और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन अभी नहीं हो पाया है। इसलिए 5 परियोजनाओं के मामले में इन पार्टियों को अपनी प्रारंभिक तैयारी जारी रखने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

नया डाक चैनल

1859. श्री छेदी पासवान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने देश में डाक के द्रुत वितरण हेतु एक नया डाक चैनल शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित नए चैनल हाल ही में चालू किए गए हैं :–

(1) मेट्रो चैनल
(2) राजधानी चैनल
(3) बिजनेस चैनल

इसके अलावा डाक विभाग द्वारा एक्सप्रेस पार्सल डाक सेवा भी शुरू की जा चुकी है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

12 अप्रैल, 1994 से पिन कोड अंकित अंतःमहानगरीय साधारण पत्रों के शीघ्र पारेषण और वितरण के लिए मेट्रो चैनल चालू किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत पिन कोड अंकित प्रथम दर्जे की पत्र डाक एक महानगर से दूसरे महानगर में 48 घंटों के भीतर शीघ्र पारेषण और वितरण की अभिकल्पना की गई है। ऐसी डाक को, प्रारंभिक निपटान के स्तर पर अलग करके उसकी विशेष रूप से छंटाई करने के बाद प्रेषित कर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आने वाले शहर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद हैदराबाद और बेंगलूर हैं।

(2) इसी प्रकार से राजधानी चैनल दो चरणों में चालू किया जा चुका है (क्रमशः 16 मई और 1 जुलाई, 1994)। यह चैनल, पिन कोड अंकित पत्र डाक के शीघ्र पारेषण और वितरण के लिए, दिल्ली को अधिकांश राज्यों की राजधानियों के साथ जोड़ता है।

(3) 1 जुलाई, 1994 से विभिन्न संगठनों द्वारा विशाल संख्या में डाली गई प्रथम दर्जे की पत्र डाक के लिए बिजनेस चैनल चालू किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत इस बात पर ध्यान दिया गया है कि ऐसी वस्तुएं, छंटाई और पारेषण की प्रक्रिया के दौरान अन्य श्रेणी की डाक के साथ मिश्रित न हो जाएं। इस योजना के अंतर्गत अब 7 शहर अर्थात् दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलूर, और अहमदाबाद शामिल हैं।

(4) दिल्ली–बंबई, दिल्ली–कलकत्ता और दिल्ली–मद्रास के बीच दिनांक 1.12.94 से दोतरफा एक्सप्रेस पार्सल सेवा शुरू की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत अभिचिन्हित डाकघरों में कुछ कट–ऑफ घंटों से पहले बुक किए गए पार्सलों को चौथे दिन तक उनके गंतव्य स्थान पर वितरित कर दिया जाएगा।

अतिरिक्त विद्युत उत्पादन

1860. श्री खेलन राम जांगडे : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विद्युत संयंत्रों से विद्युत पारेषण तथा वितरण में होने वाली हानि को कम करके अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किए जाने के संबंध में कोई सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) "शहरी क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन संयंत्रों और वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु पूर्व–अपेक्षाएं" शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने से हुई 4000 मे.वा. के आसपास की बचत की सम्भावना को दर्शाया गया है। तथापि, इस रिपोर्ट में पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए किसी भी प्रकार की तकनीक नहीं सुझाई गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

पोली पैकों में बन्द खाद्य पदार्थ

1861. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोली पैकों में बंद खाद्य पदार्थों के सेवन से चर्म–रोग हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के उपचारार्थ क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). खाद्य सामग्री की पैकिंग अथवा भण्डारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के बने डिब्बे सांविधिक विनिर्देशों के अनुरूप होने चाहिए।

स्वास्थ्य योजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

1862. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
श्री केशरी लाल :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री महेश कनोडिया :
श्री काशीराम राणा :
श्री अंकुशराव टोपे
श्री खेलन राम जांगडे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार की किसी स्वास्थ्य योजना को विश्व बैंक की सहायता हेतु उसके पास भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). विश्व बैंक ने राष्ट्रीय गैर–संचारी रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण कार्यक्रम और जिला स्वास्थ्य प्रणालियों के उन्नयन के एक व्यापक कार्यक्रम के लिए संभावित विश्व बैंक ऋण की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक अन्वेषणात्मक मिशन भेजा है।

(ग) और (घ). जी, हां। द्वितीय स्तर के अस्पतालों के उन्नयन के लिए आन्ध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना विश्व बैंक के समक्ष रखी गई थी तथा बातचीत सफलतापूर्ण पूरी की गयी। परियोजना की कुल लागत 158 मिलियन अमरीकी डालर आंकी गई है जिसमें आई. डी.ए. का ऋण 133 मिलियन (लगभग) अमरीकी डालर होगा।

महाराष्ट्र में चूना पत्थर के भंडार

1863. श्री दत्ता मेघे : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में चूने के पत्थर के कितने अनुमानित भंडार हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार राज्य में कितना चूने का पत्थर निकाला गया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) 1.4.1990 की राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार महाराष्ट्र में कुल अनुमानित चूना पत्थर के भण्डार 2,778,435 हजार टन है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में उत्पादित चूना पत्थर की कुल मात्रा निम्नानुसार है :

(आंकड़े हजार टन में)

1991–92	1992–93	1993–94
5907	5580	5751

औद्योगिक क्षेत्र का स्थापित किया जाना

1864. श्री केशरी लाल :
श्री शांताराम पोतदुखे :
श्री शरत पटनायक :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में सहायता हेतु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां अलग से स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग). भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने के लिए सहायता देने संबंधी एक प्रस्ताव रखा गया है और इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों को दवाइयों की सप्लाई

1865. श्री राम कृपाल यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रैनीटीडाइन जैसी दवाइयों सहित आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को इनकी सप्लाई करने की संभावनाओं के बारे में कोई अध्ययन कराने का है;

(ख) क्या जनसामान्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहां तक कि न्यूनतम और विभिन्न दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उनके अंतर्गत आने वाली जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम आवश्यक औषधियों की एक सूची भेजी जाएगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में एक नीति बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ताकि देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कुछ विशिष्ट बीमारियों के लिए सफलतापूर्वक परीक्षित औषधियों की सप्लाई की जा सके; और

(च) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (च). प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को औषधियों की आपूर्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

कैरो में आयोजित सम्मेलन में सरकार का दृष्टिकोण

1866. श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री चित्त बसु :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में कैरो में आयोजित जनसंख्या तथा विकास विषय पर हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सरकार के दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : जनसंख्या और विकास पर काहिरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रारंभिक सम्मेलनों में परामर्शों की श्रृंखला के माध्यम से विकसित किए गए कार्रवाई के कार्यक्रम के प्रारूप पर विचार किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने निम्नलिखित मुद्दों पर जोर देते हुए समय प्रारूप दस्तावेज का समर्थन किया :-

(1) जनसंख्या और विकास नीतियों के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार;

(2) विकास के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देना;

(3) प्रजननात्मक स्वास्थ्य और प्रजननात्मक अधिकार देकर महिलाओं को सशक्त बनाना;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पद्धति को बढ़ावा देना जो विकासशील देशों को सहायक हो;

(5) निर्धनता, अधिक प्रजननता दर, खराब स्वास्थ्य और निरक्षरता के बीच अंतर्बन्धन तोड़ना; और

(6) स्वास्थ्य और शिक्षा इत्यादि जैसे क्षेत्रों के लिए बढ़े हुए संसाधन आदि।

हैजा और आंत्रशोथ के कारण मौतें

1867. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्रीमती सरोज दुबे :
डा. कृपासिंधु भोई :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जुलाई, 1994 से अक्तूबर, 1994 के दौरान हैजा, आंत्रशोथ और कुपोषण रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इन बीमारियों से कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इन बीमारियों को बढ़ने से रोकने के लिए कोई त्वरित सहायता मांगी थी;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने इन बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत परियोजनाओं की नियोजित क्षमता

1868. श्री गिरिधारी लाल भार्गव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थीन बांध परियोजना, आनंदपुर साहिब पनबिजली परियोजना, मुकेरियां पन बिजली परियोजना, ऊपरी बड़ी दोआब नहर, द्वितीय चरण और शाहपुर कांडी पनबिजली परियोजना की नियोजित क्षमता क्या है; और

(ख) उपरोक्त विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत पर विभिन्न राज्यों द्वारा दावा किए जा रहे हिस्सों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) विभिन्न परियोजनाओं की क्षमता का ब्यौरा निम्नवत् है :–

	नियोजित क्षमता	मेगावाट
(1)	थीन बांध परियोजना	4×150=600 मे.वा.
(2)	आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना	4×33.5=134 मे.वा.
(3)	मुकेरियां जल विद्युत परियोजना	6×15+6×19.5=207 मे.वा.
(4)	ऊपरी बाड़ी दोआब नहर चरण–2	3×15=45 मे.वा.
(5)	शाहपुर कांडी जल विद्युत परियोजना	2×40+2×40+1×8=168 मे.वा.

(ख) पंजाब की 5 उपर्युक्त परियोजनाओं में विद्युत के बंटवारे के बारे में हरियाणा और राजस्थान ने कुछ दावे प्रस्तुत किए हैं। तथापि, मुद्दे पर किसी प्रकार का मतैक्य प्राप्त नहीं हो रहा है।

डाक सेवाओं का निजीकरण

1869. श्री शिवाजी पटनायक :
श्री चित्त बसु :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच देश में डाक सेवाओं का निजीकरण करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जी, नहीं। देश में डाक सेवाओं का निजीकरण करने का अभी भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना

1870. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कायमकुलम विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की थी, उनके लिए कोई पुनर्वास नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अब तक दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है और शेष दावों का अन्तिम रूप में निपटान कब तक कर दिया जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की पुनः स्थापना एवं पुनर्वास (आर एण्ड आर) की नीति कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना पर भी लागू होती है। इस आर एण्ड आर नीति में अन्य बातों के साथ–साथ परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों जो कि विभिन्न पुनर्वास उपायों तथा भूमि के बदले भूमि (मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उपलब्धता और पात्रता की शर्तों के अधीन), स्वरोजगार, दुकानों का आबंटन, छोटे–छोटे ठेके दिए जाना, एन टी पी सी में रोजगार अथवा उपलब्धता, प्रशिक्षण सुविधाएं आदि शर्तों के अधीन ठेकेदारों के अधीन रोजगार देने से सम्बन्धित श्रेणियों की परिभाषा दी गई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) भूमि/परियोजना के कारण घर से बेदखल विस्थापितों को देय मुआवजे की राशि सम्बन्धित व्यक्तियों को आबंटित किए जाने के लिए एन टी पी सी द्वारा राज्य सरकार के पास जमा कर दी गई है।

इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों को चालू करना

1871. डा. वसंत पवार : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों के दौरान कितने इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज चालू किए गये;

(ख) राज्य–वार कितने इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज चालू किये जाने के लिए तैयार हैं; और

(ग) इन्हें कब तक चालू कर दिया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 14,267

(ख) चालू करने के लिए तैयार इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इन इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों को मार्च, 1995 तक चालू किए जाने की योजना है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	चालू महीने की तैयार इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	216
2.	असम	33
3.	बिहार	123
4.	दिल्ली	21
5.	गुजरात	233
6.	हरियाणा	124
7.	हिमाचल प्रदेश	88
8.	जम्मू एवं कश्मीर	63
9.	कर्नाटक	444
10.	केरल	403

1	2	3
11.	मध्य प्रदेश	235
12.	महाराष्ट्र	370
13.	उत्तर–पूर्व	48
14.	उड़ीसा	47
15.	पंजाब	160
16.	राजस्थान	263
17.	तमिलनाडु	351
18.	उत्तर प्रदेश	321
19.	पश्चिम बंगाल	75

राष्ट्रीय राजमार्ग को क्षति

1872. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 में बाढ़ के दौरान जलपाईगुड़ी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग को कितनी क्षति हुई;

(ख) कितने पुल क्षतिग्रस्त हुए; और

(ग) जलपाईगुड़ी में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों तथा पुलों की मरम्मत के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 172 कि.मी.।

(ख) 25

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात को बहाल करने के लिए तुरन्त कदम उठाए गए थे और उसके बाद स्थायी उपाय किए गए थे।

थाईलैंड के साथ सहयोग

1873. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों और एशिया प्रशान्त आर्थिक सम्मेलन के सदस्यों से अधिक घनिष्ठ संबंध बनाने को उत्सुक है;

(ख) क्या नवंबर, 1994 में भारत और थाईलैंड के विदेश उपमंत्रियों के बीच कोई विचार–विमर्श हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो क्या दोनों पक्षों ने व्यापार और पूंजीनिवेश, मात्स्यिकी, नागर विमानन और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपने–अपने सहयोग की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) नवम्बर, 1994 में, थाईलैंड के विदेश मंत्री के भारत के दौरे के दौरान, भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ अपने क्षेत्रीय संवाद का स्तर बढ़ाकर पूर्ण संवाद का स्तर करने और एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग सम्मेलन में शामिल होने की इच्छा को दोहराया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) दोनों पक्ष 1997 तक 2 बिलियन अमेरिकी डालर के व्यापार लक्ष्य को पूरा करने और पूंजी निवेश को बढ़ाने हेतु सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। मात्स्यकी क्षेत्र में, इस समय थाईलैंड के विचाराधीन समझौता ज्ञापन मसौदे से आशा की जाती है कि विनिमय को विनियमित करने हेतु एक प्रभावशाली ढांचा उपलब्ध होगा। दोनों पक्षों के हितों का ध्यान रखने के लिए आवधिक रूप से उच्चस्तरीय बातचीत होती रही है। सुरक्षा और रक्षा के मामले पर दोनों पक्षों ने विद्यमान सहयोग के प्रति संतोष व्यक्त किया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में जन्म-दर

1874. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जन्म–दर औसत राष्ट्रीय जन्म–दर से अधिक है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1993–94 के दौरान इन जिलों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को कोई विशेष सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का पूर्ण उपयोग कर लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) भारत के महापंजीयक के अनुसार 1984–90 की अवधि के लिए अनुमानों के अनुसार 57 जिले।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार को प्रति हजार जनसंख्या में 39 से अधिक की जन्म दर (1981 की जनगणना के आंकड़े) वाले जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए 1993–94 के दौरान 16.00 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। यह योजना प्रगति पर है।

समूचे राज्य को कवर करने वाली एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत जनसंख्या परियोजना–VI 110.54 करोड़ रुपये की

लागत से अप्रैल, 1990 से छह वर्षों से अधिक अवधि के लिए चलाई जा रही है। राज्य सरकार ने बताया है कि इस परियोजना के अन्तर्गत 1993–94 के दौरान विमुक्त की गई 13.50 करोड़ रुपये की राशि में से 7.81 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आटो एनालाइजर एरबा प्रोफाइल-16 का अवैध निर्माण

1875. डा. एस.पी. यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को देश में ऑटो एनालाइजर एरबा प्रोफाइल–16 के अवैध निर्माण और विभिन्न संस्थाओं तथा मेडिकल कालेजों को इसकी बिक्री की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस उपकरण के फर्जी मॉडल के अवैध निर्माण और इसकी सप्लाई के बारे में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख). फेरा तथा आयात–निर्यात नीति के उल्लंघन के बारे में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ). इस उपकरण को औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।

उपग्रह द्वारा मनीआर्डर

1876. श्री महेश कनोडिया : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपग्रह व्यवस्था द्वारा मनीआर्डर भेजे जाने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई व्यवस्था कब से लागू हो जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) उपग्रह मनीआर्डर सेवा (एस ए टी एम ओ) माइक्रो अर्थ स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित की जाएगी। माइक्रो अर्थ स्टेशन में एक वी एस ए टी (वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल) और अन्य कम्प्यूटर उपांग होंगे। इस नेटवर्क के माध्यम से आंकड़ों का संप्रेषण डी. ओ. टी. के रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क चैनल के द्वारा होगा।

हालांकि, देशव्यापी संयोजकर्ता माइक्रो अर्थ स्टेशनों के माध्यम से स्थापित होगी, उपग्रह चैनल के माध्यम से मनीआर्डरों के त्वरित पारेषण के लाभ भी प्रत्येक माइक्रो अर्थ स्टेशन के आसपास के इलाकों तक टेलीफोन लाइनों और मॉडेम के जरिए 100 कि.मी. तक के घेरे में विस्तारित किए जायेंगे।

एस ए टी एम ओ के लिए प्रारंभिक परियोजना, क्रमशः दिल्ली, बेंगलूर, मद्रास, लखनऊ, शिमला और पटना में 6 माइक्रो अर्थ स्टेशनों सहित, पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है। वी एस ए टी के इस नेटवर्क में, चालू वर्ष के दौरान लगभग 20 और नए स्टेशनों सहित आगे और वृद्धि होगी। आठवीं योजना अवधि के अंत तक इन स्टेशनों की संख्या बढ़कर 75 हो जाएगी।

पर्वतीय राजमार्ग

1877. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **जल-भूतल परिहवन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सहायता से केरल में पर्वतीय राजमार्ग का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव इस समय किस चरण में है?

जल-भूतल परिहवन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). आर्थिक और अन्तर–राज्यीय महत्व के कार्यक्रम के अंतर्गत आठवीं योजना में पर्वतीय राजमार्ग के निर्माण के लिए केरल राज्य सरकार ने 15.5 करोड़ रु. का एक प्रस्ताव भेजा है। तथापि, केन्द्रीय सैक्टर की सड़कों के कार्यक्रम के तहत निधियों की कमी के कारण इस प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं हो पाया है।

[हिन्दी]

पालम में सी.जी.एच.एस का दवाखाना

1878. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के पालम क्षेत्र में सी.जी.एच. एस. दवाखाना न होने के कारण वहां रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) क्या मंगलापुरी, पालम बस टर्मिनल के पास दवाखाना के लिए एक अस्थाई भवन पहले ही बन चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दवाखाना खोलने में क्या कठिनाइयां हो रही हैं और इस दवाखाना के खुल जाने की कब तक संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालम के परिसर में पुरानी इमारत की मरम्मत लगभग कर दी गई है। फिर भी, ट्यूब–वैल बनाकर उपयुक्त जल आपूर्ति तथा विद्युत कनेक्शनों का प्रबंध केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त कार्य के पूरा होने पर औषधालय वहां कार्य करना शुरू करेंगे।

[अनुवाद]

दिल्ली में विद्युत पर सेमिनार

1879. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत के सदुपयोग हेतु प्रोत्साहनों और निकत्साहनों का उचित पैकेज शुरू करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या अगस्त, 1994 के अन्तिम सप्ताह के दौरान दिल्ली में कोई सेमिनार आयोजित किया गया था;

(ग) क्या सरकार को इस सेमिनार की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन–किन मुख्य विषयों पर विचार विमर्श हुआ; और

(ङ) इस सेमिनार में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) ऊर्जा संवर्धन के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा ऊर्जा संवर्धन परियोजनाओं के लिए अनेक राजस्व सम्बन्धी प्रोत्साहन ओर रियायतों यथा, अधिसूचित ऊर्जा बचत पद्धति अधिष्ठापित करने पर प्रथम वर्ष के दौरान 100 प्रतिशत मूल्यह्रास की अनुमति के रूप में आयकर में रियायत देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न नये और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों तथा ऊर्जा संवर्धन उपस्करों के लिए बिक्री कर की छूट के बारे में राज्य सरकारों और संघ शासित राज्यों ने भी कुछ रियायतें प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा बचत पद्धतियों के अध्ययन कार्य करने और इससे सम्बन्धित सूची में संशोधन करने एवं विभिन्न राजस्व सम्बन्धी प्रोत्साहन हेतु वित्त मंत्रालय से इनकी सिफारिश करने के लिए एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

(ख) विद्युत मंत्रालय को अगस्त, 1994 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में किसी सेमिनार के आयोजित किए जाने की जानकारी नहीं है।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान द्वारा हथियारों की खरीद

1881. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :
श्री अमर पाल सिंह :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सैन्य हथियार, लडाकू विमान तथा पनडुब्बियां कई देशों से खरीदने में लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके ऊपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान ने किन–किन देशों से लड़ाकू विमान तथा पनडुब्बियां खरीदी हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन देशों के साथ इस बारे में बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी परिस्थितियों पर निरंतर निगरानी रखती है और उसकी रक्षा हेतु आवश्यक उपाय करती है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार एवं उपकरण की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं।

(घ) और (ङ). पाकिस्तान को उसके उचित रक्षा आवश्यकताओं से अधिक हथियार के विक्रय के बारे में संबंधित सरकारों को हमारे दृष्टिकोण से अवगत कर दिया गया है।

मंत्री के दौरे

1882. श्री अमल दत्त : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री महोदय के देश के अंदर और विदेशी दौरों का पृथक–पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक दौरे पर कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या यह व्यय केन्द्रीय सरकार के बजट से किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह धनराशि किस स्रोत से व्यय की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग). माननीय जल–भूतल परिवहन राज्य मंत्री द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान देश और विदेश में किए गए दौरों और प्रत्येक दौरे पर किए गए खर्च के ब्यौरे संलग्न विवरण I तथा II में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) लागू नहीं होता।

विवरण—I

वर्ष 1994-95 के दौरान जल-भूतल परिवहन राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) द्वारा किए गए स्थानीय दौरों (भारत में) के ब्यौरे

क्र.सं.	मंत्री का नाम	यात्रा की तारीख	यात्रा का स्थान	कुल दिन			खर्च
1.	श्री जगदीश टाइटलर	7/8.4.94	बंगलौर	1	हवाईजहाज का किराया		रु. 9594.00
					दैनिक भत्ता		रु. 30.00
						जोड़	रु. 9624.00
2.	वही	28/29.4.94	बम्बई	2	हवाई जहाज का किराया		रु. 7828.00
					दैनिक भत्ता		रु. 60.00
						जोड़	रु. 7888.00
3.	वही	30.4.94/ 1.5.94	कोचीन	2	हवाई जहाज का किराया		रु. 4776.00
4.	वही	15.5.94	बम्बई	1	हवाई जहाज का किराया		रु. 3606.00
5.	वही	24/25.6.94	बम्बई	2	इवाई जहाज का किराया		रु. 3854.00
					दैनिक भत्ता		रु. 60.00
						जोड़ :	रु. 3914.00
6.	श्री जगदीश टाइटलर	29.8.94	हैदराबाद	1	हवाई जहाज का किराया		रु. 4791.00
7.	वही	31.8.94/ 4.9.94	मद्रास/बम्बई	5	हवाई जहाज का किराया		रु. 8236.00
					दैनिक भत्ता		रु. 150.00
							रु. 8386.00
8.	वही	10/12.9.94	हैदराबाद/विजाग	3	हवाई जहाज का किराया		रु. 3486.00
					वही		रु. 4791.00
					वही		रु. 5463.00
					दैनिक भत्ता		रु. 90.00
						जोड़ :	रु. 13830.00
9.	वही	16/18.9.94	मद्रास	3	हवाई जहाज का किराया		रु. 12538.00
					दैनिक भत्ता		रु. 60.00
						जोड़ :	रु. 12598.00
10.	वही	29.9.94 2.10.94	मद्रास	4	दैनिक भत्ता		रु. 81.00
					हवाई जहाज का किराया		रू. 12,538.00
						जोड़	रु. 12,619.00
11.	वही	23.10.94	बम्बई	1	हवाई जहाज का किराया		रु. 7821.00
					दैनिक भत्ता		रु. 30.00
						जोड़	रु. 7851.00
12.	वही	26/28.9.94	बम्बई	3	हवाई जहाज का किराया		रु. 8466.00
					दैनिक भत्ता		रु. 72.00
						जोड़	रु. 8538.00
13.	वही	12/15.11.94	गोवा	4	हवाई जहाज का किराया		रु. 8466.00
					दैनिक भत्ता		रु. 120.00
						जोड़	रु. 8586.00

विवरण-II

वित्त वर्ष 1994-95 के दौरान जल-भूतल परिवहन राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) द्वारा किए गए विदेशी दौरों के ब्यौरे

क्रम सं.		मंत्री का नाम	यात्रा की तारीख	जिस देश की यात्रा की	खर्च
1.	श्री जगदीश टाइटलर	22/5/94 से 2/6/94	ओसलो/ लंदन/दुबई	हवाई जहाज का किराया	81,917.00 रु.
				हवाई अड्डे का कर	300.00 रु.
				जोड़	82,217.00 रु.

उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित भुगतान किए गए :

1. ओसलो में भारतीय दूतावास से प्राप्त (22–26.5.94) दैनिक भत्ते के रूप में 2715.22 एन ओ के।
1. (क) ओसलो में भारतीय दूतावास से प्राप्त 1762.50 एन ओ के
2. ओसलो स्थित भारतीय दूतावास से विविध अनुदान के रूप में प्राप्त 235 एन ओ के,
3. 27–30.5.94 के लिए दैनिक भत्ते के रूप में लंदन में भारतीय उच्चायोग से प्राप्त 203 पोंड 36 पै.।
4. 31.5.94 से 2.6.94 तक यू ए ई में भारतीय दूतावास से प्राप्त 450.08 डी एच एस
5. यू ए ई में भारतीय दूतावास से विविध भत्तों के रूप में प्राप्त 46.40 डी एच एस।

(एच सी आई/दूतावास द्वारा बनाए गए उक्त राशि/खर्च के बिल अभी प्राप्त होने हैं और उन्हें अंतिम रूप दिया जाना है।)

2.	श्री जगदीश टाइटलर	20.7.94 से 24.7.94 तक	सिंगापुर/ कुआलालम्पुर	हवाई जहाज का किराया	40,090/–रु.

हवाई जहाज के किराए के अतिरिक्त कुआलालम्पुर में भारतीय उच्चायोग द्वारा माननीय मंत्री को निम्नलिखित भुगतान किए गए थे जिनके बिल/नामे दावे अभी एम ई ए से प्राप्त होने हैं :

(i)	3 दिन (20 –22.7.94 तक) के लिए दैनिक भत्ता	4,773.00 रु.
(ii)	विविध	600.00 रु.
(iii)	कुआलालम्पुर में हवाई अड्डा कर	244.00 रु.
(iv)	मनोरंजन खर्च	7,500.00 रु.

3.	श्री जगदीश टाइटलर	5/10/94 से 18/10/94	हांगकांग/ टोकियो/	हवाई जहाज का किराया	77,321.00 रु.
			हिरोशिमा/ सियोल/ सिंगापुर	हवाई जहाज का किराया	2,058.00 रु.

हवाई जहाज के किराए के अतिरिक्त माननीय मंत्री द्वारा भारतीय दूतावासों से निम्नलिखित राशियां प्राप्त की गई थी जिनके बिलनामे दावे अभी एम ई ए से प्राप्त होने हैं :

(i) हांगकांग में भारतीय आयोग से दैनिक भत्ते के रूप में 2367/–रु.

(ii) सियोल में भारतीय दूतावास से दैनिक भत्ते के रूप में 7099/– रु.

(iii) भारतीय दूतावास, सियोल से विविध भत्ते के रूप में 600/–रु.

(iv) टोकियों में भारतीय दूतावास से दैनिक भत्ते, विविध भत्ते और मनोरंजन भत्ते के रूप में 25464 /–रु.

(v) सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग से दैनिक भत्ते और हवाई अड्डा कर के रूप में 5272/–रु.

अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में मछली पकड़ने पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप समझौता

1883. श्री पी. कुमारासामी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य को विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से विश्व की पहली वाध्यकारी संधि का प्रारूप समझौता तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) अस्थिरचित मछली भण्डार (स्ट्रैडलिग फिश स्टॉक) तथा अत्यधिक भ्रमणशील मछली भण्डारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन, अस्थिर चित मछली भण्डार और अत्यधिक भ्रमणशील मछली भडारों के सरंक्षण एवं उसकी पोषणीय उपयोगिता हेतु एक समझौते को तैयार करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

(ख) वर्तमान प्रारूप समझौते की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं :

(i) यह अस्थिरचित मछली भंडारों एवं अत्यधिक भ्रमणशील मछली भंडारों के सरंक्षण एवं प्रबंधन हेतु कतिपय न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सिद्ध करता है।

(ii) यह सुनिश्चित करता है कि तटीय राज्यों द्वारा राष्ट्रीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (नेशनल एक्सक्लूसिव एकोनामिक जोन्स) के अंतर्गत ही मात्स्यकी संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए किए गए उपाय, संबंधित तटीय राज्य के राष्ट्रीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (ई ई जेड) की सीमा के निकटवर्ती अथवा बाहर स्थित गहरे जल में मछली पकड़ने वाले बेड़ों के परिचालन से क्षीण नहीं हुए हैं।

(iii) यह अनुपालन/ प्रवर्तन हेतु कतिपय तंत्रों को प्रतिष्ठित करता है।

(iv) प्रारूप समझौता में मछली भंडारों (स्टाक) के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु विकासशील देश को सहायता देने की व्यवस्था है।

(ग) सरकार प्रारूप समझौता के उपरोक्त विशेषताओं का स्वागत करती है।

दवाइयों का आयात

1884. श्री विलासराव नागनाथ राव गून्डेवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन–किन दवाइयों का आयात किया जाता है; और

(ख) इन दवाओं का आयात रोकने के लिए इन दवाओं का समुचित मात्रा में निर्माण देश में ही करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी. सिलवेरा) : (क) 1993–94 के दौरान देश में आयात की गई औषधों (दवाइयों) के नामों को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण के रूप में है।

(ख) इन सूचीबद्ध औषधों में से दो कैंसर रोधी औषधें नामित: इटोपासाइड ओर विंकरींसटीन देश में पहले से ही निर्मित की जा रही हैं। ऐसी औषधों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में औषधों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त करना, अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहन, विदेशी निवेश पर विनिर्दिष्ट सीमाओं तक स्वत: अनुमोदन और औषध निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है।

विवरण

1993-94 के दौरान देश में आयात की गई औषधों (दवाइयों) के नामों को दर्शाने वाली सूची

क्र.सं.	औषध का नाम (मेडिसिन)
1	2
1.	एडरीब्लास्टिना इन्जेक्शन (डोक्सोरूविन)
2.	एजाथाइयोप्रिन गोलियां
3.	एट्रिकुरियम डाइबेसिलेट इन्जेक्शन
4.	एंटी हेमोफीलिक फेक्टर कन्सेन्ट्रेट
5.	एसाइक्लोविर ठेष./इन्जे.
6.	एंटी रेबीज नार्मल इम्युनोग्लोबुलिन
7.	एंटी टेटनस नार्मल ह्युमेन इम्युनोग्लोषुलिन
8.	एप्रोटीनिन इन्जेक्शन
9.	ब्लीयोमाइसिन इन्जेक्शन
10.	एंकोटिल टेब. (फ्लुकोयटोसिन)
11.	बेथेनेकोल क्लोराइड गोली (मियोटोमाइन)
12.	बुसुलफेन गोली (मिलेरेन)
13.	बुटालेक्स इन्जेक्शन (वेट.)
14.	केल्क्युम लियुकोनेराइन इन्जेक्शन
15.	सिट्राबिन इन्जेक्शन
16.	केटालिन गोली
17.	सिसप्लाटिनम इन्जेक्शन
18.	सेरूषाइडिन इन्जेक्शन
19.	कलरेमबुसिल गोली
20.	कोलेस्टिरेमाइन ओरल सस्पेंशन
21.	कार्मोप्लेटिन इन्जेक्शन
22.	डिमारोरेन
23.	हेल्फेरल इन्जेक्शन
24.	डोपामाइन इनजेक्शन

1	2
25.	डी.आई.टी.सी. इन्जेक्शन (डे कार्बेजाइन इन्जेक्शन)
26.	इपिरूबिसिन इन्जेक्शन
27.	इटोपोसाइड इन्जेक्शन
28.	ग्लोकागोन इन्जेक्शन
29.	गेस्गेंगरेन एंटी टॉक्सिन इन्जेक्शन
30.	हाइड्रोक्सी–यूरिया केप्सूल्स
31.	ह्युमेन एल्बुमिन इन्जेक्शन
32.	इन्सुलिन इन्जेक्शन
33.	इन्ट्रालपिड इन्जेक्शन
34.	आइसोफोरेन इन्जेक्शन
35.	आइपेमाइडोल स्टेराइल साल्यूशन
36.	आइयोहेक्सोल स्टेराइल साल्यूशन
37.	लियोवेस कोस्मोजेन इन्जेक्शन
38.	लेयुनेस इनजेक्शन
39.	लोमुसटाइन इन्जेक्शन
40.	लेक्टुलोस सीरिज
41.	मेलफोलन केप्सूल्स
42.	6 मर्केप्टोप्युरिन गोली
43.	मेट्रोडिन इन्जेक्शन
44.	मेथाइल प्रेउनीसोलोन सोड सक्सीनेट इन्जेक्शन
45.	मेडोपार गोली
46.	मेस्टीरोन गोली
47	निट्रोगलाइसेराइन इन्जेक्शन
48	पाम इन्जेक्शन
49.	पेरगोनाल इन्जेक्शन
50.	प्रोकार्बेजाइन एच. सी. एल. केप.
51.	पेन्सिलेमाइन केप.
52.	प्रेजिकुयांटेल गोली
53.	सोड. मेथोट्रेक्सेट इन्जेक्शन
54.	टेनोक्सेफेन गोली
55.	थियोगुयामाइन गोली
56.	यूरोकिनेस इन्जेक्शन
57.	वेसोप्रोसिन (पोस्टेक्टीन) गोली
58.	विन्क्राइस्टिन सल्फेट इंजेक्शन/गोली
59.	मेग्नाविस्ट इन्जेक्शन
60.	मानटोभाइसिन इन्जेक्शन
61.	इन्ट्रोन–ए–इन्जेक्शन
62.	ह्युमेन गामा ग्लोबुलिन
63.	डी डी ए वी पी (इन्ट्रा–नेसल)
64	जुडोवाइडिन केप्सूल
65.	थाइमोग्लोबुलिन इन्जेक्शन
66.	पाइपेरासिलिन सोड इन्जेक्शन
67.	लिम्फोग्लो–बुलिन इन्जेक्शन
68.	अल्फा–डी–3 केप्सूल
69.	डेकापोप्टिल इन्जेक्शन
70.	हेमेक्स
71.	डोब्युटामाइन इन्जेक्शन
72.	स्टेराइल एब्जारबेवल हेमोस्टीट
73.	नार्मल ह्युमेन सीरम अल्बुमिन
74.	नार्मल अमाइनोग्लुबोलिन
75.	पिराइडोस्टिमाइन गोली
76.	रेसेप्टल इन्जेक्शन (न्युसेट्रोलाइन एसिटेट इन्जेक्शन)
77	साइनामेट गोली
78.	सोड. एओरोथाइयोरेलिएट इन्जेक्शन
79.	सेप्टोपल बीड्स एंड चेनिस
80.	स्ट्रेप्टोकिनेस इन्जेक्शन
81.	सेंडीम्युन ओरल सस्पेंशन/इन्जेंक्शन
82.	सोडियम इन्ट्रोप्रुस्साइड इन्जेक्शन
83.	यूरोकोलाइन क्लोराइड केप्सू.
84.	वाइट्रीमिक्स के.वी.
85.	वेनग्लुबोलिन
86.	ह्युमेन क्रोनिक गोनाट्रोपाइन इन्जेक्शन
87.	ह्युमेन मेनोफोसल गोनाट्रोपाइन इन्जेक्शन
88.	पाइलोकार्पिन क्लोरिड्रेट इन्जेक्शन
89.	बेकलोन गोलियां
90.	एल–एस्पोर्जाइन इन्जेक्शन
91.	टोब्रामइसिन इन्जेक्शन
92.	इनोकोन लेक्टेर इन्जेक्शन
93.	ओरल पोलियो वैक्सीन
94.	मेनिनगोकोक्कल इनजेक्शन
95	खसरे का वैक्सीन
96.	यकृतशोध–बी.इन्जेक्शन
97.	हेलोफेन सी.पी. सॉल्यूशन
98.	एमिनो एसिड्स आई.वी. फुलूइड्स
99.	नोर्डाइट्रोफिन इन्जेक्शन

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना

1885. श्री तेज नारायण सिंह :
श्री दत्ता मेघे :
डा. साक्षीजी :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्य–वार कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक राज्य–वार कितने प्रस्तावों/योजनाओं को मंजूरी दी गई हैं;

(ग) राज्य–वार कितने प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं;

(घ) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(च) इन परियोजनाओं की राज्य–वार रोजगार सृजन और निर्यात क्षमता कितनी है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) बीयर निर्माण के संबंध में लम्बित प्रस्तावों की संख्या 14 है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) से (च). राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष के लिए निधियों का आवंटन नहीं किया जाता क्योंकि कार्यान्वित की जा रही स्कीमें परियोजना विशिष्ट होती हैं। तथापि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए स्कीमों के अन्तर्गत दी गई सहायता में राज्य सरकार के संगठनों/सहकारी निकायों/स्वैच्छिक संगठनों/संयुक्त क्षेत्र आदि को दी गई सहायता शामिल होती है।

विवरण–I

1992-93 और 1993-94 के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों (100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटें/संयुक्त/विदेशी सहयोग/औद्योगिक लाइसेंस आदि) के ब्यौरे।

क्र.सं.	राज्य का नाम	संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	94
2.	बिहार	4
3.	गुजरात	20
4.	हरियाणा	31
5.	हिमाचल प्रदेश	9
6.	कर्नाटक	18
7.	केरल	35
8.	मध्य प्रदेश	14
9.	महाराष्ट्र	88
10.	उड़ीसा	2
11.	पंजाब	8
12.	राजस्थान	19
13.	तमिलनाडु	38
14.	उत्तर प्रदेश	33
15.	पश्चिम बंगाल	9
16.	अण्डमान निकोबार	3
27.	दादर तथा नगर हवेली	2
28.	दिल्ली	1
29.	दमन और दियु	4
20.	पांडिचेरी	2
21.	गोवा	16
22.	स्थान विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया/एक से अधिक राज्य में यूनिटें भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रस्ताव	44
	कुल जोड़	494

विवरण–II

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास लम्बित प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4
2.	पंजाब	1
3.	पश्चिम बंगाल	1
4.	गोवा	2
5.	हरियाणा	1
6.	जम्मू और कश्मीर	1
7.	कर्नाटक	1
8.	मध्य प्रदेश	1
9.	महाराष्ट्र	2
	जोड़	14

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दवाइयों की कमी

1886. श्री के. राममूर्ति टिंडिवनाम :

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधिकतर औषधालयों में अत्यावश्यक दवाइयां भी नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार सभी दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और समुचित चिकित्सीय देखभाल के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : (क) और (ख). सब मिलाकर औषधालयों में अनिवार्य फार्मूलरी औषधियां उपलब्ध हैं। यदि औषधालय में कोई औषधी उपलब्ध नहीं होती है तो स्थानीय अधिकृत कैमिस्टों से खरीद कर उसकी आपूर्ति की जाती है।

मंत्री का दौरा

1887. डा. सुधीर राय : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री जी देश में और देश के बाहर कितने-कितने दिन दौरे पर रहे;

(ख) ऐसे दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक दौरे पर कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या दौरे पर हुए व्यय का वहन केन्द्रीय सरकार के बजट से किया गया; और

(ङ) यदि नहीं तो यह व्यय किस स्रोत से किया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :

(क) देश के अन्दर किए गए दौरों की दिवस संख्या शून्य

देश से बाहर किए गए दौरों की दिवस संख्या -49

(ख) मंत्री 6.6.94 से 24.7.94 तक यू.के. की सरकारी यात्रा पर थे।

(ग) सही राशि का सुनिश्चय किया जा रहा है और सूचित कर दी जायेगी।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्री का दौरा

1888. श्री सुब्रतो मुखर्जी :
श्री अमल दत्ता :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री महोदय देश में और देश के बाहर कितने-कितने दिन दौरे पर रहे;

(ख) ऐसे दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक दौरे पर कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या इन दौरों पर हुये व्यय का वहन केन्द्रीय सरकार के बजट से किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह व्यय किस स्रोत से किया गया?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री महोदय ने 6.12.1994 तक देश में 84 दिनों तथा देश से बाहर 28 दिन का दौरा किया।

(ख) दौरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) देश में किए गए दौरों पर कुल 51,90,447/-रुपये तथा विदेश में किए गए दौरों पर 3,65,299/-रुपये व्यय हुए।

(घ) जी हां।

(ङ) उपर्युक्त भाग(घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

माननीय संचार राजय मंत्री पं. सुख राम द्वारा 1994-95 के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 6,12,94 तक देश में किये गये दौरों का ब्यौरा

क्र.सं.	दौरे की तारीख	दौरे के दिन	दौरे के स्थान	व्यय रुपयों में
1	2	3	4	5
1.	02.04.94	1	हैदराबाद	–
2.	07-10.04.94	4	कांगड़ा, मंडी, कुल्लू	2640
3.	12.04.94	1	कलकत्ता	8760
4.	13.04.94	1	अमृतसर	–

1	2	3	4	5
5.	14–15.04.94	2	बम्बई	3905
6.	16–17.04.94	2	शिमला, कालका	4060
7.	02–04.05.94	3	मंडी, कुल्लू, मुन्दर	6915
8.	24–25.05.94	2	बंबई	5160
9.	01–02.05.94	2	भुन्दार, मंडी	5151
10.	04–05.06.94	2	कुरूक्षेत्र, शिमला	51
11.	23–25.06.94	3	कुल्लू, मंडी	–
12.	27–28.06.94	2	शिमला	
13.	30–03.07.94	4	बेंगलोर, हैदराबाद	10025
14.	06–07.07.94	2	कालका, शिमला	2060
15.	16–18.07.94	3	कुल्लू, मंडी	5190
16.	29–30.07.94	2	कुल्लू, कांगड़ा, मंडी	–
17.	04–06.08.94	3	शिमला, चंडीगढ़	1577
18.	13–15.08.94	3	कुल्लू, मंडी	5190
19.	28–29.08.94	2	बंबई	8508
20.	30–31.08.94	2	मंडी, कुल्लू	5160
21.	04–05.09.09	2	कुल्लू, चंडीगढ़	8146
22.	06.09.94	1	कांगड़ा, उधमपुर, पठानकोट, पालानपुर	92117
23.	07–09.09.94	3	लुधियाना, चंडीगढ़	2573
24.	11–12.09.94	2	भुन्दार, कालका, मंडी	3239
25.	03–08.10.94	6	चंडीगढ़, कड़छम, पुह, किवलोन ताबू, काजा, उदयपुर, किल्लेर,	4985070
26.	14–18.10.94	5	चंडीगढ़, मंडी, सोलान	2946
27.	06–07.11.94	2	बंबई	8466
28.	10–11.11.94	2	मद्रास	125338
29.	13.11.94	1	ऊना	–
30.	17–19.11.94	3	कांगड़ा	–
31.	21–22.11.94	2	पटना	–
32.	23–26.11.94	4	मद्रास, त्रिवेंद्रम, बंबई	
33.	30–02.12.94	3	शिमला	
34.	03–04.12.94	2	मंडी	
		84		5190447

विवरण–II

माननीय संचार मंत्री पं. सुख राम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान, 6.12.94 तक किये गये विदेशी दौरों का ब्यौरा

क्र.सं.	दौरे की तारीख	दौरे के दिन	दौरे के स्थान	व्यय रुपयों में
1.	24–29.04.94	6	दुबई, काहिरा	95586
2.	16–18.05.94	3	स्वीडन	150425
	19–23.05.94	5	डेनमार्क	
3.	21–23.08.94	3	हांगकांग, सियोल	119288
4.	18–28.09.94	11	जापान, मलेशिया	
		28		365299

सूचना एकत्र की जा रही है।

मंत्री महोदय का दौरा

1889. डा. सुधीर राय : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्त वर्ष के दौरान मंत्री महोदय के देश में तथा देश से बाहर किये गये दौरों का पृथक–पृथक ब्यौरा क्या हैं;

(ख) ऐसे दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक दौरे पर कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या यह व्यय केन्द्रीय सरकार के बजट से वहन किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह धनराशि किस स्त्रोत से व्यय की गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गागोई) : (क) से (ग). ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण–I

माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा इस वित्तीय वर्ष अर्थात अप्रैल 1994 से नवम्बर 1994 के दौरान देश में और देश से बाहर किए गए दौरों और प्रत्येक दौरे पर हुए व्यय का पृथक-पृथक ब्यौरा निम्नलिखित है।

देश में किए गए दौरे :

क्रम.	अवधि		स्थान जहां का दौरा किया	दिनों की संख्या	उस पर हुआ व्यय
	से	तक			
1.	31.03.94	03.04.94	बम्बई	4	7819 रु.
2.	09.04.94	13.04.94	गुवाहाटी और नौगांव	5	8987 रु.
3.	19.05.94	21.05.94	कलकत्ता और गुवाहाटी	3	10492 रु.
4.	29.05.94	31.05.94	कलकत्ता और जोरहट	3	10974 रु.
5.	03.06.94	06.06.94	बम्बई, कलकत्ता और गुवाहाटी	4	14721 रु.
6.	19.06.94	22.06.94	बंगलौर	4	9714 रु.
7.	31.08.94	04.09.94	गुवाहाटी और कलकत्ता	5	17573 रु.
8.	08.09.94	09.09.94	बम्बई और भोपाल	2	6358 रु.
9.	13.09.94	17.09.94	कलकत्ता, जोरहट और डिब्रूगढ़	5	14774 रु.
10.	27.09.94	01.10.94	पुणे और बम्बई	5	9705 रु.
11.	08.10.94	11.10.94	कलकत्ता और जोरहट	4	13766 रु.
12.	05.11.94	06.11.94	गुवाहाटी	2	12036 रु.
13.	09.11.94	14.11.94	कलकत्ता, जोरहट और गुवाहाटी	6	13517 रु.
14.	22.11.94	29.11.94	कलकत्ता और गुवाहाटी	8	12796 रु.

देश के बाहर दौरे :

क्रम.	अवधि		देश जहां का दौरा किया	दिनों की संख्या	उस पर हुआ व्यय भारतीय रुपये विदेशी मुद्रा
	से	तक			
1.	01.07.94	10.07.94	ब्रिटेन	10	(1) 73699 रुपये (हवाई जहाज का किराया)
					(2) 8883.44 पौंड

दुर्गापुर विद्युत संयंत्र

1890. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर संयंत्र की दो इकाईयों को आग से क्षति पहुंची है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर विद्युत संयंत्र के दो यूनिट के अक्तूबर, 1985 में आग लगने से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इन यूनिटों को बन्द कर दिया गया था।

दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र के दो क्षतिग्रस्त यूनिटों की पुनर्स्थापना के लिए कार्रवाई की जा रही है। 353.00 करोड़ रु. (निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर) के लागत अनुमान के साथ इस संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को नवम्बर, 94 में प्रस्तुत कर दी गई है।

[हिन्दी]

मांस का निर्यात

1891. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्काबीर परियोजना के अन्तर्गत बकरों और भेड़ों आदि के मांस का निर्यात किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कितनी भैसों और बकरों आदि की हत्या की जाएगी;

(ग) भैसों और बकरों की हत्या का कृषि परियोजनाओं के लिए गोबर की उपलब्धता पर क्या अनुमानित प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश के मेढक जिले में अल्काबीर जैसी कोई योजना बनायी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी हां।

(ख) पूरी क्षमता का प्रयोग करने पर इस परियोजना के तहत प्रतिवर्ष 1,50,000 भैंसों और 3,00,000 भेड़ और बकरियों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ग) और (घ). कोई सर्वेक्षण विशेष नहीं किया गया है पर इस परियोजना के तहत मांस के लिए भैंस और बकरियों का इस्तेमाल करने से कृषि कार्यों के लिए गोबर की उपलब्धता पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा क्योंकि परियोजना के तहत केवल उन्हीं भैंसों का इस्तेमाल किया जाता है जो बेकार और बूढ़ी हों। इससे उत्पादक पशुधन के लिए बेहतर चारे और प्रबंधन में सहायता मिलेगी जिससे अधिक गोबर प्राप्त होगा।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेप्सी फूडस लिमिटेड की निर्यात शर्तें

1892. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेप्सी फूड लिमिटेड द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों की निर्यात शर्तों में छूट दे रही है;

(ख) क्या सरकार ने पेप्सी फूडस लिमिटेड की निर्यात की गैर खाद्य मदों की अनुमति दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गागोई) : (क) से (ग). खाद्य उत्पाद समेत किसी भी मद का निर्यात मौजूदा आयात–निर्यात नीति द्वारा नियंत्रित होता है। पेप्सी फूडस लिमिटेड भी इसी नीति के तहत खाद्य उत्पादों और गैर खाद्य मदों का निर्यात कर रही है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा आयात

1893. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा 1988–89 के दौरान स्टेनलेस इस्पात और एच आर कोयलों को आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयातित वस्तुओं की कुल लागत कितनी थी और इन वस्तुओं का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया;

(ग) सरकार को इस आयात से कितना लाभ/मुनाफा हुआ;

(घ) क्या इस संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :

(क) **बेदाग इस्पात**

"सेल" ने वर्ष 1988–89 और 1989–90 के दौरान बिक्री के लिए बेदाग इस्पात का आयात नहीं किया। तथापि, "सेल" ने शीत बेल्लित बेदाग इस्पात चादरों/क्वायलों का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में तप्त बेल्लित बेदाग इस्पात क्वायलों का आयात किया था।

मृदु इस्पात :

आई एस 10748/1984 ग्रेड–विनिर्दिष्टि के अनुसार तप्त बेल्लित क्वायलों का आयात करने के लिए आयात–निर्यात नीति 1988–91 की शर्तों के अनुसार "सेल" माध्यम एजेंसी के रूप में नामित थी। तदनुसार, "सेल" ने सन्दर्भित अवधि के दौरान आई एस 10748/1984 ग्रेड–1 गुणता में तप्त बेल्लित क्वायलों का आयात करने की व्यवस्था की थी।

(ख) आयातित तप्त बेल्लित क्वायलों की मात्रा और उसके कुल मूल्य (लागत एवं भाड़ा आधार पर) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	प्राप्त मात्रा (हजार टन)	मूल्य(लागत एवं भाड़ा आधार पर) (करोड़ रुपए)
1988–89	134.5	92.7
1989–90	115.0	88.3

एच आर क्वायलों/स्केल्प के संबंध में उपभोक्ताओं की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए "समग्र आवश्यकता योजना" शुरू की गई थी ताकि "सेल" के अपने उत्पादन और आयात से उपभोक्ताओं की कुल बुक की गई मांग को पूरा किया जा सके।

(ग) एच आर क्वायलों/स्केल्प/एच आर चादरों की संयुक्त संयंत्र श्रेणियों के आधार पर मूल्य में 12/13.10.1988 से 270 रु. प्रति टन की लेवी लगाई गई। यह लेवी इसलिए लगाई गई थी कि "न लाभ, न हानि" आधार पर आयात के जरिए एच आर क्वायलों की घरेलू उपलब्धता को पूरा करने की योजना को "सेल" चला सके।

(घ) और (ङ). मैसर्स गुप्ता ब्रादर्स स्टील ट्यूब, चण्डीगढ़ का एक क्लेम था। इसे पंचाट को भेज दिया गया था और तदनुसार यह मामला जिला न्यायालय, चण्डीगढ़ में निर्णयाधीन है।

एक्वाकल्चर टेक्नालाजी इन्स्टीट्यूट को विश्व बैंक की सहायता

1894. श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एक एक्वाकल्चर टेक्नालाजी इन्स्टीट्यूट को हाल ही में मंजूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं,

(ग) विश्व बैंक द्वारा संस्थान को कितनी सहायता दी जाएगी; और

(घ) यह इन्स्टीट्यूट कब तक स्थापित हो जाएगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). यह निर्णय लिया गया है कि विश्व बैंक से "एक्वाकल्चर सेंटर" की स्थापना के लिए एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन करने की पेशकश की जाए। संसाधनों की कमी, सफलता की गारंटी वाली संभावित मदों और न्यूनतम निवेश को ध्यान में रखकर तत्काल विकास के लिए तीन क्षेत्रों का सुझाव दिया गया है :–

(1) फिन फिश कैज कल्चर

(2) क्रेब कल्चर

(3) लोबस्टर कल्चर

(ग) और (घ). अध्ययन पूरा होने पर ही परियोजना की लागत और समय सीमा का पता लगेगा।

कृषि आधारित उद्योग

1895. प्रो. अशोक आनन्दराव देशमुख :
श्री डी. पांडियन :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992–93 और 1993–94 के दौरान देश में विशेषरूप से महाराष्ट्र में स्थापित किए गए कृषि आधारित उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1992–93 और 1993–94 के दौरान औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन श्रेणी के अंतर्गत देश में कुल 67 यूनिटों की स्थापना की गयी है जिनमें 2247 करोड़ रु. का पूंजीनिवेश करने और 9607 लोगों को रोजगार देने का कार्यक्रम है। इनमें से 11 यूनिट महाराष्ट्र राज्य में हैं जिनमें 771 करोड़ रु. का पूंजीनिवेश करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा औद्योगिक अनुमोदन श्रेणी (औद्योगिक लाइसेंस/संयुक्त उद्यम/100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट) के अंतर्गत 45 यूनिटों को भी कार्यान्वित किया गया है जिनमें 887.45 करोड़ रु. का पूंजीनिवेश और 339.88 करोड़ रु. का विदेशी पूंजीनिवेश करने का कार्यक्रम है इनमें से 3 परियोजनाएं महाराष्ट्र राज्य में हैं जिनमें 102 करोड़ रु. का पूंजीनिवेश और 7.07 करोड़ रु. का विदेशी पूंजीनिवेश निहित है।

(ख) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग घोषित करना, अल्कोहलयुक्त पेयों के आसवन तथा किण्वन एवं लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, विदेशी/अनिवासी भारतीय निवेशों की अनुमति देना, वित्तीय रियायत देना आदि शामिल हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न योजना स्कीमें भी चला रही है।

इजरायल और दक्षिण अफ्रीका के साथ आर्थिक संबंध

1896. **श्री हरिसिंह चावड़ा :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री अन्ना जोशी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण अफ्रीका और इजरायल के साथ आर्थिक संबंध स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन किन क्षेत्रों में संयुक्त सहयोग किया गया है और समझौते किए गए हैं; और

(ग) इन समझौतों के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) इजरायल और दक्षिण अफ्रीका के साथ निम्नलिखित समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

इजरायल

1. पर्यटन समझौता
2. सांस्कृतिक समझौता
3. वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग हेतु समझौता
4. कृषि के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता
5. विमान सेवाओं संबंधी समझौता
6. दूर-संचार के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता

द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। कृषि, ड्रिप तथा डॉप सिंचाई, जल प्रबंधन, सौर ऊर्जा, संकर बीज, फसल नियोजन तथा कृषि उद्योग जैसे क्षेत्रों में सहयोग सहित संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के विकास की संभावनाओं पर भी बातचीत की जा रही है। कई भारतीय उपक्रमों ने उपरोक्त क्षेत्रों में इजरायल के उपक्रमों के साथ 22 संयुक्त सहयोग (कोलैबरेशन) हेतु समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है।

भारत सरकार ने वर्ष 1992 से अक्तूबर, 1994 के दौरान इजरायल के साथ 22 विदेशी सहयोग (कोलैबेरेशन) को अनुमति प्रदान की है और इसमें 96.61 मिलियन रुपए मूल्य की वित्तीय इक्विटी भागीदारी के सहयोग समझौते शामिल हैं।

दक्षिण अफ्रीका

दोनों सरकारों ने अगस्त, 1994 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निजी क्षेत्र में फिक्की/ए एस एस ओ सी एच ए एम ने जे बी सी समझौते पर हस्ताक्षर किया है और सी आई आई तथा एस ए सी ओ बी के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है।

भारत सरकार ने अभी तक दक्षिण अफ्रीका की कंपनी और भारत की कंपनी, बंबई की मैसर्स पी एस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच ऐनोड के निर्माण/उत्पादन हेतु एक सहयोग(कोलैबरेशन) की अनुमति दी है।

निजी कंपनियां दक्षिण अफ्रीका की कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में लगी हुई हैं।

(ग) संबंधित मंत्रालय, विभिन्न समझौतों पर निगरानी रखते हैं तथा समय-समय पर संयुक्त विचार-विमर्श किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके कार्यान्वियन में प्रगति हो।

[हिन्दी]

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात

1897. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, कितने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात किया गया तथा उसका मूल्य क्या था;

(ख) कौन-कौन से देश भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का आयात करते हैं;

(ग) क्या हाल ही में अमरीकी आयातकों द्वारा देश से निर्यात किए गए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को अस्वीकृत कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य, व्यापार और उद्योग संघ (सी. आई. एफ. टी. आई.) का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या सहायता उपलब्ध कराई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मात्रा और मूल्य के संबंध में प्रसंस्कृत अनाजों और समुद्री उत्पादों सहित प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात निम्नानुसार है :-

वर्ष	मात्रा(मी.टन)	मूल्य (रु. करोड़ में)	
1991-92	1870.6	2963.18	
1992-93	1147.5	3488.95	
*1993-94	1688.9	4991.50	*(अनन्तिम)

(ख) समुद्री उत्पादों सहित भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य का आयात करने वाले प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमरीका, रूस, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, यमन, जापान और मलेशिया हैं।

(ग) और (घ). उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ.डी.ए.) ने गुणवत्ता के आधार पर कुक्ड श्रिम्प के कतिपय प्रेषण को अमरीका में प्रवेश करने की मंजूरी नहीं दी।

(ङ) जी, हां।

(च) भारतीय खाद्य व्यापार तथा उद्योग परिसंघ ने सूचित किया है कि वे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में गुणवत्ता के उन्नयन के

लिए एक व्यापार कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं जिससे देश विश्व बाजार में अपनी प्रतियोगी स्थिति में सुधार करने में समर्थ होगा। सी.आई.एफ.टी.आई. ने पहले ही एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर ली है। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 12.88 लाख रुपये की मंजूरी दी है तथा स्वीकृत धनराशि में से अब तक 10.88 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा सी. आई. एफ. टी. आई. ने गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचारियों के लिए विभिन्न केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव भी किया है। ब्यौरे सी.आई.एफ.टी.आई. द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

"इस्को" का आधुनिकीकरण

1898. श्रीमती गीता मुखर्जी :
डा. वसंत पंवार :
कुमारी ममता बनर्जी :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "इस्को" के आधुनिकीकरण हेतु कोई निवेश संबंधी निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों ने देश में इस्पात संयंत्रों विशेषत: "इस्को" के आधुनिकीकरण हेतु अपनी प्रौद्योगिकी प्रदान की है;

(घ) क्या इन संयंत्रों के आधुनिकीकरण हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई थी;

(ङ) क्या आधुनिकीकरण और निजीकरण के फलस्वरूप श्रमिकों की छंटनी होगी; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (फरवरी, 1994 में यथा संशोधित) की शर्तों के अनुसार "इस्को" एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी बन गई थी अत: कंपनी के निदेशक मंडल ने अधिनियम की धारा 15 के तहत कंपनी के संबंध में अपनाए जाने वाले उपायों को निर्धारित करने के लिए इसे 22 जून, 1994 को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेज दिया था। "इस्को" के आधुनिकीकरण के लिए शुरू की जाने वाली कोई भी योजना इस संबंध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के आदेशों के अनुरूप होगी।

(ग) और (घ). "सेल" के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए किसी भी देश ने अपनी प्रौद्योगिकी देने का प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं जारी की गई थीं जिनमें विदेशी कंपनियों ने भाग लिया है।

(ङ) और (च). उपरोक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित संयंत्रों के आधुनिकीकरण से कामगारों की छटनी नहीं होगी। जहां तक इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी का संबंध है, जैसाकि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है कि यह "इस्को" के आधुनिकीकरण के लिए शुरू की जाने वाली कोई भी योजना इस संबंध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के आदेशों के अनुरूप होगी।

रूस के साथ सहयोग

1899. श्री बलराज पासी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस ने देश में खनन हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते में आने वाली वित्तीय बाधाएं क्या हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें भारत और रूस के बीच खनिज क्षेत्र में व्यापक सहयोग की रूपरेखा दर्शायी गई है। इस कार्यक्रम में लौह और अलौह धातुकर्म के लिये प्रौद्योगिकी के विकास में सहयोग भी शामिल है।

खनन के क्षेत्र में विदेशी निवेश

1900. श्री शांताराम पोतदुखे :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खनिज निकालने के लिए विदेशी सहायता ली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खनिज क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने देश में और विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए अन्य देशों के साथ कोई समझौता किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). देशी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने और उससे खनिज विकास में गति लाने के लिए, राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 और 1994 में यथासंशोधित खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 में सभी गैर-आणविक और गैर-ईंधन खनिजों को निजी क्षेत्र द्वारा गवेषण के लिए खोल दिया गया है।

(घ) और (ङ). भारत सरकार ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए विदेशों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। तथापि फ्रांस के साथ हस्ताक्षरित समझौते और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के चीन के दौरे के दौरान हस्ताक्षरित टिप्पणी में अन्य बातों के साथ-साथ भारत और अन्य देशों में खनिज क्षेत्र में संयुक्त उद्यम की संभावनाओं का पता लगाने की परिकल्पना की गई है।

तथापि खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम हिन्दुस्तान जिंक लि. ने स्वर्ण और आधार धातु की खोज के लिए विदेश की दो फर्मों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

विद्युत परियोजनाएं स्थापित करना

1901. डा. पी. बल्लल पेरूमान : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु में निकट भविष्य में निजी क्षेत्र की सहायता से गैस-आधारित दो लघु विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितनी निजी पार्टियों से किन-किन शर्तों पर बातचीत की गई है और ये परियोजनाएं कहां-कहां स्थापित की जाएंगी; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). तमिलनाडु सरकार (जीओटीएन) ने जिला नगाई कायद -ए-मिलैद स्थित पिल्लई पेरूमल नल्लूर(2x100 मे.वा.) गैस आधारित विद्युत परियोजना का कार्यनिष्पादन,डायनोरा ग्रुप को, मैं. माकोवास्की ऑफ यू एस ए के सहयोग के साथ करने हेतु सौंपा है। उन्होंने सूचित किया है कि उन्होंने तमिलनाडु स्थित गुम्मीडीपुंडी और वेम्बर में 1000-1000 मेगावाट वाली दो गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को अधिष्ठापित करने हेतु क्रमशः 16 और 18 प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि वे इन प्रस्तावों के मूल्यांकन के पश्चात् इन परियोजनाओं हेतु उपयुक्त प्रवर्तकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे।

डेसू की बकाया राशि

1902. श्री श्याम बिहारी मिश्र :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1994 को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की तरफ बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की भारी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह राशि कब से बकाया पड़ी हुई है और बकाया राशि के भुगतान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली की आयोजना निधि में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या डेसू की योजना राशि में से बकाया राशि की कटौती के निर्णय के विरोध में हाल ही में दिल्ली के मुख्य मंत्री की ओर से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). डेसू के अनुसार 31.3.89 की पूर्वावधि और 1.4.89 से 31.3.94 तक की अवधि के लिए बी.टी.पी.एस., एन.एच.पी.सी. और एन.टी.पी.सी. को डेसू द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.सं	संगठन का नाम	31.3.89 की पूर्वावधि की बकाया राशि	1.4.89 से 31.3.94 तक की अवधि की बकाया राशि	31.3.94 तक की स्थिति के अनुसार कुल बकाया राशि (करोड़ रु.)
1.	बी.टी.पी.एस.	379.35	1626.11	*2005.46
2.	एन.एच.पी.सी.	3.65	5.32	8.97
3.	एन.टी.पी.सी.	46.31	85.94	132.25

* (बकाया बिल की राशि पर बी.टी.पी.एस. द्वारा ब्याज के 1409.13 करोड रुपये के किए गए दावे को छोड़कर)

डेसू द्वारा बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र तथा अन्य संगठनों की बकाया राशियों का सतत रूप से भुगतान न किए जाने को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि बी.टी.पी.एस. द्वारा सप्लाई की गई विद्युत से सम्बन्धित वर्तमान बिलों की राशि की अपेक्षा डेसू द्वारा भुगतान की जाने वाली अन्तर की राशि, दिल्ली की 1994-95 की केन्द्रीय योजना सहायता राशि से वसूल की जाएगी तथा भविष्य में भी इस प्रकार की नियमित पद्धति द्वारा वसूल की जाएगी। इस निर्णय के अनुसरण में दिल्ली की 1994-95 की केन्द्रीय योजना सहायता से बी.टी.पी.एस. को डेसू द्वारा उस समय देय 654.52 करोड़ रुपये की राशि समायोजित की गई है।

(च) से (ज). दिल्ली के मुख्य मंत्री ने डेसू की वित्तीय स्थिति स्पष्ट करते हुए हाल ही में दो पत्र लिखे हैं और इस कार्रवाई को आस्थगित किए जाने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

बेकरियों को गेहूं का आबंटन

1903. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री राम नाईक :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि बेकरियों/डबल रोटी उत्पादकों को इस शर्त पर कम दामों पर गेहूं तथा गेहूं का आटा दिया जाएगा कि बेकरियों द्वारा डबल रोटी के दाम कम किए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994 में राज्य–वार आबंटित की गई गेहूं की मात्रा क्या है;

(ग) क्या कुछ बेकरियों ने इस रियायत का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है और सरकार द्वारा उन बेकरियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) ब्रेड निर्माताओं को सस्ती दरों पर केवल गेहूं दिया जाएगा, यदि वे ब्रेड का मूल्य कम करने की जिम्मेदारी लें।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	स्थान	राज्य का नाम	ब्रेड के लिए माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि. के यूनिटों को आवंटित भाग
1.	अहमदाबाद	गुजरात	6850
2.	बम्बई	महाराष्ट्र	13700
3.	इन्दौर	मध्य प्रदेश	6850
4.	बंगलौर	कर्नाटक	6500
5.	कोचीन	केरल	16000
6.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	6500
7.	मद्रास	तमिलनाडु	11400
8.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	13700
9.	रांची	बिहार	6850
10.	जयपुर	राजस्थान	6850
11.		चंडीगढ़	6850
12.		दिल्ली	41100
13.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	6850

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी अंतरण के संबंध में अमरीका के साथ समझौता ज्ञापन

1904. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोहरी और संवदेनशील प्रौद्योगिकी के अंतरण के संबंध में नए समझौता ज्ञापन पर विचार–विमर्श करने हेतु नवम्बर, 1994 में भारतीय और अमरीकी शिष्टमंडलों के बीच हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह नया समझौता ज्ञापन 1991 में हुए समझौता ज्ञापन से कितना भिन्न है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) भारतीय और अमरीकी शिष्टमंडलों ने संवेदनशल वस्तुओं प्रौद्योगिकियों और तकनीकी आंकड़े (डेटा) के निर्यात संबंधी 1984 के समझौता ज्ञापन के कार्य की समीक्षा हेतु 7–9 नवम्बर, 1994 में वाशिंगटन में बैठक की। ऐसी उक्त अंतिम समीक्षा 1991 में हुई थी। शिष्टमंडलों ने किसी नए समझौता ज्ञापन पर चर्चा नहीं की है। समीक्षात्मक बातचीत से समझौता ज्ञापन के मदों में द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने में 1984 के समझौता ज्ञापन की प्रभावशीलता में सुधार करने हेतु व्यावहारिक तरीकों का पता चलता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एल्युमिनियम की कमी

1904-क. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ अधिकारियों द्वारा जानबूझकर एल्युमिनियम की कमी प्रदान किये जाने तथा इस पर अपने तरीक़े से नियंत्रण करके इसे एककों और व्यापारियों को आबंटित किये जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने अथवा इसकी न्यायिक जांच कराने का विचार है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). एल.एम.ई. मूल्यों में वृद्धि, घरेलू उपलब्धता और उसके आबंटन के कारण एल्युमिनियम पर आयात शुल्क कम करने के लिए सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। आयातित एल्युमिनियम की लागत को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने 18.10.1994 से कच्चे धातु अवशिष्ट और कतरन पर आयात शुल्क को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया है। इससे पहले सरकार ने गत बजट में आयात शुल्क को लगभग 40 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया था। इसके अलावा इस धातु के मुक्त आयात की भी अनुमति दी गई है क्योंकि यह सामान्य खुले लाइसेंस के अंतर्गत आता है। चूंकि सरकार एल्युमिनियम के मूल्य निर्धारण अथवा उसके वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं रखती है। अतः निर्यात अपने उत्पादों को स्वयं के वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर बेचती है। अतः सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्देश दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ज्योति बसु समिति की रिपोर्ट

1904-ख श्री राम कापसे : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चुंगी कर समाप्त करने के संबंध में ज्योति बसु समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गयी हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सिफारिशों के संबंध में राज्य सरकारों से उनके मत प्राप्त करने का है; और

(घ) इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). समिति ने यह अभिमत व्यक्त किया कि चुंगी संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि–52 द्वारा संरक्षित है और इसे समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं था। तथापि जांच–चौकियों पर कुछ विलम्ब होता था जिनका संबंध प्रायः ट्रक प्रचालकों के एक वर्ग और कर्मचारियों के एक वर्ग की संभावित सहापराधिता के साथ होता था जिसके फलस्वरूप कर की चोरी होती थी। इसलिए समिति ने यह सिफारिश की कि विलम्ब तथा कर–चोरी को कम करने के लिए राज्य, अपने संवैधानिक अधिकारों तथा विशिष्ट लक्षणों के भीतर ही चुंगी तथा प्रवेश कर लगाने, निर्धारित करने तथा वसूल करने की प्रणाली को सुचारू बनाने का चुनाव कर सकते हैं। तथापि, समिति की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार की ओर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह राज्य का विषय नहीं है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, शुक्ल जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, आपके कक्ष में बुलाई गई बैठक में कुछ चर्चा हुई थी और सभा की कार्यवाही के बारे में कुछ तय किया गया था। हम ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर आज सायं 4 बजे सरकार की ओर से एक वक्तव्य देंगे। उसके पश्चात् ही हम यह निर्णय कर सकते हैं कि किस दिन और किस समय उस वक्तव्य पर चर्चा शुरू की जाये। महोदय, ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर चर्चा शुरू होने से पहले सूचीबद्ध कार्यवाही, सरकारी अध्यादेश और वित्तीय कार्य समाप्त हो जाने चाहिये और उसके पश्चात् जैसा कि वायदा किया गया है, की गई कार्यवाही प्रतिवेदन कल सभा पटल पर रखी जायेगी और हम की गई कार्यवाही प्रतिवेदन पर सभा में की जाने वाली चर्चा का समय और अवधि निर्धारित कर सकते हैं। जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक स्थायी समिति को सौंपा गया था। स्थायी समिति ने उस पर कुछ सिफारिशें दी हैं, जिनकी जांच–पड़ताल की जा रही है। यहां आने से पहले मैंने विधि मंत्रालय से इस बात की पूछताछ की कि उन्होंने विधि मंत्री की सिफारिशों समेत अपनी सिफारिशें प्रधान मंत्री को भेज दी हैं अथवा नहीं। उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है लेकिन मुझे उम्मीद है कि अपने कक्ष में वापिस पहुंचते ही मुझे विधि राज्य मंत्री, जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, से इस बारे में जानकारी मिल जाएगी और उस विषय पर हमें चर्चा करानी होगी और संभव हुआ तो इसे पारित करना होगा। हम यथासभव सहयोग देने का प्रयास करेंगे और हम चाहते हैं कि माननीय सदस्यों के सहयोग से हम उस विधेयक को पारित कर दें। जहां तक हमारा प्रश्न है, हमें कोई परेशानी नहीं है लेकिन उसे हम किस प्रकार से करें, इसके लिए प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ेगी। और महोदय, आपकी मदद और दिशानिर्देश से ही हम इन चर्चाओं के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने में समर्थ हो सकेंगे। इसी बात पर हमारी सहमति हुई है और उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस समय यह व्यवस्था हमारे लिए ठीक है। माननीय सदस्य कुछ अन्य मुद्दे भी उठाना चाहते हैं। मेरे विचार में उन्हें ये मुद्दे उठाने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उनके वक्तव्य के सम्बन्ध में मुझे एक निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं आपको अनुमति दूंगा। हमारा प्रस्ताव है कि अन्य सदस्यों को भी संक्षेप में मामले उठाने की अनुमति दी जाये और अधिक से अधिक सदस्यों को यथासंभव अधिकाधिक मुद्दे उठाने की अनुमति दी जाये और उसके पश्चात् हमने आज की सूची में जिन कार्यों का उल्लेख किया गया है, उन पर चर्चा करेंगे और उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। मेरे विचार में यह तय हुआ था कि अगर कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हुआ तो हम रात को देर तक बैठेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : धन्यवाद महोदय। जी हां, मैंने अपने विकल्प खुले रखे थे, इसके लिए पक्ष और विपक्ष में कई प्रस्ताव और सुझाव दिये गये थे। मैं यह कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में सभा में एक स्पष्ट आश्वासन दे कि वह जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक कब ला रही है। मैं तिथि और समय के बारे में एक स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं। मैं यह कहूंगा कि अपराह्न 11.00 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक आपके पास समय है और आप अपने विभाग से इस बात का पता लगा सकते हैं कि विधि मंत्रालय की क्या स्थिति है। इस बारे में आश्वासन नहीं दिया गया है। केवल यह कहना कि इसे पारित कर दिया जायेगा, अनिश्चित सा है।

दूसरे, वक्तव्य देना ठीक है। लेकिन अगर वक्तव्य ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट का सारांश मात्र है तो फिर यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि सारा देश जानता है कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है और संभवतः आप बतायेंगे उससे बेहतर रूप से तो समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुका है। अतः, आप कहते हैं कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या करने जा रही है, इसकी जानकारी हमें दी जानी चाहिये अन्यथा वह सारांश हमें बताने का कोई अर्थ नहीं है, जो पहले ही समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुका है।

जहां तक की गई कार्यवाही प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, निश्चित रूप से हम यह कह रहे हैं कि हमारे पास कल तक का समय है और हम इस पर पूर्ण चर्चा करना चाहेंगे। सभा में दो की गई कार्यवाही प्रतिवेदन रखे जाने चाहिये– एक सुरक्षा घोटाले के बारे में और दूसरा चीनी घोटाले के बारे में। उसके बाद हमें जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करनी है। ये तीन प्राथमिकतायें हैं। उसी आधार पर मैंने कहा है, हमें चाहे यह पसंद हो या न हो, हमें अध्यादेशों के स्थान पर लाये जाने विधेयकों पर चर्चा में भाग लेना पड़ेगा और उसके लिए हम देर तक बैठने को तैयार हैं ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी न उत्पन्न हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री वी.एस. राव और श्री शरद यादव को अनुमति दूंगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : मैंने नियम 222 के अंतर्गत एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसे देखने दीजिये।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, यह प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के विरूद्ध है। कृपया इसकी जांच करिये।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे तब तक नहीं उठा सकते जब तक मैं इसे उठाने की अनुमति न दे दूं। मैं इसे आपको तब तक उठाने की अनुमति नहीं दे सकता जब तक मैं इसे देख न लूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, जो बात श्री सोम नाथ बाबू ने कही है, मैं उनको दोहराना तो नहीं चाहता हूं लेकिन मेरी सहमति उनकी बात से है। चुनाव सुधार पर चर्चा वर्षों से चल रही है। इसके लिये 2–2 कमेटियां बन चुकी हैं और दोनों कमेटियों में सदन की एक तरह से आम राय रही है। पिछली बार विशेष सत्र बुलाया गया लेकिन उसमें भी हम लोग चुनाव सुधार के बारे में कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाये हैं। पिछले सत्र में सरकार ने कहा था कि इस सत्र में हम चुनाव सुधार बिल जरूर लेकर आयेंगे और स्टैंडिंग कमेटी ने उस बिल पर सर्वसम्मति दी थी..

श्री विद्याचरण शुक्ल : युनानिमसली नहीं था, डिवाईडेड आन लाईन्स था।

श्री शरद यादव : मैं उस पर आ रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने रिकमेंड किया और हाऊस में रख दिया। सरकार ने और आपने लगातार इस मामले में बयान दिया है कि लॉ मिनिस्टर के पास क्या स्थिति है और प्राईम मिनिस्टर से बात नहीं हुई है, कैबिनेट से एप्रूव नहीं हुआ है। अब इस सत्र के चार दिन बचे हैं और आप जानते हैं कि अगले वर्ष फरवरी में 6 सूबों के चुनाव आ रहे हैं। इससे एक मामला और जुड़ा हुआ है। हमारा कोई भी विरोध आयडैंटिटी काड्र्स से नहीं है। ये बनने चाहिये लेकिन उनके बनने के बारे में एक डेट फिक्स होनी चाहिये। सरकार और जनता के बीच में एक इस तरह का इन्तजाम हो जाये कि ये पूरे पूरे बन जायें। मेरे पास कई सूबों की रिपोर्ट है कि कहीं पर 30 परसेंट तो कहीं पर 40 परसेंट और कहीं पर 50 परसेंट ही बन पाये हैं। इधर चुनाव की तारीखें घोषित हो गयी हैं और उधर आडैंटिटी काड्र्स का मामला तेजी पकड़ता जा रहा है। उनके पूरे न बन पाने से एक संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। सरकार को कैटेगरिकली यह सदन में बयान देना चाहिये। इस मामले में इतने दिन टालने के बाद वक्त की पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। इस संदर्भ में आप किस तारीख में बिल को लायेंगे? इसमें जो मतभेद है, उसमें हमारे दल की तरफ से नोट आफ डिसेंट है, बीजेपी दल की ओर से धार्मिक मामले पर नोट आफ डिसेंट है तो दूसरी पार्टियों का अन्य मामले में है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन सवालों पर विवाद हो, उनको थोड़ा किनारे करके जिन पर यूनैनिमिटी है– गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट को आधार बनाकर स्टैण्डिंग कमेटी ने आपके पास बिल तैयार करके दे दिया उसे पेश करें। लेकिन सरकार का बयान साफ नहीं है। उसमें अभी भी टालमटोल है।

दूसरी बात यह है कि ज्ञान प्रकाश कमेटी रिपोर्ट पर जो बयान आप देना चाहते हैं, वह बयान यदि रिपोर्ट की समरी है तो इससे काम नहीं चलेगा। सारा देश इस सदन की ओर बड़े गौर से देख रहा है कि इस मामले का क्या नतीजा निकलने वाला है। इसमें क्या ऐक्शन लिया जाएगा इसका भी दिशा निर्देशन बयान में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एटीआर के मामले पर आपने पहले भी कहा था कि हम रीयल ऐक्शन टेकन रिपोर्ट रखेंगे। ये तीनों चीजें आप सदन में इसी सत्र में करें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फोटो पहचान पत्र वाला जो मामला है, इसमें सारे देश में पूरे प्रयास करने के बाद भी यह पहचान पत्र पूरी तरह से नहीं बन रहे हैं। उड़ीसा में मुश्किल से 40–50 प्रतिशत कर पाए हैं। बिहार में 30 प्रतिशत कर पाए हैं। गुजरात में अभी बहुत कम हो पाया है। यह मामला इतना गंभीर हो गया है कि एक संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। इस संवैधानिक संकट के खड़े हो जाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? यह जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए एक आदमी की तबीयत पर पूरे देश के लोकतंत्र और लोकशाही को नहीं छोड़ा जा सकता। वोटिंग राईट फंडामैण्टल राईट है। यदि उसमें बंधन लग जाए कि पहचान पत्र बनना चाहिए और पहचान पत्र के बिना आदमी वोट नहीं दे सकता है तो यह अधिकार बहुत कठिन अधिकार हो जाएगा। इससे देश के लोकतंत्र को और जो मौलिक अधिकार हैं, उस पर भी कुठाराघात होगा और यह संवैधानिक संकट खड़ा न हो, इसके लिए आपको इस चुनाव सुधार में तेजी लानी चाहिए और साथ साथ बयान देना चाहिए कि कब आप इस चुनाव सुधार के बिल को लाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, माननीय सदस्य कुछ कहें, उससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है,

[हिन्दी]

सरकार की तरफ से चुनाव सुधार के मामले में कोई टालमटोल नहीं हुआ।

[अनुवाद]

हम सदस्यों से दो कदम आगे चल रहे हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

यदि इसमें कुछ देर हुई है तो सरकार की तरफ से कोई देर नहीं हुई है। सरकार की तरफ से यह तेजी से लाया गया और उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया। हम पिछले एक साल से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो संशोधन हैं, और इसमें जो सुधार करना है वह कर लिया जाए। पर विभिन्न दलों में इस बात पर तरह–तरह के मतभेद हुए, उसके कारण इसमें देर हुई है। सरकार को दोष देना कि सरकार ने इसमें देर की है, यह अनुचित है। मैं शरद जी से आग्रह करूंगा कि यह न सोचें कि हम लोग देर कर रहे हैं। हम जल्दी लाना चाहते हैं और जल्दी लाने का प्रयास एक साल से कर रहे हैं।

दूसरी बात ज्ञान प्रकाश कमेटी रिपोर्ट के बारे में है। मैंने लीडर्स मीटिंग में कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम उस पर निर्णय कर सकें। अभी हमें उस पर क्या कार्रवाई करनी है, क्या नहीं करनी है, इसके ऊपर हमने निर्णय नहीं किया है। उस पर भी यदि आप वक्तव्य चाहते हैं तो सरकार वक्तव्य देगी और वह वक्तव्य ऐसा रहेगा जिसमें ज्ञान प्रकाश कमेटी रिपोर्ट का निष्कर्ष भी रहेगा। क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं या करना चाहते हैं उसके बारे में कोई विशेष बात उसमें नहीं रहेगी, यह बात मैंने पहले से स्पष्ट कर दी है। इसलिये इसको समझकर कार्रवाई करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, उन्होंने सभा को आश्वासन दिया है कि वे ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर एक वक्तव्य देंगे।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तोड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह बैठक में जो बात सर्वसम्मति से तय की गई थी, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मुझे यह बताया गया था कि सर्वसम्मति से कुछ बात तय की गई थी ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम सबका मत यह है कि एक बार ये बातें स्पष्ट हो जायें, उसके पश्चात् सभा उन विधेयकों को पारित करने के उद्देश्य से देर तक बैठेगी।

श्री जसवन्त सिंह : लेकिन देर तक केवल शाम को ही, रात को नहीं बैठेंगे..**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : कितनी देर को आप देर मानते हैं, यह आप पर निर्भर है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब भ्रष्टाचार के इतने अधिक मुद्दे सामने आ रहे हैं कि मैं आश्चर्यचकित हूं। इसीलिए, हमने चीनी घोटाले के सम्बन्ध में तीन विशेष मांगें रखी थीं। मैं इसे चीनी भ्रष्टाचार का मामला नहीं बल्कि चीनी घोटाले का मामला कह रहा हूं। हमारे तीन विशेष मुद्दे इस प्रकार थे–पहला: ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट को संसद में रखा जाये। ऐसा नहीं किया गया। व्यर्थ की बातें की गईं। तीन दिन का समय बर्बाद करने के बाद इसे ग्रन्थालय में रख दिया गया और सारा विश्व जानता है कि इसमें क्या कहा गया है। दूसरे, ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया और उस प्रतिक्रिया पर चर्चा जो कि वे स्वयं कराना चाहते थे। अब मैं इस बात पर आश्चर्यचकित हूं कि सभी कुछ एक साथ सामने आ रहा है। चार बजे वे उस रिपोर्ट का सारांश भर रखेंगे, जिसकी जानकारी सारे विश्व को है। कल वे संयुक्त संसदीय समिति पर एक और 'कोई कार्यवाही नहीं की गई प्रतिवेदन' प्रस्तुत करेंगे। हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा कब करेंगे?

ये सभी विषय एक साथ आ गये हैं। भ्रष्टाचार का मामला अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। केन्द्रीय मंत्री एक दूसरे के विपरीत बातें कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जसवन्त सिंह जी, अगर आप इस प्रकार बोलते रहे और सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आता तो, यह तो इकतरफा बात हुई। इसीलिए हम इस पर चर्चा की अनुमति दे रहे हैं। जब यह चर्चा होगी तो आप अपने सभी मुद्दे विस्तार से रख सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय मैं आपकी बात का अत्यधिक सम्मान करता हूं। मैं विस्तार से बोलना नहीं चाहता। वक्तव्य के नाम पर सरकार द्वारा जो व्यर्थ की बातें रखने की संभावना है, मैं तो केवल उसे रोकने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि अगर सरकार चार बजे वक्तव्य के रूप में इस रिपोर्ट का साधारण सा सारांश मात्र देना चाहती है, जिसकी जानकारी सारे विश्व को पहले से ही है, तो यह सरकार का जवाब नहीं होगा। हम सरकार से जवाब चाहते हैं। पूर्व मंत्रिमंडलीय सचिव, आए दिन नई बातें कह रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री एक दूसरे के विपरीत अनेक बातें कह रहे हैं। केवल इससे काम नहीं चलेगा... **(व्यवधान)** यही पर्याप्त नहीं होगा ... **(व्यवधान)** जब मंत्री महोदय स्वयं यह कह रहे हैं कि इसमें बताने जैसी क्या बात है, तो मैं इंतजार कैसे कर सकता हूं। अगर शाम 4 बजे ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट का एक और संपादित रूपांतर सभा में प्रस्तुत करते हैं, तो यह पर्याप्त नहीं होगा...**(व्यवधान)** महोदय, यहां तक कि इस सभा में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में भी ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर माननीय प्रधान मंत्री स्वयं आकर स्थिति को स्पष्ट करते तो यह उचित होता। अब सारा देश उत्तेजित है। यह सभा उत्तेजित है और इसे एक रोजमर्रा के मामले की तरह लिया जा रहा है। यह करोड़ों रुपये का मामला है। इसे रोजमर्रा के किसी मामले की तरह लिया जा रहा है। आप आकर हमें बताते क्यों नहीं? उन्हें देश की जनता को बताना होगा कि वह क्या करने जा रहे हैं.... **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, यह कोई दिन–प्रतिदिन का मामला नहीं है। हमने इसे अत्यधिक महत्व दिया है। यह कोई रोजमर्रा का मामला नहीं है। सभा ने निर्देश दिया है और हम कार्यवाही कर रहे हैं। हमने इसे रोजमर्रा के मामले की तरह नहीं लिया है। ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : आप इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ..**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : एक भी एविडेंस आपने इस रिपोर्ट में अटैच नहीं किया है, कोई एविडेंस नहीं है। हमने स्पीकर साहब से उसे ले–डाउन करने के संबंध में अनुमति मांगी है। इसमें खाली समरी है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट इस सदन के सामने नहीं है। मैं पहली डिमांड यह

करना चाहता हूं कि हर हालत में गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट सदन के सामने करनी चाहिये, अगर गवर्नमेंट रिपोर्ट पेश नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट को इस हाउस से स्टेटमेंट ज़रूर देना नहीं चाहिये।.. .(व्यवधान) पहले आप मेरी बात सुन लीजिये।....(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट इस सदन के सामने नहीं है, मेरी पहली हिमांड है कि वह रिपोर्ट सदन के सामने पेश होनी चाहिये। यद्यपि गवर्नमेंट ने उसे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रख दिया है लेकिन सरकार को एक काम्प्रिहैन्सिव स्टेटमेंट सदन के सामने रखना चाहिये तभी उस पर यहां चर्चा हो सकती है। किसी भी बहाने से वह स्टेटमेंट रुकना नहीं चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने कह दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : वह तो ठीक है, उन्होंने कह दिया है लेकिन जैसा अभी यहां जसवन्त सिंह जी ने कहा कि कोई चीज जब साफ नहीं आ रही है तो उसका क्या फायदा है। मैं चाहता हूं कि स्टेटमेंट सदन के सामने जरूर आना चाहिये।

यह गवर्नमेंट का बहाना है कि उसने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों एक्शन अब तक नहीं लिया, जब अक्तूबर में रिपोर्ट पेश हो गयी थी तो क्यों अब तक उस रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया। चार हजार करोड़ रुपये के करप्शन का मामला इसमें है, जिसे मैं करप्शन मानता हूं, मंडल नहीं कह सकता, बल्कि यह शुगर करप्शन था, क्योंकि कल जब मैं लखनऊ में था..

अध्यक्ष महोदय : यह सब बोलने के लिये आपको परमीशन दी जायेगी।

श्री जसवन्त सिंह : और हम क्या कहें, प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि उन्हें यह रिपोर्ट मंजूर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का बयान आ गया है कि उन्हें यह रिपोर्ट मंजूर नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर को यह रिपोर्ट मंजूर नहीं है तो सरकार यहां क्या बयान देगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इन सभी चीजों का पूर्वानुमान क्यों लगा रहे हैं?

श्री जसवन्त सिंह : मुझे इसका पूर्वानुमान लगाना पड़ा क्योंकि उन्होंने इसे ठुकरा दिया है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्नों को रखने और उनका जवाब मिलने के पश्चात् ही उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : ऐसा पता चला है कि प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि उन्हें यह रिपोर्ट मंजूर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मामला गंभीर है तो इसे गंभीरता से लीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं इसे गंभीरता से ही ले रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं, ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अलाऊ किया है, आप बीच में कैसे उठकर खड़े हो गए हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : हम जनता के पहरेदार हैं और जनता हमसे जबाव चाहती है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। मैं उन्हें बहस के समय बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका हाउस है। जिसको हल्ला करना है वह कर लीजिए। जिसको जो करना है वह कर लीजिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ) : तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि स्टेटमेंट तो जरूर आना चाहिए और जो बहस तय हो गई है, मैं सरकार से चाहता हूं कि उस बहस का जवाब प्रधान मंत्री दें। मैं यह कह रहा हूं कि इसके अंदर एक से ज्यादा मंत्री शामिल हैं। तीन–चार मंत्रियों की बात है। प्रधान मंत्री की जो बनाई हुई सब कमेटी है उस पर भी एसपर्शन्स हैं, तो कौन इसका जवाब देगा? इसलिए प्रधान मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए और जो करप्ट लोग हैं, जिन्होंने करप्शन किया है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। खाली यह नहीं होना चाहिए कि हम यहां बहस करें और उसका जबाव आ जाए और हम घर चले जाएं, जैसा पहले होता रहा है और किसी भी करप्ट के खिलाफ कुछ नहीं होता है। ऐसा अब नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

मेरा यह कहना है कि जो व्यक्ति भ्रष्टचार के लिए उत्तरदायी हैं, उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जानी चाहिए और देश भ्रष्ट व्यक्तियों के नाम जानना चाहता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, इसके लिए तो देखिए हमने टाइम फिक्स किया है। आप बैठिए। दूसरे लोग आब्जैक्शन कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए तो हम आपके आभारी हैं कि आप टाइम फिक्स कर रहे हैं।

[अनुवाद]

लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जाए और जनता को पता लगना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है।

** कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस मामले को उठाने के लिए आपकी अनुमति मांगी है, मैं स्वयं को उसी मामले तक सीमित रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम राजनेता अपनी छवि के बारे में बड़े सजग हैं, लेकिन जो प्रशासनिक सेवा के अंग हैं उन्हें यहां बोलने का अवसर नहीं है और मैं एक ऐसे मामले को उठा रहा हूं जिसमें लिप्त व्यक्ति अब दुनियां में नहीं हैं। उनके बारे में सरकार को चुप्पी नहीं साधनी चाहिए।

मैं उल्लेख कर रहा हूं पंजाब के पूर्व गवर्नर श्री सुरेन्द्र नाथ का। वे हमारे अच्छे अफसरों में थे। जम्मू–कश्मीर में उन्होंने काम किया। मिजोरम के चीफ सैक्रेटरी के रूप में वे कार्यरत रहे, फिर पंजाब के गवर्नर बने। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने देश की सेवा की। एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। उनके साथ उनके परिवार के अनेक सदस्य भी दिवंगत हो गए। उनकी मृत्यु के बाद जो खबरें छपी हैं वे हमें हैरत मे डालने वाली हैं।

समाचार पत्रों में विस्तार से ये खबरें छापी गई हैं कि राजभवन में उनकी मृत्यु के बाद बड़े पैमाने पर सम्पत्ति मिली। उसमें हीरे–जवाहरात भी थे। उनके पास चल–सम्पत्ति थी, अचल–सम्पत्ति थी। बैंकों में उनका बड़ी मात्रा में धन जमा था। ये आंकड़े 300 करोड़ रुपये तक पहुंच गये हैं। हमारे गृह मंत्री जी भी लपेट में आ गये हैं। यह कहा गया है कि गृह मंत्री वहां से कोई सूटकेस लेकर आये हैं। ऐसा लगता है कि वह सूटकेस यात्रा कर रहा है, एक ऐतिहासिक यात्रा कर रहा है। वह अब गृह मंत्री के घर जा रहा है, फिर भी गृह मंत्री चुप रहे। मैं यह चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : मैंने इंकार किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने सूटकेस के लिए इंकार किया है। मगर जो श्री सुरेन्द्र नाथ जी की सम्पत्ति मिली, सम्पत्ति के प्रमाण मिले, यह सदन और देश इस बारे में जानना चाहता है कि अगर सचमुच में इतनी सम्पत्ति मिली है तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है जिसका सदन में उल्लेख होना बहुत आवश्यक है। यदि सम्पत्ति नहीं मिली और जो खबरें छपी हैं, अगर वह सही नहीं है तो ...**(व्यवधान)** आप मुझे टोक क्यों रहे हैं। मैं एक गंभीर विषय उठा रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : आदरणीय लीडर ऑफ ओपोजिशन गुस्सा कर रहे थे। मैं तो केवल इतना ही कह रहा था कि आपके बोलने के बाद हम बोलेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं टोका–टाकी नहीं करता लेकिन जब मुझे कोई टोकता है तो मेरी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने अधिकार क्षेत्र में ही बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : आप अटल हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, मैं बिहारी भी हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बिहार का सम्मान है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं बिहार के लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।

मैं इस मामले की गंभीरता की ओर आपका और इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह एक बहुत गंभीर विषय है और किसी प्रशासनिक अधिकारी के बारे में, उसकी मृत्यु के बाद, इस तरह की खबरें छपें और न उनका कोई खंडन हो, न उनकी पुष्टि हो तो, पूरी सेवा बदनाम होती है। पूरी सेवा का मनोबल टूटता है। अगर ये खबरें सच हैं तो यह मामला और भी गंभीर है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदय, इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करें और इस बारे में जो प्रचार हुआ है, वह कहां तक सही है या कहां तक गलत है, इसके बारे में सदन को विश्वास में लें।

श्री जगमीत सिंह बरार : आदरणीय लीडर ऑफ ओपोजिशन, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बातें उठाई हैं, मैं उनसे अपने आपको जोड़ता हूं क्योंकि जिस प्रदेश के वे गवर्नर थे, मैं उसी प्रदेश से आता हूं। सारे प्रदेश में इस बात की चर्चा हुई है कि दुखदायी विमान दुर्घटना में वे व उनका सारा परिवार मारा गया। वे ऐसे गवर्नर थे, जिन्होंने पंजाब में चुनाव कराये। यह माना जाता था कि वे बहुत आऊटस्टैंडिंग आफिसर रहे, गवर्नर रहे, एडमिनिस्ट्रेटर रहें। लेकिन बाद में कुछ खबरें छपी हैं, जिसका गृह मंत्री जी की तरफ से, स्टेट के चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ है। इससे लोगों के मन में बहुत गंभीर प्रश्न उठे क्योंकि यह सारा देश जानता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी के उनके साथ बहुत घने व अच्छे संबंध थे। जिस दिन गृह मंत्री जी वहां गये और वे वहां से आये तो हिन्दुस्तान टाइम्स में, ट्रिब्यून में और वर्नाकुलर प्रैस में छपा कि गृह मंत्री जी वहां से अपने साथ एक इम्पौर्टैन्ट फाइल लेकर आये हैं और सम्पत्ति का ज्ञान इसलिए हुआ कि जिन लोगों ने उनके जाने के बाद उनकी सारी सम्पत्ति को इकट्ठा किया, क्योंकि उनका लड़का वहां देर से पहुंचा था। सारी चर्चा सैक्रेटेरिएट में हुई कि बहुत बड़ी संख्या में हीरे–जवाहरात और पांच–पांच सौ रुपये के करोड़ों रुपये के नोट वहां से मिले।

अब यह खुदा जानता है कि बात सच है या नही लेकिन उसका कोई डिनायल नहीं आया। सबसे सीरियस बात यह हुई कि यह कहा गया कि पंजाब में डिवीजन करवाने के लिए, पार्टियों में आपसी मतभेद डालने के लिए कुछ पैसे को, जो होम मिनिस्टर का डिसक्रिशनरी फंड है, भी इस्तेमाल किया गया।

[अनुवाद]

माननीय राज्यपाल महोदय अब नहीं हैं। किसी को उन व्यक्तियों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो अब नहीं हैं। लेकिन क्योंकि

[हिन्दी]

यह मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने जो 50 लाख रुपया विदड्रा किया, उस सारे पैसे को सियासी मन्तव्यों के लिए बरता गया। देश यह जानना चाहेगा, पंजाब जानना चाहेगा, क्योंकि पंजाब में यह भी चर्चा है कि बेशक मिलिटैन्टस और टैरोरिस्टस ने देश को तोड़ने के लिए बहुत गलत अत्याचार और जुल्म किए, उसके साथ-साथ कुछ सरकारी एजेसियां भी इसमें सक्रिय रही हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस मामले को उठाया है। उनके जाने के बाद एक फंड बना। उस फंड के लिए जो कमेटी बनाई गई, उनके लड़के ने बयान दिया है कि उनके मैमोरियल फंड में एक पैसा भी किसी ने जमा नहीं करवाया। उस बेचारे ने जम्मू से आकर उसमें 5 हजार रुपये जमा करवाए, और

[अनुवाद]

न तो राज्य सरकार ने और न ही भारत सरकार ने उस खाते में एक भी रुपया जमा कराया। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि

[हिन्दी]

असलियत क्या है, सच्चाई क्या है?

[अनुवाद]

श्री एस.बी. चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, जब मै नांदेड में था तब मुझे भूतपूर्व राज्यपाल, श्री सुरेन्द्र नाथ के निधन का समाचार मिला था। प्रधान मंत्री जी द्वारा एक विशेष विमान भेजा गया था और वह चाहते थे कि मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल होऊं। वहां से मैं बीदर गया और बीदर से सीधा चंड़ीगढ़ गया। करीब करीब आधे घंटे के भीतर मैं अपनी ओर से तथा प्रधान मंत्री जी की ओर से उन्हें श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए राजभवन में पहुंच गया था। उसके बाद करीब-करीब तीन घंटे तक मैं शमशान घाट पर था। वापिस आते समय मैं राजभवन नहीं गया था। मै हरियाणा के राजभवन गया था और वहां से वापिस आ गया।

यह सत्य है कि मेरे न केवल उनके साथ बल्कि देश में सभी राज्यपालों के साथ अच्छे संबंध हैं। अतः यदि किसी राज्यपाल के लिए यह निरर्हता बन जाती है जैसा कि उनके निधन के बाद कुछ व्यक्ति अनाश्यक रूप से कह रहे हैं तो यह अत्यत दुर्भाग्यपूर्ण बात है फिर इस तरह का मुद्दा उनके निधन के बाद उस समय उठाया गया है जबकि उनके परिवार के सदस्य भी वहा नहीं थे। उसके बाद पूरी जांच-पड़ताल करने के लिए मैंने राज्यपाल से अनुरोध किया था। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई भी थीं और उसके बाद भी कुछ अन्य कामों से मैं भी चंड़ीगढ गया था। मैंने उस ए.डी.सी. से भी व्यक्तिगत पूछताछ की थी जो वास्तव में उस समय उनके साथ थे। निधन के पश्चात् उनके सभी कमरों में ताले लगे थे। परिवार का भी कोई सदस्य वहां नहीं था। केवल उनका एक बेटा था जो अंतिम संकार में बाद में शामिल हुआ था।

पूरी जांच करने के बाद मै निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि सभी समाचार-पत्रो मे जो समाचार प्रकाशित हुए हैं उनमे कोई सच्चाई नहीं है। मुझे जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार लगभग 70,000 रुपये थे और उनमें से भी शायद कुछ सरकारी धन रहा होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है कि राज्यपाल के पर्स में 20,000 रुपये थे या 30,000 रुपये और शेष उनका व्यक्तिगत समान था जैसे, सामान्य आभूषण और अन्य राशि। मेरे विचार से इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं मिली, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि 500-500 के सैकड़ों नोट थे। यदि इस राशि में ऐसे नोट हों तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

लेकिन यह कहना बिल्कुल निराधार है कि बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर पूछताछ की है। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए जांच-पड़ताल करने के बाद मैं सभा को विश्वास में लेना चाहता हूं और इसीलिए मैं ऐसा वक्तव्य दे रहा हूं जिससे सभा संतुष्ट हो सकेगी...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम कार्यसूची में शामिल कार्यवाही शुरू करें ताकि अन्य कार्यों के लिए हमारे पास पर्याप्त समय रहे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, आइडैण्टिटी कार्ड के संबंध में मैं एक मिनट लूंगा।...**(व्यवधान)** आइडैण्टिटी कार्ड का मामला बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। मैं आपसे एक मिनट में आग्रह करूंगा, हमने इसपर नोटिस भी दिया है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, सदस्य आपको अपनी बात सुनाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, सदन को मालूम है और सरकार को भी मालूम है कि 15 जनवरी आइडैण्टिटी कार्ड के सम्बंध में, खासकर बिहार के लिए और पूरे देश के लिए भी, फिक्स कर दी गई है। मैं पार्लियामेंटरी मिनिस्टर से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, इलैक्शन कमीशन ने कहा है कि जिन-जिन राज्यों में 15 जनवरी तक आइडैण्टिटी कार्ड नहीं बनेगा, उन-उन राज्यों में चुनाव नहीं होगा। मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन बुलाया गया, उस सम्मेलन में प्रधान मंत्री के समक्ष इस बात पर करीब-करीब एक निर्णय हो गया था। इसपर कोई दो मत नहीं है कि आइडैण्टिटी कार्ड बनने चाहिए लेकिन इसको फेज्ड वे में किया जाना चाहिए। जब हम लोगों ने होम मिनिस्ट्री की स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग में भाग लिया था तो उसमें भी सर्वसम्मति से यही चीजें तय हो गई थीं।

इलैक्शन कमीशन का काम इलैक्शन करवाना होता है। इलैक्शन कमीशन का काम इलैक्शन को रोकना नहीं होता है। जहां तक हमें जानकारी है, आदरणीय चन्द्र शेखर जी जब प्रधान मंत्री थे, तब यह मामला आया था, उस समय में पंजाब के मामले में भी साफ कर दिया गया था कि इलैक्शन कमीशन डेट तय करे। चुनाव का नोटिफिकेशन प्रेसीडैण्ट के यहां से होता है, राष्ट्रपति के यहां से होता है कि चुनाव होगा या नहीं होगा। इलैक्शन कमीशन सिर्फ डेट फिक्स करता है लेकिन हमको लगता है कि इस मामले में इलैक्शन कमीशन अपनी पावर से बाहर जाकर, इलैक्शन होगा या नहीं, इस पर भी चर्चा कर रहा है।

मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को वोट के अधिकार से रोका नहीं जा सकता है। यह सर्वसम्मति से फैसला है, कम से कम जिन बातों पर फैसला हो गया है और स्टेंडिंग कमेटी ने इण्टरसैशन में, जब सैशन नहीं था, बैठकर निर्णय लिया था, जिसकी रिकमैण्डेशन आपके सामने भेजी गई है। आपने कहा है कि इस सैशन में हम इस बारे में कोशिश करेंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि कोशिश नहीं, आप आज डेट बतला दीजिए कि इस सैशन में आयेगा। चाहे सर्वसम्मति की जो चीज है, उसको बिना डिस्कशन के पास कर दीजिए या मिनिमम डिस्कशन पर कीजिए लेकिन इस सैशन में उसको पास करिये, नहीं तो बहुत बड़ा कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जायेगा, यह बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। उत्तराखण्ड में पिछले 5–6 महीने से जो स्थिति है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं।... **(व्यवधान)** पासवान जी, जरा बैठ जाइये। पासवान जी, हमको भी बोलने दीजिए। अभी तो आपने बोला है। इससे पहले तो बहुत सी चीजें हो गईं।

श्री राम विलास पासवान : हम उसपर आपको सपोर्ट करेंगे।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : आप क्या सपोर्ट करेंगे, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आपकी बात तो हो गई है, फिर भी आप बार–बार बोलना चाहते हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्हें उत्तर देना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हमें याद है कि सरकार ने एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था और हमने उसके लिए सरकार का समर्थन किया था। अब सरकार के विचार ज्ञातव्य हैं इसलिए इस मुद्दे पर और विलम्ब क्यों किया जाए? कृपया आज ही इस पर चर्चा की जाए। हम हर प्रकार से आपसे सहयोग करेंगे। यह मुद्दा एक व्यक्ति के निर्णय के लिए लंबित नहीं रखना चाहिए। सरकार को यहां अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हम आपकी सहायता करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : कृपया वैसा ही कीजिए...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : आप जरा मेरी भी बात सुन लीजिए, हमारी बहुत जरूरी बात है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उत्तराखण्ड के बारे में दो बातें सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर आप निर्णय करें। प्रथम बात पृथक प्रदेश बनाने के बारे में है, यह बहुत पुरानी मांग चली आ रही है। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि आप जान–बूझकर इसको टाल रहे हैं।

आपने कहा कि पृथक प्रदेश के लिए प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आना चाहिये। 12 अगस्त, 1991 को प्रस्ताव आया। तीन–साढ़े तीन साल हो गये हैं। उसके बाद से हम बराबर कहते रहे और आपने कहा कि जांच कर रहे हैं। आप हमको इसका जस्टिफिकेशन दीजिए। गृह राज्य मंत्री श्री पी. एम. सईद ने साढ़े सात–आठ घंटे की डिबेट के बाद यह कहा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है, इलैक्टिड गवर्नमैंट के आने के बाद जैसे ही उनकी रिकमंडेशन आयेगी, हम इस पर निर्णय ले लेंगे। अभी वहां दूसरी गवर्नमेंट आ गई है। उसने भी प्रस्ताव भेज दिया है। आप अभी भी चुप क्यों हैं? क्या मतलब टाल–मटोल करने का है? वहां साढ़े पांच महीने से कोई सरकार नहीं चल रही है। वहां पर लोग संघर्ष कर रहे हैं। उन पर दमन हो रहा है। मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में आपको मालूम ही है। वहां हर रोज गोलियां चल रही हैं। 15 दिसम्बर को देहरादून में महिलाओं पर लाठियां चलीं। गर्भवती महिलाओं के पेट पर लात मारी गईं। आप कोई निर्णय क्यों नहीं लेते हैं? आप कब तक निर्णय लेंगे? अगर उन्हें पृथक राज्य नहीं देना है तो यहां खड़े होकर कहिये कि हम पृथक प्रदेश नही देने वाले हैं। कृपया हमें बतायें कि आप चुप क्यों हैं? वहां के लोग और कितनी लाठियां और गोलियां खायेंगे?

अध्यक्ष महोदय, समय कम है। मैं इसके ऊपर बहुत बोलना चाहता था। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। पांच महीने से वहां कोई प्रशासन नहीं है। कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं मिल रहा है, भूतपूर्व सैनिकों को पैंशन नहीं मिल रही है और स्कूल कालेज भी बंद है। यह सब क्या है? वहां हर रोज लाठियां और गोलियां चल रही हैं तथा अत्याचार हो रहे हैं। आप कब तक चुप रहेंगे? क्यों नहीं निर्णय लेते हैं? आप मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। किसके साथ बातचीत होगी? क्या आप बातचीत करने को तैयार नहीं हैं? वहां के कर्मचारी भूखों मर रहे हैं। वहां आपकी और मुलायम सिंह जी की सरकार ने पी.डी.एस. की दुकानें बंद कर दी हैं। 35 रुपये किलों में चीनी मिल रही है और कीड़ों वाली चीनी तो 40 रुपये किलों में मिल रही है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? ठंड के दिनों में लालटेन जलाने के लिए लोगों के पास कैरोसिन तेल भी नहीं है। आप तुरन्त इसमें कुछ करिये। यह अत्याचार हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। कृपया इसमें कुछ करके यहां बयान दें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, वहां 5 महीने से सरकार नाम की कोई चीज नहीं है।

[अनुवाद]

संपूर्ण प्रशासन अस्त–व्यस्त हो गया है और वहां कोई बात करने वाला भी नहीं है।

[हिन्दी]

3–4 महीने से कर्मचारियों को बिल्कुल तनख्वाह नहीं मिली और क्राइसिस की ऐसी हालत पैदा हो जाये, उसके बाद भी सैंट्रल गवर्नमेंट अनकनसर्नड हो, यह उचित नहीं है। इसमें सरकार क्या करने जा रही है? संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं, वह अवश्य इस पर कुछ कहें।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर गृह मंत्री का वक्तव्य होना चाहिए। यदि माननीय सदस्य इसका नोटिस दें और आप उसकी अनुमति दें तो हम इसका ठीक–ठीक उत्तर दे सकते हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं कोई टिप्पणी या सिफारिश नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मामला उठा दिया गया है। अगर मंत्री महोदय अभी उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो कल उत्तर दें। सीमावर्ती प्रदेश में आग लगी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो ठीक है, लेकिन

[अनुवाद]

यह राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न है और एक मंत्री इस पर निर्णय नहीं ले सकता है। मंत्री परिषद को निर्णय लेना होगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जो परिस्थिति पैदा हो गई हैं, उसको हल करने के लिए यह क्या कर रहे है? कांग्रेस पार्टी में स्वयं असंतोष है। तिवारी साहब इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आज इसके बारे में चाहे जो राय हो लेकिन वहां गवर्नमेंट पैरेलाइज्ड है। इसके बारे में केन्द्र सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

यह अनुच्छेद 365 के अंतर्गत उत्तरदायी है। इस विषय पर सरकार को वक्तव्य देना चाहिए...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे केवल यही जानना चाहते हैं कि सरकार को कुछ सुविधाएं जनता को प्रदान करनी हैं और कुछ कार्य करने हैं और वे कार्य नहीं किये जा रहे हैं। क्या आप इस विषय के बारे में कुछ बता सकते हैं? राज्यों के पुनर्गठन के बारे में नहीं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस मुद्दे पर गृह मंत्री तथा गृह मंत्रालय को विचार करना है और वे ही उत्तर देंगे। मैं उन्हें सभा की भावनाएं और आपकी टिप्पणियां बता दूंगा ताकि उपयुक्त कार्यवाही की जा सके।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से दो बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज छः राज्यों में चुनाव घोषित किए गए हैं और दिल्ली के अन्दर भी चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली के अन्दर भी और महाराष्ट्र के अन्दर दो जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली के अन्दर तकरीबन 50 हजार और महाराष्ट्र के अन्दर, बंबई में, कम से कम साढ़े चार लाख लोगों के नाम, जिसमें माइनोरीटी कम्युनिटी के लोग हैं, बड़े पैमानें पर काटने का काम किया जा रहा है। मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं, खास तौर से बंबई के अन्दर कहा गया है कि सात से दस दिन के अन्दर आप यह साबित कीजिए कि आप हिन्दुस्तान के सिटीजन हैं। इसके लिए उनको चन्द दस्तावेज देने हैं। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट की कापी या सिटीजनशिप की कापी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अली सरदार जाफरी जैसे लोगों से, जिन्होंने हिन्दुस्तान से पदमश्री लिया है, भी सिटीजनशिप के लिए पूछा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर दो से ढ़ाई लाख मिलियन लोग वोटर लिस्ट से डिलिट किए गए हैं। छः राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन लोगों का नाम पिछली दफा भी वोटर लिस्ट में था, लेकिन इस दफा एक मनसूबे के तहत उनका नाम काटने का काम किया जा रहा है। यह बात पूरे हिन्दुस्तान में अखबारों के जरिए और जो लोग महाराष्ट्र के हैं, उनको स्वयं इसकी जानकारी होगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि छः राज्यों में चुनाव होने से पहले उन लोगों को, जिन लोगों से कि सिटीजनशिप की कापी मांगी जा रही है, उनको अगर वक्त की जरूरत है, तो उनको समय दिया जाए। उनसे कहा जा रहा है कि सात से दस दिन के अन्दर पूरी जानकारी लाकर दे दें। यह बड़ा सीरियस मामला है। एक खास कम्युनिटी, जिसके नाम के पीछे कुछ लगा हुआ है, उनका नाम काटने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस मामले को बहुत सीरियली लेना चाहिए और मंत्री महोदय कृपया जवाब दें।

मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसाकि मालूम है कि छः राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आइडेंटिटी कार्ड का मामला भी उठाया गया है, अगर आइडेंटिटी कार्ड के मामले को रखा गया...**(व्यवधान)** मेरा प्वाइंट यह है कि...

अध्यक्ष महोदय : आपका प्वाइंट कुछ भी हो, सब एक ही प्वाइंट पर बोलते जायेंगे। आपको बोलने का मौका दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री रामसागर (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड बनाने की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठायी गई है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं, यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिए पिछले काफी दिनों से बहुत जबरदस्त आन्दोलन चल रहा है और इसको पूरा सदन जानता है। उत्तराखण्ड के लोगों की भावनाओं को देखते हुए, वहां की प्राकृतिक बनावट को देखते हुए और उसके विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा से उत्तराखण्ड का पृथक राज्य बनाने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेज दिया है।

जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा है हम वहां पर उत्तराखंड बनाए जाने की मांग का समर्थन करते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां विकास की दृष्टि से बजट को अधिक बढ़ाया हैं और जो बजट बढ़ाया गया है वह ठीक से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके क्रियान्वयन के लिए वहां एक सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित कर दी गई है और यह कोशिश की जा रही है कि वहां किसी भी प्रकार का कोई अन्याय न हो। अध्यक्ष जी, मैं खास तौर से यह

कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर बार–बार एक मांग उठाई जाती है और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।...**(व्यवधान)**

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : महोदय, वहां गोली और लाठी चल रही है। वहां बलात्कार हो रहा है।...**(व्यवधान)** यह विकास की बात कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री रामसागर (बाराबंकी) : महोदय, भारत सरकार को उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड अलग से बनाए जाने की मांग माननी चाहिए। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : आप कम्पलीट कीजिए।

[अनुवाद]

उनके वक्तव्य के अतिरिक्त कुद भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर यदि उत्तराखंड बनाया गया और भारत सरकार ने यह बात मानी तो यह श्रेय उत्तर प्रदेश की सरकार और माननीय मुलायम सिंह यादव को जाएगा। वहां फिर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है और यह जो वहां से उत्तराखंड बनाए जाने का प्रस्ताव है यह समाजवादी पार्टी ने भेजा है, हम उसका समर्थन करते हैं।...**(व्यवधान)****

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, जबसे दसवीं लोक सभा प्रारंभ हुई है तब से इस सदन में तमाम भ्रष्टाचार के मामले आए हैं। कभी हर्षद मेहता, कभी प्रतिभूति घोटाले का मामला आया और अभी चीनी घोटाले का मामला आया है। जब यह मामला उठा तो सरकार की तरफ से एक समिति बना दी गई।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह आप क्या कह रहे हैं, किस बात पर कह रहे हैं। इसके लिए एक टाइम दिया है। आपको भाषण के लिए नहीं कहा है।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप सदन के संरक्षक हैं, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं वक्त आने पर आपको टाइम दूंगा। आपके मन में जब आए तब मैं समय नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप टाइम दे सकते हैं, आप उसके लिए सक्षम हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब चर्चा के लिए आ जाएगा तो मैं बोलने के लिए समय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : महोदय, मैं अब जनता के प्रति जवाबदेह हूं और जनता हमसे सवाल करती है, इस देश के पहरेदार के रूप में हम इस सदन में हैं।...**(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आपने जो कहना है, कह दिया है और अगर यह ज्यादा लंबा जाएगा तो

[अनुवाद]

कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

आप कल बोलिएगा उस समय मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा।

[अनुवाद]

यदि आप यही बात बोलते रहेंगे, तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। यदि आप किसी और विषय पर बोलेंगे तो मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

इस प्वाइंट के ऊपर जब यह चर्चा के लिए आएगा तो मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, आप जैसा आदेश दें। मैं अपनी बात कहता हूं, आप एलाऊ नहीं करते तो जो रिकार्ड में जाने वाला होगा वह जाएगा और जो नहीं जाने वाला होगा वह नहीं जाएगा।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार का काम हाउस के अंदर नहीं चलेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं और जनता हमसे रोज यह सवाल पूछती है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने के लिए समय दिया, दूसरा विषय है तो आप बोलिए। आप ऐसे ही बोलते जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमसे जनता रोज यह सवाल पूछती है, पार्लियामेंट में रोज भ्रष्टाचार के सवाल उठते हैं और उस पर एक समिति बना दी जाती है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने सवाल तो एक भी नहीं दिया। आप अनलिस्टिड प्रश्न उठा रहे हैं। आप उस नोटिस को देख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जनता हमसे सवाल करती है कि भ्रष्टाचार के मामलों

**कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**कार्यवाही–वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर सदन की जो समिति बनाई जाती है, वह हमेशा सरकार के पक्ष में...।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका ठीक नहीं है। मैंने आपको कह दिया है कि आप दूसरे विषय उठा सकते है।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इस मामले को अन्य कई माननीय सदस्यों ने उठाया है कि देश के कई राज्यों में फरवरी में चुनाव होने जा रहे हैं और एक संवैधानिक संकट पैदा होने जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : उसके बाद आप फिर क्यों उठा रहे हैं। दूसरे सदस्य इस मामले को उठा चुके हैं, आप किसी अन्य विषय को उठा सकते हैं।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अविलंब इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और इस इशू को यहां पर लाना चाहिए, ताकि कोई संवैधानिक संकट पैदा न हो सके।

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया, अब आप बैठ जाइए।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, जिस ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट पेश करने की बात की जा रही है...।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, मैं वही बात दोहराना नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ और बात बोलिए। यदि आपके पास अन्य कोई बात नहीं है तो आप बैठे जाइए।

श्री श्रीकांत जेना : मैं जानता हूं कि वहां पहचान पत्रों के मुद्दे पर कुछ अवरोध है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से एक बात जानना चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अभी यह घोषणा नहीं की है अथवा यह नहीं बताया है कि क्या वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक ला रहे हैं या नहीं। उन्होंने अभी तक निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा। हम सभी चिंतित हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इतनी रुचि रखते हैं तो आप प्रश्न क्यों नहीं देते हैं?

श्री श्रीकांत जेना : मैंने प्रश्न इसलिए नहीं दिया क्योंकि पिछले मानसून सत्र के दौरान माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह संशोधन विधेयक लाएंगे। अब वह टाल–मटोल कर रहे हैं और वह इस सभा को निश्चित आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि सभा में यह संशोधन विधेयक कब लाया जाएगा। सबसे पहले इस मुद्दे का समाधान किया जाए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि एक अच्छे सदस्य होने के नाते आपके मस्तिष्क में कई मुद्दे हैं। यदि आप चाहते हैं तो उन मुद्दों को आप यहां उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक गौरवशाली बात को यहां पर उठाना चाहती हूं। यहां पर महिलाओं पर अत्याचार के बारे में हमेशा चर्चा होती है, महिलाओं की दयनीय स्थिति पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन आज मैं इस सदन में जो बात रखना चाहती हूं, वह इतिहास की एक गौरवमयी घटना होगी, जिसमें 7 महिला पायलटों ने पहली बार वायुसेना में अपना स्थान हासिल किया है। अब इस देश की रक्षा पंक्ति में ये महिलाएं प्रथम पंक्ति में रहेंगी और अपनी भूमिका निभाएंगी। मैं चाहूंगी कि यह सदन इन 7 महिला पायलटों का अभिनंदन करे।

12.59 म.प.

सदस्यों ने मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। मैं समझता हूं कि सदन ने इसमें भाग लिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को उठा रहा हूं। एनटीसी, एचईसी तथा एनपीसीसी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के हजारों कर्मचारियों को गत कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसको तो डिसकस किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : कहां डिसकस किया है?

[अनुवाद]

महोदय, हमने इसपर चर्चा नहीं की है। इन कर्मचारियों को इनका वेतन नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास कोई नया मुद्दा नहीं है।

(व्यवधान)

** कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

1.00 म.प.

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण उपक्रमों के पुनरुद्धार के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं ले रही है। सरकार चुप्पी साधे बैठी है। मंत्रियों का एक समूह है और मंत्रियों के इस समूह को सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के पुनरुद्धार के बारे में विचार करना है लेकिन बैठक का आयोजन नहीं किया जा रहा है और वे एनपीसीसी, एमएएमसी, एचईसी, एनटीसी इत्यादि उपक्रमों के बारे में कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है। आपने अपनी बात को अच्छी तरह से पेश किया है। आपकी बातें बहुत ही तर्कसंगत हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सरकार को धनराशि जारी करने हेतु तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को उनका वेतन मिल सके। उनको कई महीनों से वेतन नहीं मिला है।...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? सरकार क्या कर रही है? ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम हैं। **(व्यवधान)** महोदय, सदस्यगण आचार्य जी की बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। इन कर्मचारियों के बारे में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सरकार चुप क्यों है?...**(व्यवधान)**

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं जम्मू–कश्मीर से हाल ही में लौटा हूं जहां अभी राष्ट्रपति शासन चल रहा है। वहां पूरी अराजकता फैली हुई है और वहां कोई कानून और व्यवस्था नहीं है। वहां के लोगों की स्थिति दयनीय है। एक छात्रा के साथ बलात्कार किया गया था और उसकी लाश तक नहीं मिली थी। दो दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिये गए थे। इस संबंध में बात करने और समस्या को हल करने के लिए वहां कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। लगभग 8000 डिप्लोमा इंजीनियर नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। उनकी सुनने वाला वहां कोई भी नही है। सरकारी कर्मचारियों की दो दिन की हड़ताल कल समाप्त हुई। उन कर्मचारियों ने । जनवरी से सात दिनों की हड़ताल की भी घोषणा की है। राज्यपाल उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सभी संस्थानों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वहां के हर एक व्यक्ति का कहना है कि यहां बाहर से अधिकारी और नौकरशाह आते हैं, और वे जम्मू–कश्मीर से धन लूट रहे हैं और उस धन से नोएडा में अपने घर बनवाते हैं। कश्मीर की समस्या का समाधान करने के लिए वहां कोई भी नहीं है। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। शरणार्थी ,बहुत बड़ी कठिनाई में फंसे हुए हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है। जम्मू–कश्मीर में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। बिल्लावर में एक कॉलेज खोलने की भी मांग की गई है। मैं भ्रष्टाचार संबंधी इन सभी आरोपों के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाये जाने की मांग करता हूं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया है। मेरा ख्याल है कि हमने कार्य सूची में शामिल नहीं किये गये कार्यों पर चर्चा हेतु एक घंटे का समय रखा था। अब हम कार्यसूची में दिये गये कार्य को ले सकते हैं। अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे।

1.05 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 इत्यादि के अंतर्गत अधिसूचनाएं: जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा.का.नि. 317(अ), जो 9 अगस्त, 1994 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास (प्रारूप और रीति, जिसमें संविदा की जाएगी) विनियम, 1994 का अनमुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 744(अ), जो 7 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास (खतरनाक माल का परिवहन, उठाई–धराई और भंडारण) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 671(अ), जो 2 सितम्बर, 1994 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम मत्स्य बंदरगाह (संशोधन) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6681/94]

(2) (एक) मद्रास गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6682/94]

(3) (एक) विशाखापत्तनम गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6683/94]

(4) (एक) राष्ट्रीय राजमार्ग अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6684/94]

(5) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 1993–94 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6685/94]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.6686/94]

(ख) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय मे रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6687/94]

(7) (एक) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापत्तनम के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापत्तनम के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6688/94]

भारत गोल्ड माइन्स लि., उरगांव के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1996 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, उरगांव के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, उरगांव के वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6689/94]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए, संख्या एल.टी. 6690/94]

(ग) (एक) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत एल्यूमिनियन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6691/94]

(घ) (एक) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6692/94]

(2) हिन्दुस्तान जिंक लि. तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 6693/94]

भारतीय तार अधिनियम, 1985 के अंतर्गत अधिसूचना और आई. टी. आई. लिमिटेड, बंगलौर के कार्यकरण की समीक्षा तथा वर्ष 1993-94 की वार्षिक रिपोर्ट, इत्यादि

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक गैज़ेटस (अनुज्ञापन आवश्यकताओं

से छूट देना) संशोधन नियम, 1994, जो 25 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 341 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6694/94]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) आई टी आई लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आई टी आई लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6695/94]

(ख) (एक) एच टी एल लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एच टी एच लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6696/94]

(ग) (एक) टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडियां लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993–94 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6697/94]

(घ) (एक) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6695/94]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) :

(एक) आई टी आई लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6699/94]

(दो) एच टी एल लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6700/94]

(तीन) विदेश संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल.टी. 6701/94]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, इत्यादि

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय खनिज विभाग निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6702/94]

(ख) (एक) भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड, बोकारो के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड, बोकारो का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6703/94]

(ग) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6704/94]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। संख्या एल.टी. 6705/94]

(ङ) (एक) मैगनीज और (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैगनीज और (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6706/94]

(च) (एक) मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6707/94]

(छ) (एक) कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6708/94]

(ज) (एक) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवदेन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6709/94]

(झ) (एक) मेटेलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेटेलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6710/94]

मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, इत्यादि

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6711/94)

(2) (एक) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावूर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावूर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6712/94)

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, इत्यादि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री पी.वी. रंगय्या नायडू की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6713/94)

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6714/94)

(ख) (एक) नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावरन कारपोरेश्न लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6715/94)

(ग) (एक) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भागीरथीपुरम के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट करपोरेशन लिमिटेड, भागीरथीपुरम के वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6716/94)

(घ) (एक) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6717/94)

(2) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1995–96 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6718/94)

(3) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1994–95 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6719/94)

स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1992-93 इत्यादि के वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखे तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों इत्यादि को सभा-पटल पर रखने में हुए बिलंब को दर्शाने वाला विवरण, इत्यादि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 की उपधारा 19 के अंतर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान और शिक्षा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 18 के अंतर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1992–93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6720/94)

(3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अंतर्गत अखिल भारतीय संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6721/94)

(5) (एक) पाश्चर इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पाश्चर इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6722/94)

(तीन) पाश्चर इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6723/94)

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अधिसूचना, इत्यादि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1993, जो 9 नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 695(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धि–पत्र, जो 27 दिसम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 777(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6724/94)

(3) (एक) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6725/94)

(5) (एक) भारतीय फार्मेसी परिषद के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय फार्मेसी परिषद के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6726/94)

(7) (एक) स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6727/94)

(8) (एक) गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के -93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपुर्यक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6728/94)

(10) (एक) किदवई मैमोरियल अर्बुद विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) किदवई मैमोरियल अर्बुद विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1992–93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) किदवई मैमोरियल अर्बुद विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6729/94)

(12) (एक) आचार्य हरिहर कैंसर अनुसंधान और उपचार सोसाइटी क्षेत्रीय केन्द्र, कटक के वर्ष 1991–92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) आचार्य हरिहर कैंसर अनुसंधान और उपचार सोसाइटी क्षेत्रीय केन्द्र, कटक के वर्ष 1991–92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6730/94)

(14) (एक) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। संख्या एल.टी 6731/94)

(15) भारतीय मेडिसीन फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष समाप्ति के 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6732/94)

(16) भारतीय मेडिसीन फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6733/94)

(17) (एक) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6734/94)

(18) (एक) आल इण्डिया इंस्टिट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6735/94)

(19) (एक) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6736/94)

(20) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी 6737/94)

(21) (एक) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6738/94)

1.06 ½ म.प्र.

प्राक्कलन समिति
सैंतालीसवां प्रतिवेदन

डा. कृपा सिंधु भोई (संबलपुर) : मैं मानव विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) नवोदय विद्यालयों के बारे में प्राक्कलन समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सैंतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.07 म. प.

लोक लेखा समिति
की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों को अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय पांच के संबंध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) स्थावर संपत्तियों का मूल्यांकन संबंधी आठवां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(2) सीमा शुल्क प्राप्तियां संबंधी आठवां प्रतिवेदन (आठवी लोक सभा)

(3) एक सहयोगकर्ता पर बकाया द्रावों संबंधी बत्तीसवां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(4) नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज–दो, नई दिल्ली में प्राईवेट इमारतों को भाड़े पर लेने संबंधी 159वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(5) केन्द्रीय उत्पाद कर–दियासलाई कारखानों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद स्टाम्प का कपटपूर्ण उत्पादन संबंधी 179वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

1.7 ½ म.प.

विशेषाधिकार समिति
चौथा प्रतिवेदन

श्री शिव चरण माथुर (भीलवाड़ा) : मैं विशेषधिकार समिति का चौथा–प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.08 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पंचायत संचार सेवा योजना

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, इस बात से अवगत हैं कि संपूर्ण देश में बुनियादी संचार इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित करने के एक भाग के रूप में, समूचे देश में डाक सेवायें सुलभ कराने के लिए सरकार बचनबद्ध है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर मार्च 1994 के अंत तक पिछले 47 वर्षों के दौरान डाक नेटवर्क का 24,000 डाकघरों से 152786 डाकघरों तक विस्तार हुआ है। इस बात पर विचार करते हुए कि हमारी अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है, 90 प्रतिशत डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। डाक नेटवर्क के सुनियोजित विस्तार के बावजूद, देश में 2,34,000 पंचायतों में से केवल लगभग 1,12,000 पंचायतों में ही डाकघर स्थापित कर पाना संभव हो सका है।

विगत 47 वर्षों के दौरान देश में डाक सेवाओं के विस्तार के परिणामस्वरूप, पिछले 25 वर्षों मे डाक विभाग को भारी घाटा भी उठाना पड़ा है। सरकारी संसाधनों पर विभिन्न मांगों का दबाव होने के कारण डाक विभाग के लिए, इसकी डाक नेटवर्क विस्तार योजनाओं की अधिक बजट सहायता नहीं दी जा सकती।

डाक विभाग के आवर्ती घाटों पर और डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए निधि की मांग और आवंटन के मध्य के अन्तर पर विचार करते हुए, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं के प्रावधान के लिए कुछ नवीन पद्धतियां आरंभ करने की संभावनाओं का पता लगा रही है।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि संविधान में 73वें संशोधन के उपरांत पंचायतें प्रशासन का तीसरा स्तर बन गई हैं। अतः यह उपयुक्त समझा गया है कि बुनियादी डाक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए, पंचायत क्षेत्र में पंचायतों की सहभागिता का आह्वान किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए "पंचायत संचार सेवा योजना" नामक एक योजना, लोगों की सहभागिता के माध्यम से बुनियादी डाक सुविधायें प्रदान करने के लिए, विकसित की जा रही है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

(1) इस योजना में ग्राम पंचायतों की सहभागिता स्वैच्छिक होगी।

(2) पंचायत क्षेत्र से एक शिक्षित बेरोजगार युवक, जिसकी एक समिति द्वारा शिनाख्त की जाएगी, उस पंचायत क्षेत्र में डाक–कार्य निपटाने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(3) वह व्यक्ति, जिसकी समिति द्वारा शिनाख्त की गई है, इस योजना को चलाने के लिए पंचायत के एजेंट के बतौर कार्य करेगा। तथापि, इस योजना के प्रचालन के उद्देश्य के लिए पंचायतों को विभाग के साथ एक अनुबंध करना होगा।

(4) ग्राम पंचायतें, पंचायत संचार सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए एक उपर्युक्त भवन निर्धारित करेंगी। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाले भवन की प्राथमिकता दी जाएगी। केन्द्र की अवस्थिति, पदधारी बदलने के साथ नहीं बदलेगी।

(5) रविवार तथा डाक अवकाशों को छोड़कर, सप्ताह के अन्य दिनों में लोगों को डाक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। कोई निश्चित कार्य घंटे नहीं होंगे, किन्तु सुविधा तथा स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य–समय निर्धारित किया जाएगा।

(6) पंचायत संचार सेवा केन्द्र के सुचारु तथा कुशल काम–काज को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत डाक विभाग के प्रति उत्तरदायी होगी। संचार सेवा केन्द्र डाक विभाग द्वारा नियमित पर्यवेक्षण और निरीक्षण के अध्यधीन होंगे।

(7) पंचायत/पंचायतों के वितरण कार्य तथा डाक विभाग द्वारा निर्धारित क्षेत्र में पंचायत के एजेंट द्वारा किए जाने वाले डाक–संग्रहण के कार्य को निष्पादित करने के लिए 300/– रु. प्रतिमाह का निश्चित भत्ता दिया जाएगा।

(8) पंचायत के एजेंट को पंचायत क्षेत्र में अन्य डाक सेवाएं मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित भुगतान करके उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी :

(क) डाक टिकटों तथा डाक लेखन सामग्री की बिक्री पर 10 प्रतिशत कमीशन।

(ख) किसी पंजीकृत डाक वस्तु की बुकिंग और वितरण के लिए 50 पैसे का कमीशन; और

(ग) डाक जीवन बीमा, बचत बैंक तथा महिला समृद्धि योजना खातों का कामकाज देखने के लिए निर्धारित दरों पर कमीशन।

दूरसंचार विभाग के पास पंचायतों में पीसीओ मुहैया कराने के लिए एक योजना पहले से ही है। पंचायत क्षेत्र के भीतर डाक कार्य निपटाने के लिए समिति द्वारा जिस व्यक्ति की शिनाख्त की जाएगी वह व्यक्ति निर्धारित राजस्व सांझेदारी के आधार पर पंचायत क्षेत्र में पीसीओ का कार्य भी देखेगा। इससे पंचायत क्षेत्र में न केवल एक ही खिड़की से डाक व दूरसंचार, दोनों ही सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि डाक व दूरसंचार सेवाओं से कमीशन के रूप में अर्जित आय, पंचायत क्षेत्र में एक शिक्षित बेरोजगार युवक को निर्वाह योग्य आमदनी भी प्रदान करेगी।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि चूंकि, पंचायत क्षेत्र में डाक व दूरसंचार सेवाओं का कामकाज देखने वाले व्यक्ति की एक समिति द्वारा शिनाख्त की जाएगी, जिसमें डाक व दूरसंचार विभाग के स्थानीय अधिकारियों का प्रतिनिधित्व होगा। अतः पंचायत क्षेत्र में सेवा के न्यूनतम मानदंडों को सुनिश्चित किया जाएगा और जो कठिनाइयां पेश आयेंगी उन्हें दूर किया जाएगा। हमारी संवैधानिक योजना में ग्राम पंचायतों को सम्मानजनक स्थान देने के उपरान्त यह स्वाभाविक ही है कि हम जन सेवा के मानदंडों को बनाये रखने में इस संस्था की योग्यता और सद्विवेक में अपनी आस्था प्रकट करें।

मैं इस योजना को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

1.10 म.प.

कार्य मंत्रणा समिति

छियालीसवां प्रतिवेदन

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 16 दिसम्बर, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन (प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2 की मद संख्या (1) और (2) को छोड़कर, जिन्हें सभा द्वारा पहले ही निपटा दिया गया है) से सहमत हुई है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 16 दिसम्बर, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन (प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2 की मद संख्या (1) और (2) को छोड़ कर, जिन्हें सभा द्वारा पहले ही निपटा दिया गया है) से सहमत हुई।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.10½ म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्य सरकारों के बीच समझौतों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुए काफी अरसा हो गया है और इस दौरान हिमाचल प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है। यहां पर उद्योग में शून्य के बराबर विकास था जो अब बढ़ गया है। पनबिजली योजनाओं से विद्युत का उत्पादन होने के कारण उद्योगों में ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विकास होने की वजह से सुविधा प्राप्त हुई है। हिमाचल के पास विद्युत पैदा करने की 20 हजार मेगावाट की क्षमता है, जो वहां के नदी नालों का उपयोग करके की जा सकती है। इसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि प्रदेशों को भी यहां से बिजली का उत्पादन करके बेचा जा सकता है, जिससे उन सभी क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति लायी जा सकती है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो सकती है।

मैं भारत सरकार को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की बकाया धनराशि, जो दूसरे प्रदेशों की राज्य सरकारों के पास लगभग 1000 करोड़ रुपये से ऊपर लंबित पड़ी है तथा जिस वे दे नहीं रहे हैं। इस संबंध में सरकार से आग्रह है कि या तो भारत सरकार या उनके साथ जो समझौता हुआ है, उन्हें कार्यान्वित किया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश को किसी प्रकार का नुकसान न हो और उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, ताकि बेरोजगारों को विद्युत योजनाओं में रोजगार प्राप्त हो सके।

[अनुवाद]

(दो) चेन्नाई एक्सप्रेस गाड़ी को तमिलनाडु में तिरुनेलवेली तक बढ़ाने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मुम्बई उत्तर मध्य में स्थित धारावी –जोकि एशिया में सबसे बड़ी झौपड़–पट्टी है–में बड़ी संख्या में तिरुनेलवेली, तमिलनाडु से आये लोग रह रहे हैं। धारवी में चर्म–शोधनशालाओं के स्थित होने के कारण, इन लोगों की निरंतर यह मांग रही है कि चेन्नाई एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या6063–जोकि दादर स्टेशन से 19.50 बजे छूटती है तथा अगले दिन मद्रास पहुंचती है–को मद्रास से तिरुनेलवेली जंक्शन तक बढ़ाया जाना चाहिये। मुम्बई से तिरुनेलवेली को जाने वाले यात्रियों को तिरुनेलवेली जाने वाली सम्पर्क गाडी पकडने के लिए मद्रास जंक्शन पर तकरीबन 24 घंटे प्रतीक्षा करनी पडती है और इस तरह से इन यात्रियों को इस अवधि के दौरान बहुत असुविधा एवं कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

मेरा सकरार से अनुरोध है कि गाड़ी संख्या 6063 चेन्नाई एक्सप्रेस को मद्रास जंक्शन पर समाप्त न करके इसे तिरुनेलवेली तक बढ़ाया जाये। जैसाकि इस समय किया जा रहा है।

(तीन) जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित आयुध कारखानों को पुनर्गठित करने और उन्हें फिर से चालू करने की आवश्यकता

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में स्थित जबलपुर का केंद्र सरकार के कारखानों के शहर के रूप में देशभर में एक प्रमुख स्थान है। इस नगर में एवं इसके आसपास बहुत–से आयुद्ध कारखाने–जैसे कि गन कैरिज कारखाना (जी.सी. एफ.) खमेरिया का आयुद्ध कारखाना, ग्रे आयरन फाउंड्री (जी.आई. एफ.)–स्थित हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जबलपुर की अर्थव्यवस्था एवं विकास अपरिहार्य रूप से इन कारखानों के औद्योगिक स्वास्थ्य एवं उत्पादकता से जुड़ी है। एक समय था जब इन आयुद्ध कारखानों पर बहुत से सहायक कारखाने जबलपुर में पनपते थे।

महोदय, रक्षा संबंधी इन कारखानों के उत्पादन एवं उत्पादकता में अब बहुत अधिक गिरावट आ गई है तथा इनमें काम करने वाले कर्मियों की संख्या में भी गिरावट आई है। इन कारखानों का विस्तार विकेन्द्रीकरण तथा इनमें होने वाली भर्ती बंद हो गई है। इन पर निर्भर रहने वाले सहायक कारखाने अब धीरे–धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, इस नगर में स्थित आयुद्ध कारखानों की अर्थव्यवस्था दाव पर लगी है। श्रमिकों को समय पर उनका वेतन नहीं मिल रहा है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इन कारखानों का आधुनिकीकरण करके, इनकी उत्पादन तकनीकों को विकेन्द्रीकरण करके इनके कार्यकलापों तथा इनके आकार का विस्तार करके इन्हें पुनर्गठित एवं पुनर्जीवित करे एवं तदनुसार अपनी नीति का पुनः निर्धारित करें ताकि जबलपुर की अर्थव्यवस्था का स्वस्थ विकास सुनिश्चित हो सके।

(चार) मऊखास, मेरठ, उत्तर-प्रदेश में चीनी मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मेरठ जनपद के मऊखास स्थान पर शुगर मिल लगाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दो बार लाइसेंस दिये जाने हेतु संस्तुति दी जा चुकी है। खाद्य मंत्रालय ने भी अपनी संस्तुति कर दी है तथा खाद्य मंत्रालय ने पिछले लोकसभा सत्र के प्रश्न संख्या 2281 में यह स्वीकार किया गया है कि लाइसेंस देने के मापदंडों के अतर्गत प्रस्तावित चीनी मिल और वर्तमान में चल रही चीनी मिल के बीच कम से कम 15 किमी. का फासला होना चाहिए। मऊखास स्थान मंत्रालय की इस शर्त को भी पूरी करता है क्योंकि मऊखास से मवाना चीनी मिल की दूरी लगभग 23 किमी. है। मऊखास में चीनी मिल लगाये जाने के लिए 13 सितम्बर से यह प्रस्ताव पुनः उद्योग मंत्रालय के यहां विचारार्थ पड़ा हुआ है जो कि खाद्य मंत्रालय ने अपनी संस्तुति करके भेजा है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि मेरठ के मऊखास स्थान पर चीनी मिल लगाये जाने हेतु तुरन्त लाइसेंस दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

[अनुवाद]

(पांच) उत्तर-प्रदेश के हरदोई जिले में शाहबाद नगर में रसोई गैस एजेंसी को पुनः चालू करने तथा वहां एक अन्य गैस एजेंसी खोलने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक (शाहबाद) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शाहबाद एक महत्वपूर्ण नगर है। यहां पर नगरपालिका है और कई सरकारी कार्यलय है। यह एक अच्छा व्यापारिक नगर भी है। यहां पर खाना पकाने की एक गैस एजेंसी खोली गयी थी, जो गैस एजेंसी के सांझेदारों के आपसी विवाद के कारण बंद हो गयी है, जिसके कारण यहां के निवासियों को खाना बनाने की गैस नहीं मिल पा रही है और उन्हें बहुत अधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहबाद नगर में बंद पड़ी खाना पकाने की गैस एजेंसी को तत्काल चालू कराया जाये तथा क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार एक दूसरी एजेंसी भी खोली जाये।

(छह) लखनऊ से खाड़ी के देशों और थाईलैंड/काठमांडू (नेपाल) के लिए एक साप्ताहिक सीधी उड़ान आरंभ करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के लोग भारी संख्या में काफी समय से खाड़ी देशों (थाइलैंड) और सिंगापुर में रहते हैं। सरकार द्वारा उदारवादी आर्थिक नीतियों के बाद उत्तर प्रदेश से इन क्षेत्रों का कारोबार काफी बढ़ा है और उसी तरह लोगों का आना-जाना भी बहुत बड़ी संख्या में हो गया है लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खाड़ी देशों और थाईलैंड के लिए कोई सीधी उड़ान न होने से लोगों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रदेश के बाहर के किसी भी हवाई अड्डे पर बाहर से आने वाले यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मेरी मांग है कि खाड़ी देशों और थाईलैंड/काठमांडू के लिए प्रयोग के तौर पर हफ्ते में एक सीधी उड़ान लखनऊ से शुरु की जाये।

[अनुवाद]

(सात) उड़ीसा में तालदंडा नहर को साफ करने के लिए एक कार्य योजना बनाने और इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : उड़ीसा में 83 किलोमीटर लंबी तालदंडा नहर इसके किनारे पर बसे लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर रही है। कटक में महानदी और पाराद्वीप में अंथुराबंकी नदी से यह नहर नौवहन और इस क्षेत्र में सिंचाई के उद्देश्य से 100 वर्ष पहले बनाई गई थी। इसके बनने के पश्चात् 1886 में भीषण सूखा पड़ा था और सूखा प्रभावित व्यक्तियों को यहां बसाया गया था। नौवहन और सिंचाई के अतिरिक्त यह नहर इसके दोनों किनारों पर बसे व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती थी। एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि अब यह नहर इसके किनारों पर बसे लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनती जा रही है। इस नहर के किनारों पर बसे अधिकांश व्यक्ति पिछली एक शताब्दी से कृमि रोगों, एरिटामीनोसिस, जठरांत्र संबंधी रोगों तथा त्वचा की अनेक बीमारियों के शिकार हैं। नहर के प्रदूषित जल से महामारी भी फैल सकती है।

सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि तालदण्डा नहर के पानी में पिछले छः वर्षों से रसायन ऑक्सीजन तथा कोलीफॉर्म के साथ-साथ बायोरसायन ऑक्सीजन की मात्रा काफी बढ़ गई है। इन अवयवों की मात्रा बढ़ने से उन व्यक्तियों की स्थिति और भी खराब हो गई है जो अपने दैनिक कार्यों जैसे कपड़े धोना, नहाना, खाना बनाना, मछली पकड़ना आदि के लिए इस नहर पर निर्भर हैं। यदि इस नहर के प्रदूषण को कम करने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए जाते हैं तो इस नहर के किनारे पर बसे व्यक्तियों के जीवन के लिए खतरा भी पैदा हो जायेगा।

इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि तालदंडा नहर को साफ करने के लिए भारत सरकार को एक कार्य योजना बनानी चाहिए और इस योजना को तत्काल लागू करने के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.25 म. प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.22 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.25 म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.34 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.34 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प

तथा

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक... जारी

सभापति महोदय : वास्तव में इस विधेयक के लिए आबंटित समय समाप्त हो चुका है। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे संक्षेप में बोलें। श्री चित्त बसु।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं विधेयक का विरोध करता हूं। मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं कि यह विधेयक एक प्रतिगामी कदम है। इसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का निजीकरण करने का प्रावधान है। महोदय, यह सरकार की नीति का अभिन्न अंग है जिसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम कहा जाता है। ढांचागत समायोजन कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय कोष और विश्व बैंक द्वारा दिए सुझावों और परामर्श के आधार पर भारत सरकार पर ऋण आदि देने के लिए कुछ शर्तें लगाई हैं। वह ऋण प्राप्त करने के लिए सरकार को उन शर्तों को स्वीकार करना पड़ा।

महोदय, आप जानते होंगे कि हाल के वर्षों में अनेक समितियां गठित की गई थीं जो सरकार को यह परामर्श दे सके कि आम मानकों अथवा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के आधार पर ढांचागत समायोजन कार्यक्रम को किस प्रकार लागू किया जाएगा। मैं गोस्वामी समिति, नरसिम्हन समिति, मलहोत्रा समिति आदि के साथ–साथ दूरसंचार समिति का भी इस बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। इन सभी समितियों ने हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बड़े भाग का निजीकरण कर ढांचागत समायोजन कार्यक्रम लागू करने का सुझाव दिया। मैं उन समितियों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं जो हमारी अर्थव्यवस्था के वित्तीय क्षेत्र से संबंधित हैं। महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गोस्वामी समिति सरकार को रुग्ण उद्योगों के पुनः संचालन के बारे में परामर्श देने के लिए गठित की गई थी। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। नरसिम्हन समिति हमारे देश की वैकिंग सेवाओं के संबंध में ढांचागत समायोजन कार्यक्रम के संदर्भ में गठित की गई थी और मलहोत्रा समिति जीवन बीमा निगम के संबंध में गठित की गई थी।

महोदय, वह सब गैर समझौते का एक अंग है जिसने हमारी सरकार पर अर्थव्यवस्था के वित्तीय क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए दबाव डाला। महोदय, इस विधेयक को पारित कर हमें मजबूरन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का भी निजीकरण करना होगा जो सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय संस्थान है। मेरा यह कहना है कि यह सरकार की अविश्वसनीय, जन–विरोधी और राष्ट्र विरोधी आर्थिक नीति को लागू करने के उपायों में से एक है।

महोदय, यहां तक कि प्रधान मंत्री ने भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों के विधान सभा चुनावों के बाद कहा था कि यह आर्थिक कार्यक्रम जनता के लिए उपयोगी नही है; यह जनता के हितों के विरुद्ध है तथा जनता के लिए हानिकारक है। कुछ व्यक्ति इस बारे में बोल चुके हैं और कुछ इसके बारे में बोल रहे हैं। सुधार अवश्य होने चाहिए लेकिन यह जनता के जीवन, परिस्थितियों तथा कार्य सुधार करने के लिए होने चाहिए। जनता के हित के लिए आर्थिक सुधार हुए हैं यह अच्छा विचार है। हम यह नहीं कहते कि सुधार नहीं होने चाहिए। सुधार आवश्यक है लेकिन सुधार किनके हित के लिए करने चाहिए? सुधार जनहित में होने चाहिए। मेरे विचार से सभा इस उपाय का स्वागत करेगी। सरकार, जिसने यह नई आर्थिक नीति बनाई है, सत्ता पक्ष के बहुत से सदस्य और स्वयं प्रधान मंत्री भी यह कह रहे हैं कि सुधार कार्यक्रम जनता के हित में होने चाहिए। वास्तव में इस विधेयक से हमारे देश में जन–विरोधी आर्थिक सुधार लागू हो जाएंगे इसलिए मैं इस विधेयक के मूल सिद्धांत का विरोध करता हूं।

इस संबंध में मैं केवल दो मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। औद्योगिक विकास में रुग्ण उद्योगों का मुद्दा भी शामिल है। औद्योगिक रुग्णता औद्योगिक विकास के लिए श्राप है। जहां तक मुझे जानकारी है इस समय 59 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को रुग्ण घोषित किया गया है और इनका मामला बी.आई.एफ.आर. को भेजा गया है। राज्यों में सरकारी क्षेत्र उपक्रमों की संख्या और भी अधिक है। अनेक निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा नियमित क्षेत्र की कंपनियों के मामले भी बी.आई.एफ.आर. को भेजे गये हैं। क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इन परियोजनाओं के पुनः संचालन के लिए धन देगा जैसा कि बी.आई.एफ.आर. ने सुझाव दिया है।

महोदय, इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि यदि धन औद्योगिक विकास के लिए है तो, क्या औद्योगिक रुग्णता के लिए सुधारात्मक उपाय करना औद्योगिक विकास का अंग नहीं है? यदि ऐसा है तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को रुग्ण उद्योगों को भी वित्तीय सहायता देनी चाहिए अथवा उनमें धन निवेश करना चाहिए। वास्तव में जैसा कि मैंने कहा है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक–मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बारे में नहीं जानता हूं–ने बी.आई.एफ.आर. द्वारा दिए गए सुझाव या परामर्श के आधार पर किसी पुनः संचालन परियोजना या योजना को स्वीकार नहीं किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह देखेगी कि बैंक 'रुग्ण औद्योगिक एककों की पुनः संचालन परियोजनाओं' को लागू करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भी धन उपलब्ध कराया जाए। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि गोस्वामी समिति ने बहुत ही सीधा सा सुझाव दिया कि जितनी जल्दी हो सके अधिक से अधिक रुग्ण उद्योगों को बंद ही कर दिया जाए। उन्हें पुनः चालू करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान रुग्ण उद्योगों को पुनः चालू करने संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों की ओर दिलाना चाहता हूं।

अंत में मैं, राष्ट्रीय नवीकरण कोष के बारे में जानना चाहता हूं। इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान था। मैं नहीं जानता कि इस निधि का क्या हुआ। क्या इस धन को किसी नवीकरण कार्य के लिए खर्च किया गया है।

मैं इन दो प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं। मोहदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

डा. एस.पी. यादव (सम्भल) : सभापति जी, औद्योगिक विकास बैंक संशोधन विधेयक जो कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वास्तव में इसके पुनर्गठन की आवश्यकता है लेकिन ऐसा न हो कि इसका लाभ केवल बड़े उद्योगपतियों तक सीमित रह जाये और मध्यम तथा छोटे वर्ग के उद्योगपतियों को इसका लाभ न मिल सके। इस बिल में ऐसा प्रावधान किया जाये जिससे बैंक की कार्य प्रणाली को सक्रिय बनाया जा सके। औद्योगिक विकास बैंक से लाभ कमाने वाले कितने लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं, उसको लेकर हमें संदेह है। आम आदमी और आम उद्योगपतियों तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। इसकी सक्रियता को बढ़ाना होगा और इसे जिला तथा तहसील स्तर पर खोलना होगा। इसके अतिरिक्त ऋण की ब्याज दर को कम करना होगा, वसूल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना होगा और उसको समान रूप से लागू करना होगा। बैंक की प्रणाली को लचीला बनाना होगा। इसके साथ-साथ जो भावी उद्योगपति हैं या जो इस दिशा में आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनको इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करायी जाये ताकि वे औद्योगिक विकास बैंक से ऋण लेकर अपने उद्योगों से लाभ उठा सकें।

देश के बहुत से राज्यों में औद्योगिक विकास न के बराबर हैं। वहां उद्योगों की कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। उन छोटे राज्यों को औद्योगिक विकास बैंक की सुविधा मिलनी चाहिये और पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिये लोगों को बैंकों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। जो अन्य वित्तीय संस्थायें हैं, उनके समानांतर बड़ी मजबूती के साथ उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये बाजार में आना होगा और पुरानी संस्थायें जो इस दिशा में उद्योगपतियों के लिये ऋण वितरित कर रही हैं, उन संस्थाओं में क्या कमियां हैं, उनका भी आकलन करना होगा।

मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश फाइनैंशल कारपोरेशन ने अरोमा कैमिकल इंडस्ट्री, चंदौसी के बारे में निर्णय दिया कि उस पर ऋण की मात्रा ब्याज सहित लगभग ढाई लाख है, लेकिन उस फाइनैंशल कारपोरेशन के कर्मचारियों ने दूसरी पार्टी से मिलकर । लाख 15 हजार में उसे दूसरी पार्टी को बेच दिया और पूरा ऋण भी वसूल नहीं किया। इसलिये यह देखना होगा कि इन फाइनैंशल कारपोरेशन्स में क्या-क्या कमियां हैं। गत पिछले साल तक आर.बी.आई. ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, उसके अनुसार बड़ी इकाइयों पर ऋण की मात्रा अधिक है जबकि छोटी इकाइयों की संख्या अधिक होने पर भी ऋण की मात्रा कम है। पिछले साल बड़ी इकाइयां जिनके ऋण बकाया थे, वे । हजार 536 थीं और ऋण की तादाद 5786.65 करोड़ थी। छोटी इकाइयां जिनकी संख्या अधिक थी, वे 2,35,575 थी लेकिन उनका ऋण 3100.67 करोड़ ही था। इस प्रकार बड़े उद्योगपति लाभ अधिक से अधिक मात्रा में उठाना चाहते हैं और ऋण की अदायगी बहुत कम करना चाहते हैं।

पंजाब नैशनल बैंक का ऋण में दिया गया रुपया मोदी समूह पर 75 करोड़ का बकाया है। सरकार उसे वसूलने में अक्षम है या उसकी नीयत नहीं है या अन्य कारणों से वह उनसे वसूलना नहीं चाहती है। जो वित्तीय संस्थायें इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनके द्वारा जो ऋण दिया जा रहा है, उसकी वसूली किस प्रकार से की जा रही है या नहीं की जा रही है या पक्षपात किया जा रहा है, इस पर औद्योगिक विकास बैंक को नजर रखनी होगी। किस प्रकार से औद्योगिक विकास बैंक ऋण वितरित करता है और ऋण वसूल करता है,

मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि औद्योगिक विकास बैंक की प्रणाली में संशोधन तो किया जाए लेकिन उसके बाद नौकरशाही कहीं उस प्रणाली को पंगु न बना दे और अपनी दुकानदारी न चलाने लगे, इस प्रकार की स्थिति न बन जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का विभाग बैंकों से भी जुड़ा हुआ वित्त विभाग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सिंडिकेट बैंक ने दो शुगर मिल्स के लिए लोन दिया और लोन बिल्कुल बराबर-बराबर एक ही दिन सैंक्शन किया गया। एक चौधरी शुगर मिल, मनोटा है और दूसरा अग्रवाल शुगर वर्क्स, अमरोहा है। दोनों के लिए एक ही बराबर, एक ही दिन ऋण सैंक्शन किया गया। लेकिन अग्रवाल शुगर वर्क्स, अमरोहा के लिए उन्होंने जो ऋण दिया था उसकी कम ब्याज पर वसूली कर ली और उसमें कुछ नं. दो की हेराफेरी करके, कम ब्याज वसूल करके ऋण प्राप्त कर लिया। ...**(व्यवधान)** चौधरी शुगर मिल, मनोटा का केस आज भी पैंडिंग में है। हमने माननीय वित्त मंत्री जी को लिखकर भी दिया है लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला और उनसे अधिक ब्याज मांगा जा रहा है तो इस प्रकार की अन्य वित्तीय संस्थाएं अनियमितताएं कर रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि आपके जो औद्योगिक विकास बैंक हैं, उनमें ऐसा प्रोविजन न हो कि नौकरशाही अपनी मनमानी कर सकें।

महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को प्रयास करना होगा कि उसके शेयरधारकों की संख्या में वृद्धि हो। अगर बैंक ठीक तरीके से काम करना चाहता है तो उसके जो शेयरधारक बाजार में बनें, उद्योगपति बनें उनकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि मैं इस बिल का विरोध करना चाहता हूं लेकिन यह अवश्य चाहता हूं कि इसमें जो भी संशोधन किये जाएं वे आम छोटे उद्योगपतियों की जो जरूरते हैं या उनकी जो कठिनाइयां हैं और जो नए उद्योगपति हैं उनको मार्केट में आने के लिए, उद्योग लगाने के लिए उनकी सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखा जाएगा।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति महोदय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक संशोधन विधेयक 1994 के माध्यम से जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था आज चौराहे पर खड़ी है, उस व्यवस्था को सुधार की ओर, लाइन पर लाने का मंत्री महोदय प्रयत्न जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि दो लाख करोड रुपया इस बैंकिंग व्यवस्था में डूब जाने के बाद यह सरकार किस प्रकार से मृतप्राय बैंकिंग व्यवस्था को ठीक कर पाएगी, मुझे तो यह स्वप्न जैसी कल्पना दिखाई देती है। सारी बैंकिंग व्यवस्था चरमरा रही है, सारी बैंकिग व्यवस्था के आधार पर लूटा गया है। आम भारतीय जनता की पूंजी के साथ खिलवाड़ किया गया हैं। आज हम गरीब काश्तकार के लिए जो चिंतित रहते हैं, लोन की वसूली के

लिए तो सीधी उनकी कुड़की निकलती है। उसको कोड़े मारे जाते हैं। यहां से दबाव जाता है। बैंकिंग व्यवस्था ने किस प्रकार से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया है क्या इसके आंकड़े भी कभी आपने देखने का प्रयत्न किया है?

महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उद्योग बीमार नहीं होते, बीमार किए जाते हैं। सब्सिडी खाने के लिए, जहां ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी मिलती है वहां अपना उद्योग पहुंचा देते हैं। वही पुरानी मशीनरी यहां से उठाकर दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। गुजरात की मशीनरी राजस्थान में आ जाती है और राजस्थान की उत्तर प्रदेश में चली जाती है। सब जगह लोन और सब्सिडी का फायदा उठा करके उद्योगपति आज मालामाल बनते जा रहे हैं।

सरकार ने उनके खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं की और सरकार के पास कोई व्यवस्था करने की गुंजाइश भी नहीं है। लोन देने वाला बैंक यदि उद्योगपति पर केस चलाना चाहे, तब भी नहीं चला सकता। वित्त मंत्रालय ने तो अपना मन बना लिया है कि बैंक अधिकारियों को ऐसे अधिकार दे दिए जाएं, ताकि वे निश्चित रूप से ऋण वसूल कर सकें, लेकिन आज लाखों रुपए का ऋण देने वाले बैंक अपना कर्ज वसूल करने के लिए कोर्ट में केस दायर करते हैं, सीधे–सीधे ऋण वसूली की कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उद्योगपति ने ऐसा कौन सा तीर मारा है, जिसके कारण उसको इतनी छूट दी गई है। उद्योगपतियों ने हिन्दुस्तान को लूटा है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि बीमार लघु उद्योगों पर 3100 करोड़ रुपया बकाया है, जबकि मध्यम और बड़े उद्योगों पर 5786 तथा मृतप्राय मध्यम–बड़े उद्योगों पर 2646 करोड़ रुपया बकाया है। इस प्रकार से 11533 करोड़ रुपया पिछले 4 वर्षों में उद्योग खा गए, डकार गए और केन्द्र सरकार टुकुर–टुकुर देख रही है, उद्योगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में समर्थ नहीं हो सकी, जिसके कारण आज बैंकिंग उद्योग मृतप्राय स्थिति में आ गए हैं। मुझे चन्द्रशेखर मूर्ति जी की नीयत पर कोई शक नहीं है, अच्छे मंत्री हैं, परंतु बड़े उद्योगपतियों से ऋण वसूल करने के लिए सरकार को कृतसंकल्प होना चाहिए।

सभापति महोदय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीयकरण का रजत जयंती वर्ष है। मैं कहना चाहता हूं कि इसको मातम जयंती वर्ष माना जाना चाहिए। मार्क्सवादियों ने राष्ट्रीयकरण की बात पर जय–जयकार की थी और जिंदाबाद के नारे लगाए थे, लेकिन देखिए कि आज राष्ट्रीयकरण की क्या स्थिति है। राजनेताओं ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अधिकारियों को ओबलाइज करने के लिए अपनी मर्जी से उनको राष्ट्रीयकृत बैंकों का चेअरमैन बनाया तथा अपना उल्लू सीधा करके इस देश को लूटा–खसोटा, खाया, अपने घर भरे। यदि आप एक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उन राजनीतिज्ञों के खिलाफ एक्शन लीजिए, जिन्होंने चाटुकार अधिकारियों को रखा। उन सबकी जांच करें और ठीक प्रकार से सारे पैसे की वसूली की करें।

सभापति महोदय, राष्ट्रीयकरण के बाद देश की जो दुर्दशा हुई है, वह चिंता का विषय है और आज आप निजीकरण की ओर जा रहे हैं, लेकिन निजीकरण से भी किसी प्रकार का कल्याण होने वाला नहीं है। राष्ट्रीयकरण के नाम पर जो 5000 शाखाएं बैंकों की खोली गई हैं, जिनमें हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा। निजीकरण तक भी बात समझ में आती है, लेकिन आप तो विदेशीकरण की तरफ जा रहे हैं, जिससे इस देश का बंटाढार होगा। विदेशीकरण के पक्ष में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, कोई भी इसको बरदाश्त नहीं करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप समुचित व्यवस्था कीजिए।

मैं 2 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमने कभी नहीं सुना कि जिसके घर में दाने न हों, जो दीवालिएपन की हद तक पहुंच चुका हो और वह दान करता हो। आंध्र बैंक 1992–93 में 1418900000 रुपए घाटे में था और इस बैंक ने 1990–91 से 1993 तक 38 लाख रुपए दान में दिए। घाटे में जाने वाले बैंक दान दे रहे हैं और सरकार टुकुर टुकुर देख रही है। सेंट्रल बैंक 3435100000 रुपए घाटे में था।

3.00 मं.प.

और उसने तैंतीस लाख रुपये दान में दिये हैं। क्या आपने कभी बैंकिंग व्यवस्था को देखने का प्रयास किया है कि यह दान की पद्धति कौन सी है और किसको दान दिया जाता है? ऐसे एक–दो नहीं, 17 बैंक हैं जो लगातार घाटे में चल रहे हैं और प्रति वर्ष दान की राशि देते चले जा रहे हैं। एक–दो करोड़ रुपये नहीं, करोड़ों में दान की राशि हमारी बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा दी जा रही है।

इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह बट्टा खाता क्या होता है? अगर आप किसी व्यक्ति की राशि बट्टे में रखते हैं तो उसका नाम भी उजागर करना चाहिए कि इस उद्योग की धनराशि हमें प्राप्त नहीं हुई इसलिए हम इसे बट्टे खाते में डाल रहे हैं। कोई आदमी बदनाम नहीं होता है, उसकी चर्चा भी नहीं होती है, आप चुपचाप उसका नाम बट्टे खाते में डाल देते हैं। अगर आप नाम और राशि को उजागर कर दें तो इससे कोई आसमान टूट कर नहीं गिरेगा।

मेरी मांग है कि कर्ज के भुगतान में गड़बड़ी के जो आपराधिक मामले हैं, उनकी एक सूची बनायें और गबनकर्ता के नाम सार्वजनिक किये जायें। राजनैतिक प्रभाव के चलते जिन अफसरों की नियुक्ति उच्च पदों पर की गई है, उनकी जांच करके अच्छे और ईमानदार लोगों को बैंकिंग सेवा का सुअवसर प्रदान किया जाये और चाटुकारों को तुरंत निकाला जाये। वरना यहां एक जेपीसी नहीं, हजारों ऐसे मामले देश में आ सकते हैं। बैंकों में जो फिजूलखर्ची इतनी बड़ी तादाद में है, उसको रोकने का प्रयत्न करें। इसके लिए वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना की जाये। आपने कहा कि बैंक अधिकारियों को वसूली के समय ज्यादा शक्ति देने के लिए विधि मंत्रालय आड़े आ जाता है तो मेरा निवेदन है कि विधि मंत्रालय से बात करके आप वसूली के कड़े नियम बनायें और अपने अधिकारियों को अधिक पावर दें। आज बिहार और उत्तर प्रदेश में लोन की व्यवस्था बैंकों के द्वारा की जा रही है उसकी वसूली को आप देखें तो पता चलेगा कि वसूली की संख्या सिर्फ 13 प्रतिशत रह गई है और ब्याज वसूलने की दर सिर्फ 9 प्रतिशत ही रह गई है। वहां पर लोन लेकर लोग वापस नहीं करते हैं, बैंक के अधिकारी जब वसूली के लिए जाते हैं तो उनका मुंह काला कर दिया जाता है या उनको जिंदा नहीं रहने दिया जाता है।

आप जो यह बिल लाये हैं, यह सफल हो, ऐसी हमारी कामना है; लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग व्यवस्था सुधरेगी। क्योंकि सारी व्यवस्था ही चरमरा चुकी है। पैंतीस–चालीस साल के कांग्रेस के शासन में यह कंगाली की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है। परसो मैंने अखबार में पढ़ा कि लोग अब बैंकों में पैसा रखना अच्छा नहीं समझते। वे समझते हैं कि पता नहीं कहीं यह टूट न जाये, दिवालिया न हो जायें। ऐसा अब लोग सोचने लगे हैं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : दो मिनट का समय हमें भी दे दें।

सभापति महोदय : चर्चा शुक्रवार को ही पूरी कर ली जानी चाहिए थी। हमने आज भी इस पर चर्चा की। यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे अन्य माननीय सदस्यों को भी अनुमति देनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, कृपया दो–तीन सदस्यों को और बोलने की अनुमति दीजिए।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : शुक्रवार को भी कुछ माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। मेरा भाषण आधा ही हुआ था कि मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए कह दिया गया था

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, लेकिन आप बोल चुके हैं। आपने बहुत कुछ कहा है।

सभापति महोदय : इसकी भी कुछ सीमा है। आपको अब सहयोग करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, मुझे केवल दो मिनट का समय दे दीजिए। मैं एक–दो मिनट में खत्म कर दूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया नहीं, क्षमा करें।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मौजूदा विधेयक का उद्देश्य आई.डी.बी.आई. अधिनियम के अनेकों संशोधनों में संशोधन करना और इन प्रस्तावित संशोधनों को व्यापक रूप से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

पहली श्रेणी पूंजी बाजार से ससाधन जुटाने की अनुमति देकर आई.डी.बी.आई. का पुनर्गठन करना है। महोदय, आई.डी.बी.आई. पर अभी तक पूरी तरह से सरकार का स्वामित्व है और इस संशोधन से आई.डी.बी.आई. सरकार के साथ अन्य शेयरधारक बना सकता है और इसके 51 प्रतिशत शेयर सरकार के पास रहेंगे। मैं आपके माध्यम से इस माननीय सभा को सूचित करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के अलावा किसी भी शेयरधारक को जारी की गई पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने के मामले में मतदान के अधिकारों का प्रयोग करने का हक नहीं होगा। मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में आई.डी.बी.आई. की मुख्य भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि सरकार को आई.डी.बी.आई. पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और इसे अपने पास रखना चाहिए।

जहां तक दूसरे संशोधन का संबंध है, यह इस संस्थान की कार्यमूलक स्वायत्तता और प्रचालनात्मक लोचशीलता के बारे में है। महोदय, अब सरकार द्वारा आज तक लिए गए अनेक निर्णयों को शेयरधारकों की जनरल बाडी की बैठक को या निदेशक मण्डल को अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है।

जहां तक संशोधन के तीसरे वर्गीकरण का संबंध है, महोदय, यह आई.डी.बी.आई. के बोर्ड के गठन के बारे में है। अब इस संशोधन से 12 निदेशक नियुक्त करने की व्यवस्था की जा रही है, जिनमें से 8 निदेशक सरकार मनोनीत करेगी शेष 4 को शेयरधारक अपने में से चुनेंगे। चर्चा के दौरान बहुत से सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि सरकार इस संशोधन को अध्यादेश के माध्यम से क्यों लाई है। महोदय, सरकार ने आई.डी.बी.आई. को जनता से धन जुटाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है और यह निर्णय सितम्बर, 1994 के अंतिम सप्ताह में लिया गया था।

3.09 म.प.

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

महोदय, हम सब जानते हैं कि सार्वजनिक निर्गम लाने के लिए बहुत अधिक तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए इसमें विनियम बनाने, लीड मैनेजर की नियुक्ति, पेशकश दस्तावेज तैयार करना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की मंजूरी, निर्गम का विपणन इत्यादि शामिल है। इन कार्यों के लिए काफी समय और तैयारी की आवश्यकता होती है। इसीलिए सरकार ने इस अध्यादेश का प्रस्ताव किया और अब हम उस अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाए हैं।

अनेक माननीय सदस्यों ने बैंकिंग प्रणाली की आलोचना की है। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कार्य निष्पादन सराहनीय है। इसने आरम्भ से ही मुनाफा कमाया है। उदाहरण के लिए वर्ष 1991–92 में इसे 474 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। वर्ष 1992–93 में इसे 487 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था और 1993–94 में इसे 611 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था।

श्री चित्त बसु ने एक प्रश्न उठाया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को रुग्ण उद्योगों को और रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए धनराशि प्रदान करनी चाहिए। रुग्ण उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहित सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पुनरुद्धार योजना के अनुसार धनराशि प्रदान की जाती है।

श्री चित्त बसु : ऐसा नहीं किया जा रहा है। यही मेरी शिकायत है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : श्री चित्त बसु जी, यह एक अलग मुद्दा होगा। मैं इस सम्माननीय सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि वर्तमान संशोधन के बावजूद रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार और रुग्ण उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री राम कापसे और श्री चेतन पी.एस. चौहान ने आरम्भ में आपत्ति की है। इस प्रकार के मामलों में प्रस्तावित विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। मैं यहां बताना चाहता हूं कि यह निर्णय सभा को लेना है कि विधेयक को स्थायी समिति को सौंपा जाना है या नहीं। सरकार को इसमें कुछ नहीं करना है।

श्री दाऊ दयाल जोशी जी ने अनेक आपत्तियां उठाई हैं। जहां तक बैंकों की वसूली संबंधी स्थिति का सम्बन्ध है, वह इस बारे में चिंतित है। परन्तु अभी मुझे केवल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी है। मैं श्री जोशी को बताना चाहता हूं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की परिसम्पत्तियां 92 प्रतिशत से अधिक हैं, जो देश के वित्तीय संस्थानों में अधिकतम है। गत तीन वर्षों के दौरान एकत्रित राशि इस प्रकार रही– वर्ष 1991–92 के दौरान यह राशि 88 प्रतिशत थी, 1992–93 में यह बढ़कर 91 प्रतिशत हो गई और 1993–94 में यह बढ़कर 92 प्रतिशत हो गई। इन आंकड़ों से हम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जो देश में भली–भांति कार्य कर रहा है, की वसूली की स्थिति के बारे में जान सकते हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दे इस विधेयक के विषय क्षेत्र से बाहर के थे। कुछ माननीय सदस्यों ने बैंकिंग प्रणाली का उल्लेख किया है और कुछ सुझाव भी दिए हैं। मैनें उन सबको उचित ढंग से नोट कर लिया है।

मैं सांविधिक संकल्प के प्रस्तावक से इसे वापिस लेने तथा इस सदन के माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, जैसा अभी मंत्रीजी ने अध्यादेश के संदर्भ में उत्तर दिया है, उस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए साधन भी अच्छे होने चाहिए तभी अच्छी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि सरकार चाहती तो इस बिल को गत सत्र में भी ला सकती थी, लेकिन उसने उसके लिए अध्यादेश का मार्ग ही अपनाया और अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाकर फिर उसकी संपुष्टि सदन से करा रहे हैं, यह स्थिति किसी भी प्रकार से उचित नहीं कही जा सकती। इस संबंध में मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह भविष्य में अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति से बचे और जब आपातकालीन स्थिति ही पैदा हो जाये तभी इस साधन का सहारा लिया जाये।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जैसा अभी मंत्रीजी ने उत्तर दिया है कि स्टैण्डिंग कमेटी के अंदर इसको नहीं भेजा गया। स्टैण्डिंग कमेटी का निर्माण संसद के द्वारा होता है और संसद में बिलों पर ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती इसलिए बिल पर सर्वसम्मति से चर्चा होकर देश के हित का अधिक से अधिक ध्यान रखा जा सके, इस दृष्टि से कमेटियां बनायी गयी हैं जिनमें लोक सभा और राज्य सभा के माननीय सदस्य रहते हैं। अगर सरकार मनमानी करेगी और स्टैण्डिंग कमेटियों की इसी प्रकार से उपेक्षा करेगी तो सारे बिल सीधे ही सदन में आएंगे या फिर अध्यादेश के द्वारा आएंगे। फिर स्टैण्डिंग कमेटियों की उपयोगिता कम हो जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से और मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि भविष्य में मंत्रालयों के लिए गठित स्टैण्डिंग कमेटियों की उपेक्षा न की जाये।

मैंने सारी चर्चा सुनी है और सरकार जो कह रही है वह भी ध्यान से सुना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं :–

माया से माया मिले कर–कर लम्बे हाथ।

"तुलसीदास" हाय गरीब की पूछै न कोई बात।।

आप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तो बना रहे हैं लेकिन उस बैंक के माध्यम से आप बड़े–बड़े उद्योगपतियों को ही लोन आदि की सुवधिाएं दे रहे हैं। जो छोटे उद्योग–धंधे करने वाले हैं, जो स्वदेशी उद्योग–धंधों को मजबूत करने वाले हैं उनके लिए आपने क्या प्रावधान किया? सभापति जी, सारा सदन इस बात को जानता है कि जितने भी उद्योगपति हैं ये पहले तो अपनी यूनिट्स के लिए सरकार से या औद्योगिक विकास बैंक से ऋण ले लेते हैं और फिर उसको सिक यूनिट घोषित कर देते हैं एवं उसके बाद उसको फिर से चलाने के लिए बैंक के पास जाते हैं और उनको फिर लोन मंजूर हो जाते हैं। ऋणों की राशि भी इतनी अधिक है, जैसा अभी मंत्रीजी ने बताया, उससे पता चलता है कि देश के धन का कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए ही दुरुपयोग हो रहा है और आम आदमी इसमें पिस रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस संबंध में कुछ सावधानी बरती जाय। मंत्रीजी ने कुछ नहीं बताया कि जो छोटे उद्योग–धंधे हैं, जो स्वदेशी उद्योग हैं उनकी वृद्धि के लिए क्या सरकार औद्योगिक विकास बैंक के द्वार खोलेगी? यदि ऐसा नहीं होगा तो बड़े उद्योगपति ही लाभान्वित होंगे।

मान्यवर, गौतम बुद्ध ने कहा था कि 'वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वह बजना ही बंद हो जाए'। मैं यह जानना चाहूंगा कि औद्योगिक विकास बैंक या अन्य वाणिज्यिक बैंक हैं, उनका जो सोशियल कमिटमेंट है, सामाजिक प्रतिबद्धता है उसकी तरफ भी वे ध्यान देते हैं या नहीं? ऐसा नहीं हो कि वे अपने सामाजिक दायित्व से मुक्त हो जाएं। आप शेयर्स दे रहे हैं, इक्विटी को बढा रहे हैं और जब हम लोग उदारीकरण की बात करते थे तब कांग्रेस के मित्र हमारी हंसी उड़ाया करते थे लेकिन आज "देर आयद–दुरुस्त आयद" वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए वे भी उदारीकरण की तरफ बढ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि उदारीकरण के नाम पर जो ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, यह अनुचित है और इस बिल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि विदेशी बैंकों के लिए शेयर्स की खरीद पर पाबंदी है या नहीं।

विदेशियों पर इसके शेयर खरीदने के मामले में पाबंदी है या नहीं। ठीक है, आपने कह दिया कि 49 परसेंट शेयर उनके रहेंगे और 51 परसेंट शेयर अपने देश के रखेंगे तथा डायरेक्टर्स में भी,

निदेशक मंडल में भी सरकार के लोगों को बहुमत होगा लेकिन जैसा हमारा पिछला अनुभव है, दूध का जला छांछ को भी फूंक–फूंक कर पीता है, कहीं ऐसा न हो कि हमारे देश की पूंजी या हमारे औद्योगिक विकास बैंक की राशि किसी तरह से बाहर चली जाये और सरकार अंधी होकर बैठी रहे। विनोबा भावे का कहना था कि हमारे पैर आगे चलने चाहिये लेकिन सही दिशा में चलने चाहिये, इसलिए हमारी देखने वाली आंख सही दिशा में होनी चाहिए।

जिस प्रकार से हम उदारीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, इसका मैं समर्थन करता हूं हालांकि इसमें कई कमियां हैं, जिनकी तरफ यहां माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया, लेकिन इसके साथ–साथ हमारे कदम सही दिशा की तरफ बढ़ें। कहीं ऐसा न हो कि आई एम एफ या विश्व की जो दूसरी पूंजीवादी ताकतें हैं, हम उनकी पराधीनता के शिकंजे में इतना फंस जायें कि स्वतंत्र होकर कोई निर्णय ही न ले सकें और जैसा हमसे कहा जाये, हम वैसा करते चले जायें। किसी ऐसी स्थिति में हम न पड़ें बल्कि समुचित प्रबंधन, समुचित वित्तीय अनुशासन, समुचित लोन वितरण की व्यवस्था और उसकी वसूली के बारे में भी समुचित व्यवस्था हो, ऐसा मेरा कहना है

आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं लेकिन अंत में एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि जब आप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बना रहे हैं, भारतीय ग्रामीण बैंक बनाने की बात भी यहां कई बार उठी और सारे देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी तथा उनकी यूनियनें इस संबंध में मांग कर रही हैं कि देश में भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाये, उन्हें सुगठित किया जाये। आपने बजट में भी आश्वस्त किया था कि 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्गठित किया जायेगा, उन्हें शक्तिशाली बनाया जायेगा लेकिन औद्योगिक विकास बैंक की बात तो आ गयी, मोटे सेठों की बात तो आ गयी लेकिन जिसके सहारे हमारे गांवों में रहने वाले गरीब लोगों को सहायता मिलती है, विषम परिस्थितियों में काम करने वाले लोग लाभ उठाते हैं, उस भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की बात इसमें कहीं नहीं कही गयी है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस बारे में भी थोड़ा संकेत कर दें तो अच्छा रहेगा।

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में पराजय के बाद तो आप लोगों को सबक लेना चाहिये। अब तो गरीबों के हित की बात आपको करनी चाहिये। हमेशा अमीरों की बातें यदि करते रहेंगे तो दो रुपये किलो चावल के नाम पर दूसरे लोग सत्तारूढ़ होते जायेंगे फिर आप भले ही कितने जोर–जोर से कहते रहें कि हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार इतना बढ़ गया, हमारे शेयर के दाम इतने बढ़ गये या हमारी पूंजी इतनी बढ़ गयी क्योंकि उससे देश की जनता का फायदा होने वाला नहीं है। देश की जनता का फायदा तब होगा जब उसकी आम समस्याओं को दूर किया जायेगा।

इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन किया जाये। इन बैंकों के जरिये लघु उद्योगों को भी सहायता देने का प्रयास आपको करना चाहिये ताकि स्वदेशी को बढ़ावा मिले।

इन शब्दों के साथ अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति का मैं विरोध करते हुये चूंकि यह विधेयक देश के हित में है, इसलिये मैं इसके डिस–एप्रूवल से संबंधित प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

मैंने जो बातें कहीं, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उसके संबंध में कुछ प्रकाश डाल दें, कुछ संकेत दें तो अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय : जब आपने एक बार कह दिया कि मैं विदड्रा करता हूं तो फिर क्या रह गया।

प्रो. रासा सिंह रावत : ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के बारे में मंत्री जी को यहां कुछ कहना चाहिये। सभी लोग उसके बारे में जानने के लिये उत्सुक हैं।

सभापति महोदय : अब आप वापस कर लीजिये।

प्रो. रासा सिंह रावत : ठीक है। मैं विदड्रा करता हूं।

[अनुवाद]

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

सभापति महोदय : मैं अब विचारार्थ विधेयक को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : श्री डी. वेंकटेश्वर राव तथा श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या द्वारा खंड 3, 7 एवं 9 में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं।

श्री डी. वेंकटेश्वर राव –अनुपस्थित

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या –अनुपस्थित

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 से 21 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 21 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी औद्योगिक विकास बैंक वित्त निगमों को पैसा देता है और बैंक बहुत कम ब्याज पर, रियायती ब्याज पर 15–20 सालों के लिए वित्त निगमों को पैसा देता है। वित्त निगम जो पैसा लघु उद्यमियों को देते हैं वे 5–6 वर्षों के लिए देते हैं और 5–6 वर्षों के अंदर लघु उद्यमियों द्वारा पैसा वापस न करने के कारण उन उद्योगों को नीलाम कर दिया जाता है। अब जो बाजार में उसकी कीमत मिली वह और वित्त निगम से जो रकम उस उद्यमी ने ली थी, उन तीनों के बीच का जो कुछ मुनाफा वित्त निगम को होता है वह भी उस उद्यमी को वित्त निगम ठीक समय पर वापस नहीं करता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि रकम ठीक समय पर वापस की जाए और वित्त निगमों द्वारा लघु उद्यमियों को दिए जाने वाले ऋण की समयावधि कम से कम 10 वर्ष कर दी जाए।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि औद्योगिक विकास बैंक के गठन के पीछे भावना यह है कि यह व्यापारियों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए अनुदान देगा और रकम देगा, लेकिन यहां पर प्राइवेटाइजेशन कर दिया है जिसके कारण बाहरी जो व्यक्ति आएंगे, वे देशी व्यापारियों को पनपने नहीं देंगे और डंकल समझौते के आधार पर हमने यहां पर एक प्रकार से घुटने टेक दिए हैं और इस अध्यादेश में यह कहीं नहीं है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी बैंकों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस पर इसमें कहीं भी रोक नहीं है। वे लोग आ जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि सारे बैंकों पर उनका कब्जा हो जाएगा।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एक ही व्यक्ति होने के कारण वह अपने कार्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकता है। प्रशासनिक अधिकारी भी वही होगा और उसका प्रबन्ध निदेशक भी वही होगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अध्यक्ष के पद पर जनप्रतिनिधि को रखा जाए। इसमें यह भी रखा जाए कि ग्रामीण बैंकों को हम सुदृढ़ करें। मंत्री जी से मेरा यही निवेदन है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.29 म.प.

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के संबंध में सांविधिक संकल्प तथा भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 18 एवं 19 पर एक साथ चर्चा आरम्भ करेगी। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 10 अक्तूबर, 1994 को प्रख्यापित भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 10) निरनुमोदन करती है।"

यह बिल अच्छा है। आकस्मिक निधि वाला है। मैं इसका कोई विरोध करने के नाते यहां पर खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन इस बिल को अध्यादेश के जरिये यहां पर कोई आवश्यकता नहीं थी। यहां मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि माननीय राम नाईक जी, जो हमारे बीच में विराजमान हैं, इन्होंने सबसे पहले यह प्रयास किया और उसके बाद सभी दलों ने इस बिल को लाने में सहयोग किया। इसमें दिसम्बर, 1993 से चर्चा चल रही है और अब दिसम्बर, 1994 चल रहा है। इस संबंध में एक वर्ष का समय पूरा हो चुका है। अंत में सरकार ने यह कहा कि हमने 5 लाख रुपये कलैक्टर्स को भेज दिए हैं, इसके द्वारा लोग काम करा सकेंगे। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट धारणा थी कि 5 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार ने अपने बजट में से नहीं दिये हैं। जो जवाहर रोजगार योजना है, वह उसी का एक भाग है। लोगों ने देखा कि सरकार ने राज्य सरकारों को, जो जवाहर रोजगार योजना के नाते रकम देनी थी, उसमें से कटौती करके यह 5 लाख रुपये दिये हैं। मै समझता हूं कि यह बातचीत हमारे पल्ले नहीं पड़ी। अंत में ग्रामीण विकास मंत्री व प्रधान मंत्री जी से सब लोगों ने आग्रह किया तथा सदन में माननीय सदस्यों ने बार–बार यह प्रश्न उठाया कि हमको अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। उसका आखिरकार क्या हुआ? अब जाकर सरकार यहां पर यह अध्यादेश लाई है।

मेरा निवेदन यह है कि अभी तक इसमें बहुत सारी कमियां हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगस्त में जाकर सरकार ने तय किया और यह अध्यादेश यहां पर लाई लेकिन मेरा यह कहना कि डी.आर.डी. से स्वीकृति सीमा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरा पहला अनुरोध यह है कि सार्वजनिक संस्थाओं में इस सारी रकम को लगाने की छूट होनी चाहिए। दूसरा अनुरोध यह है कि जो कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए हमको छूट दी जाये। एक सम्पर्क सड़क जो शहर में सिटी के नाते अधूरी पड़ी है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते, वह केवल शहर से फुटपाथ का काम कर सकती है। मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में शहर का भी हिस्सा आता है, वे आखिर इस एक करोड़ रुपये का किस प्रकार से उपयोग कर सकेंगे? इस संबंध में

भी प्रावधान होना चाहिए? इसके बाद जो सांसदों द्वारा बताये हुए कार्य हैं, उनको भी पूरा कराया जाना चाहिये।

यदि इसमें कहीं पर कोई सीमा है, दिसम्बर की सीमा है या मार्च की सीमा है तो माननीय सभापति जी आपको मालूम है कि कई राज्यों में इस समय चुनाव होने वाले हैं और कहीं पर निर्वाचन क्षेत्र को यह कहा गया है कि आप इस संबंध में काम नहीं कर सकते या इस एक करोड़ रुपये का उपयोग नहीं कर सकते तो फिर चुनाव तो फरवरी में ही जाकर होंगे। मैं समझता हूं कि मार्च में पैसे का उपयोग नहीं हो सकता इसलिए यह सभी संस्थायें इस हित में होंगी कि इस एक करोड़ रुपये की धनराशि, जिसकी खर्च करने की सीमा दिसम्बर में नहीं है, 31 मार्च तक है तो इस सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। यदि अगले वर्ष माननीय सांसद इस एक करोड़ की राशि को खर्च कर सकें तो मैं समझूंगा कि इसे देने का निर्णय सार्थक होगा। एक एम.एल.ए. अपने क्षेत्र में 15 लाख रुपये तक का काम करा सकता है और दिल्ली सरकार के मुख्य मंत्री, श्री मदन लाल खुराना ने भी कहा है कि प्रत्येक विधान सभा का सदस्य अपने क्षेत्र में एक करोड़ रुपये तक का काम करा सकता है तो मैं समझता हूं कि जिस सांसद के नीचे आठ–आठ निर्वाचन क्षेत्र हैं या कहीं–कहीं पर दस–दस या कहीं पर पांच भी हैं। लेकिन राजस्थान में तो आठ विधान सभा क्षेत्र हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, उनमें काम कराने के लिए यह एक करोड़ रुपये की राशि बहुत कम है। इसलिये आप प्रथम चरण में इस राशि को बढ़ाकर एक करोड़ की बजाए पांच करोड़ करने की कृपा करें।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे कहने से इतनी राशि बढ़ने वाली नहीं है इसलिए आप कम से कम दो करोड़ रुपये तक करने की व्यवस्था करें। मैं समझता हूं कि पहली बार सांसद इससे अपना काम करा सकेंगे। यहां पर यह भी कहा गया है कि सांसद को 24 किस्म के काम करने की छूट गाइडलाइन्स में दी हुई है। लेकिन वह गाइडलाइन है कहां? अभी तक माननीय सदस्यों को वह गाइडलाइन नहीं दी गयी है। जब संसद में सात तारीख को यह प्रश्न आया था तो यह कहा गया था कि रिवाइज्ड गाइड लाइन फ्रेम की जा सकती है और वे सब इस सत्र में पूरी करके माननीय सदस्यों को प्रदान कर दी जायेंगी। लेकिन यह रिवाइज्ड गाइडलाइन आज तक प्रदान नहीं की गयी है जबकि इस सत्र को समाप्त होने में केवल चार दिन शेष रह गये हैं।

अन्त में मेरा निवेदन है कि मानीटरिंग करने की, मूल्यांकन करने की हमारे पास कोई एजैंसी नहीं है। मंत्री जी उत्तर देते समय इन सारी बातों को बताएं। मैं समझता हूं कि इन सारी विसंगतियों के आधार पर केवल मात्र ऊंट के मुंह मे जीरे के समान एक करोड़ रुपये देने से सांसदों का भला नहीं होने वाला है।

केन्द्र सरकार ने दिसम्बर, 1993 में निर्णय लिया था और आज एक साल बाद आर्डिनैंस लाकर बिल को पास करवाने की जो प्रवृति है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं। यदि एक करोड़ रुपये को दो करोड़ रुपये कर दें, रिवाइज्ड गाइडलाइन में किसी प्रकार का परिवर्तन ले आएं और उस रुपये को खर्च करने में माननीय सदस्यों को जो दिक्कत होने वाली है, उसका निवारण करके इसे सदन में लाएं तो यह मुनासिब होगा। एक करोड़ रुपये के संबंध में नियमों के आधार पर आप संशोधन कर सकते थे, सांसदों की मीटिंग में कह सकते थे। इससे अब तक धनराशि खर्च हो सकती थी और हमें अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं बिल की भावना का विरोध नहीं कर रहा बल्कि केन्द्र सरकार की अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति का विरोध कर रहा हूं। इसलिए मैंने इस अध्यादेश को अस्वीकार करने का प्रस्ताव दिया है और मैं उसपर जोर दे रहा हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : अध्यक्ष महोदय, भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि की संग्रहीत राशि 50 करोड़ रुपये है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत संसद सदस्य पूंजीगत स्वरूप के ऐसे कार्यों का सुझाव दे सकते हैं जिनकी लागत एक करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो। इस समय लोक सभा में 545 सीटें तथा राज्य सभा में 245 सीटें हैं, अतः इस योजना पर कुल 790 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसे पूर्णतया केन्द्र सरकार वहन करेगी।

चूंकि मौजूदा अनुदान तथा आकस्मिकता निधि से इस आवश्यकता को पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया जा सकता, अतः राष्ट्रपति ने 10 अक्तूबर, 1994 को एक अध्यादेश जारी करके मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक इसकी संग्रहीत राशि में 790 करोड़ रुपए की वृद्धि करके इसे 840 करोड़ रुपये कर दिया ताकि स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर होने वाले खर्च को वहन किया जा सके। यह विधेयक उपुर्यक्त अध्यादेश का स्थान लेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 10 अक्तूबर, 1994 को प्रख्यापित भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्याक 10) का निरनुमोदन करती है।"
>
> "कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, पहले इधर के लोगों को बोलने का अधिकार है।

सभापति महोदय : आपके नाम अभी तक नहीं आए हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : हमने नाम दिए हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के पीछे जो भावना है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

प्रत्येक संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित विकास कार्यों के बारे में कुल एक करोड़ रुपये तक की राशि के विकास कार्यों को करवाने का अवसर दिया गया है। मेरे विचार से यह योजना अत्यंत उपयोगी है। जहां तक मेरे राज्य में मेरे अनुभव का संबंध है, मैं ऐसा कह सकता हूं। मुझे अन्य माननीय सदस्यों के अनुभव के बारे में जानकारी नहीं है।

लेकिन, हमारे राज्य में यह योजना अत्यंत बढ़िया तरीके से चल रही है। हम कलैक्टर को इस बारे में लिख रहे हैं एवं सुझाव दे रहे हैं। सभापति महोदय, वास्तव में जब ग्रामीण क्षेत्रों से जनता मुझसे इस निधि में से धनराशि स्वीकृत करने हेतु सम्पर्क करती है, तो मैं उनसे यह कहता हूं कि सामने आयें और अपनी व्यय शक्ति के अनुसार कुछ योगदान भी दें, चाहे यह सहायता निर्माण–कार्यों, दुग्ध संग्रहण केंद्र भवन, स्कूल–भवन, समुदाय भवन, ग्रामीण सड़क अथवा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए ही क्यों न मांगी गई हो। इस प्रकार, इन विकास परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय सहायता हेतु, ग्रामीण भी आगे आ रहे हैं। जब हम इन लोगों को इसमें शामिल करते हैं, तो स्वाभाविक ही है कि वे इस योजना को कार्यान्वित करने में अत्यधिक रूचि लेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रयोजन हेतु जितनी आबंटित की गई धनराशि तथा उन द्वारा दिये गये योगदान, इस निधि में से मेरे द्वारा दिये गये थोड़े से अनुदान तथा जिला कलैक्टर, इंजीनियरिंग विभाग, आर. एण्ड बी. विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग के पास इस प्रयोजन हेतु जो धनराशि उपलब्ध है, उसका उस क्षेत्र में टिकाऊ सम्पत्ति का सृजन करने हेतु समुचित उपयोग हो।

सभापति महोदय, आप मुझसे पूरी तरह सहमत होंगे कि अभी भी दो लाख गांव ऐसे हैं जिनमें कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वियन के बावजूद भी बारहमासी सड़कें नहीं हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर अभी तक 95 प्रतिशत ग्रामीण जनता को पर्याप्त सफाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आप स्वयं भी यह मान रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में, संसद सदस्यों को दिए गए इस अवसर के माध्यम से, मैं यह महसूस करता हूं कि हम अपने ग्रामीण निर्वाचन–क्षेत्रों के लिए कुछ कर पायेंगे, विशेषकर इसलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक दशकों से उपेक्षा होती चली आ रही है। अनेक देहाती गांवों में मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं, मूल ढांचागत सुविधाओं का अभाव है।

इस बात से हमें संतोष मिल रहा है कि हम अपने लोगों–जिन्होंने कि हमें निर्वाचित किया है–की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु कुछ सहायता कर पाये हैं। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं तथा वास्तव में मेरा यह सुझाव है कि इस धनराशि को बढ़ाया जाये। आखिरकार जिला कलैक्टर एक ऐसा प्राधिकारी है, जोकि सरकारी विभागों के माध्यम से इस योजना को लागू कर रहा है। हमारा कार्य तो मात्र इस संबंध में पत्र लिखना है कि 'मेरी धनराशि में से किसी कार्य विशेष के लिए इतनी राशि आबंटित करने के लिए मैं अपनी स्वीकृति दे रहा हूं, जिसमें कि जनता भी सहयोग देने के लिए आगे आ रही है।'

यह बहुत अच्छी बात है। इसी कारण मैं इस योजना का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सभापति जी, कण्टिजेंसी फण्ड के संदर्भ में यह जो अध्यादेश आया है, इस अध्यादेश का विरोध करने के लिए और साथ ही साथ इस विधेयक पर अपने विचार रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

अंग्रेजी में एक कहावत है कि "बैड हैबिट्स डाई हार्ड" अध्यादेश निकालने की सरकार की जो खराब आदत है, वह इस प्रकार से बार–बार सामने आ रही है, बाहर आ रही है। इसके कारण संविधान में जो दी हुई शक्तियां हैं, उनका दुरुपयोग करने की सरकार की जो आदत है, उसका मैं विरोध करना चाहता हूं। विशेषतः आर्थिक मामलों में तो जहां कोई फण्ड्स क्रिएट करने हों, अध्यादेश निकालना बद से बदतर आदत है, इसलिए मैं अध्यादेश का विरोध करता हूं।

वैसे भी कहा गया है कि कोई अच्छा काम भी अगर गलत ढंग से होता है तो हमको इसके बारे में विचार करना चाहिए कि साध्य और साधन में साधन की शुचिता का भी हमको ख्याल रखना चाहिए और मुझे इस बात का खेद है कि वह रखी नहीं गई है। अब 790 करोड़ रुपये का अमैंडमैंट इस विधेयक के जरिये हो रहा है। इस दृष्टि से देखा जाये तो यह योजना अच्छी है। इसमें और परिवर्तन किये जा सकते हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिये अध्यादेश लाना जरूरी था? जिस स्कीम की घोषणा दिसम्बर, 1993 मे प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में की थी, उसके बारे में बजट में प्रावधान फरवरी–मार्च के महीने में हो सकता था। वह आपने तब किया नहीं, बाद में किया। हमने जब आपको याद दिलाया तो आपने कहा कि हम कर रहे हैं। बाद में मानसून सैशन आया। बार–बार याद दिलाने पर भी आप सप्लीमैंट्री डिमांडस नहीं लाये। बीच में अध्यादेश निकाल कर इसे किया। हम ऐसा समझते थे कि फाइनान्स मिनिस्ट्री और विशेषतया फाइनान्स मिनिस्टर जो कि कार्यकुशल हैं और शीघ्र निर्णय लेने वालों में से हैं, वह जल्दी इसे करेंगे। ऐसे वित्त मंत्री जी ने इस मामले में इतनी देरी क्यों की? हमें जानकारी मिली कि वित्त मंत्री इस योजना के विरुद्ध थे। इस कारण कोई न कोई कारण निकाल कर उसे टालने की कोशिश करते रहे। आपने तुरनत बाद बजट के समय क्यों निर्णय नहीं लिया? वित्त मंत्री जी का आम जनता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका सम्बन्ध तो बड़े–बड़े पैसे वालों, मल्टीनैशनल्स के साथ है। देहात में जो छोटा गरीब आदमी है, उनके लिये जन–प्रतिनिधियों को कुछ करना पड़ता है। इसके बारे में वित्त मंत्री जी को मालूम नहीं है। इसलिये वित्त मंत्री जी इस योजना का विरोध कर रहे थे लेकिन देरी से ही सही, किया तो गया। आप ऐफिशेंसी की बात करते हैं, ऐसे कई मजदूरों को, बुद्धिजीवियों को आप कहते हैं कि

[अनुवाद]

आपको दक्षता से काम करना होगा और वित्त मंत्रालय दक्षतापूर्वक काम नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

इस प्रकार की बातें कहने का नैतिक अधिकार आप खो चुके हैं। सारे हिन्दुस्तान में सभी सांसदों का मजाक उड़ाया गया। लोग

हमसे आकर कहते हैं कि आपको एक करोड़ रुपया मिला है, आप हमें काम दे दो। हमारे प्रोजैक्ट कलैक्टर के पास पड़े रहते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं तो वह कहते हैं जब तक सरकार की तरफ से पैसा नहीं आ जाता, हम काम शुरू नहीं कर सकते। सारे हिन्दुस्तान में आम आदमी की नजर में आपने सांसदों को नीचे दिखाने का काम किया है।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : आपके खिलाफ तो कोर्ट में पैटिशन दायर है।

श्री राम नाईक : आपको इसकी जानकारी ही नही हैं। कांग्रेसी सांसदों का अज्ञान ही आपकी शक्ति है। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि यह बोलना आपका धर्म है। जैसा आप बोलते हैं, उसी प्रकार सरकार का काम चलता है...**(व्यवधान)** क्या आपने एक करोड़ रुपये का काम किया?...**(व्यवधान)** सारे हिन्दुस्तान में आम आदमी सांसदों का मजाक उड़ा रहे हैं। वे हम से कहते हैं कि आपको दिया हुआ पैसा कहां पड़ा हुआ है, आप कैसे काम कर रहे हैं? सारे सांसदों को आपने एक प्रकार से तकलीफ पहुंचायी है। इसके जिम्मेदार वित्त मंत्री जी हैं। इसका ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपका फाइनैंशल डिसिप्लन कहां गया? अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आप सीधे ढंग से अगस्त में सप्लीमैंट्री डिमांड्स ला सकते थे। आप ऐसा समझते हैं कि आप बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। जो सैक्शन आप अमैंड करना चाहते हैं, उसके पेज नम्बर 4 को मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि कनसॉलिडेट फंड बढ़ाना है। उसमें लिखा है :

यानि 1980 में एक कांटीजेंसी फंड का विधेयक अमेंड करना पड़ा था। 14 साल में एक दफा भी इस प्रकार का अमेंडमेंट लाने की नौबत नहीं आई तो इस दौरान जिस वित्त निकाल कर अमेड करने का काम कभी भी 14 साल में नहीं हुआ। यह अपने आप में किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसकी दिशा हम लोगों को बता दी है। अब आपने इंस्ट्रक्शंस दी लेकिन वे आपने कैसी दी हैं?

मुझे नहीं मालूम कि बाकी राज्यों में क्या हुआ है लेकिन मैं आपको अपने मुंबई शहर की स्थिति बताना चाहता हूं। आपने 26 अक्तूबर को सब जगह पर भेजे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कुल मिला कर लोक सभा की 48 सीट्स हैं। मुंबई शहर की 6 हैं, लेकिन मुंबई शहर के जितने एम.पीज हैं उनकी सभी स्थानों पर कलेक्टर को सूचना दी गई और 42 करोड़ भेजे गए तब मुझे पता चला, क्योंकि मेरी दो विधान सभाएं ठाणे रुरल कांस्टीट्यूएंसी में है तो मैंने कलेक्टर से पूछा कि हमारे मुम्बई शहर का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस प्रकार की कोई इंस्ट्रकशन्स नहीं आई। उसके बाद मैंने मंत्री ठाकुर जी को कॉनटैक्ट किया। उनको मैंने बताया कि मुम्बई शहर के 6 करोड़ 6 एम.पीज के लिये आने चाहिये, वे नहीं आये। फिर उन्होंने 8 नवम्बर को 6 करोड़ भेजे और भेजने के बाद भी वह कलैक्टर के पास नहीं भेजे। उन्होंने मुम्बई शहर के लिये महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमैंट एरिया नामक संस्था को भेजे। यह उसकी सूचना आज तक आफिशियली मुम्बई के एम.पीज. को नहीं दी गई है। इस प्रकार से होने के बाद

[अनुवाद]

मैं पृष्ठ 4 पर दिए गए अनुबंध से उद्धृत करता हूं, जिसमें कहा गया है :

> "बशर्ते कि 22 अक्तूबर, 1979 से आरम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान...."

[हिन्दी]

उसके बाद क्या हुआ? वे जो 6 करोड़ मुम्बई के एम.पीज के लिये गये थे, उसमें जो इंस्ट्रक्शन्स गई हैं, वे इस प्रकार से है। मैं आपको बताना चाहता हूं और बाकी जगहों पर भी इस प्रकार की कठिनाई आ सकती है। इसमें लिखा है कि,

[अनुवाद]

> "इस सीमा तक, संसद सदस्यों के लिये स्थानीय क्षेत्र विकास के मार्ग–निर्देशों में दिए गए अनुदेश संशोधित हो गये हैं। जारी की गई राशि को कम करने के संबंध में व्यापक अनुदेश उचित समय पर जारी किये जायेंगे।"

[हिन्दी]

अभी ये जो डिटेल इंस्ट्रक्शंस है, वे आपने अभी तक नहीं भेजी और ये डिटेल इंस्ट्रक्शन न भेजने के कारण कोई भी काम; कम से कम महाराष्ट्र में मंजूर होकर प्रारम्भ नहीं हुआ है। अब ये डिटेल इंस्ट्रक्शन आप कब तक भेजेंगे? गाइडलाइंस में कुछ सुधार करने की आपकी बात है, ऐसा आप कह रहे थे। वहां पर कब करने वाले हैं? मुझे उत्तर प्रदेश की जानकारी वहां के सांसदो ने बतायी कि वहां काम करने वाली जो अलग–अलग ऐजेंसियां हैं, जो वहां की पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट की ऐजेंसी है,

[अनुवाद]

वे विभागीय प्रभार के रूप में 20 प्रतिशत वसूल कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मतलब काम के लिये 20 परसैंट डिपार्टमैंटल चार्जिस लगाये जा रहे हैं। अब इस प्रकार से काम होगा तो आम आदमी के लिये जो काम होगा वह पूरा नहीं होगा।...**(व्यवधान)** सरकार की जो सूचना है और इसलिये जो गाइडलाइंस सुधारने की बात है, वह बहुत महत्व की है। यह गाइडलाइन्स आप कब तक सुधारेंगे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं?

इसके साथ–साथ मैं मांग करता हूं कि 23 दिसम्बर को अभी जो योजना है, उसके अनुसार लोक सभा का सत्र समाप्त होगा तो अंतिम दिन कम से कम 23 दिसम्बर को यहां से जाने से पहले सारे के सारे सांसदों को जो रिवाइडज्ड गाइडलाइन्स है, वे आपको देनी चाहिये, इस प्रकार की मैं मांग करता हूं। एक बात और इसके साथ जुड़ी हुई है। जब पैसा ही इतनी देर से गया है और अब तक प्रोजैक्ट्स मंजूर नहीं हुए हैं तो जो बजटरी गाइडलाइंस होती है, उसके अनुसार 31 मार्च, 1995 तक ये सब काम पूरे होने चाहिए

ये होना तो असंभव हैं, इसलिये मैं यह मांग करता हूं कि इसकी अवधि 9 महीने और बढ़ानी चाहिये ताकि उसके अनुसार प्रोजैक्ट पूरे हो सकें।

3.55 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

एक और बात है जो कई शहरों में दिखाई दे रही है, कहा जा रहा है कि जेआरवाई के मापदंडों के अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन जेआरवाई में तो दैनिक मजदूरी 20 रुपए तय है। इतनी कम मजदूरी पर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि शहरों में लोग काम नहीं करेंगे और कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए गाइडलाइंस में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि राज्य सरकार के अनुसार पीडब्ल्यूडी, कार्पोरेशंस आदि के जरिए ठेके देकर ये काम किए जा सके हैं और टेंडर काल किए जा सकें, जिसमें सरकार के प्रोसीजर को फालो करना चाहिए। इस तरह से गाइडलाइंस में सुधार करना तथा प्रोसीजर को सरल बनाना आवश्यक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक अति सीमित विधेयक है।

श्री राम नाईक : यह विधेयक सीमित है परन्तु वे इस संदर्भ में 790 करोड़ रुपये का अध्यादेश लाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह संसद सदस्यों को धन देने के लिए है।

श्री राम नाईक : यह सच है। लेकिन इसमें इतनी देरी क्यों हुई है?

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आप जवाहर रोजगार योजना के बारे में बोल रहे हैं।

श्री राम नाईक : मैं जवाहर योजगार योजना के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह आकस्मिकता निधि से संबंधित एक साधारण विधेयक है। अन्यथा, यदि आप सम्पूर्ण बजट पर चर्चा करेंगे तो कठिनाई होगी।

श्री राम नाईक : मेरा सुझाव है कि जिन दिशा–निर्देशों में संशोधन किया जाना है, उन निर्देशों में उचित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए ताकि काम दक्षतापूर्वक किया जा सके। अन्यथा, यदि दिशा–निर्देशों में तदनुसार संशोधन नहीं किया जाता है तो शहरों में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। हम इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। मैं चार–पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

एक अंतिम बात है कि यह योजना संविधान के अनुसार नहीं है, इस प्रकार की रिट–पेटीशन मुंबई हाई कोर्ट में अप्रैल, 1994 में दायर कर दी गई है। मैं बीमार था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने उसमें एक पार्टी की हैसियत से अपने को शामिल किया है, लेकिन हाई–कोर्ट के जजेज के बार–बार कहने के बावजूद केन्द्र सरकार की तरफ से शपथ–पत्र नहीं भेजा गया है, जिसके अभाव में रिट पेटीशन की कभी भी सुनवाई होने पर यह सारी योजना खटाई में पड़ सकती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार को शीघ्र शपथ–पथ भेजना चाहिए।

अंत में मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि गाइडलाइंस को जहां रिवाइज करना हैं, वहां तुरंत करिए और 23 दिसंबर तक आने वाले सुझावों को ध्यान में रखकर करिए। योजना संही ढंग से कार्यान्वित हो, इस दृष्टि से समय सीमा को दिसंबर, 1995 तक बढ़ाइए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं और हम इसे सदन में रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री चेतन पी.एस. चौहान (अमरोहा) : यह बेहतर होता यदि ग्रामीण विकास मंत्री यहां उपस्थित होते, क्योंकि यह उनसे संबंधित है...

अध्यक्ष महोदय : जहां तक नियमों का संबंध है ...

श्री चेतन पी.एस. चौहान : हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुने बगैर आप बोलते जा रहे हैं। श्री नाईक ने जिस मामले को उठाया था उस पर विचार किया जा रहा है। यहां पर नियम लागू हो सकते हैं।

श्री चेतन पी.एस. चौहान : हम वास्तव में समस्या का सामना कर रहे हैं। जिलाधीशों को इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं किया जा रहा है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि इस योजना के क्रियान्वयन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनका निराकरण करवा दिया जाए तो बहुत उत्तम होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वही कह दिया है।

4.00 म.प.

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यगण का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। ...**(व्यवधान)** हमें मालूम है कि प्रधान मंत्री ने 23 दिसम्बर, 1993 को सदन में संसद सदस्यों के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास योजना नामक एक योजना की घोषणा की थी जो कि फरवरी, 1994 में आरम्भ की जा चुकी है और जिसके अन्तर्गत सभी संसद सदस्यों के विकल्पों को मौजूदा आबंटन में ही समायोजित करना होगा। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 1993–94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु आबंटित धनराशि में से प्रत्येक संसद सदस्य को पांच लाख रुपये के हिसाब से 37.75 करोड़ रुपये जारी किये थे। परन्तु, संसद में वर्षाकालीन सत्र में इस योजना पर चर्चा के दौरान यह स्पष्ट किया गया था और कई सदस्यों ने इस योजना के कार्यान्वयन में आनेवाली कठिनाइयों के

बारे में बताया था और हमने उन कठिनाइयों को दूर करने का निर्णय लिया है। विस्तृत चर्चा के बाद यह निश्चय किया गया कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अलग निधि का गठन किया जायेगा। इसलिए एक अध्यादेश जारी किया गया। हमने इसके लिये 790 करोड़ रुपये दिये हैं जिसे केन्द्रीय सरकार को वहन करना होगा और यह धनराशि जिलाधीशों के पास सीधे भेज दी जायेगी। हमने पहले ही संसद सदस्यों के सुझाव के अनुसार कार्य को क्रियान्वित करने के लिए धनराशि जिलाधीशों के पास सीधे भेज दी है और हमने लोक सभा के 533 सदस्यों और राज्य सभा के 214 सदस्यों के संबंध में धनराशि संबंधित जिलाधीशों के पास सीधे भेज दी है, जिसके लिए उन्होंने अपने विकल्प दिये हैं और समूची योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की निगरानी में चल रही है। उन्होंने इस संबंध में पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। संशोधित दिशा निर्देश पर चर्चा की जा रही है और महोदय, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि संशोधित दिशा निर्देश शीघ्र ही जारी कर दिये जायेंगे। मैं माननीय सदस्यगणों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं मिला। मेरा निवेदन है कि इसका समय बढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि राम नाईक जी ने भी कहा है कि अभी दो–तीन महीने का समय है, इसमें यह राशि खर्च नहीं कर पायेंगे ...**(व्यवधान)**... इसके साथ ही जो एक करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, उसे बढ़ाकर दो करोड़ रुपया किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में विचार हो, इसकी गाइडलाइन आसान हो और इस पर मानीटरिंग भी होनी चाहिए। वरना यह याचिका स्वीकार हो गई तो फिर मुश्किल हो जायेगी। हमें पहली बार पैसा खर्च करने का मौका मिला है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मंत्रीजी ने संक्षेप में बता दिया है। विवरण दे देंगे। दो करोड़ रुपये करने से बहुत बड़ी रकम हो जायेगी। जितना मिला है उसका उपयोग करें। इसमें अब देरी न कीजिये।

डा. छत्रपाल सिंह (बुलंदशहर) : अगले साल का पैसा सही समय पर मिल जायेगा, इसकी व्यवस्था करवा दें।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत ही इंटेलीजेंट मेम्बर हैं, थोड़े से इशारे में ही सब समझ जाना चाहिए। इसको लम्बा न कीजिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मैं अपना सांविधिक संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सांविधिक संकल्प सदन की अनुमति से वापस लिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

4.06 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : वर्तमान मौसम में चीनी की उपलब्धता में कमी के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने में रहीं खामियों, यदि कोई हों, से संबंधित तथ्यों का पता लगाने तथा प्रधानमंत्री जी को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उसके लिए प्रथम दृष्टि में जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु जुलाई, 1994 में एक प्रारंभिक प्रशासनिक जांच का आदेश दिया गया था। जांच का कार्य सेवानिवृत्त भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा–परीक्षक श्री ज्ञान प्रकाश को सौंपा गया था।

श्री ज्ञान प्रकाश ने 5 अक्तूबर, 1994 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

रिपोर्ट माननीय संसद सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी है।

वर्ष 1993–94 में चीनी की उपलब्धता के अनुमानों और इसकी कमी को पूरा करने के लिए चीनी के आयात से संबंधित मुद्दों के दो मुख्य पहलू हैं। पहला मुद्दा चीनी की कमी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं से संबंधित है। इन मुद्दों मे प्रशासनिक बातें निहित हैं। चीनी के आयात के लिए भुगतान की गयी कीमतें काफी अधिक थीं और घरेलू उद्योग को भी उपभोक्ता के

कीमत पर अनुचित लाभ पहुंचाया गया, इन आरोपों से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में दूसरा पहलू है। निर्णयों में जान-बूझकर विलम्ब करने के इरादों का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि बढ़े हुए आयात मूल्यों से कुछ लोगों ने देश की कीमत पर धन कमाया है। इसी प्रकार कीमतें बढ़ाने और मिल-मालिकों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने की दृष्टि से चीनी की रिलीजों में हेरा-फेरी की गई।

सबसे पहले मुझे यह स्पष्ट करना है कि श्री ज्ञान प्रकाश ने प्रारम्भिक प्रशासनिक जांच की है और उन्होंने किसी व्यक्ति की तरफ सत्यनिष्ठा के अभाव के सम्बन्ध में किसी मुद्दे की छान-बीन नहीं की है। उन्होंने केवल कुछेक परिस्थितियों से निपटते वक्त हुई भूल-चूकों पर ही दृष्टि डाली है। इसलिए उनकी रिपोर्ट में उत्पन्न स्थिति के कारणों तथा चीनी की कमी की स्थिति से निपटने में रहीं प्रशासनिक खामियों का उल्लेख किया गया है। भविष्य में उत्पन्न होने वाली इसी तरह की स्थितियों से निपटने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं।

इस जांच समिति का गठन करते हुए स्पष्ट उद्देश्य यह था कि सभी दस्तावेजों को देखने तथा विभिन्न अधिकारियों से मामले पर चर्चा करने के बाद श्री ज्ञान प्रकाश मुख्यतः प्रशासनिक दृष्टि से अपना मत देंगे। इससे सरकार को आगामी कार्रवाई करने पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

चूंकि माननीय सदस्य इस रिपोर्ट की विषय-वस्तु से अवगत हो गये हैं, अतः विस्तार से उसका उल्लेख करना मैं यहां आवश्यक नहीं समझता। इस स्थिति से संबंधित उनके द्वारा बताये गये कारणों का सार इस प्रकार है :-

(एक) चीनी उत्पादन के अविश्वसनीय एवं अतिश्योक्तिपूर्ण अनुमान,

(दो) चीनी के उपलब्ध अतिरिक्त स्टाक और रिलीजों का कुप्रबंध,

(तीन) चीनी आयात करने का निर्णय लेने में देरी,

(चार) इस निर्णय को लागू करने में विलम्ब,

(पांच) समन्वय का अभाव।

रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :-

(एक) चीनी, गुड़ और खांडसारी के बारे में एक समन्वित नीति होनी चाहिए।

(दो) चीनी का पर्याप्त भण्डार होना चाहिए।

(तीन) पूर्वानुमान तथा अनुमान लगाने के वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

(चार) भवष्यि में चीनी की कमी की स्थिति से निपटने के लिए सचिवों की एक समिति गठित की जानी चाहिए।

(पांच) महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रधानमंत्री के ध्यान में लाया जाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति/आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति को भेजा जाना चाहिए।

(छह) अंतर्राष्ट्रीय वस्तु बाजारों की गहन निगरानी की जानी चाहिए।

(सात) नागरिक आपूर्ति तथा खाद्य विभागों के लिए एक ही मंत्रालय होना चाहिए।

(आठ) सचिवों के बीच मतभेदों को दूर करने तथा विवादों को हल करने के लिए एक संहिता होनी चाहिए।

(नौ) अपरिष्कृत चीनी के आयात और उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण की जांच की जानी चाहिए।

(दस) खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के आधार पर शुल्क रहित चीनी के आयात की तभी समीक्षा की जानी चाहिए जब उसका घरेलू उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो।

इन सिफारिशों की विस्तारपूर्वक जांच करने के लिए वित्त सचिव, वाणिज्य सचिव, सचिव, (नागरिक आपूर्ति), सचिव (कृषि) एवं खाद्य सचिव सहित मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति को अपनी रिपोर्ट 31.12.1994 तक प्रस्तुत करनी है। तत्पश्चात् सरकार उस पर निर्णय लेगी।

रिपोर्ट में स्थिति से निपटने में रहीं प्रशासनिक खामियों का भी उल्लेख किया गया है। जहां आवश्यक है संबंधित व्यक्तियों की टिप्पणियां प्राप्त करके उल्लिखित बिन्दुओं की काफी विस्तार से जांच की जा रही है। इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

जैसा कि पहले बताया गया है, इस रिपोर्ट में नुकसान तथा सत्यनिष्ठा की कमी के किन्हीं मुद्दों की छानबीन नहीं की गई है। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि चीनी आयात करने के लिये निर्णय लेने में हुए विलंब की वजह से कीमतों में वृद्धि हुई क्योंकि काफी समय बीत जाने पर चीनी का आयात उच्च कीमतों पर करना पड़ा। यह भी कहा गया है कि आयात के बारे में बातचीत/निर्णयों की गोपनीयता के अभाव के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हुई जिसका परिणाम यह हुआ कि आयातित चीनी की कीमतों में परिहार्य वृद्धि हुई। इसी प्रकार घरेलू उद्योग के मामले में यह उल्लेख किया गया है कि रिलीजों में अनुचित कमी की गई यहां तक कि जब कि कीमतों में वृद्धि हो रही थी तो इस तरह कीमतों में और वृद्धि हो गई। कीमतों में अतिरिक्त वृद्धि से केवल मिल मालिकों को ही फायदा हुआ। यद्यपि इन मामलों प्रशासनिक अड़चनों की जांच की गई है, रिपोर्ट में किसी ऐसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे किसी पर भी किसी प्रकार की दुर्भावना का संदेह हो।

यह आरोप लगाया गया है कि कतिपय मंत्रालयों तथा प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा प्रतिवेदन में हेर-फेर किया गया है। यह निवेदन किया जा सकता है कि भारत के भूतपूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक श्री ज्ञान प्रकाश को जांच कार्य सौंपा गया था जिन्होंने चीनी की स्थिति के संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिए संबद्ध मंत्रालयों और संगठनों को प्रश्नावलियां परिचालित की थीं। विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों द्वारा श्री ज्ञान प्रकाश को भेजे गए उत्तर उपलब्ध हैं। यह कहना न्याय संगत नहीं है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

जैसे पद पर आसीन रह चुके व्यक्ति को प्रतिवेदन में हेरा–फेरी करने के लिए कहा गया है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक एक करके मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा। यदि आप सभी खड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए सबकी बात एक साथ सुनना कठिन होगा। अब श्री जसवन्त सिंह बोलेंगे।

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार के वक्तव्य के प्रति अपनी निराशा तथा असंतोष व्यक्त करता हूं। दुर्भाग्यवश यह वक्तव्य कार्यात्मक अकुशलता का है। जिस महत्वपूर्ण पृष्ठ में सभी को गलत बातों में लिप्त होने से हटा दिया गया है वह हमें परिचालित ही नहीं किया गया है। इस प्रतिवेदन में जो भी अच्छी या बुरी बातें हों लेकिन श्री ज्ञान प्रकाश ने जो भी कहा है उसका यहां पर खंडन कर दिया गया है।

अक्तूबर के प्रारंभ से यह प्रतिवेदन इस सरकार के पास है और तब से लेकर क्रिसमस तक अर्थात् तीन महीने के पश्चात् भी सरकार को केवल यही चार पृष्ठों का निरर्थक वक्तव्य देना है। महोदय, सरकार की उस पर प्रतिक्रिया के नाम पर यह वक्तव्य दिया गया है। यह बहुत असंतोषजनक बात है और स्पष्ट रूप से मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

दूसरे, मैं इस संबंध में आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि पांचवें पृष्ठ में, जो अति महत्वपूर्ण पृष्ठ है और उसमें शामिल व्यक्तियों का उल्लेख है, के बारे में जानबूझकर हमें कुछ क्यों नहीं बताया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही भद्दे या घिसे–पिटे तरीके से अति महत्वपूर्ण मुद्दों को छुपाने का प्रयास है। सरकार ने प्रतिवेदन के किसी नाम को अस्वीकार नहीं किया है। यह प्रतिवेदन अक्तूबर से सरकार के पास उपलब्ध है। महोदय, वक्तव्य में यह कहने का प्रयास किया गया है कि कोई भी बुरे इरादे के लिए दोषी नहीं पाया गया है लेकिन प्रशासनिक तौर पर मामले की जांच की गई है और इन निष्कर्षों का खंडन भी नहीं किया गया है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "अतः यह स्पष्ट है कि प्रत्येक मंच पर आयात का विरोध करने और कीमतों में तीव्र वृद्धि को नजरअंदाज करने, संकट के समय कम चीनी जारी करने, समय–समय पर ऐसे गलत वक्तव्य देने, चीनी उद्योग को अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से कीमतों में वृद्धि को उचित ठहराने के कारण ही खाद्य मंत्री पूर्णतः चीनी संकट के लिए उत्तरदायी हैं।"

यह टिप्पणी इस देश के अति वरिष्ठ नौकरशाह ने स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद की है जिन्हें माननीय प्रधान मंत्री ने इस मामले में विशेषज्ञ हासिल होने के कारण चुना था। इस मामले की जांच करने और पत्राचार, सभी दस्तावेजों तथा कागजातों की जांच करने के बाद यह पता चलता है कि श्री चतुर्वेदी ने प्रतिवेदन के उस भाग में स्थिति के प्रशासनिक मूल्यांकन के बारे में कतिपय निष्कर्ष दिए हैं और मैं नहीं जानता कि उनका यह वक्तव्य किसने तैयार किया है।

लेकिन यहां प्रधान मंत्री ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। प्रश्न यह है कि क्या प्रधान मंत्री इस पर प्रतिक्रिया करेंगे चूंकि यह उनके विचाराधीन है। अभी मैं इस प्रश्न के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं कि क्या प्रधान मंत्री कार्यालय ने उपयुक्त कार्यवाही की अथवा नहीं और क्या यह बातें प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत ध्यान में लाई गईं या नहीं। ये गंभीर मुद्दे हैं और इस ओर ध्यान देना होगा। लेकिन किसकी जांच की जाए? क्या सचिवों की नई समिति पैरा 6.5 के निष्कर्षों के बारे में निर्णय लेगी कि क्या तथ्यों के मूल्यांकन के आधार पर खाद्य मंत्री पूर्णतः इसके लिए उत्तरदायी हैं?

इसलिए, हम माननीय प्रधान मंत्री, जो यहां उपस्थित हैं, से यह जानना चाहते हैं कि क्या वह यह सोचते हैं कि मंत्रीमंडल या सरकार में किसी व्यक्ति विशेष को रखना उनके लिए अपरिहार्य है। मेरे विचार से उनमें से कुछ को मंत्रीमंडल में रखकर उन्हें कुछ सबक मिला है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पूरा सबक नहीं सीखा है। ठीक है उनकी इच्छा है और मैं उन्हें सलाह नहीं दे सकता हूं और न ही यह मेरा कर्त्तव्य है और न ही उन्हें परामर्श देने का मेरा अधिकार है। लेकिन भारत की संसद में खड़े होकर मैं इसकी मांग करता हूं क्योंकि इसमें करोड़ों रुपये शामिल हैं तथा इस देश को तथा आम आदमी को इससे काफी नुकसान हुआ है। आपने प्रत्यक्ष जांच करवाना उपयुक्त समझा। यह प्रधान मंत्री का ही निर्णय था कि वह जांच करेंगे। प्रत्येक बात पर विचार करने के बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इस प्रकार अन्य अनेक मामलों की भी जांच की जानी है। जब चर्चा होगी तब हम अपना निवेदन करेंगे। लेकिन महोदय यह हैरानी की बात है कि प्रधान मंत्री यह महसूस करते हैं कि इसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं पाया गया है। यह वक्तव्य ज्ञान प्रकाश समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्षों के अनुरूप नहीं हो सकता क्योंकि इन निष्कर्षों पर कोई विवाद नहीं है। यह दोनों बातें साथ–साथ नहीं रह सकती हैं। यदि ऐसा है तो यह इस सभा, लोकतांत्रिक प्रणाली, संसदीय सरकार की संकल्पना की अवमानना है कि आप ऐसे व्यक्तियों को सरकार में रहने की अनुमति दे रहे हैं। बुरा इरादा होने के साथ–साथ वे सारे नुकसान के लिए उत्तरदायी पाए गए हैं। बुरा इरादा ही अंतिम निर्णायक कारण नहीं है। केवल यही निर्णायक कारण नहीं हो सकता है। यह कुछ मूल नियमों के प्रति वचनबद्धता, इस देश की जनता के प्रति वचनबद्धता का प्रश्न है कि जो व्यक्ति इस प्रकार दोषी पाया गया है जिसके बारे में ऐसा कहा गया है, वह इसमें एक मिनट भी रह सकता है।

यदि प्रधान मंत्री इसके बावजूद ऐसा करते हैं तो हमें प्रत्येक चरण पर इसका पर्दाफाश, आलोचना तथा विरोध करना होगा। महोदय, हमें खेद है कि ऐसा होगा ही। संसद की उपेक्षा की जा रही है। देश को भी कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। जो कुछ हो रहा है उसे प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। भ्रष्टाचार का संस्थाकरण कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के एक के बाद एक मुद्दे आ रहे हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उनके प्रमुख इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी जबकि वे उसमें पूर्णतः शामिल हैं।

श्री उन्नीकृष्णन स्वयं बेचैनी महसूस कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : श्री उन्नीकृष्णन क्यों?

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनका अब नया झुकाव शुरू हो गया है।...**(व्यवधान)** अतः मैं मांग करता हूं कि प्रधान मंत्री जी यहां पर कृपया घोषणा करें कि वह क्या कार्रवाही करने जा रहे हैं।... **(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

यदि आप चाहते हैं तो मैं इस समय भी वाद–विवाद शुरू करने की अनुमति दे सकता हूं।...**(व्यवधान)**...आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया मुझे यह निर्णय लेने दीजिए कि इस बारे में क्या करना है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम प्रधान मंत्री जी की बात सुनना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। मैं उन्हें बोलने का अवसर देने से वंचित नहीं करूंगा। लेकिन यदि आप चाहें तो हम इसी समय वाद–विवाद शुरू कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : कोई वाद–विवाद नहीं।

श्री जसवन्त सिंह : वाद–विवाद शुरू करने के मुद्दे पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस मुद्दे को तय करने दीजिए। यदि आप चाहें तो मैं आपको बोलने की अनुमति दे सकता हूं। आप अपनी सुविधानुसार समय चुन सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : कोई वाद–विवाद नहीं।

अध्यक्ष महोदय : और आप क्या चाहते हैं?

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। वह कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने क्या कार्रवाही की है?

श्री राम विलास पासवान : हम कार्रवाई किये जाने के इच्छुक हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है? उन्हें सभा को बताना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं मैं उन मुद्दों पर सरकार से उसकी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहूंगा। कृपया पहले मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब आप बात कर रहे हैं तो मैं अपनी बात जारी नहीं रख सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि आप बोलने के लिए कितने उत्सुक हैं। मैं आपको उतना समय देने के लिए तैयार हूं जितना कि आप चाहते हैं।

अब, यदि आप चाहें तो मैं वाद–विवाद अभी शुरू कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कल पूरे दिन जारी रह सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज केवल वही लोग बोलेंगे जो इस बारे में तैयार होकर आए हैं। जो लोग तैयारी करके नहीं आए हैं वह कल बोल सकते हैं। लेकिन बगैर तैयारी के मत बोलिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बोल सकते हैं। मैं आपको बोलने का अवसर बाद में दूंगा। मैं आपको बोलने का अवसर देने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर नहीं है जब ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट पर माननीय सदस्यों को टिप्पणी करने के लिए या बोलने के लिए कहा जा रहा है। उस दिन मंत्री जी ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया था, उसको आधार बनाकर, हम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये थे, उनका तो इसमें कोई उत्तर नहीं है। अब अगर आप फिर चर्चा चाहते हैं और उसका भी यही हाल होना है जो उस दिन हमने कहा था उसका हुआ...

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा चाहते हैं या नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, चर्चा किसलिये हो।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप स्वीकार करेंगे कि चर्चा सार्थक होनी चाहिए। चर्चा, चर्चा के लिए नहीं, परिणाम निकालने के लिए होनी चाहिये।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, आप स्वीकार करेंगे कि चर्चा सार्थक होनी चाहिए। चर्चा, चर्चा के लिए नहीं परिणाम निकालने के लिए होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब वह मैं नहीं जानता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चर्चा सार्थक होनी चाहिए। चर्चा सदन और देश को संतुष्ट करने के लिए होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का जवाब दिया गया है, वह लीपा–पोती है। अगर लीपा–पोती करने का ही फैसला कर लिया गया है, तो चर्चा का लाभ क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : देखिए, वाजपेयी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और आप जो कुछ भी बोलते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, इधर नहीं कुछ उधर भी कहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं बोल रहा हूं। एक स्टेटमेंट आया है। इसके आधार पर और जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर, शायद आप दोनों पर बोलना चाहते हैं। मैं इस तरह से अपनी बात जारी नहीं रख सकता हूं। उसके लिए मैं आपको इजाजत दूंगा। इसके ऊपर जो तैयार हैं, वे आज बोल लें और जो तैयार नहीं हैं, वे कल बोलें। और यदि कल भी चर्चा अपूर्ण रहे...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप क्षमा कीजिए, मेरे साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताइए।

अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने उस दिन चर्चा में भाग लिया था।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने कुछ प्रश्न उठाए थे। उदाहरण के लिए मैंने कहा था कि ज्ञान प्रकाश कमेटी ने...

अध्यक्ष महोदय : उसका जवाब नहीं है।

अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, उसका जवाब है। मैंने यह कहा था कि मई महीने में...

अध्यक्ष महोदय : यह सब डिसकशन में आ जाएगा, वाजपेयी जी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : डिसकशन में आ जाएगा, तो उसका जवाब?

अध्यक्ष महोदय : देखिए,

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कह दिया गया कि कोई मैलाफाइड नहीं है। सरकार ने अपना दिमाग बना लिया है। सरकार किसी चर्चा के लिए रुकी नहीं है। किसी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है और आप कहते हैं कि चर्चा कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अगर नहीं चाहिए, तो मत लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : महोदय, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मैंने उसपर अपने सहयोगी, खाद्य मंत्री की टिप्पणियां मांगी हैं। उन्होंने अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं और मुझे विगत समय की प्रथा का अध्ययन करने के लिए थोड़ा समय और चाहिए।

बुरे इरादे का जहां तक संबंध है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि इसमें कोई बुरा इरादा नहीं है। मेरा यही निष्कर्ष है।...**(व्यवधान)**

महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

लेकिन सरकार को कुछ नुकसान हुआ है। विलम्ब हुए हैं और ये विलम्ब बहुत गंभीर हैं। यह सब बातें स्वीकार की गई हैं। एकमात्र बात यह है कि इसमें कोई बुरा इरादा नहीं है।...**(व्यवधान)**...

श्री बसुदेव आचार्य : आप यह कैसे कह सकते हैं कि बुरा इरादा नहीं है?...**(व्यवधान)**

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मुझे इस पर गौर करना होगा।... **(व्यवधान)**...एक अंतर है।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, एक मिनट रुकिए।

विपक्ष के नेता ने कुछ मुद्दे उठाये हैं। उन्होंने और अन्य नेताओं ने भी जो मुद्दे उठाए हैं माननीय प्रधान मंत्री जी उनके प्रत्युत्तर में अपनी बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, यदि आप बोले गए हर शब्द पर उठकर कुछ कहेंगे तो इस तरह से आप अन्य सदस्यों को सुनने के अवसर से वंचित कर देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, मैं आपको समय दूंगा। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप लिख लीजिए। मैं आपको अवसर दूंगा। आप अपनी बातें कहिए और यदि सरकार चाहती है तो वह आपकी बातों का उत्तर देगी। लेकिन यदि बोले गये हर शब्द पर आप खड़े हो जायें या कोई और खड़ा हो जाये और कुछ कहने लगें तो यह ठीक नहीं है। कृपया दूसरों के सुनने के अधिकार का तो तो सम्मान कीजिए, उन्हें सुनने दीजिये कि सरकार क्या कह रही है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, मैं सोच समझकर यह वक्तव्य दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं वास्तव में इस वाद–विवाद पर माननीय सदस्यों के विचारों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वाद–विवाद समाप्त होने के बाद एक सप्ताह के भीतर मैं अंतिम निर्णय ले लूंगा कि क्या करना है। यह मेरा वायदा है। हमें इस वाद–विवाद को जारी रखना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मेरा छोटा सा प्रश्न है।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जसवन्त सिंह जी, मैं आपको समय दूंगा। श्री जेना जी मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

श्री जसबंत सिंह : मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जसवन्त जी, मैं आपको समय दूंगा आप जितने प्रश्न करना चाहें उतने कर सकते हैं। लेकिन इस समय नहीं। कृपया अब बैठ जाइए।

श्री जसबंत सिंह : मैं जो प्रश्न करना चाहता हूं वह बहुत ही छोटा है। चर्चा कब होगी? आपने यह सुझाव दिया था कि चर्चा शुरू की जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने केवल इतना कहा है कि "यदि आप चाहते हैं तो चर्चा अभी शुरू हो सकती है।"

श्री जसवन्त सिंह : जी, नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि उचित विचार विर्मश के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोई बुरा इरादा नहीं है। अब भारत सरकार का ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर यह वक्तव्य है। ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट की केवल पांच प्रतियां हैं। सभी सदस्यों को इस रिपोर्ट को पढ़ने का भी मौका नहीं मिला; इसकी प्रतियां पुस्तकालय में रखी गई हैं। हमें अभी तक रिपोर्ट को पढ़ने का मौका तक नहीं मिला है। महोदय, यदि उचित चर्चा होनी है तो चर्चा के हित में यह आवश्यक और बेहतर होगा कि हमें इस वक्तव्य का पुस्तकालयों में रखी गई पांच प्रतियों से मिलान किया जाये। प्रतियों की संख्या बहुत कम है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं आप पर आज ही चर्चा के लिए दबाव नहीं डाल रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह : सरकार पहले ही कह चुकी है कि कोई बुरा इरादा नहीं है। यदि सरकार का बुरा इरादा नहीं है तो फिर सरकार ने केवल पांच प्रतियां ही पुस्तकालय में रखने की बात क्यों सोची?

अब आप हम से यह कहना चाहते हैं कि चर्चा शुरू कीजिए जो कि उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जसवंत सिंह जी, आप एक सजग व्यक्ति हैं, लेकिन शायद इस समय संभवतः आप सावधानी से नहीं बोले हैं।

श्री जसवन्त सिंह : आपने यह नहीं कहा कि "चर्चा शुरू कीजिए" आपने केवल इतना कहा, "कि यदि आप चाहते हैं तो आप चर्चा शुरू कर सकते हैं।" महोदय, क्या यह बात ठीक नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। यदि आप चर्चा शुरू नहीं करना चाहते हैं तो बैठ जाइए।

श्री जसवन्त सिंह : मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि हम उचित चर्चा क्यों नहीं कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : ये मैं नहीं चाहता हूं।

श्री श्रीकांत जेना : माननीय प्रधान मंत्री और श्री भुवनेश चतुर्वेदी ने अभी-अभी जो वक्तव्य दिए हैं वह विरोधाभाषी हैं। श्री भुवनेश चतुर्वेदी के वक्तव्य के अनुसार स्थिति यह है कि सरकार ने मंत्रिमण्डलीय सचिव की अध्यक्षता में पहले ही एक समिति गठित कर दी है जो ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार पर गौर करेगी और उसके बाद 31 दिसम्बर तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी और केवल उसके बाद ही सरकार अंतिम निर्णय लेगी। अंत में अंतिम पैरे में यह भी कहा गया है कि सरकार का इरादा बुरा नहीं है। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी अब कहते हैं कि यह वाद-विवाद सुनने के बाद अपना मन बनाएंगे और सात दिन के भीतर कार्रवाई करेंगे।...**(व्यवधान)** अब क्या स्थिति है?... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न पूछ रहे हैं। हमें उनका प्रश्न सुनना चाहिए। यदि सरकार उत्तर देना चाहे तो वह उत्तर दे सकती है।

श्री श्रीकांत जेना : अब मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वक्तव्य में दी गई स्थिति ठीक है या माननीय प्रधान मंत्री ने अभी-अभी जो कुछ कहा है वह ठीक है। इस बात को स्पष्ट किया जाए।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से आग्रह करता हूं। बुरे इरादे और बुरे इरादे से या बुरे इरादे के बगैर सरकार को जो वास्तविक हानि हुई है उसमें अन्तर है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी, हां। ऐसा हो सकता है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यही तो मैं कह रहा हूं। अंतर ठीक है। मुझे कोई इरादा नजर नहीं आया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अभी तक भी? हमारी बात सुनने के बाद आप अपने विचार बदल देंगे।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : दोनों सभाओं में सभी माननीय सदस्यों के विचार जानने के पश्चात् अगर मुझे यह महसूस होता है कि उसमें कुछ दुर्भावना है तो मैं आपको बताऊंगा। अन्यथा जो कुछ भी नुकसान हुआ है उस संबंध में मुझे यह निर्णय करना पड़ेगा कि क्या कार्यवाही की जानी है। मुझे फैसला करना पड़ेगा और एक सप्ताह के भीतर मैं निर्णय लूंगा। मेरा यह वायदा है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकारी खजाने का जो घाटा हुआ, वह तो अपनी जगह ठीक है।

श्री नरसिम्हा राव : वह ठीक नहीं है लेकिन हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि उस घाटे के लिए प्रमाणिकता की कमी का कोई दोषी नहीं है। सरकार किस प्रमाण के आधार पर इस नतीजे पर पहुंची है?

श्री नरसिंह राव : उस किताब के आधार पर पहुंची है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किस किताब के आधार पर पहुंची है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पहुंची है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सरकार के वक्तव्य में जो कहा गया है मैं आपको उसी वक्तव्य का हवाला दे रहा हूं। उस वक्तव्य में सरकार ने माना है कि जो दाम बढ़ गये थे, उनसे केवल मिल ओनर्स को फायदा हुआ है। यह ज्ञान प्रकाश कमेटी ने कहा है। क्या यह निर्णय की गलती थी या मिल ओनर्स को फायदा पहुंचाया गया?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैंने कहा है कि चर्चा के बाद उसका जवाब दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने तो अपना दिमाग बना लिया है कि कोई मैलाफाइडी नहीं है, चर्चा क्या करेंगे।...**(व्यवधान)** आप निर्णय पर पहुंच गए। अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं होता। यदि प्रधान मंत्री दिमाग खुला रखते...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे आपकी बात सुनना चाहेंगे। वे कह रहे हैं कि सुनने के बाद यदि मुझे लगा कि आपका कहना दुरूस्त है तो मैं उसपर एक्शन लूंगा।

अटल बिहारी बाजपेयी : क्या सनुने के बाद? हमारा भाषण सुनने के बाद या उनके पास जो प्रमाण हैं, उन्हें देखने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : इन दोनों मामलों में की गई कार्यवाही में अंतर है। कार्यवाही एक जैसी भी हो सकती है और नहीं भी। लेकिन जब उसका आधार ही अलग है, तो कार्यवही का प्रभाव भी अलग होता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसीलिए माननीय प्रधान मंत्री को कहना चाहिये था कि अभी तक उनका दृष्टिकोण खुला था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा कहा था। अब श्री पासवान बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी, मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जनरल खण्डूरी जी, मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा। लेकिन इस प्रकार से नहीं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि प्रधान मंत्री ने रिपोर्ट को पढ़ा है या नहीं लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जिसने रिपोर्ट की एक–एक लाइन को पढ़ा है। यदि कोई भी व्यक्ति उस रिपोर्ट को पढ़े तो दूसरा पी.एम.ओ. का उसमें हाथ है या नहीं, उस कनक्लूजन पर तो नहीं पहुंच सकता लेकिन दूसरा कनक्लूजन तो साफ है। मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ दो लाइनें पढ़कर सुनाता हूं। क्या उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसमें मैलाफाइड इनटैन्शन नहीं है? रिपोर्ट में कहा है–

[अनुवाद]

> "अतः, यह स्पष्ट है कि जब कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं उस समय प्रत्येक मंच पर आयात का विरोध करके और इसके प्रति बिल्कुल चिंता जाहिर न करके...

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी तक का प्रश्न है। सभा का नियम यह कहता है कि अगर कोई रिपोर्ट अथवा रिपोर्ट का कोई भाग उद्धृत किया जाये तो वह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाये।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उद्धृत कौन कर रहा है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, वह उद्धृत कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं उद्धृत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम का उल्लेख कर रहे हैं? मैं आपके व्यवस्था संबंधी प्रश्न पर गौर करूंगा–आप किस नियम का उल्लेख कर रहे हैं?

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, अगर मुझे ठीक से याद है तो **कौल एण्ड शकधर** में पृष्ठ 872 में यह कहा गया है कि अगर सरकारी दस्तावेज का कोई भाग उद्धृत किया जाता है तो उस दस्तावेज का सभा पटल पर रखना आवश्यक हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहीं से उद्धृत कर रहे हैं। उन्होंने यह नहीं कहा है...

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मुझे इस बात का खेद है कि उन्होंने कहा है कि यह भाग रिपोर्ट का है। उन्होंने कहा है, यह रिपोर्ट है।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं रिपोर्ट से उद्धरण दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ भी उद्धृत किया है, अगर सरकार यह कहती है कि यह गलत नहीं है, तो फिर क्या रिपोर्ट का सभा में रखा जाना आवश्यक है?

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अगर कुछ उद्धृत किया जाता है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप नियम बताइये। मैं उस **नियम** का विश्लेषण करूंगा और आपको बताऊंगा। आप उन्हें पुस्तक दीजिये, आप इसे पढ़ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अब उन्हें अपनी बात कहने दीजिये।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं उद्धृत कर रहा हूं...

> "अतः यह स्पष्ट है कि संकटकालीन स्थिति में जबकि आपूर्ति को कम करके कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, प्रत्येक मंच पर आयात का विरोध करके और इसके प्रति चिंता जाहिर न करके तथा रातस अधिक, चीनी उद्योग को और अधिक लाभदायक उद्योग बनाने की दृष्टि से इस कीमत वृद्धि को न्यायोचित ठहराते हुए समय–समय पर ये दुर्भावनापूर्ण वक्तव्य जारी करके चीनी का संकट पैदा करने के लिए अगर कोई पूर्ण रूप से जिम्मेदार था तो वह खाद्य मंत्री ही थे।

[हिन्दी]

यह आपकी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के बाद भी प्रधान मंत्री कहते हैं कि रिपोर्ट में किसी के खिलाफ कुछ है ही नहीं। मैं दो बात कहना चाहता हूं। पहली बात यह हो सकती है कि ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट पर आपको विश्वास नहीं है। हम शुरू से ही कहते थे कि आप जूडिशियल कमीशन बिठाएं या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से मांग करें। और कल्पनाथ राय जी ने कल सही बात कही, कल्पनाथ राय जी ने कहा कि अकेले मुझे ही क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है और जो कलिप्रिट्स हैं, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है और इसलिए उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। इसलिए...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं और मेरे विचार में वे अपनी बात जोरदार तरीके से कहेंगे। हम उनसे यह आशा करते हैं कि नियमों को सामने रखकर प्रश्न करेंगे। निदेश 118 में कहा गया है :

> "यदि कोई गैर–सरकारी सदस्य अपने भाषण के दौरान किसी गुप्त सरकारी दस्तावेज, पत्र अथवा रिपोर्ट में से उद्धृत करना चाहे तो वह पहले से उसकी एक प्रति अध्यक्ष को देगा तथा वह सदस्य जो अंश उद्धृत करना चाहता है उसके बारे में भी बताएगा ताकि अध्यक्ष यह निश्चय कर सकें कि क्या अनुमति दी जानी चाहिए। यदि अध्यक्ष सदस्य को उस दस्तावेज में से उद्धृत

करने की अनुमति दे देता है; तो सदस्य उचित समय पर ऐसा कर सकेगा। यदि अध्यक्ष आवश्यक अनुमति नहीं देता है तो सदस्य न तो उस दस्तावेज में से उद्धृत करेगा और न उसकी विषयवस्तु का उल्लेख करेगा।"

क्या आपने इस नियम का पालन किया है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जी, हां महोदय : आपने तो परसों ही परमीशन दे दी थी, जब हम लोगों ने यहां मामला उठाया था।

[अनुवाद]

आप रिकार्ड देख सकते हैं।

हम लोगों ने कहा कि "क्या हम उद्धृत कर सकते हैं?" आपने कहा कि

"आपको यह रिपोर्ट पढ़ने का अधिकार मिलेगा और आप इसे उद्धृत भी कर सकते हैं।" मैं इसे आज चुनौती नहीं दे सकता लेकिन अगर आप रिकार्ड देखें तो आप इस पर पुनर्विचार करेंगे। आप इस पर अपना विनिर्णय पहले ही दे चुके हैं।...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या आप यह सलाह दे रहे हैं कि उन्हें रिपोर्ट से उद्धरण देने का कोई अधिकार नहीं है?... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिये कि हम एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं। आपको नियमों का पालन करना चाहिये। अगर मैंने कुछ कहा है तो मैं ध्यानपूर्वक इसे पढ़ूंगा और मैं यह देखना चाहूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। साथ ही, मैंने जो कुछ कहा था, उस पर अडिग रहूंगा या फिर नियम की व्याख्या उचित ढंग से करूंगा।

प्रश्न यह है, कि आप एक वक्तव्य दे रहे थे और आपने यह नहीं बताया कि आप इसे कहां से पढ़ रहे हैं। आप यह कह सकते थे कि मैं यह भाग अमुक दस्तावेज से उद्धृत करना चाहता हूं।

श्री राम विलास पासवान : मैंने कहा है कि मैं रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगर आप विषय वस्तु पर नहीं जाना चाहते और उसे सिर्फ सतही तौर पर देखना चाहते हैं तो ऐसा आप कीजिये। मैं यह कह रहा हूं कि सरकार ने जो वक्तव्य दिया है, उस पर चर्चा करने की अनुमति आपको नहीं दी जायेगी। लेकिन यदि आप समझते हैं कि वक्तव्य वहां रखी गई रिपोर्ट से अलग है तो आप रिपोर्ट लेकर मेरे पास आ सकते हैं और यह कह सकते हैं कि वक्तव्य में जो कुछ भी कहा गया है वह रिपोर्ट के विपरीत है और आप रिपोर्ट से उद्धृत करना चाहेंगे। उसके बाद आपको उचित ढंग से यह देखने का अवसर दिया जाएगा कि आपको इसके बारे में क्या करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह से बार-बार खड़े होंगे तो इससे भ्रांति पैदा हो जाएगी। मैं आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको उस तरह से अपने प्रश्न पूछने की अनुमति देने की कोशिश कर रहा हूं जिस तरह कि आप पूछना चाहते हैं लेकिन यदि आप ऐसा करने के इच्छुक नहीं हैं और केवल सह मुद्दों को उठाने के इच्छुक हैं तो यह आप पर निर्भर करता है।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है। अब और किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। अब हमें चर्चा के लिए तारीख और समय निर्धारित करना चाहिए ताकि वाद-विवाद शुरू हो सके। यदि माननीय सदस्यों को यह बात पसंद है तो हम चर्चा कल ही शुरू कर सकते हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो हम चर्चा आज ही शुरू करने के लिए तैयार हैं। कृपया आप विपक्षी सदस्यों के विचार जान लीजिए।...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं ठीक यही करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए सदस्यों ने कुछ प्रश्न किए और सत्ताधारी पक्ष की ओर से कोई अनुक्रिया तैयार है तो सरकार किस अनुक्रिया को व्यक्त कर सकती है। यदि आप सब वाद-विवाद शुरू नहीं करना चाहते हैं तो मैं दोनों पक्षों पर चर्चा के लिए दबाव नहीं डाल सकता हूं। यदि आप यहां पर पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं अन्यथा मैं इसे यहीं छोड़ सकता हूं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मेरे व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ? मैंने निर्देश 118 के आधार पर व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : आप बताएं कि किसके तहत आपने यह उठाया है "मैं उस कानून की व्याख्या करूंगा।"

श्री जसवन्त सिंह : अब मैं एक कानूनी उलझन में नहीं पड़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कानून में जाए बगैर कोई विनिर्णय नहीं दे सकता हूं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, बेशक। मैं कानून का उल्लेख कर रहा हूं और...

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप इसे पढ़िए।

श्री जसवंत सिंह : मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठा रहा हूं कि यदि कोई गैर सरकारी सदस्य कोई पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है तो वह उसकी प्रति उपलब्ध करवाएगा। यह नियम 118(i) है। अब नियम (2) में कहा गया है कि यदि गैर सरकारी सदस्य अपने भाषण के दौरान किसी सरकारी गोपनीय, दस्तावेज, पत्र या रिपोर्ट से उद्धृत करना चाहे, अब रिपोर्ट या पत्र अर्द्धविराम के बाद है, यह जरूरी नहीं है कि यह गोपनीय हो-तो वह उसकी प्रति अग्रिम में अध्यक्ष को देगा। महोदय, यहां अध्यक्ष के पहले एक निर्देश में कहा गया है कि यदि आप एक दस्तावेज से उद्धृत करते हैं तो आप उसकी एक प्रति अध्यक्ष को उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ये कहां से पढ़ रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उनके पढ़ने के पहले है, उसके बाद नहीं।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है?

श्री जसवंत सिंह : महोदय, यहां पर मेरा प्रश्न यह है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तीन या चार दिन के हो-हल्ले में वास्तव में हमें वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने दिया गया जिसमें हम उद्धृत कर रहे हैं। महोदय, मेरा आप से आग्रह है, कि एक ओर तो हम प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के तहत दस्तावेज की एक प्रति अग्रिम में आपको उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य हैं, जिससे हम उद्धृत करना चाहते हैं और दूसरी ओर हम वह प्रति हासिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रतियां सीमित हैं और वह सीमित प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में रखी गई हैं। आपके निर्देशों के अनुसार, उस दस्तावेज का जारी किया जाना पुस्तकालय के नियमों के अध्ययन है और पुस्तकालयाध्यक्ष ने कह दिया है कि वह उन्हें जारी नहीं कर सकते हैं। अब बड़ी असमंजस की स्थिति है। तीसरी बात इससे एक सार्थक चर्चा करना है-सरकार कुछ दावे कर रही है और रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई हैं और इसकी केवल पांच प्रतियां हैं।

अध्यक्ष महोदय : जसवंत सिंह जी, हमें कानूनी मुद्दे पर आने दीजिए। आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। वह व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस मामले में जब श्री राम विलास पासवान जी ने एक विशेष दस्तावेज से उद्धृत किया है तो यह सिद्ध करना मुझ पर निर्भर है कि मैं उस दस्तावेज को क्या समझा। मैं यह उल्लेख कर रहा हूं और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि वह दस्तावेज सभा पटल पर रखा जाए ताकि मैं या किसी अन्य सदस्य को यह आसानी से उपलब्ध हो।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप एक मांग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं महसूस करता हूं कि औचित्य तो यह है कि माननीय प्रधान मंत्री जी को इसे सभा-पटल पर रखने के लिए सहमत हो जाना चाहिए। इसमें क्या कठिनाई है? महोदय, सार्थक चर्चा कैसे हो सकती है? माननीय प्रधान मंत्री जी अंतिम रूप से अपना मन बनाने से पहले इस रिपोर्ट पर हमारी बात सुनना चाहते हैं और वह यह सब हमारे यह जाने बगैर कि रिपोर्ट में क्या है, सुनना चाहते है; उन्हें कृपा करके सदस्यों को प्रतियां उपलब्ध करवानी चाहिए। प्रतियां उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं विनिर्णय दे चुका हूं कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं आपको स्मरण कराता हूं कि जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दो या तीन दिन से हमारी इस मांग का हठधर्मी से विरोध कर रहे थे कि इसे सभा पटल पर रखा जाये तो इसका कारण इसके अलावा और नहीं था बल्कि इसका कारण यह था कि तकनीकि दिक्कत होगी जिसे सभा की कुछ प्रथाओं और परंपराओं के अनुरूप बताया होगा कि ऐसी प्रशासनिक रिपोर्टें कभी भी सभा पटल पर नहीं रखी जाती हैं। उन्होंने कभी भी किसी अन्य कारण का उल्लेख नहीं किया। अब जबकि उस रिपोर्ट से उद्धृत किया गया है, और उसकी प्रतियां पुस्तकालय में रख दी गई हैं तो वो कौन सी बात है जो इसे सभा पटल पर रखने से रोकती है। क्या प्रधान मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे? इस रहस्यमय कांड के बारे में यह सब क्या हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने अपना प्रश्न पूरा कर लिया है तो मैं इस पर अपना विनिर्णय दूं। यदि श्री पासवान जी किसी दस्तावेज से उद्धृत करना चाहते हैं जो उनके पास है तो यह उनका फर्ज है कि वह उस अंश को रेखांकित करके मुझे दें जो वह उद्धृत करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने ऐसा नहीं किया।

श्री राम विलास पासवान : यह रिपोर्ट पहले से ही आपके पास है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कानून की व्याख्या कर सकता हूं लेकिन मैं आपको कानून समझा नहीं सकता हूं। मेरे लिए कानून की व्याख्या करना संभव है लेकिन मैं आपको कानून समझा नहीं सकता हूं। अब मैं यह कह रहा हूं कि यदि आपके पास दस्तावेज है और यदि आप उससे उद्धृत करना चाहते हैं तो आपको वह दस्तावेज देना होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। आप सब बोलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा।

[अनुवाद]

यदि आप इसे उद्धृत करना चाहते हैं तो कृपया मुझे यह बताइये कि आप किस अंश से उद्धृत करना चाहते हैं। इसकी वजह ये है कि दस्तावेज तक आपकी पहुंच है और यदि मुझे मालूम हो जाए कि आप जो उद्धृत कर रहे हैं वह रिपोर्ट के अनुसार है तो आपको अनुमति दी जाएगी।

श्री राम विलास पासवान : पृष्ठ संख्या 97 से प्वाइंट संख्या 6.5 उद्धृत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे पहले ही दे दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, कल दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आज कोट करेंगे, कल दे देंगे।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था कि रिपोर्ट में दो के खिलाफ, एक तो फूड मिनिस्टर के खिलाफ और एक एसटीसी और एमएमटीसी के खिलाफ में और लास्ट में जो कनकलुजन है इन दो के खिलाफ में कड़ी आपत्ति है। उसमें कहा गया है, "खाद्य मंत्री पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।"

फूड मिनिस्टर कहते हैं कि मैं तो रेसपोंसिबल हूं ही नहीं, दूसरे लोग रेसपोंसिबल हैं, उल्टा किया गया है।

एस.टी.सी. के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम व्यावसायिक रूप से अक्षम है।

[हिन्दी]

दो महीने प्राइम मिनिस्टर के आदेश के बावजूद भी सी.सी.पी. पी. की तीन बार बैठकें हुई।

[अनुवाद]

ये शब्द "व्यवसायिक रूप से अक्षम" है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम डिसकस नहीं कर रहे हैं, हम तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ डिसकशन चाहते हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, अगर आप इस प्रकार से बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अलाऊ करूंगा और जितनी देर आप बोलना चाहते हैं उतनी देर अलाऊ करूंगा, मगर कल आप इसके ऊपर नहीं बोलेंगे। अगर आपको आज बोलना है तो आप संक्षेप में कह कर बैठ जाइए।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, एक लाइन का क्लेरीफिकेशन है और वह यह है कि इन्होंने जो स्टेटमेंट में कहा है उस पहले की स्टेटमेंट में और आज की स्टेटमेंट में बहुत अंतर है। एक प्रश्न के जवाब में चतुर्वेदी जी ने कहा,...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

इसे प्रधान मंत्री के नोटिस में नहीं लाया गया था।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : ठीक है। मैं आपके माध्यम से आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री, कम से कम फूड मिनिस्टर का नाम उसमें है। एम.एम.टी.सी. और एस.टी.सी., जिसने प्राइम मिनिस्टर के आर्डर को दो महीने तक वॉयलट किया। सी.सी. पी.पी. डिसीजन को वॉयलट किया और सी.ओ.एफ. के डिसीजन को वॉयलट किया, कम से कम उसके खिलाफ आपने अभी तक कार्यवाही नहीं की है। यह क्या शो करता है, या तो आप एक्शन लीजिए और यदि आप एक्शन नहीं लेते हैं तो हमको चार्ज करना पड़ेगा। सारे अफेयर्स में पी.एम.ओ. का हाथ है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो स्टेटमेंट प्रधान मंत्री की तरफ से किया गया है इससे न केवल हम लोगों को, बल्कि पूरे देश में एक बहुत गहरी निराशा होगी कि ऐसे सवाल के ऊपर, जिस पर मेरी राय में जो ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट आई है उससे हिसाब लगाया जाए तो देश को करीब 8–10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं रिपोर्ट को कोट नहीं कर रहा हूं आपने हम लोगों को उस रिपोर्ट को पढ़ने की इजाजत दी है और हमने उस रिपोर्ट को पढ़ा है। उसमें उन्होंने यह बात कही है कि अगर एक रुपये किलो चीनी का दाम बढ़ गया तो साल भर में साढ़े सात सौ करोड़ रुपये चीनी मिल के मालिकों को लाभ हुआ और उन्होंने खुद कहा है कि इम्पोर्ट न करने की वजह से नवम्बर, 1993 में जहां चीनी का दाम 9 रुपए किलो था वहां वह बढ़ करके देश में 20 रुपए किलो तक चला गया। तो उनके कहने के मुताबिक 10–12 हजार करोड़ रुपए का देश को नुकसान हुआ है।

महोदय, प्रधानमंत्री जी ने आज सफाई की चिट्ट दे दी है कि इनकी बदनियत नहीं थी मैं इससे पूरी तरह से अपनी असहमति प्रकट करता हूं, यह बहुत ही एक तरह से गलत प्रधान मंत्री जी ने अपना निर्णय दे दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं, आपने कहा कि सरकार को क्या नुकसान हुआ, खाली सरकार को नहीं हुआ बल्कि इस देश के करोड़ो उपभोक्ताओं ने, जिनको चीनी नवम्बर से ले करके जुलाई तक 9 रुपए किलो की जगह 20–25 रुपए किलो थी,...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई नियमित वाद–विवाद नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : सारे देश के उपभोक्ताओं को महंगी चीनी खरीदनी पड़ी उसका क्या होगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई नियमित वाद–विवाद नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इस रिपोर्ट को कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्ञान प्रकाश जी ने खाद्य मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है और इन पर 4 आरोप लगाए हैं। पहला यह कि इन्होंने जानबूझ कर समय पर इंपोर्ट नहीं करना चाहा। दूसरी बात उन्होंने कही कि 18 दिन तक फाइल अपने पास रखी और बाद में सब कमेटी में विरोध करते रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई नियमित वाद–विवाद नहीं है और मैं आपको नियमित वाद–विवाद में अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : एक मिनट सुन लीजिए। तीसरा आरोप लगाया गया कि ये इल कंसीव स्टेटमेंट बराबर करते रहे। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं इतने आरोप आपके मंत्री पर एक रिपोर्ट में लगाए गए हैं और आप चुपचाप बैठ कर हमारे भाषण का इंतजार करेंगे और बाद में कदम उठाएंगे। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आपने जांच समिति बनाई।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत इरेगुलर हो रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव : आखिरी जुमला सुन लीजिए। प्रधान मंत्री जी, आपने जांच समिति गठित की और जिसको आपने गठित किया, उसी ने यह कहा, यह बात ध्यान देने लायक है, कि मुझे करप्शन की जांच करने की ब्रीफिंग नहीं थी।

[अनुवाद]

"भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की कोई बात नहीं है कही गई थी।"

अध्यक्ष महोदय : आप रिपोर्ट में विचारार्थ विषय का उल्लेख कर सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : विचारार्थ विषय में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। मेरा आरोप है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था और इसीलिए प्रधान मंत्री को यह पता लगाने के लिए कि भ्रष्टाचार में कौन–कौन शामिल हैं तत्काल एक जांच का गठन करना चाहिये और तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। मेरी यह मांग है।...**(व्यवधान)****

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, इस रिपोर्ट की हमारी मांग, जो एक वक्तव्य ही है, न्यायोचित्त है। यह तथ्य कि इसे यहां श्री चतुर्वेदी ने पढ़ा है, यह दर्शाता है कि सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है। सरकार ने इस वक्तव्य को स्वीकार कर लिया है। अन्यथा इसे यहां सरकारी तौर पर नहीं पढ़ा जाता। इस वक्तव्य में पांच बातें हैं, जो श्री ज्ञान प्रकाश के अनुसार उन कारणों का निचोड़ हैं जिनके फलस्वरूप यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

इस संकट के कारण इस प्रकार हैं :

(1) चीनी के उत्पादन के अविश्वसनीय और बढ़ा चढ़ाकर दिए गए अनुमान। इस प्रकार की स्थिति चल रही थी। इसका तात्पर्य यह है कि देश को तथा संसद को चीनी उत्पादन के संबंध में जो अनुमानित आंकड़े दिये गये थे, वे अविश्वसनीय और बढ़ा–चढ़ाकर दिये गये थे।

(2) उपलब्ध अतिरिक्त स्टॉक और आपूर्ति में व्याप्त कुप्रबंध। इसका उचित प्रबंध नहीं किया जा रहा था।

(3) चीनी के आयात के लिए निर्णय लेने में विलम्ब।

(4) चीनी आयात का निर्णय लेने के पश्चात् इसे कार्यान्वित करने में विलम्ब।

(5) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित अधिकारियों के बीच उचित सामंजस्य का अभाव।

महोदय, अब मैं माननीय प्रधान मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, जिन्होंने कुछ देर पहले कहा, "जी हां, मैं स्वीकार करता हूं कि घाटा हुआ है, देश को और सरकार को घाटा हुआ है। लेकिन घाटा **दुर्भावना** के बिना भी हो सकता है।" उन्होंने यही बात कही है। **दुर्भावना** के बगैर भी घाटा हो सकता है। मैं उनसे अपने प्रश्न का जवाब चाहता हूं : "अगर उसमें **दुर्भावना** नहीं है और यह भी मान लें कि उसमें **दुर्भावना** नहीं है लेकिन क्या इससे जवाबदेही भी समाप्त हो जाती है?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : जी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी, नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा है। मुझे आपकी बात सुनकर प्रसन्नता हुई है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय, इसीलिए मैंने अपने सहयोगी सदस्यों के विचार जानने चाहे हैं। मुझे उनके विचार प्राप्त हुए हैं। मैं इस पर विचार कर रहा हूं कि उचित कार्यवाही क्या हो सकती है। मेरे विचार में यह भी उपलब्ध कराई गई है।

5.00 म. प.

इसीलिए मैंने कहा है कि जवाबदेही अलग बात है और **दुर्भावना** अलग।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं प्रधान मंत्री को इस स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बताता हूं कि मैंने उन्हें धन्यवाद क्यों दिया, क्योंकि उनका स्पष्टीकरण उस नए मत को नकारना अथवा उसके विरूद्ध है जिसे उनके सहयोगी, संसदीय कार्य मंत्री, जिन्होंने की गई कार्यवाही रिपोर्ट पर, जब हमने उनसे चर्चा की थी, और हम जवाबदेही पर जोर दे रहे थे तब हमें बताया था। जवाबदेही इस संसदीय प्रणाली का मूलाधार है। जवाबदेही के बगैर किसी संसदीय प्रणाली का अस्तित्व नहीं है। अगर जवाबदेही समाप्त हो जाये तो यह प्रणाली समाप्त हो जाती है। फिर हमें कोई अन्य प्रणाली अपनानी चाहिये। उन्होंने कहा है, "जब तक अपराध साबित न हो जाये, तब तक कोई जवाबदेही नहीं बनती है।" यह बात कार्यवाही वृत्तांत में है। उन्होंने कहा है, "अगर आप अपराध साबित कर सकते हैं जो जवाबदेही होगी अन्यथा नहीं होगी।"

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : वह इस बात को गलत ढंग से उद्धृत कर रहे हैं। यह बात बिल्कुल दूसरे संदर्भ में कही गई थी; इस बात का इसके साथ कोई संबंध नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अलग संदर्भ क्या है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वह बात बिल्कुल अलग थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसीलिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं प्रधान मंत्री जी का अत्यधिक आभारी हूं। उन्होंने कम से कम इसे बड़े स्पष्ट रूप से बताया है कि दुर्भावना अलग है और ज़वाबदेही कुछ और। हमारा संबंध जवाबदेही से है। अन्यथा इस संसद में बने रहने का कोई अर्थ ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या वह वक्तव्य श्री विद्याचरण शुक्ल ने दिया है। मुझे इसमें संदेह है। अगर वक्तव्य उन्होंने दिया है तो हम इस पर विचार करेंगे।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दूसरे, अगर कोई सदस्य कोई वक्तव्य देता है और अगर वह सही हो तो हम इसे स्वीकार भी कर सकते हैं और नहीं भी।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : आपराधिक मामलों में अथवा ऐसे मामले जिसमें अपराध शामिल हो कभी भी जवाबदेही का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर यह आपराधिक बन जाता है...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जवाबदेही समाप्त हो चुकी है। वह इस वक्तव्य में पहले से ही नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : मेरा व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न है। इस मामले पर कल चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करने के लिए आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए मैं नियम 372 मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य का उल्लेख करना चाहता हूं।... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : वह भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए नहीं है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे अपना विनिर्णय सुनाने देंगे?

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : श्री राम विलास पासवान ने जो कहा है, उसका जवाब देते हुए मैं पुनः इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं। आपने इस पर कल चर्चा की अनुमति दे दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन साथ ही, जो प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं वह यह है। नियम 372 इस प्रकार है :

"लोक–महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जायेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।"

अब हम क्या कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूंगा। आपने जो प्रश्न उठाया है, वह बिल्कुल उचित है। मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब यह मामला उठाया गया था, तो हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि इस मामले पर सभा में किस प्रकार चर्चा की जाये। अब वक्तव्य दिया गया है; और फिर यह कहा गया था कि इस वक्तव्य पर चर्चा की जाये। एक समझौता हुआ है; और अगर कोई समझौता हुआ है, तो आप जानते हैं, हम इस वक्तव्य संबंधी समस्या को निपटा सकेंगे। एक ओर तो आपका व्यवस्था संबंधी प्रश्न उचित है और दूसरी ओर सदस्यों में जो समझौता हुआ, उससे चर्चा सुविधाजनक हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : यह केवल चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए है। जैसाकि प्रधान मंत्री ने कहा है कि उनके खुले विचार हैं और चर्चा पूरी होने के बाद वह इस पर विचार करेंगे और एक निर्णय लेंगे। मूल मुद्दा यह है कि यह खाद्य मंत्री नहीं थे। उनका दृष्टिकोण और ज्ञान प्रकाश जी का दृष्टिकोण दो अलग बातें हैं। उनका विचार यह है कि उन्होंने ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट में लिखा है कि वह आयात के विरूद्ध थे। लेकिन ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट का कहना है कि इससे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई ...**(व्यवधान)** ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट के अनुसार मूल मुद्दा यह है अगर प्रधान मंत्री को उचित समय पर इसकी जानकारी हो जाती तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हुई होती?...**(व्यवधान)** मूल मुद्दा यह है...**(व्यवधान)** मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सी.सी.पी.पी. की बैठक के पश्चात् दिसम्बर में यह मुद्दा प्रधान मंत्री के नोटिस में लाया गया था अथवा नहीं...**(व्यवधान)** तत्कालीन केबिनेट–सचिव का यह कहना है कि प्रधान मंत्री को उनके सचिव के माध्यम से यह जानकारी दे दी गई थी...**(व्यवधान)** मुख्य मुद्दा यह है कि आयात करने तथा इस निर्णय को लागू करने में विलम्ब हुआ है। प्रमुख बात यह है कि क्या सी.सी.पी.पी. की बैठक के बाद केबिनेट सचिव ने प्रधान मंत्री को उनके सचिव के माध्यम से जानकारी दे दी थी। इस समस्या की मुख्य बात यही है।...**(व्यवधान)** अतः प्रधान मंत्री पर शक किया जा रहा है तथा प्रधान मंत्री कार्यालय पर शक किया जा रहा है। उन्हें संसद के समक्ष यह बात स्पष्ट करनी ही चाहिये... **(व्यवधान)** मैं प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह यह स्पष्ट करें कि सी.सी.पी.पी. बैठक की कार्यवाही की उन्हें दिसम्बर, 1993 में जानकारी दी गई थी अथवा नहीं। प्रमुख मुद्दा यही है...**(व्यवधान)** आप शोर क्यों मचा रहे हैं?...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, श्री बंसल जी शोर क्यों मचा रहे हैं? मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए... **(व्यवधान)** पूरा मुद्दा यह है कि प्रधान मंत्री एवं प्रधान मंत्री कार्यालय शक के घेरे में है...**(व्यवधान)** ज्ञान प्रकाश समिति के प्रतिवेदन में प्रधान मंत्री कार्यालय की ओर उंगली उठाई है। उस प्रतिवेदन में प्रधान मंत्री पर उंगली उठाई गई है...**(व्यवधान)** प्रधान मंत्री को यह स्पष्ट करना है कि उन्हें चीनी की अपर्याप्तता के बारे में सूचित किया गया था अथवा नहीं...**(व्यवधान)** मैं झुकने को तैयार नहीं हूं... **(व्यवधान)** जब खाद्य मंत्री का सवाल आता है, तो कोई कुछ नहीं कहता, परंतु जब प्रधान मंत्री का प्रश्न आता है, तो हर कोई चिल्लाना शुरू कर देता है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इस तरह से नहीं। यदि आप चाहते हैं, तो आप उत्तर दे सकते हैं। मैं आपको उत्तर देने की अनुमति दूंगा, लेकिन इस ढंग से नहीं। श्री जेना जी, कृपया इस विषय पर हमें संक्षेप में बोलना चाहिए। यदि आपने अपनी बात कह दी है, तो अन्य लोगों को भी उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, मुझे केवल एक बात और कहनी है।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री श्रीकांत जेना : मुझे यही कहना है कि ज्ञान प्रकाश समिति ने सीधे तौर पर खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी निर्धारित की है। लेकिन बात यह है कि ज्ञान प्रकाश समिति ने प्रधान मंत्री कार्यालय एवं प्रधान मंत्री की तरफ भी उंगली उठाई है। बात यह है कि यदि इस बात को समय पर प्रधान मंत्री के ध्यान में ला दिया जाता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न हुई होती...**(व्यवधान)** समिति के प्रतिवेदन में इस बात पर जोर दिया गया है। ज्ञान प्रकाश समिति के प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया गया है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री को इस कमी के बारे में बताया गया था अथवा नहीं।...**(व्यवधान)**

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रतिवेदन के इस भाग को स्वीकार किया गया है अथवा इस भाग को अस्वीकार किया गया है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना जी, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। मेरे विचार से अगर आप प्रतिवेदन में से कुछ कर रहे हैं, तो आपको इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी।

श्री श्रीकान्त जेना : हां, महोदय, मैं जिम्मेदारी लेता हूं... **(व्यवधान)** मैं इसे इसी समय दिखा सकता हूं। प्रतिवेदन की कार्यवाही का यह अक्षरशः अंश है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिये। आपने कहा है कि प्रतिवेदन में ऐसा कुछ कहा गया है। ऐसा साबित करने के लिए आपको कहा जायेगा।

श्री श्रीकांत जेना : हां, महोदय। इस प्रतिवेदन में यही स्पष्ट लिखा है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं भी ठीक यही कह रहा हूं। गलतफहमी पैदा करने के लिए प्रतिवेदन में से इस ढंग उद्धृत न कीजिए। अब सवाल यह है कि चीनी आयात करने का आदेश देने के लिए मंत्री, प्रधान मंत्री, मंत्रिमंडल अथवा समिति इन चारों में से कौन जिम्मेदार है?

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, इसके लिए मंत्रिमंडल जिम्मेदार है।...**(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल : अगर मैंने आपकी बात को सही तरीके से समझ लिया है तो जब आप मेरे द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर विनिर्णय दे रहे थे तो आपने कहा था कि सदस्यों से आप जो छोटी–सी चर्चा कर रहे हैं, वह मात्र एक ही दिशा में इंगित करती है अर्थात बहस के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना। लेकिन, दुर्भाग्यवश मैं यह देखता हूं...

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे विनिर्णय पर टीका–टिप्पणी नहीं करेंगे। यदि आप कोई अन्य बात कहना चाहते हैं, तो आप वह कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : लेकिन, दुर्भाग्यवश मैं यहां यह देखता हूं कि...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप श्री जेना जी की बात का जवाब देना चाहते हैं?

श्री पवन कुमार बंसल : मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। दुर्भाग्यवश, यहां मैं यह देख रहा हूं कि माननीय सदस्य एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकालने में सहयोग नहीं दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस विषय पर चर्चा हो सके। महोदय, लेकिन चूंकि वे एकतरफा हैं, इसलिए इस वक्त वे बेधड़क होकर जो आरोप लगा रहे हैं, वह सब नाजायज है। महोदय, वे यह कह रहे थे कि उन्हें इस प्रतिवेदन की प्रतियां नहीं मिली हैं। लेकिन इस संबंध में वे जो उल्लेख कर रहे हैं, वह सब इस प्रतिवेदन के दस्तावेज में से ही है। मेरा यह निवेदन है कि परसों भी जो आरोप लगाये जा रहे थे तथा सभा–पटल पर जो कतिपय दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की गई थी, मेरा पूरी जिम्मेदारीपूर्वक यह कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह नाजायज हैं तथा महोदय, यह आरोप उन्हीं लोगों ने गढ़े हैं, जिन्होंने कि संभवतः इस सारे मामले में भूमिका अदा की थी।..**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, अगर टर्म्स ऑफ रैफरेन्स में ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट को देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि आगे डीबेट होगी और जैसा कि प्रधान मंत्री ने यहां अनाउन्स किया कि सात दिन के अंदर हम ऐक्शन लेंगे, लेकिन ऐक्शन लेने का राइट पार्लियामेंट को नहीं है, यह मेरा अपना ख्याल है। यह भी टर्म्स ऑफ रैफरेन्स में है कि...

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सायं पांच बजे वक्तव्य दिया जाना है। प्रधान मंत्री एवं संबंधित मंत्री को राज्य सभा में जाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, वे वहां जा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप सभा स्थगित कर दीजिये। हम प्रधान मंत्री की यहां उपस्थिति के बिना इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, कृपया सभा स्थगित कर दीजिए।...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, आप सभा स्थगित कर दीजिए... **(व्यवधान)**

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : प्रधान मंत्री जी को राज्य सभा में जाना है। अध्यक्ष महोदय की बात को सुनिये...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : आपको इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिये।...**(व्यवधान)** वह प्रधान मंत्री की विशेष सुरक्षा ग्रुप में कार्यरत नहीं हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगर यह पेचिदा मसला है हमें इसे शांतिपूर्वक निबटाना चाहिए। सरकार की इस सदन एवं साथ–ही–साथ दूसरे सदन के प्रति एक जिम्मेदारी है। यदि दूसरे सदन में समय नियत किया गया है तथा यदि सभी बातों को नोट करने तथा उत्तर देने के लिए अन्य मंत्री यहां उपस्थित हैं, तो मैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को राज्य सभा में जाने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं यह निवेदन करता हूं कि सभा स्थगित कर दी जाये। इस विषय पर हम प्रधान मंत्री के बिना चर्चा नहीं करना चाहते हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री फातमी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दूसरा भी बिजनेस है हाउस के पास।

[अनुवाद]

यदि आप नहीं चाहते, तो मैं अन्य विषय को लूंगा। जब संबंधित मंत्रीगण यहां उपस्थित होंगे, हम इस विषय को चर्चा हेतु लेंगे। लेकिन, मैं प्रधान मंत्री को राज्य सभा में न जाने के लिए नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनना चाहिये। कृपया बैठ जाइए। व्यवस्था के प्रश्न की एक परंपरा है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष जी, जब प्रधान मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो हमने सवाल पूछना चाहा था। आपने कहा कि आप पाइंट नोट कर लीजिए। हमने पाइंट नोट कर लिया। हम प्रधान मंत्री को पूछने वाले थे। अब प्रधान मंत्री चले गए तो किसको पूछेंगे?

अध्यक्ष महोदय : आप पूछा लीजिए, वह कल जवाब देंगे।

[अनुवाद]

हर एक शब्द नोट किया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : हमको कौन जवाब देगा?

अध्यक्ष महोदय : सरकार जवाब देगी।

श्री बसुदेव आचार्य : हम प्रधान मंत्री की ओर से जवाब चाहते हैं न कि अन्य मंत्रियों की ओर से...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नियम बताइए और उसके बाद मैं जवाब दूंगा। सभा आपकी इच्छानुसार नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह नियम दिखाइए कि प्रधान मंत्री को जवाब देना होगा। मैं आपकी इच्छानुसार नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपने हमसे कहा है कि प्रधान मंत्री जी हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने हमसे कहा कि प्रधान मंत्री जी हमारे प्रश्न का जवाब देंगे। अब आपने प्रधान मंत्री जी को अन्य सभा में जाने दिया है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रधान मंत्री जवाब देंगे नहीं कहा बल्कि मैंने कहा 'सरकार' जवाब देगी।

श्री बसुदेव आचार्य : तब आप सभा को एक घंटे के लिए स्थगित कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात का खेद है कि कुछ सदस्य नहीं चाहते हैं कि अन्य सदस्यों को भी अपनी बात रखने की अनुमति दी जाये।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री फातमी जी को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : हमें जवाब कहां से मिलेगा?

अध्यक्ष महोदय : सरकार से।

श्री बसुदेव आचार्य : जी, नहीं। हम सरकार की ओर से नहीं बल्कि प्रधान मंत्री जी से जवाब चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए मुझे नियम दिखाइए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि अभी प्रधान मंत्री जी ने यहां अनाउंस किया कि एक हफ्ते के अंदर वे एक्शन लेंगे। जो ज्ञानप्रकाश कमेटी की रिपोर्ट है उसके टर्म्स ऑफ रैफरेंस में से मैं कोट नहीं कर रहा हूं लेकिन उसके अंदर कहीं पर भी करप्शन या एक्शन का जिक्र नहीं है। उसमें सिर्फ इस बात का जिक्र है कि कहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज हुए हैं उसको देखने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, आपने कोट करने के लिए तो मना कर दिया लेकिन मैं सिर्फ एक फीगर कोट करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप रेफर कीजिए, कोट नहीं।

[अनुवाद]

'हवाला देने' और उद्धृत करने में अन्तर है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : यह तो वही बात हो गयी कि :

काटकर जुबां मेरी कह रहा तो वो जालिम,

अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह संसद है, कोई महफिल नहीं। आप 'उद्धृत करने' और 'हवाला देने' में अन्तर को समझिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, मैं चैप्टर थी से एक रैफरेंस देना चाहता हूं क 1994--95 के लिए 98 लाख टन चीनी का लक्ष्य रखा गया था और पुराना स्टॉक 31 लाख टन था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाइन्ट है। साल का पूरा कंजम्पशन 120 लाख टन का होना था। हमारे देश में जितनी चीनी की जरूरत थी उतनी चीनी मौजूद थी लेकिन शुगर की पूरे हिन्दुस्तान में कमी पैदा की गयी।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कहने दूंगा।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : ज्ञानप्रकाश कमेटी में जिस प्रकार से फूड मिनिस्टर की तरफ इशारा किया है वहीं दूसरे इंस्टीट्यूसंस की तरफ भी इशारा किया है और पी.एम.ओ. के ऊपर भी उसमें इशारा किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह बताइये।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैं यह मांग करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट पर डिबेट करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है इसलिए इसकी ज्युडिशियल इंक्वायरी होने के बाद यहां पर डिबेट होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री राव बोलेंगे। राव जी, आप एक अत्यंत बुद्धिमान सदस्य है। आप इस अंतर को समझते हैं। अब हम उस नियमित मुद्दे पर बात नहीं करेंगे जो कि आप कल यहां उठाने वाले हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यह कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे कुछ निवेदन करने से पहले ही आप टिप्पणी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे सभी सदस्यों को नियंत्रित करना है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आपको बहुत देर तक कई अन्य सदस्यों के विचार सुनने का अवसर मिला है। लेकिन अब अपने इतना भी धैर्य नहीं है कि एक मिनट के लिए भी मेरी सुन पाएं। ऐसा करके सदस्यों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग करता हूं। आज यहां श्री चतुर्वेदी द्वारा दिए गए वक्तव्य में सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि इसके दो प्रमुख पहलू हैं। एक तो यह कि इसमें खामियां है और दूसरी बात यह है कि इस प्रतिवेदन में ही कुछ आरोप लगाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, ज्ञान प्रकाश समिति के निदेश पद में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि समिति को दूसरा पहलू नहीं सौंपा गया जिसके कारण संपूर्ण प्रतिवेदन में जिसके हर एक वाक्य को मैंने पढ़ा है, समिति ने उस पहलू की जांच ही नहीं की और माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति सम्मान सहित मैं यह कहता हूं कि जब उन्होंने कहा कि इसमें कोई कदाशय नहीं है तो हमें दुख हुआ। सरकार यह सब कुछ कैसे और किस आधार पर कह सकती है? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सभा में यह कहना चाहूंगा कि इस देश में ऊंचे दाम पर चीनी के आयात से उपभोक्ताओं को और राजकोष को बहुत अधिक हानि होने के अलावा और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह हैं कि यह सच है कि यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हुई है, फिर भी जिन कीमतों पर एसटीसी एवं एमएमटीसी ने चीनी की खरीद की वह वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से बहुत अधिक हैं और महोदय, बहुत सारा दलाली का पैसा कुछ राजनीतिज्ञों और कुछ नौकरशाहों को मिला है और इस पहलू की जांच नहीं की गई है। महोदय, मैं इस विशेष पहलू पर सरकार की ओर से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। कई करोड़ रुपये राजनीतिज्ञों और भ्रष्ट नौकरशाहों की जेब में गया है।

दूसरे, उसी माननीय मंत्री श्री भुवनेश चतुर्वेदी ने कुछ दिन पहले एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिया जिससे कुछ यह आशंका होती है कि नागरिकपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने चीनी की होने वाली कमी के बारे में प्रधान मंत्री कार्यालय को सूचित नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको ये सब मुद्दे उठाने की अनुमति दूंगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं और इसीलिए मैंने विशेषधिकार की सूचना दी है। इन पांच पृष्ठों में क्या आपने श्री ए. के. एंटनी के विरूद्ध एक भी शब्द पाया है? मैंने ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट की एक-एक पंक्ति को पढ़ा है जिसमें श्री एंटनी की ओर से कोई चूक होने की ओर संकेत नहीं किया गया। लेकिन इसमें यह स्पष्टरूप से उल्लेख किया गया है कि नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने चीनी की होने वाली कमी के बारे में प्रधान मंत्री कार्यालय को बहुत पहले ही सूचित कर दिया था। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि माननीय सदस्यों की बात सुनने के बाद, एक सप्ताह के अन्दर वह कार्यवाही करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सरकार को श्री कल्पनाथ राय के विरुद्ध कार्रवाई करने से किसने रोका, जो कि इस चीनी संकट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार पाये गये हैं और वह बिना शर्म महसूस किये इस पद पर अभी भी कार्य कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल :. कृपया सरकारी कार्य शुरू कीजिए।... **(व्यवधान)**

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, मैं केवल तीन मुद्दे उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाईये। देखिये, इस हाउस के अंदर हमें डिमांस्ट्रेट भी करना है, मार्ग-दर्शन भी करना है और उसमें से एक हो गया। अब काम कर लेते हैं, उसके बाद मार्ग-दर्शन करेंगे। आज के एजेंडा में जो गवर्नमेंट बिजिनैस रखा हुआ है, उसको कम्पलीट करने दीजिये। उसके बाद, कल पूरा दिन आप ले लीजिये और जब तक आप चलाना चाहें, चलायें।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि, जैसा कि प्रातः काल यह निर्णय किया गया था कि सदन आज देर रात तक बैठेगी ताकि सरकारी कार्य पूरा हो सके, अतः हमने सभी माननीय सदस्यों, कर्मचारियों एवं प्रेस के लिए रात के भोजन की व्यवस्था की है। अतः मैं सदन को यह सूचित करना चाहता था कि हमने रात के भोजन की व्यवस्था की है ताकि वे सरकारी कार्य पूरा होने से पहले न जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छी बात है। हम इसकी सराहना करते हैं। अब हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों को लेंगे उस चर्चा करेंगे और मतदान करेंगे।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमें कृपया अपने निवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल अनुमति दूंगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : जी, नहीं। मैं श्री पवन कुमार बंसल की तरह व्यवस्था के प्रश्न से आरंभ कर इस वाद–विवाद में भाग नहीं लूंगा। मैं कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन क्यों?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं इस पर वाद–विवाद नहीं करना चाहता। लेकिन मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे समय देने की मांग कर रहा हूं। मैं एक सामान्य सी बात कहना चाहता हूं और वह यह है...

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बाद आप को अनुमति दूंगा। अब मेरा कर्त्तव्य बनता है कि मैं आपको अनुमति दूं। मैं इसके बाद आपको बोलने की अनुमति दूंगा। मैं आपकी तरह शोर नहीं मचा सकता।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कम से कम कुछ लोगों को शायद सदन के बाहर के लोगों को यह सब कुछ हास्यास्पद लग रहा होगा और मुझे भी ऐसा ही विश्वास है। क्या मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता हूं कि देश की सार्वभौमिक सर्वोच्च निकाय होने के नाते क्या हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने आपको उपहास–पात्र बनायें? मुझे इस बारे में थोड़ी भी आशंका नहीं है। हम चर्चा करना चाहते हैं। ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने के लिए वक्तव्य में ऐसा क्या दिया गया है? सरकार ने इसे प्रमाणित किया है और इसे संसद के पुस्तकालय में रख दिया है। अतः एक प्रमाणिक दस्तावेज है जिसे सरकार ने संसद के पुस्तकालय में रखा है। प्रेस का प्रत्येक एकल सदस्य इसके बारे में जानता है। केवल एक ऐसी संस्थान है जिस पर इसके बारे में सीधे चर्चा करने पर रोक लगी हुई है और उस संस्थान का नाम है भारतीय संसद। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? क्या हमने संपूर्ण देश के सामने अपने आपको उपहास–पात्र नहीं बनाया है? अतः इस मामले पर चर्चा के लिए यह पूर्व शर्त है कि सदन के समक्ष तुरंत रिपोर्ट रखी जाये ताकि हम बिना कठिनाई के, बिना, घूमे फिरे सीधे उसका संदर्भ दे सकें। यह मेरा पहला मुद्दा है।

मैं जो दूसरी बात रखना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप के मुद्दे इतने लंबे होंगे?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, आप इस बात को अवश्य मानेंगे कि यद्यपि मैं आपकी तरह उतना होशियार नहीं हूं कि मैं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सच बोल रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बधाई दे रहा हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट पर चर्चा करने में भी एक कठिनाई है और वह कठिनाई यह है कि यह कहा गया है कि यह रिपोर्ट केवल प्रशासनिक महत्व की है। हम सभा में केवल प्रशासनिक महत्व से ही चिन्तित नहीं हैं बल्कि हम इस मुद्दे में अंर्तग्रस्त अन्य आयामों से भी चिन्तित हैं। हम लोग इस पर कैसे चर्चा करें? केवल प्रशासनिक पहलुओं का उल्लेख होने पर भी, इसके बावजूद यदि ज्ञान प्रकाश जी ने मंत्रालयों की जिम्मेदारियों का उल्लेख किया है, यह उस हद तक एक प्रशासनिक जांच से अधिक हो गई है। अतः मैं आप से इस संबंध में वाद–विवाद करने का अनुरोध करता हूं जिससे इस रिपोर्ट की प्रति को सभा पटल पर रखा जा सके।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि जो कुछ भी कहा गया है वह सरकार की अत्यधिक उदासीनता से संबंधित है। हमें यह बात भी समझनी चाहिए कि, रिपोर्ट सहित या रिपोर्ट के बिना, कितना लूटा गया है, इसके बारे में चिन्ता न किए जाने पर भी चर्चा होनी चाहिए। यह सरकार की उदासीनता है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि वह आयात के लिए धन की अनुमति नहीं देगा, वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप...से आगे बढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह जरूरी क्यों है? आपका प्रश्न क्या है?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि एक प्रशासनिक निकाय होने के बावजूद कार्यपालिका ने...में अत्यधिक उदासीनता बरती है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप वह प्रश्न कल करना।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं निश्चित रूप से वह प्रश्न फिर से करूंगा। लेकिन मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : कल आप बोल नहीं पाएंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप कल नहीं बोल सकेंगे। आपने अपना भाषण आज दे दिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं एक फिर यह चाहता हूं कि आप अध्यक्ष महोदय की तरह समझदारी से काम लें ताकि आप भी मुझे समझ सकें। प्रश्न साधारण है।...**(व्यवधान)** अतः महोदय, या तो वह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाए या इन मुद्दों पर चर्चा न की जाए।

मेरा अगला प्रश्न है...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यह प्रश्न करेंगे, तो लोग आपके बारे में अनुमान लगा लेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरा अगला **प्रश्न यह है कि** यदि इस पर चर्चा नहीं हो सकती है तो क्या उन अन्य बातों पर इस सभा में चर्चा हो सकती है, उसका भी हम सबको निर्णय करना चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि हम इसका निर्णय आज या कल करेंगे।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उसने जुलाई,1994 में एक प्रशासनिक जांच शुरू की। सरकार ने रिपोर्ट मांगी थी और अक्तूबर, 1994 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। सरकार ने माननीय सदस्यों से उनकी टिप्पणियां भी मांगी थीं। वे सरकार की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वे उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। चर्चा के बाद माननीय सदस्यों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद हमारे प्रधान मंत्री जी ने सभा को आश्वासन दिया था कि वह एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मेरा निवेदन है कि उसके बाद सभा में वाद-विवाद शुरू करने से पहले चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा आरंभ करेंगी।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, यह बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस पक्ष के तो सभी लोग बोल रहे हैं और हम नहीं बोल सकते हैं।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आपको यह निर्णय करना होगा कि क्या आप बजट पारित करना चाहते हैं या आप यह चर्चा चाहते हैं क्योंकि मैं आपको इस पर चर्चा करने की अनुमति देने के लिए तैयार था। अब कुछ लोग कहते हैं कि "इस पर चर्चा कीजिए" और लोग कहते हैं कि "इस पर चर्चा मत कीजिए।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल अनुमति दूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, उस पक्ष के बहुत से लोग बोल चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, मैं आपको कल अनुमति दूंगा। आप अपना भाषण कल दीजिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : ज्ञान प्रकाश समिति ने यह स्पष्ट सिफारिश की है।...**(व्यवधान)**...**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मेरा प्राथमिकता का एक प्रश्न है। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह वाद-विवाद समाप्त होने के एक सप्ताह के बाद ही वे कार्रवाही करेंगे। उन्होंने निर्णय लेने के लिए ही समय लिया है। अतः, सभा को सरकार की प्रतिक्रिया का लाभ नहीं मिलेगा। हमें सरकार से या प्रधान मंत्री जी से कोई जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि यह सत्र समाप्त होने के बाद की बात होगी। सरकार का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यह कैसे हो सकता है? हमें सरकार से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा है कि इससे कुछ भी नहीं होगा।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : आप कल बोलिए।...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह कैसे हो सकता है? हमें सरकार से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होगी। कृपया इसे कोई सामन्य मामला मत समझिए। अप इसे एक सामान्य मामला मान रहे हैं। भ्रष्टाचार आप के लिए एक सामन्य बात हो गयी है। लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं।...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया अपनी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहिए।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, सदस्यों की बातें सुनने के बाद मैं समझा हूं कि इस ओर के भी कुछ सदस्य बोलना चाह रहे हैं और मैं समझता हूं सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी, हां। यह कल होगा।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। आज नहीं क्योंकि हम आज इसे वाद-विवाद के रूप में नहीं ले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि वह सात दिन का समय और लेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : सात दिन क्यों?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हमें समझना चाहिए...

श्री बसुदेव आचार्य : इस सत्र के दौरान कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? इस संसद सत्र के समाप्त होने के सात दिन बाद क्यों होगी?

श्री जगदीश टाइटलर : कृपया पहले बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी जी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आपने अपनी बात कह दी है। क्या आप अपनी बात दोहराना चाहते हैं?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैं दोहरा नहीं रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या आप अपनी बात कहना चाहते हैं या जो पहले कहा गया है उसे दोहराना चाहते हैं।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : एक ही बात को बार-बार दोहराने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दे को पुनः दोहराया जा सकता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, इतने दिनों से यह मुद्दा इस सभा में उठाया जा रहा है। लेकिन, अब हमें इस मुद्दे पर बिना कोई कार्रवाही हुए ही संतोष करना पड़ेगा। बात यही है। हमें इसे स्वीकार नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बैठ जायें, तो मैं कहूंगा कि...

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। यह एक अत्यंत साधारण बात है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम चाहते हैं कि इस मामले पर कार्रवाही की जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कब चाहते हैं?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस विषय पर और अधिक बहस करने के लिए कुछ नहीं बचा है। सब कुछ स्पष्ट है। चीनी आयात करने के निर्णय का जान बूझकर लीक किया गया है। प्रधान मंत्री किस लिए और समय मांग रहे हैं? क्या वह यह नहीं समझते कि...

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, इस देश में सभी भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, वक्तव्य में यह कहा गया है कि...

अध्यक्ष महोदय : उत्तर मुझे नहीं देना है सरकार उत्तर देगी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपको उत्तर नहीं देना चाहिए। वक्तव्य में यह कहा गया है कि जब घरेलू क्षेत्र में कीमतें बढ़ रही थीं, तब चीनी के कोटे को कम करके जारी करने का निर्णय लिया गया था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

श्री बसुदेव आचार्य : यह निर्णय किस ने लिया था? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमारी समझ में यह नहीं आता कि दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिए प्रधान मंत्री को और अधिक समय क्यों चाहिये।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, वे कभी कोई मुद्दा उठा रहे हैं और कभी कोई। इस पर हमें अवश्य कुछ कहना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : आप भ्रष्ट मंत्री का समर्थन क्यों कर रहे हैं?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कार्रवाई करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : सरकार का वक्तव्य सुनने के बाद आप, इसका निर्णय लें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस विषय पर आगे और बहस करने की कोई जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इससे आपका क्या तात्पर्य है?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम ऐसा नहीं होने देंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : हम भी यही चाहते हैं कि कार्रवाई की जाये।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप इस सभा के संचालक नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम इस विषय पर मात्र बहस करने के प्रयोजन से ही चर्चा नहीं करना चाहते।...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हम भी यही चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए। लेकिन उन्हें यहां दोहरी चाल मत चलने दें। ...**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हरेक को पता है कि दोषी कौन है।

कुमारी ममता बनर्जी : हम भी यही चाहते हैं कि इस बारे में कार्रवाई की जाये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप कार्रवाई कीजिए, सभा में आईए और फिर इस विषय पर बहस कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : आप यहां दोहरी चाल चल रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह कोई निष्फल बातचीत करने का अड्डा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं। अब आप बोल सकती हैं।...**(व्यवधान)**

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, एक के बाद एक भ्रष्टाचार संबंधी मामले एकत्रित होते जा रहे हैं, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट हमें कुछ टिप्पणियां करने की अनुमति देने के लिए, यह सभा आपकी अति आभारी है। लेकिन विपक्षी-दलों के सदस्यों के लिए यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि जब वे बोलते हैं, तो हम उनकी बात अत्यंत एकाग्रचित होकर सुनते हैं, लेकिन जब हम कुछ कहना चाहते हैं, वे हमें बोलने नहीं देते। हम भी यही चाहते हैं कि दोषी व्यक्तियों और जो कोई भी इस घोटाले के लिए जिम्मेदार है, उनके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह उन सभी की बात का ध्यानपूर्वक सुनने के बाद कार्रवाई करेंगे। **(व्यवधान)** मुझे यहां बोलने का पूर्ण अधिकार है। हम, सत्तारूढ़ दल के सदस्य, यह चाहते हैं कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके साथ ही, ये लोग जोकि यहां चिल्ला रहे हैं, दोहरी चालें चल रहे हैं। अपने राज्य में, इन्होंने चिट फंड में से 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि अपने दल की निधि में ली है तथा इन्होंने उद्योग स्थापित करने के लिए हिन्दुजा के साथ समझौता किया है। यहां, वे दोहरी चाल चल रहे हैं। मेरे विचार से प्रधान मंत्री इस संबंध में समुचित कार्रवाई

करेंगे ताकि देश की जनता को इस बारे में जानकारी मिल सके तथा इन लोगों की दोहरी चाल समस्त जनता को साफ तौर पर पता चले सके। **(व्यवधान)**

5.38 म. प.

इस समय श्री सुधीर राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा–पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : एक्शन लेना होगा, लेना होगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, इस रणनीति से, वे सभा स्थगित करवाना चाहते हैं। आपने उल्लेख किया है कि सभा अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरंभ करेगी। मेरे विचार से हम अपना सामान्य–कार्य शुरू कर सकते हैं तथा अनुपूरक मांगों को पारित कर सकते हैं। इस शोरोगुल को चलने दीजिए। लेकिन इसके साथ–साथ हम अपना सामान्य–कार्य कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री मुकुल वासनिक : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री महोदय ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि लोक सभा एवं राज्य सभा में संपूर्ण बहस को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद, वह इस विषय पर एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर निर्णय ले लेंगे। जब कभी ऐसे विषयों पर चर्चा आरंभ की जाती है, तो विरोधी दलों का संपूर्ण दृष्टिकोण यही होता है कि सरकारी एक ऐसी स्थिति पर न पहुंच पाये, जहां कि इस घोटाले के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा दी जाये और पकड़ा जाये। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी–दलों का दृष्टिकोण मात्र एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है, जहां कि वे कोशिश करेंगे तथा राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति करेंगे।

महोदय, आज सुबह एक समझौता हुआ था कि आप सभा में सारा दिन सरकारी–कार्य निबटाया जायेगा। लेकिन राजनैतिक दलों का इस प्रकार का व्यवहार सभा के लिए अत्यंत अशोभनीय है। विपक्षी दल संसद को हल्के–फुल्के तौर पर ले रहे हैं। देश की जनता को क्या इसी प्रकार का व्यवहार देखना चाहिए तथा एक बार जब देश की जनता विपक्षी–दलों के ऐसे व्यवहार को देख लेगी, तो उन्हें यह विदित हो जाएगा कि जनता की नजरों में उनकी क्या स्थिति है। महोदय, मैं आपसे निवदेन करना चाहूंगा कि विपक्षी–दलों द्वारा अपनाई गए दावपेंचों से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिये, जहां कि सभा की कार्यवाही अवरुद्ध हो जाये। पहले ही सात दिन का समय बर्बाद हो चुका है। वे पूर्णतया सभा का समय नष्ट कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मुकुल वासनिक : अध्यक्ष महोदय, आपने विपक्षी सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का एक अवसर देने की कृपा की है। महोदय, दूसरी तरफ, आपने यह कहने की भी कृपा की है कि यदि विपक्ष एवं सभा चाहती है, तो इस मामले पर अलग से एक चर्चा हो सकती है। आप चर्चा प्रारंभ करने का मौका देने को एकदम तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ, विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वे तो मात्र यही चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही रुक जाये। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा था कि हम चर्चा करने के लिए एकदम तैयार हैं लेकिन विपक्षी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था। महोदय, सभा के लिए यह एक उचित स्थिति नहीं है। हम चर्चा के लिए तैयार है और वे बिल्कुल तैयार नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : हम कार्रवाई चाहते हैं, न कि चर्चा। **(व्यवधान)**

श्री मुकुल वासनिक : आपका अपना अलग दृष्टिकोण हो सकता है लेकिन आप यह आदेश नहीं दे सकते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम जनता के प्रतिनिधि हैं।

श्री मुकुल वासनिक : उसी प्रकार हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम इस सदन में आसमान से सीधे टूट कर नहीं गिरे हैं।... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : अब आप जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तीन वर्ष पहले आपने जनता का प्रतिनिधित्व किया था।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विद्याचरण शुक्ल : यहां आपको कोई जवाब नहीं मिलने वाला। अपनी सीट पर जाकर बैठिये। आप वहां जाकर पूछिये, आपको जवाब पता लग जायेगा।...**(व्यवधान)** यहां आपको जवाब नहीं मिलने वाला, वहां जाकर पूछिये तो जवाब मिलेगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपको एक और बात बताऊं? आप जो भी कर रहे हैं, वह रिकार्ड किया जा रहा है और यह जनता को दिखाया जा सकता है। आप जो कुछ कर रहे हैं, जनता उसे सदन के बाहर से देख रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जनता देख रही है कि आप चर्चा नहीं करना चाहतें हैं, आप चर्चा को रोक देना चाहते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप बात जनता को बताइए।..**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं कहूं कि इस मुद्दे पर चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए तथा अनुपूरक बजट पारित करने के लिए यदि किसी कार्यवाही की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं कार्यवाही करने वाला हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, चर्चा कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको चेतावनी देता हूं। यदि इस सदन में चर्चा नहीं करने दिया जायेगा और यदि ऐसी कोई कार्यवाही की जानी हो जो कि मैंने अब तक नहीं की है, तो मैं जरूर करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा कीजिए। आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? आपको इस तरह से नही चिल्लाना चाहिए।

आप यहां चिल्लाने के लिए नहीं आये हैं। आप यहां चर्चा करने के लिए आये हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह : ऐक्शन लेना होगा, लेना होगा।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्यगण : हम चाहते हैं कि कार्यवाही की जाये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, आपको सदस्यों का नाम बताना चाहिए। तब मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं। मैं उनको कुछ ढील दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पुनः कह रहा हूं कि कुछ सदस्य जो यहां पर चर्चा करने के लिए आये हैं, वे चर्चा नहीं कर रहे हैं। वे लोग चिल्ला रहे हैं और सदन के कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। उनका यह रवैया ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको एक अवसर दे रहा हूं कि वे अपने व्यवहार को सुधारें। यदि कल वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाही की जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को कल 11 बजे म. पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित करता हूं।

5.47 म. प.

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 20 दिसम्बर, 1994/29 अग्रहायण, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।